



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

'आसवनी और यवासवनी' के व्यवसाय में लगी हुई
कंपनियों की आयकर विभाग द्वारा किये गये निर्धारणों
की जांच पर अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

संघ सरकार
राजस्व विभाग - प्रत्यक्ष कर
2024 की प्रतिवेदन संख्या 09

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

'आसवनी और यवासवनी' के व्यवसाय में लगी हुई
कंपनियों की आयकर विभाग द्वारा किये गये निर्धारणों
की जांच पर अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

संघ सरकार

राजस्व विभाग - प्रत्यक्ष कर

2024 की प्रतिवेदन संख्या 09

को लोकसभा और राज्यसभा के पटल पर रखा गया

विषय सूची

विषय

	प्राक्कथन	i
	कार्यकारी सारांश	iii-xviii
अध्याय 1	परिचय एवं लेखापरीक्षा दृष्टिकोण	1-11
अध्याय 2	लेखापरीक्षा निष्कर्ष	12-113
	<i>अनुलग्नक</i>	115-149
	<i>संकेताक्षर</i>	151-152

प्राक्कथन

मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में आयकर विभाग द्वारा 'आसवनी और यवासवनी' के कारोबार में काम करने वाली ग्यारह कंपनियों के निर्धारणों की जांच के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित उदाहरण वे हैं, जो वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2017-18 के लिए आयकर विभाग द्वारा निर्धारण पूर्ण/संसाधित मामलों की अप्रैल 2019 से अक्टूबर 2019 तक किए गए लेखापरीक्षा और पूरक क्षेत्रीय लेखापरीक्षा और अनुवर्ती क्षेत्रीय लेखापरीक्षा, जो दिसंबर 2022 तक जारी रही, के दौरान ध्यान में आए।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

कार्यकारी सारांश

शहरी आबादी में वृद्धि, बढ़ती क्रय शक्ति और बढ़ती अर्थव्यवस्था के कारण भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते मदिरा बाजारों में से एक है।

मदिरा व्यवसाय (मदिरा उत्पादन, वितरण और बिक्री) संबंधित राज्य सरकार के नियमों द्वारा शासित होता है, राज्य आबकारी शुल्क और वैट राज्य का विषय है और आयकर और स्रोत पर कर (टीसीएस) केंद्रीय विषय है, जो आईटी अधिनियम 1961 (अधिनियम) के प्रावधानों के अनुसार एकत्र किया जाता है।

तीन मुख्य हितधारक शामिल हैं: आसवनी और यवासवनी, राज्य आबकारी प्राधिकरण, और आयकर विभाग (आईटीडी)।

आसवनी और यवासवनी को बिक्री के समय स्रोत पर कर (टीसीएस) एकत्र करने और फॉर्म 3सीडी, वित्तीय विवरण इत्यादि जैसे अनुलग्नकों के साथ नियत तिथियों के भीतर आयकर विभाग के साथ टीसीएस विवरण और आयकर-विवरण दाखिल करने की आवश्यकता होती है। सभी लेनदेन को इसके खातों में शामिल किया जाना आवश्यक है और निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हुए अधिनियम की धारा 44एबी के अन्तर्गत इसकी लेखापरीक्षा किया जाना है।

राज्य आबकारी प्राधिकरण अल्कोहल/शीरा आधारित उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने, मदिरा की वैध बिक्री को विनियमित करने, राज्य आबकारी और वैट के राजस्व रिसाव को रोकने, एक्स-डिस्टिलरी मूल्य (ईडीपी) और एक्स-ब्रेवरीज मूल्य (ईबीपी) के निर्धारण और उचित कीमतों पर आसवनी और यवासवनी द्वारा मादक उत्पादों के मनमाने मूल्य निर्धारण को विनियमित करने में मदद करते हैं।

आयकर विवरणी दाखिल करने के बाद, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आयकर विभाग आवश्यक सत्यापन करता है, जैसे, निर्धारित द्वारा आय की सही संगणना की गई है, लाभ और हानि खाते, फॉर्म 3सीडी और आयकर विवरणी/आय की गड़ना में घोषित आय के बीच मिलान करना, व्यय और जमा कर का सही दावा, चालू वर्ष/पुरवर्ती घाटे का सही निर्धारण एवं स्वीकृति,

मैट क्रेडिट आदि का सही निर्धारण और स्वीकृति इत्यादि और यह सुनिश्चित करना कि आय और व्यय वित्तीय विवरणों में सही घोषित हुए हैं तथा निर्धारिती ने कर की चोरी नहीं की है।

लेखापरीक्षा ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और नई दिल्ली राज्यों की आयकर विभाग के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाली ग्यारह आसवनीयों और यवासवनीयों के दस वर्षों को कवर करते हुए निर्धारण वर्षों 2009-10 से 2018-19 तक का चयन किया जिनकी आयकर विवरणियों को आयकर विभाग (आईटीडी) प्रणाली द्वारा संसाधित/पूर्ण किया गया था।

लेखापरीक्षा ने जांच की कि क्या सभी प्राप्तियों और व्ययों का लेखा जोखा किया गया था और कराधान हेतु सही रूप से प्रस्तुत किया गया था, क्या कर का अपवंचन सुनिश्चित करने के लिए तीसरे पक्ष की रिपोर्टिंग को संज्ञान में लिया गया था, क्या आयकर विभाग में अंतः विभागीय और अन्तर्विभागीय समन्वय का कोई तंत्र मौजूद था और यदि हां, तो क्या मौजूद दस्तावेजों/अभिलेखों को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से एकत्रित और सहसंबंधित करने के लिए तंत्र मौजूद था।

चयनित ग्यारह आसवनीयों और यवासवनीयों के निर्धारण अभिलेखों की जांच करते समय, लेखापरीक्षा ने मुख्य मुद्दों के मिलान में पाया, जिनमें अन्य पार्टियों के साथ समझौते की आड़ में बिक्री का कम लेखांकन, अंतः विभागीय, अन्तर्विभागीय समन्वय और निर्धारिती के साथ सामंजस्य की कमी, तैयार उत्पाद के मात्रात्मक सार के संबंध में अंकगणितीय विसंगति और लेखाकार द्वारा प्रमाणीकरण, गणना की त्रुटियाँ, अन्तर्विभागीय समन्वय की कमी के कारण राजस्व प्रभाव और अधिनियम के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का पालन न किया जाना। इन्हें नीचे इंगित किया गया है:

समझौते की आड़ में ₹ 4,439.11 करोड़ कर प्रभाव वाली बिक्री का कम लेखा-जोखा, जिसमें तीन कंपनियों, अर्थात् मैसर्स डब्ल्यू1 लिमिटेड, मैसर्स यू1 लिमिटेड और मैसर्स एम1 लिमिटेड ने आईटी अधिनियम, 1961 की धारा 44एबी के अन्तर्गत इनसे सम्बंधित लेनदेनों का लेखापरीक्षा नहीं कराया और साथ ही व्यवसाय की आय को “व्यवसाय या पेशे से लाभ और मुनाफे” शीर्षक के अन्तर्गत घोषित नहीं किया था। समझौते की आड़ में मदिरा/बीयर की

बिक्री से प्राप्त आय को कर में शामिल नहीं किए जाने की संभावना अधिक थी, और कर से बचने के जोखिम से इंकार नहीं किया जा सकता था।

आयकर विभाग (आईटीडी) में उपलब्ध सूचना का निर्धारण इकाइयों द्वारा प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारितियों से प्राप्त विवरण का मिलान नहीं किया गया। इसमें ₹ 12,781.22 करोड़ रुपये का कर प्रभाव शामिल था। दस निर्धारिती कंपनियों, अर्थात् मैसर्स यू1 लिमिटेड, मैसर्स पी1 प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स आर1 लिमिटेड, मैसर्स एस1 लिमिटेड, मैसर्स एम3 लिमिटेड, मैसर्स एम2 लिमिटेड, मैसर्स ए1 लिमिटेड, मैसर्स यू2 लिमिटेड, मैसर्स यू3 लिमिटेड और मैसर्स एम1 लिमिटेड में करदाता के साथ अंतः-विभागीय, अंतर्विभागीय समन्वय और सामंजस्य का अभाव था, जिसमें निर्धारण अधिकारी सूचना मांगने की शक्ति का प्रयोग नहीं किये, जैसा कि आयकर अधिनियम की धारा 133(6) में परिकल्पित है, जो अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी जांच या कार्यवाही के लिए उपयोगी या प्रासंगिक होता।

विभागीय प्रणाली उन मामलों की पहचान नहीं कर सकी जहां अंकगणितीय अंतर था, जैसा कि फॉर्म 3सीडी में तैयार उत्पाद के मात्रात्मक सार में लेखाकार द्वारा दर्शाया और प्रमाणित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप चार निर्धारिती कंपनियों, अर्थात् मैसर्स डब्ल्यू1 लिमिटेड, मैसर्स आर1 लिमिटेड, मैसर्स एम2 लिमिटेड और मैसर्स ए1 लिमिटेड तैयार उत्पाद के मात्रात्मक सार के संबंध में लेखाकार द्वारा गलत वर्णन और प्रमाणीकरण हुआ जिसमें ₹ 705.01 करोड़ का कर प्रभाव शामिल है। यह भी देखा गया कि निर्धारण अधिकारियों ने दो निर्धारिती कंपनियों अर्थात् मैसर्स पी1 प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स एस1 लिमिटेड, में निर्धारण पूर्ण करते समय गणना संबंधी गलतियाँ कीं जिसमें कुल ₹ 3.36 करोड़ का कर प्रभाव शामिल है।

सभी ग्यारह निर्धारिती कंपनियों में प्रणालीगत मुद्दे देखे गए थे, जहां उनके लाभ और हानि खाते में उनके द्वारा दावा किए गए आबकरी शुल्क को संबंधित निर्धारण अभिलेखों के साथ मिलान किए बिना निर्धारण कार्यवाही के दौरान आयकर विभाग द्वारा अनुमति दी गई थी।

तीन निर्धारिती कंपनियों, अर्थात् मैसर्स डब्ल्यू1 लिमिटेड, मैसर्स यू1 लिमिटेड और मैसर्स एम1 लिमिटेड में एक और प्रणालीगत मुद्दा देखा गया, जिसमें बड़ी मात्रा में बढ़ा, छूट आदि की खाते की पुस्तकों में ब्यय के रूप में अनुमति दी गई थी यद्यपि, ऐसे दावे के कारणों/वास्तविकता को मामले के अभिलेखों में रखा नहीं पाया गया। यह आयकर अधिनियम की धारा 37 के अन्तर्गत निर्धारण अधिकारी को प्रदत्त सत्यापन की शक्तियों का पालन न करने का संकेत देता है।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर, यह अनुशंसा की जाती है कि:

- **आयकर विभाग फॉर्म 3सीडी, लाभ-हानि खाता विवरण, राज्य आबकारी अभिलेखों आदि जैसे निर्धारण अभिलेखों के मिलान के लिए मौजूदा तंत्र को मजबूत कर सकता है, विशेष रूप से फेसलेस निर्धारण व्यवस्था की शुरुआत के बाद जिसमें क्षेत्राधिकार-मुक्त निर्धारण किया जा रहा है, ताकि आसवनी एवं यवासवनी क्षेत्र का निर्धारण पूरा करते समय निर्धारिती की सही आय का पता लगाने के लिए लेखा पुस्तकों का गंभीर और सही ढंग से विश्लेषण करके मौजूदा अंतर को भरा जा सके।**

मंत्रालय ने अपने उत्तर में कहा (जुलाई 2022) कि फेसलेस निर्धारण की शुरुआत के साथ आयकर विभाग में निर्धारण की प्रक्रिया में बदलाव आया है। पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं और कार्यात्मक विशेषज्ञता के माध्यम से संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए निर्धारण इकाइयाँ, सत्यापन इकाइयाँ, तकनीकी इकाइयाँ और समीक्षा इकाइयाँ जैसी विशिष्ट इकाइयाँ स्थापित की गई हैं। यह एक टीम-आधारित निर्धारण प्रक्रिया है, जहाँ स्पीकिंग आर्डर तैयार करने के लिए निर्धारण इकाई, सत्यापन इकाई से सत्यापन करने का अनुरोध कर सकती है और तकनीकी इकाई से तकनीकी सहायता माँग सकती है। फेसलेस निर्धारण के अन्तर्गत, त्रुटि मुक्त निर्धारण आदेश की सुविधा के लिए समीक्षा की प्रक्रिया अंतर्निहित की गई है।

मंत्रालय का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लेखाबहियों का आलोचनात्मक और सही ढंग से विश्लेषण करने के उद्देश्य से, यह आवश्यक है कि विभाग द्वारा विशेष रूप से फेसलेस निर्धारण व्यवस्था की शुरुआत के बाद, आसवनी और यवासवनी के व्यवसाय में लगे निर्धारितियों के संबंध में लाभ और हानि खाते

में घोषित आय को आबकारी रिटर्न के साथ मिलान के बाद निर्धारण कार्यवाही पूर्ण किए जाने की आवश्यकता है। यदि ऐसे मिलान के दौरान कोई असत्यापित मात्रा पाई जाती है तो उसे निर्धारिती की आय में जोड़ा जाना चाहिए। राजस्व हितों की रक्षा हेतु कर लगाने के लिए निर्धारिती की आय का पूर्ण लेखा जोखा सुनिश्चित करके उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।

इसके अलावा, चूंकि विभाग ने निर्धारण को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए फेसलेस तरीके से निर्धारण शुरू किया है, इसलिए निर्धारण आदेश को कारण सहित पारित किया जाना चाहिए। मंत्रालय को गलतियों के कारण राजस्व रिसाव की होने वाली पुनरावृत्ति से बचने के लिए संसाधनों के अधिक प्रभावी इष्टतम उपयोग को मजबूत करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने की आवश्यकता है।

- आईटीआर में दर्शाई गयी बिक्री की तुलना में सम्बंधित राज्य आबकारी प्राधिकारियों को घोषित की गयी बिक्री को ध्यान में रखते हुए सीबीडीटी आसवनी और यवासवनी व्यवसाय में लगे निर्धारितियों के संबंध में कंप्यूटर एडेड स्कूटनी सेलेक्शन (सीएसएस) के अन्तर्गत सीमित और साथ ही सम्पूर्ण जाँच के लिए मामलों की पहचान करने हेतु जोखिम मापदंडों के संयोजन को लागू करने पर विचार कर सकता है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में कहा (सितंबर 2022) कि सीएसएस चयन मानदंड के लिए नियम बनाते समय इस सुझाव की जांच की जाएगी।

लेखापरीक्षा मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई की प्रतीक्षा करेगी (फरवरी 2024)।

- आसवनी एवं यवासवनी क्षेत्र के लिए समरी निर्धारण के समय, निर्धारिती के आयकर रिटर्न के साथ संलग्न दस्तावेजों की सूचनाएं अर्थात् लाभ और हानि खातों में दिए गए बिक्री, शुल्क इत्यादि को लेखाकार द्वारा फॉर्म 3सीडी में प्रमाणित आंकड़ों के साथ मिलान करना चाहिए। सूचना सीपीसी (टीडीएस) के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुरूप भी होनी चाहिए।।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में कहा (सितंबर 2022) कि सीपीसी आयकर अधिनियम की धारा 143(1)(ए) के प्रावधानों के आधार पर धारा 143(1) के अन्तर्गत आयकर विवरणी को संसाधित करता है। लाभ और हानि खातों में

घोषित बिक्री और सनदी लेखाकार द्वारा घोषित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/सीपीसी (टीडीएस) में उपलब्ध आंकड़ों में बिक्री के बीच अंतर को कर के दायरे में लाने का कोई प्रावधान धारा 143(1)(ए) में नहीं है।

यद्यपि मंत्रालय का उत्तर सैद्धांतिक रूप से स्वीकार्य है, विभाग सीएसएसएस मापदंडों की समीक्षा/पुनर्विलोकन कर सकता है ताकि उच्च टर्नओवर वाले निर्धारित कर के दायरे से न बच सकें। इसके अलावा, आयकर विभाग में सीपीसी डेटाबेस/आईटीबीए सर्वर/ई-फाइलिंग पोर्टल में पहले से उपलब्ध जानकारी जैसे 3सीडी प्रपत्र/आईटीआर या लाभ और हानि खाते में बिक्री/आबकारी शुल्क, वैट और अन्य करों और आरोपण को जो दर्शाया गया है का मिलान और सहसंबंध की समीक्षा की जा सकती है और इसे मजबूत किया जा सकता है ताकि आसवनी और यवासवनी क्षेत्र की इकाईयों द्वारा बेहिसाब राशि के रूटिंग के जोखिम को कम किया जा सके और कर चोरी की संभावना को रोका जा सके।

- आयकर विभाग आसवनी एवं यवासवनी क्षेत्र के लिए निर्धारण के समय, जहाँ आवश्यक हो, आयकर विभाग द्वारा तय की जाने वाली निर्धारित कुल मौद्रिक सीमा के ऊपर राज्य आबकारी प्राधिकारियों से सूचना/वित्तीय लेन-देन के विवरणों (एसएफटी)¹/एआईआर या गैर-एआईआर को अनिवार्यतः प्राप्त करने के लिए आयकर अधिनियम में उचित संशोधन/प्रावधान करने अथवा एसओपी/एमओपी जारी करने पर विचार कर सकता है।

¹ वित्तीय लेन-देन का विवरण (एसएफटी)- फेसलेस असेसमेंट की शुरुआत से पहले, एआईआर (वार्षिक सूचना रिटर्न)/ सीआईबी में 7 तरीकों से सिस्टम द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों का सत्यापन नोटिस जारी करके और व्यक्तिगत रूप से जानकारी एकत्र करके किया गया था और सत्यापन के विवरणों को आगे की आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्बंधित पीसीसीआईटी को भेजा गया था।

फेसलेस असेसमेंट की शुरुआत के बाद आंकड़ों का सत्यापन 02.12.2020 से बंद कर दिया गया है और डीजी सिस्टम से आंकड़ों को अंतर्दृष्टि पोर्टल के माध्यम से डीजीआईटी इंटेलिजेंस एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन (डीजीआईटी (आई एंड सीआई)) (तत्कालीन सीआईबी) को भेज दिया गया है। अंतर्दृष्टि पोर्टल एआईआर के बजाय एसएफटी (वित्तीय लेनदेन का विवरण) से संबंधित है। एसएफटी के लिए कुछ सीमाएँ निर्धारित की गई हैं, जिनके नीचे सिस्टम में भी आकड़ें उपलब्ध हैं। 18एसएफटी हैं (एआईआर में 7) जिसके माध्यम से धारा 61, 61ए और 61बी के तहत रिटर्न के रूप में तीसरे पक्ष (संस्थाओं) से आंकड़ों को प्राप्त किया जाता है। पंजीकृत संस्थाओं (आरई) को अपने आईटीडीआरआईएन (आयकर विभाग पंजीकृत व्यक्तिगत संख्या) जैसे पैना/टैन के साथ हर साल देय तिथि से पहले रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया (जुलाई 2022) कि आयकर अधिनियम के प्रावधान निर्धारण अधिकारी को निर्धारण कार्यवाहियों के दौरान राज्य आबकारी प्राधिकारियों सहित अन्य एजेंसियों से प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देने हेतु सक्षम बनाता है। इसके अलावा, निर्धारण अधिकारी प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर तय करता है कि क्या अन्य एजेंसियों से कोई जानकारी माँगी जानी चाहिए। इसलिए, एक निर्धारित सीमा से ऊपर राज्य आबकारी प्राधिकारियों से जानकारी माँगने के लिए निर्धारण अधिकारी को अनिवार्य करना व्यवहार्य नहीं हो सकता है।

मंत्रालय का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि आसवनी और यवासवनी क्षेत्र व्यावसायिक गतिविधि की विशिष्ट प्रकृति है, जिसमें राज्य आबकारी शुल्क भुगतान किया जाने वाला प्रमुख कर है और निर्धारित द्वाारा व्यय के रूप में दावा किया जाता है, जो कराधान के लिए प्रस्तावित आय के सीधे आनुपातिक है। इसलिए, संबंधित पैन पर उस राज्य सरकार के विभाग से राज्य आबकारी शुल्क के भुगतान के संबंध में सूचना के प्रावधान को एसएफटी सूचना में शामिल किया जा सकता है। यह निर्धारण अधिकारी को आवश्यक जानकारी से सक्षम बनाएगा ताकि निर्धारण कार्यवाहियों के दौरान आबकारी शुल्क के सही दावे का निस्तारण किया जा सके।

- सीबीडीटी त्रुटि मुक्त निर्धारण सुनिश्चित करने के लिए आसवनी और यवासवनी के व्यवसाय में लगी इकाइयों के निर्धारण के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने पर विचार कर सकता है। एसओपी में निर्धारण अधिकारी (ओं) के लिए निम्न निर्देश शामिल हो सकते हैं:

(i) सत्यापन के लिए ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी से आवश्यक जानकारी साझा करना और माँगना। निर्धारण अधिकारी द्वारा उस आशय का प्रमाण पत्र दिया जा सकता है।

(ii) निर्धारितियों द्वारा दी गई जानकारी की सत्यता और शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित राज्य सरकार के प्राधिकारियों से आबकारी शुल्क, वैट और अन्य करों/शुल्कों जैसी जानकारी माँगने के लिए आईटी अधिनियम की धारा 133(6) में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग किया जाना।

- (iii) यह सुनिश्चित करना कि व्यवसाय गतिविधि कोड उनके आयकर विवरणी में अनिवार्य रूप से और सही ढंग से भरे गए हैं और व्यवसाय कोड को गलत भरने के लिए जुर्माना लगाने और निर्धारणों को फिर से खोलने हेतु संभावना की जाँच।
- (iv) टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में तैयार उत्पादों के मात्रात्मक प्रकटीकरण में विसंगतियों वाले मामलों को उच्च प्राथमिकता देना।

एक एसओपी तैयार करने पर विचार करने के लिए मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2022) कि अन्वेषण की तकनीकों पर मैनुअल के खंड 5 में मदिरा व्यापार के निर्धारण पर एक अध्याय प्रदान किया गया है, जो उस क्षेत्र का एक अवलोकन प्रदान करता है जो निर्धारण अधिकारियों के लिए निर्धारण कार्यवाहियों हेतु सहायक होगा। इसके अलावा, उक्त अध्याय के पैरा संख्या-14, 15 और 16 इस क्षेत्र के लिए विशिष्ट जोखिम क्षेत्रों का विवरण प्रदान करते हैं। निर्धारण कार्यवाहियों के दौरान पूछताछ/सत्यापन का तरीका मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, मामले-दर-मामले में भिन्न हो सकता है। इसलिए, आसवन और यवासवन में लगी हुई इकाइयों के निर्धारण के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया बनाना संभव नहीं हो सकता है।

मंत्रालय का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि मदिरा व्यापार से जुड़े जांच की तकनीक पर मैनुअल का खंड 5, अन्वेषण विंग के लिए दिशानिर्देश है। सीबीडीटी उपरोक्त मैनुअल के अनुरूप एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने पर विचार कर सकता है, जिसका उपयोग आसवन और यवासवन के व्यवसाय में लगी इकाइयों के निर्धारण के लिए दिशानिर्देश के रूप में किया जाएगा।

मंत्रालय ने उपर्युक्त (i) के उत्तर में कहा (सितंबर 2022) कि फेसलेस निर्धारण स्कीम के अंतर्गत, फेसलेस निर्धारण अधिकारी द्वारा आईटीबीए में 'इश्यू लेटर कार्यक्षमता' का उपयोग करके क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी के साथ आवश्यक जानकारी साझा की जा सकती है। इसके अलावा, यदि फेसलेस निर्धारण अधिकारियों द्वारा कोई सत्यापन किया जाना आवश्यक है, तो इसे सत्यापन इकाइयों द्वारा किया जाना होता है, न कि क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी द्वारा। इनकम टैक्स बिजनेस एप्लिकेशन (आईटीबीए) में पहले से

ही कार्यक्षमता मौजूद है, जिस पर फेसलेस निर्धारण अधिकारी द्वारा, सत्यापन इकाई को फेसलेस तरीके से सत्यापन हेतु अनुरोध भेज कर निर्धारण की कार्यवाही की जा रही है।

फेसलेस निर्धारण स्कीम से बाहर के निर्धारण मामलों (जैसे केंद्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कराधान प्रभारों द्वारा किए गए निर्धारणों) के लिए निर्धारण की कार्यवाहियां क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी द्वारा की जाती हैं। इसके अलावा, विभाग के अन्दर इनपुट को समय पर आदान-प्रदान के माध्यम से जानकारी के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए अंतर-क्षेत्राधिकार विवरण को साझा करने की सुविधा भी आईटीबीए में उपलब्ध है। क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी आईटीबीए में अन्वेषण मॉड्यूल के माध्यम से अन्य क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी से जानकारी साझा कर सकता है। यह कार्यशीलता आईटीबीए में दिनांक 27.02.2020 से उपलब्ध है। आगे यह बताया गया है की क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी जहां भी उचित समझे, आईटीबीए पोर्टल (जैसे पत्र निर्गत करने की कार्यशीलता) के साथ-साथ वेबमेल सुविधा से जानकारी माँग/साझा कर सकता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मंत्रालय द्वारा बताई गई कार्यशीलता लेखापरीक्षा अवधि के दौरान उपलब्ध नहीं थी। आईटीबीए में नई सुविधा दिनांक 27.02.2020 से शुरू की गई थी। इस कार्यशीलता के कार्यान्वयन की निगरानी आगामी निर्धारण वर्षों में की जाएगी।

मंत्रालय ने उपरोक्त (ii) के उत्तर में कहा (जुलाई 2022) कि आयकर अधिनियम के प्रावधान निर्धारण अधिकारी को निर्धारण कार्यवाही के दौरान राज्य सरकार के प्राधिकारियों सहित अन्य एजेंसियों से प्रासंगिक जानकारी मांगने का अधिकार देते हैं। इसके अलावा, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर निर्धारण अधिकारी यह निर्णय लेता है कि अन्य एजेंसियों से कोई जानकारी मंगाने की आवश्यकता है या नहीं।

मंत्रालय का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि राज्य आबकारी शुल्क मदिरा विनिर्माण उद्योग में भुगतान किया जाने वाला प्रमुख कर है जिसका दावा निर्धारिती द्वारा व्यय के रूप में किया जाता है जो कि कराधान के लिए घोषित आय को सीधे प्रभावित करता है। लेखापरीक्षित सभी मामलों में,

निर्धारण कार्यवाही के दौरान निर्धारण अधिकारियों ने निर्धारिती द्वारा भुगतान किए गए वास्तविक राज्य आबकारी शुल्क की पुष्टि करने के लिए संबंधित राज्य आबकारी प्राधिकारियों से जानकारी मांगने के लिए अधिनियम की धारा 133(6) के अंतर्गत उल्लिखित शक्ति का प्रयोग नहीं किया है। राज्य आबकारी विभाग के पास उपलब्ध पर्याप्त जानकारी को आयकर विभाग द्वारा एक तंत्र स्थापित करके नियमित तरीके से एकत्र किया जाना आवश्यक है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि निर्धारण को पूरा करते समय कर प्रभाव के वास्तविक निर्धारण के लिए निर्धारण अधिकारियों द्वारा ऐसे विवरणों का मिलान किया जाता है। इसलिए, निर्धारण अधिकारियों द्वारा नमूना जांच के आधार पर संबंधित राज्य आबकारी विभाग से व्यक्तिगत चालान की मांग करने के बजाय राजस्व के हित में, अधिनियम की धारा 133(6) के प्रावधानों सर्वदा लागू किया जाना चाहिए।

मंत्रालय ने उपरोक्त (iii) के जवाब में कहा (जुलाई 2022) कि ऑनलाइन आयकर विवरणी दाखिल करते समय निर्धारितियों द्वारा व्यवसायिक कोड भरे जाते हैं। आयकर विवरणी में गलत जानकारी प्रस्तुत करने के लिए दंडनात्मक प्रावधान उपलब्ध हैं जैसे आयकर विवरणी में जानबूझकर गलत जानकारी देने का कोई भी प्रयास आयकर अधिनियम के अंतर्गत संभावित अभियोजन और/या जुर्माने का कारण बन सकता है।

मंत्रालय का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि व्यवसायिक कोड निर्धारितियों द्वारा भरे जाते हैं, इसे सनदी लेखाकार द्वारा टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से प्रमाणित किया जाना भी आवश्यक है। विशेष रूप से उपलब्ध जानकारी के आधार पर, निर्धारिती की सही गतिविधि/व्यवसाय-वार वर्गीकरण सुनिश्चित करने और आयकर विभाग के भीतर केन्द्रीकृत रूप से बनाए गए डेटाबेस से उत्पन्न विश्वसनीय एमआईएस सुनिश्चित करने के लिए निर्धारिती द्वारा भरे गए कोड में त्रुटियों को अनुवर्ती निर्धारण के दौरान अद्यतन किया जा सकता है। सीबीडीटी इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने पर विचार कर सकता है, जिसमें निर्धारिती को निर्धारण के समय बिजनेस कोड की गलत रिपोर्टिंग के लिए नोटिस जारी करने का विकल्प भी शामिल है।

मंत्रालय ने उपरोक्त (iv) के उत्तर में बताया (सितंबर 2022) कि (सीएएसएस) चयन मानदंड के नियमों को तैयार करते समय इस सुझाव की जांच की जाएगी।

प्रणाली को सुव्यवस्थित करने के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों के अंतिम परिणाम की लेखापरीक्षा में प्रतीक्षा रहेगी (फरवरी 2024)।

- आसवनी और यवासवनी क्षेत्र के निर्धारितियों की व्यावसायिक गतिविधि की विशेष प्रकृति और ऐसे व्यवसाय में शामिल लेनदेन की बहुलता को ध्यान में रखते हुए, ऐसे मामलों में जिनमें मुख्य निर्धारिती और उनके संबंधित पक्षों के बीच बिक्री के खुलासे में विसंगति से संबंधित मुद्दे सामने आए हों, सीबीडीटी उनके बीच किये गये समझौतों की जांच के लिए निर्धारितियों और उनके संबंधित पक्षों का धारा 142(2ए) के तहत विशेष लेखापरीक्षा कराने पर विचार कर सकता है।

मंत्रालय ने उपरोक्त के जवाब में कहा (जुलाई 2022) कि आयकर अधिनियम की धारा 142(2ए) के प्रावधानों के अनुसार, निर्धारण अधिकारी किसी विशिष्ट मामले में विभिन्न कारकों जैसे खातों की प्रकृति और जटिलता, खातों की मात्रा, खातों की शुद्धता के बारे में संदेह, खातों में लेनदेन की बहुलता या निर्धारिती की व्यावसायिक गतिविधि की विशेष प्रकृति और राजस्व के हित में विचार करने के बाद एक राय बना सकता है कि क्या विशेष लेखापरीक्षा किया जाना आवश्यक है। इसलिए, विशेष लेखापरीक्षा आयोजित की जानी है या नहीं, इसका निर्णय निर्धारण अधिकारी द्वारा मामले-दर-मामले के आधार पर तय किया जाता है।

मंत्रालय का उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि आसवनी और यवासवनी क्षेत्र के निर्धारिती लेनदेनों की बहुलता में शामिल होते हैं, और निर्धारण अधिकारी, निर्धारण की सामान्य प्रक्रिया में, विशेष लेखापरीक्षा की अनुशंसा नहीं करते हैं। लेखापरीक्षित सभी मामलों में निर्धारण अधिकारी लेखापरीक्षा द्वारा इंगित कर अपवंचन की पहचान करने में विफल रहे। यद्यपि, आयकर विभाग ने एक मामले में मैसर्स पी1 प्राइवेट लिमिटेड के निर्धारण वर्ष 2017-18 में अधिनियम की धारा 142(2ए) के अंतर्गत विशेष लेखापरीक्षा के लिए अनुशंसा की। तदनुसार, 'आबकारी शुल्क विवरणी और लाभ और हानि खाते में दर्शाई

गई आय के मिलान' में विशेष लेखापरीक्षा ने ₹956.61 करोड़ की एक असत्यापित मात्रा की सूचना दी, जिसके विरुद्ध आयकर विभाग ने ₹206.84 करोड़ की अतिरिक्त वृद्धि की, जिसमें उपरोक्त असत्यापित खाते से सम्बंधित ₹191.32 करोड़ शामिल हैं।

- सीबीडीटी को इस क्षेत्र के लिए एक निश्चित सीमा तक टर्नओवर हेतु ऑडिटर के लिए फॉर्म 3सीडी में वैट/अन्य शुल्कों/करों के आवश्यक विवरण का उल्लेख करना अनिवार्य बनाने पर विचार करना चाहिए, जिन्हें लाभ और हानि खाते में नहीं दर्शाया गया हो। ऑडिटर को 34(ए) पर बिक्री के सन्दर्भ में यह भी उल्लेख करना चाहिए कि यह सकल बिक्री थी या निवल बिक्री। इसके अलावा, ऑडिटर को लाभ और हानि खाते में कुल बिक्री को सम्बंधित आबकारी शुल्क के साथ टीसीएस/गैर-टीसीएस बिक्री में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहिए।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में कहा (सितंबर 2022) कि अधिनियम की धारा 206सी की उप-धारा (1) मानव उपभोग के लिए अल्कोहल मदिरा के लिए भुगतान योग्य राशि को क्रेता के खाते में डेबिट करते समय या प्रतिफल की प्राप्ति के समय विक्रेता द्वारा क्रेता से एक प्रतिशत की दर से कर संग्रहण का प्रावधान करती है। विक्रेता को ऐसा कर निर्धारित समय के भीतर केंद्र सरकार के खाते में जमा करना होगा।

फॉर्म 3सीडी के खंड 34(ए) में, लेखाकार को वर्ष के दौरान करदाता द्वारा की गई कर कटौती और कर संग्रह जैसे भुगतान की प्रकृति, धारा जिसके अन्तर्गत कर कटौती/संग्रहण किया जाना है, का विवरण देना आवश्यक है। इसलिए फॉर्म 3सीडी के खण्ड 34(ए) में सकल राशि पर एकत्र टीसीएस को पहले से ही घोषित किया जा रहा है।

लेखापरीक्षा का यह सुझाव कि खंड 34(ए) में सकल बनाम शुद्ध और टीसीएस बनाम गैर-टीसीएस का विभाजन होना चाहिए, संभव नहीं है। खंड 34(ए) का उद्देश्य टीडीएस और टीसीएस का विवरण प्राप्त करना है जिसे जब आवश्यक हो तब सत्यापित किया जा सके। लेखापरीक्षा प्रपत्र को डिज़ाइन करते समय, यह सुनिश्चित करना होगा कि यह वृद्ध न हो और अनुपालन के अनावश्यक बोझ को बढ़ाता न हो।

यद्यपि, मंत्रालय का उत्तर सैद्धांतिक रूप से स्वीकार्य है, मंत्रालय इस विशिष्ट क्षेत्र के लिए एक सीमा निर्धारित कर सकता है, जिसमें लेखाकार को फॉर्म 3सीडी में अनिवार्य रूप से सकल बिक्री या शुद्ध बिक्री, टीसीएस और गैर-टीसीएस बिक्री आदि के विभाजन का उल्लेख करना होगा। राजस्व के हित में, टीसीएस और गैर-टीसीएस बिक्री का विवरण संबंधित आबकारी शुल्क, वैट और अन्य शुल्कों के सापेक्ष आय का सही आँकलन करने में सक्षम बनाएगा।

- सीबीडीटी आसवनी और यवासवनी क्षेत्र के लिए विस्तृत व्यवसाय कोड निर्गत करने पर विचार कर सकता है। ये व्यवसायिक गतिविधि कोड आयकर विभाग को सभी आसवनी और यवासवनी का एक व्यापक डेटाबेस तैयार और अद्यतन करने में सक्षम बनाएंगे, जो इस क्षेत्र में सीएसएसएस मापदंडों के अंतर्गत संवीक्षा निर्धारण के लिए निर्धारितियों की पहचान और चयन की सुविधा प्रदान करेगा।

मंत्रालय ने विस्तृत व्यवसाय कोड निर्गत करने पर विचार करने के सम्बन्ध में कहा (जुलाई 2022) कि ऑनलाइन आयकर विवरणी दाखिल करते समय निर्धारितियों द्वारा बिजनेस कोड भरे जाते हैं। निर्धारण अधिकारियों के लिए व्यवसाय कोड की शुद्धता सुनिश्चित करना संभव नहीं हो सकता है।

मंत्रालय का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सीबीडीटी आसवानी और यवासवनी क्षेत्र के लिए विस्तृत व्यापार कोड निर्धारित करने पर विचार कर सकता है। यद्यपि, बिजनेस कोड निर्धारितियों द्वारा भरे जाते हैं, लेकिन इसे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित किया जाना भी आवश्यक है। विशेष रूप से उपलब्ध जानकारी के आधार पर, निर्धारितियों की सही गतिविधि/व्यवसाय-वार वर्गीकरण सुनिश्चित करने और आयकर विभाग के भीतर केन्द्रीकृत रूप से बनाए गए डेटाबेस से विश्वसनीय एमआईएस उत्पन्न होना सुनिश्चित करने के लिए निर्धारितियों द्वारा भरे गए त्रुटिपूर्ण कोड को अनुवर्ती निर्धारण के दौरान अद्यतन किया जा सकता है।

- सीबीडीटी संवीक्षा निर्धारण के चरण में, विशेष रूप से वृहद बिक्री कारोबार वाली इकाइयों में आयकर विवरणी/लाभ और हानि खाते तथा टीएआर के अनुसार भंडार के प्रकटीकरण में अंतर को सत्यापित न किए जाने के कारणों की जाँच करने पर विचार कर सकता है। इसके अतिरिक्त, जहाँ भंडार

का मूल्य आयकर विवरणी और वार्षिक खातों में दिखाया गया है, लेकिन मात्रात्मक विवरण को नहीं दर्शाया गया है, और इसके विपरीत, आसवनी और यवासवनी क्षेत्र की इकाईयों द्वारा तैयार उत्पादों के गैर-लेखांकन जोखिम और करापवंचन की संभावना को रोकने के लिए निर्धारण में उसके कारणों और लाभप्रदता पर उनके प्रभाव को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया (जुलाई 2022) कि इस पैरा का उत्तर संबंधित उदाहरणीय मामलों में दिया जाएगा।

लेखापरीक्षा में, मंत्रालय के मामले-वार विशिष्ट उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी (फरवरी 2024)।

- सीबीडीटी आसवनी और यवासवनी क्षेत्र से सम्बंधित निर्धारण के दौरान निर्धारिती(ओं) द्वारा घोषित आबकारी शुल्क, वैट और अन्य कर/शुल्कों की जांच और प्रतिसत्यापन के लिए आबकारी शुल्क, वैट और अन्य करों/शुल्कों के विवरणों को शामिल करते हुए जानकारीयों को प्रतिपक्षों के निर्धारण अधिकारियों के साथ अंतर्विभागीय साझाकरण के वर्तमान तंत्र को मजबूत कर सकता है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में कहा (सितंबर 2022) कि आयकर विभाग (आईटीडी) आसवनी और यवासवनी के कारोबार में लगे निर्धारितियों को शामिल करते हुए करापवंचन करने वालों की विभिन्न श्रेणियों के विरुद्ध कानून के अनुसार उचित कार्यवाही करता है। ऐसी कार्यवाही करते समय, आयकर विभाग करापवंचन की विभिन्न श्रेणियों के बीच अंतर नहीं करता है। जब भी करापवंचन और बेहिसाब/काले धन का कोई मामला सामने आता है, तो आयकर विभाग आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उचित कार्यवाही करता है, जिसमें समन जारी करना, सूचना मांगना, तलाशी और सर्वेक्षण करना, आय का निर्धारण और पुनर्निर्धारण करना, कर का आरोपण और उदग्रहण, जुर्माना लगाना, अभियोजन शुरू करना आदि शामिल हैं।

इसके अलावा, यह भी प्रस्तुत किया जा सकता है कि 01.04.2021 से आयकर अधिनियम के अंतर्गत पुनर्निर्धारण की योजना में संशोधन किया गया है। पुनर्निर्धारण के लिए किसी मामले के (आसवनी और यवासवनी के

व्यवसाय में लगे निर्धारिती के मामले सहित) चयन की प्रक्रिया अब उचित स्तर पर जोखिम प्रबंधन रणनीति के अधीन है। यह जोखिम मापदंडों पर निर्धारण अधिकारी की ओर से एक केंद्रित दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है, जिससे उसे संबंधित कर अपवंचन का पता लगाने में सहायता मिलती है।

उपरोक्त के अलावा, यह कहा जा सकता है कि आयकर विभाग को विभिन्न स्रोतों के माध्यम से किसी भी निर्धारिती (आसवनी और यवासवनी के व्यवसाय में काम करने वाले निर्धारिती सहित) के कर अपवंचन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इन स्रोतों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

ए) केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो (सीईआईबी) और क्षेत्रीय आर्थिक खुफिया समिति (आरईआईसी) जैसी विभिन्न सरकारी एजेंसियों/संगठनों के बीच सूचना साझा करने वाले प्लेटफार्म, जहां आयकर विभाग राज्य एजेंसियों सहित अन्य सदस्य एजेंसियों से/को जानकारी प्राप्त/साझा करता है।

बी) निर्दिष्ट लेनदेन से संबंधित अधिसूचित सीमा से ऊपर एसएफटी (निर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन) के रूप में आयकर विभाग के साथ दाखिल की गई सूचना।

सी) एफआईयू-आईएनडी के माध्यम से प्राप्त संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर)।

डी) उचित कार्यवाही आदि के लिए किसी अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसी (एलईए) से प्राप्त निर्दिष्ट जानकारी।

इ) कर चोरी याचिकाएं (टीईपी) और मुखबिर।

कर अपवंचन के बारे में ऊपर दी गयी सभी सूचनाएं कर अपवंचको की श्रेणी से निरपेक्ष सूचना प्रदान करती हैं। जब भी ऐसी जानकारी आयकर विभाग के साथ साझा की जाती है, तो वह प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रावधान के अनुसार कार्यवाही करता है।

यद्यपि मंत्रालय का उत्तर सिद्धांत रूप में स्वीकार्य है, तथापि उत्तर विशेष रूप से राज्य आबकारी विभाग के साथ सूचना साझा करने के तंत्र पर मौन है,

जहाँ पर्याप्त मात्रा में सूचना है जैसाकि लेखापरीक्षा ने अपने प्रतिवेदन में उजागर किया है। लेखापरीक्षा ने पाया कि आयकर विभाग और संबंधित राज्य सरकारों के राज्य आबकारी प्राधिकारियों के बीच इन सूचनाओं को साझा नहीं किया गया था। फॉर्म 3सीडी, लाभ और हानि खाता, सीपीसी (टीडीएस) वैशाली, गाजियाबाद और आबकारी अधिकारियों जैसे विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शित बिक्री की विभिन्न राशियों के मिलान के लिए निर्धारण कार्यवाही का समापन करते समय निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई प्रयास किया गया नहीं लगता है। यह इस क्षेत्र के निर्धारितियों के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए अभियुक्तियों से स्पष्ट है। राजस्व के हित में, इन सभी स्थानों पर बिक्री का मिलान और सत्यापन किया जाना आवश्यक था। मदिरा निर्माण में शामिल इन निर्धारितियों के संबंध में राजस्व रिसाव के जोखिम के लिए आयकर विभाग द्वारा उचित समय पर कार्यवाही की जानी आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि तंत्र में बाद के वर्षों में ऐसी खामियां/अंतर मौजूद नहीं हैं।

- सीबीडीटी यह जाँच कर सकता है कि क्या पायी गई त्रुटियाँ भूल या जान बूझकर की गयी त्रुटियों के उदाहरण हैं, और यदि ये जान बूझकर की गयी त्रुटियाँ हों, तो उन्हें जहां आसवनी और यवासवनी के व्यवसाय में लगे कंपनियों की जांच के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा स्पष्ट गलतियाँ बताई गयी हैं, कानून के अनुसार जिम्मेदारी तय करने सहित आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करनी चाहिए।

अध्याय 1: परिचय एवं लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

भाग-1 परिचय

1.1 विहंगावलोकन

भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते मदिरा बाजारों में से एक है। शहरी आबादी में तेजी से वृद्धि, बढ़ती क्रय क्षमता वाली मध्यम वर्ग की बड़ी आबादी और उभरती अर्थव्यवस्था भारत में मदिरा की खपत में वृद्धि के विशिष्ट कारक हैं।

राज्य आबकारी शुल्क और वैट राज्य के विषय हैं जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा तय किये जाते हैं और प्रत्येक राज्य की अपनी नियमावलियां हैं। मदिरा का कारोबार सरकारी नियमों से संचालित होता है, मदिरा का उत्पादन, वितरण और विक्रय प्रत्येक राज्य द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

आयकर और निगम कर केंद्रीय विषय हैं, और आयकर अधिनियम 1961 (अधिनियम) के प्रावधानों के अनुसार एकत्र किए जाते हैं।

हितधारक: हितधारकों के तीन मुख्य समूह हैं: आसवनी और यवासवनी, राज्य आबकारी शुल्क प्राधिकरण और आयकर विभाग (आईटीडी)।

1.2 आसवनी और यवासवनी:

आसवनी और यवासवनी की राज्य आबकारी विभाग के कड़े नियंत्रण में अल्कोहल उत्पादों के निर्माण, बॉटलिंग और बिक्री में मुख्य भूमिका है।

आसवन उद्योग खाद्य और पेय उद्योगों का वह हिस्सा है जो पीने योग्य स्पिरिट (उदाहरण के लिए ब्रांडी, अनाज स्पिरिट, रम) बनाने के लिए अल्कोहल को शुद्ध करने, स्वाद देने, मिश्रण करने और पुराना करने में लगा हुआ है और ऐसे प्रतिष्ठान जो एथाईल अल्कोहल का उत्पादन करते हैं, चाहे उनका उपयोग पीने योग्य स्पिरिट में किया जाता हो या नहीं। मिथाइल, ब्यूटाइल या आइसोप्रोपाईल अल्कोहल के निर्माताओं को रासायनिक उद्योगों का हिस्सा माना जाता है। आसवन उद्योग एक विश्व स्तरीय बहुराष्ट्रीय उद्योग है।

यवासवनी अथवा यवासुरा निर्माण शाला एक ऐसा व्यवसाय है जो बीयर बनाती और बेचती है। जिस स्थान पर बीयर व्यावसायिक रूप से बनाई जाती है उसे यवासवनी या बीयरहाउस कहा जाता है, जहां यवासुरा उपकरणों के अलग-अलग सेट को प्लांट कहा जाता है।

यवासुरा आमतौर पर निम्नलिखित प्रक्रियाओं से गुजरती है: मिलिंग, माल्टिंग और मैशिंग¹, लॉटरिंग², उबालना³, किण्वन⁴, कंडीशनिंग⁵, फिल्टरिंग⁶ और भरना।

अनुबंध उत्पादन तब होता है जब एक आसवनी और यवासवनी अपने उत्पाद का उत्पादन करने के लिए किसी अन्य डिस्टिलर या यवासवन की उत्पादन क्षमता का उपयोग करती है। वे अंततः अपनी गुणवत्ता का तैयार उत्पाद प्राप्त करने के लिए व्यावसायिक समझौते कर सकते हैं। पार्टियों द्वारा सहमत अनुबंध की शर्तें संबंधित अधिनियम के लागू प्रावधानों का अधिरोहण नहीं कर सकती हैं और निर्मित वस्तु के स्वामित्व अधिकार को भी स्थानांतरित नहीं कर सकती हैं।

¹ **मैशिंग** पिसे हुए, आमतौर पर माल्टेड अनाज को पानी के साथ मिलाने और इसे एक निश्चित तापमान पर गर्म करने की प्रक्रिया है ताकि माल्ट में मौजूद एंजाइम अनाज में मौजूद स्टार्च को शर्करा, विशेष रूप से माल्टोज में तोड़ सकें।

² **लॉटरिंग**, वॉर्ट बनाने के लिए खर्च किए गए अनाज से मैशिंग के दौरान प्राप्त अर्क को अलग करना है।

³ वॉर्ट को उबालने से इसकी जीवाणु विहीनता सुनिश्चित होती है, जिससे अवांछित रोगाणुओं से संदूषण को रोकने में मदद मिलती है। उबालने के दौरान, हॉप्स मिलाए जाते हैं, जिससे बीयर में सुगंध और स्वाद के यौगिक आते हैं, विशेषकर उनकी विशिष्ट कड़वाहट। उबालने की गर्मी के साथ-साथ, वे वॉर्ट में प्रोटीन के जमने और वॉर्ट के पीएच मान के गिर जाने का कारण बनते हैं, और वे कुछ बैक्टीरिया के बाद के विकास को रोकते हैं। अंततः उबाल के दौरान उत्पन्न वाष्प अग्रगामी डाइमिथाइल सल्फाइड सहित स्वादों को अस्थिर कर देते हैं। उबाल 60 से 120 मिनट के बीच पूर्ण होता है, जो इसकी तीव्रता, हॉप मिलाने के शेड्यूल और शराब बनाने वाले द्वारा वाष्पित होने की उम्मीद वाली वॉर्ट की मात्रा पर निर्भर करता है।

⁴ जैसे ही ठंडे वॉर्ट में खमीर मिलाया जाता है, **किण्वन** शुरू हो जाता है। यही वह बिंदु भी है जहां उत्पाद को सबसे पहले बीयर कहा जाता है। इस चरण के दौरान माल्ट से प्राप्त किण्वित शर्करा का अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में उपापचय होता है।

⁵ **कंडीशनिंग** तब शुरू होती है जब किण्वन बियर में शर्करा लगभग पूरी तरह से पच जाती है, किण्वन प्रक्रिया धीमी हो जाती है और खमीर कोशिकाएं मरने लगती हैं और टैंक के निचले भाग में जमा होने लगती हैं। इस स्तर पर, विशेष रूप से बियर जब ठंडा होकर जमने वाली होती है, तो बची हुई अधिकांश जीवित यीस्ट कोशिकाएं गुरुत्वाकर्षण और आणविक निर्जलीकरण के कारण, भारी प्रोटीन श्रृंखलाओं के साथ, जल्दी से निष्क्रिय और स्थिर हो जाती है।

⁶ बियर को **छानने** से स्वाद स्थिर हो जाता है और यह एक पॉलिश युक्त चमकदार लुक देता है। बियर को अंततः बड़े टैंक या बोतल, कैन आदि जैसे कंटेनरों में पैक किया जाता है।

आसवनी और यवासवनी बिक्री के समय निर्दिष्ट दरों पर स्रोत पर कर एकत्र करने (टीसीएस) और आयकर विभाग में टीसीएस रिटर्न दाखिल करने के लिए उत्तरदायी हैं। वे पैन प्राप्त करने और अपनी आय के लिए आयकर विभाग में रिटर्न दाखिल करने के लिए जिम्मेदार हैं। उन्हें अपने वित्तीय विवरण इस तरह से रखने होंगे कि विनिर्माण इकाई को होने वाली सभी आय और व्यय के संबंध में सभी लेनदेन उसके खातों में शामिल हों, और अधिनियम के अन्तर्गत निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हुए, धारा 44एबी के अन्तर्गत इसका लेखापरीक्षा किया जाए। फिर उन्हें अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत फॉर्म 3सीडी, वित्तीय विवरण और उनके संबंधित शेड्यूल जैसे अनुलग्नकों के साथ सीबीडीटी द्वारा तय की गई नियत तारीखों के भीतर अपना आयकर विवरणी दाखिल करना होता है, जो वैधानिक हैं।

आयकर विभाग अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत वर्णित आवश्यक सत्यापन यथा निर्धारिती द्वारा आय की सही गणना, लाभ हानि खाते, फॉर्म 3सीडी और आईटीआर/आय गणना पत्रक में घोषित आय के बीच समाशोधन, व्यय और भुगतान किए गए करों का सही दावा, चालू वर्ष के समायोजन/अग्रेसित हानियों का सही निर्धारण एवं स्वीकृति, मैट क्रेडिट का सही निर्धारण एवं स्वीकृति इत्यादि वर्णित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि आय और व्यय वित्तीय विवरणों में सही परिलक्षित हुए हैं और निर्धारिती किसी भी तरह से करापवंचन में शामिल नहीं हुआ है।

1.3 राज्य आबकारी प्राधिकारी:

राज्य आबकारी प्राधिकारियों का मुख्य उद्देश्य मदिरा की वैध बिक्री को विनियमित करना, मदिरा/शीरा आधारित उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने में मदद करना, राज्य के कल्याण के लिए मदिरा की नियंत्रित और वैध बिक्री के माध्यम से अधिकतम राजस्व अर्जित करना है।

राज्य आबकारी शुल्क और वैट के राजस्व रिसाव को रोकने और आसवनी और यवासवनी द्वारा अल्कोहल उत्पादों के मनमाने मूल्य निर्धारण [एक्स-आसवनी कीमत (ईडीपी) और एक्स-यवासवनी कीमत (ईबीपी)] को विनियमित करने के लिए हर राज्य के राज्य आबकारी विभाग द्वारा आसवनी और यवासवनी व्यवसाय की बहुत बारीकी से निगरानी की जाती है।

ईडीपी/ईबीपी का निर्धारण आबकारी विभाग का एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है जो उचित मूल्य पर मदिरा की उपलब्धता एवं मदिरा बिक्री से पर्याप्त राजस्व वसूली दोनों को सुनिश्चित करता है। मदिरा का मूल्य निर्धारण (एमआरपी गणना) के प्रमुख तत्व तालिका 1 में दर्शाए गए हैं -

तालिका 1. मदिरा के मूल्य निर्धारण के प्रमुख तत्व		
क्र.सं.	तत्व	गणना का आधार
1.	एक्स-आसवनी कीमत/एक्स-यवासवनी कीमत (ईडीपी/ईबीपी)	ईडीपी और ईबीपी वह मूल्य है जिस पर निर्माता आबकारी शुल्क, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के लाभ मार्जिन को जोड़ने से पहले थोक विक्रेताओं को क्रमशः भारतीय निर्मित विदेशी मदिरा (आईएमएफएल) और बीयर की आपूर्ति करते हैं। ईडीपी/ईबीपी आसवनी/यवासवनी द्वारा प्रस्तावित किया जाता है और आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित होता है।
2.	आबकारी शुल्क	यह समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा आईएमएफएल/बीयर पर ईडीपी/ईबीपी के प्रतिशत के रूप में तय किया जाता है

स्रोत: उत्तर प्रदेश सरकार की आबकारी नीति।

1.4 आयकर विभाग (आईटीडी) की भूमिका:

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) प्रत्यक्ष कर व्यवस्था में सर्वोच्च निकाय है। निर्धारण अधिकारी (नि.अ.) अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में करदाता का निर्धारण करने के लिए उत्तरदायी है।

अधिनियम की धारा 144बी के अनुसार, सीबीडीटी ने इसमें संशोधनों के साथ एक फेसलेस निर्धारण योजना 2019 शुरू की है (अगस्त 2020)। फेसलेस निर्धारण पूरा होने के बाद, मामले के सभी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही के लिए उक्त मामले पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले निर्धारण अधिकारी को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं।

आयकर प्राधिकारियों के पास जानकारी एकत्र करने, सूचना माँगने, बही-खाते रखने तथा साक्ष्य खोजने और पेश करने की शक्ति है।

सभी निर्धारितियों को अपना आयकर विवरणी (आईटीआर) सीबीडीटी द्वारा तय की गई नियत तारीखों के भीतर फॉर्म 3सीडी, वित्तीय विवरणों और उनके संबंधित शेड्यूल जैसे अनुलग्नकों के साथ दाखिल करना होता है। आईटीआर

दाखिल करते समय, निर्धारिती को सम्बंधित व्यावसायिक गतिविधि कोड भरना होता है⁷।

आईटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक टीसीएस कलेक्टर को टीसीएस रिटर्न उपलब्ध कराना आवश्यक है। जोखिम प्रबंधन रणनीति⁸ के भाग के रूप में आयकर विभाग निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाता है:-

(क) निर्धारण धारा 143(1) के अंतर्गत कम्प्यूटरीकृत प्रसंस्करण के माध्यम से पूरा किया जाता है जिसे संक्षिप्त निर्धारण के रूप में जाना जाता है। सभी आय के रिटर्न (आरओआई) को किसी भी अंकगणितीय त्रुटि, रिटर्न से स्पष्ट गलत दावा, हानि की स्वीकृति, व्यय, कटौती, कर गणना और कर भुगतान के सत्यापन की जांच के लिए संसाधित किया जाता है।

(ख) निर्धारिती की आय और व्यय के सत्यापन के बाद अधिनियम की धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण अधिकारी द्वारा एक आदेश पारित करके निर्धारण पूरा किया जाता है जिसे संवीक्षा निर्धारण के रूप में जाना जाता है। संवीक्षा निर्धारण के मामले आईटीडी द्वारा पहचाने गए और पूर्व-परिभाषित मापदंडों के आधार पर कम्प्यूटर एडेड स्कूटनी सेलेक्शन (सीएसएसएस) के माध्यम से एक निर्धारिती द्वारा दाखिल आयकर विवरणी (आईटीआर) से चुने जाते हैं। सही निर्धारण पर पहुंचने के लिए इन मामलों की बारीकी से जांच की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि करों का कोई अपवंचन नहीं हुआ है।

भाग -II लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

1.5 लेखापरीक्षा के उद्देश्य:

इस लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि-

⁷ **व्यावसायिक गतिविधि कोड-** एक व्यावसायिक गतिविधि कोड में एक करदाता को उसकी प्राथमिक गतिविधि के अनुसार वर्गीकृत करने की भूमिका होती है। कई व्यवसायों में काम करने वाली संस्थाओं के लिए अलग-अलग कोड हो सकते हैं।

⁸ **जोखिम प्रबंधन रणनीति** आईटीडी के दृष्टिकोण को दर्शाती है कि कैसे यह सभी प्रकार के जोखिम-संभावित रूप से प्रबंधन करने का इरादा रखता है लेकिन कम से कम जोखिम की एक विवेकपूर्ण श्रेणी के भीतर नीतियों, प्रक्रियाओं और मानकों की पहचान, मूल्यांकन, प्रतिक्रिया, निगरानी और अधिनियम के प्रावधानों के माध्यम से विधायिका के इरादे को लागू करने वाले राजस्व के हित में जोखिम को नियंत्रित करता है।

- I. क्या आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार चयनित आसवनियों और यवासवनियों की सभी प्राप्तियों और व्यय को लेखाबद्ध किया गया है और कर के लिए सही ढंग से पेश किया गया है ?
- II. यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या आसवनियों और यवासवनियों द्वारा कर अपवंचन नहीं हो रहा था , तीसरे पक्ष की रिपोर्टिंग को संज्ञान में लिया गया था?
- III. क्या आसवनियों और यवासवनियों के संबंध में आयकर विभाग के साथ अन्तर्विभागीय और अन्तःविभागीय समन्वय का कोई तंत्र मौजूद है?
- IV. क्या उपलब्ध दस्तावेजों /अभिलेखों के मिलान और सहसम्बद्ध करने के लिए आयकर विभाग में मौजूद तंत्र कुशल और प्रभावी था?

1.6 हमने यह विषय क्यों चुना:

भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते मदिरा बाजारों में से एक है और मादक उत्पादों की खपत में तेजी से वृद्धि और इस क्षेत्र में शामिल कंपनियों के कारोबार के विस्तार के परिणामस्वरूप लेनदेनों का मूल्य अत्यधिक हो गया है। आयकर अधिनियम में एक लेखाकार से खातों की ऑडिट और ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से रिपोर्टिंग/प्रमाणन का प्रावधान है। यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि निर्धारिती की खाता बही करदाता की सही आय को दर्शाती है और उसे आयकर की गणना के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। यह निर्धारिती द्वारा घोषित आय की शुद्धता का फैसला करने और निर्धारिती की सही और सटीक आय का निर्धारण करने एवं करापवंचन और परिहार का पता लगाने हेतु आयकर विभाग के हाथ में एक उपकरण है।

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आश्वासन प्राप्त करना है कि आयकर की गणना के प्रयोजनों के लिए कराधान हेतु पेश की जा रही आय का वित्तीय विवरणों में खुलासा/लेखा-जोखा किया जा रहा है और परिणामस्वरूप खातों में एकरूपता परिलक्षित हो रही है। इसके अलावा, राज्य आबकारी विभाग के साथ साथ वित्तीय विवरण में दर्शाई गई बिक्री और भुगतान किए गए शुल्कों में विसंगति, यदि कोई हो, तथा निर्धारिती के साथ अंतर-विभागीय और अंतः-विभागीय समन्वय/समाधान के लिए तंत्र को ढूंढना भी आवश्यक था।

1.7 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और नमूना चयन:

हमने इस क्षेत्र की ग्यारह कंपनियों (अनुलग्नक-ए1) को 10 वर्ष की अवधि यानी निर्धारण वर्ष 2009-10 से 2018-19 तक को जांच के लिए चयनित किया।

उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और नई दिल्ली राज्यों में विभाग के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाली इन ग्यारह कंपनियों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा की गई। सम्बन्धित निर्धारण वर्षों के अभिलेख मांगे गए और धारा 143(3)⁹ के अंतर्गत निर्धारित मामलों के साथ-साथ अधिनियम की धारा 143(1)¹⁰ के अंतर्गत संसाधित किए गए मामलों पर अभियुक्तियाँ जारी की गईं। निर्धारितियों के अभिलेख अर्थात् आयकर विवरण(आरओआई), लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, तुलन-पत्र, लाभ और हानि खाता, संबंधित अनुसूचियां आदि की विभाग से मांग की गई और प्राप्त की गई। सीपीसी (टीडीएस), वैशाली, गाजियाबाद से चयनित निर्धारितियों की टीसीएस बिक्री के संबंध में सूचना मांगी और प्राप्त की गई।

उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, महाराष्ट्र और कर्नाटक के राज्य आबकारी विभाग के आसवनी/यवासवनी से सम्बंधित की गई बिक्री, भुगतान किए गए आबकारी शुल्क, दिए गए वर्किंग अनुज्ञापन और किये गए अनुबंधों की जानकारी मांगी गई और केवल उत्तर प्रदेश राज्य आबकारी विभाग से प्राप्त हुई।

1.8 लेखापरीक्षा मानदंड:

लेखापरीक्षा ने सीपीसी (टीडीएस), वैशाली से प्राप्त आंकड़ों और आयकर अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों, नियमावली, नियमों, सरकारी अधिसूचनाओं का विश्लेषण किया ताकि आसवनी और यवासवनी के निर्धारण के संबंध में आयकर विभाग के कार्य का मूल्यांकन किया जा सके। मानदंड के निम्नलिखित स्रोतों पर विचार किया गया:

⁹ आईटी अधिनियम की धारा 143(3) में प्रावधान है कि निर्धारण अधिकारी को आय का सही निर्धारण और आकलन करना होगा। जांच मूल्यांकन में खातों के रिकॉर्ड और रिटर्न के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों के साथ विभिन्न प्रकार के दावों की विस्तार से जांच की जानी आवश्यक है। सीबीडीटी ने इस संबंध में समय-समय पर निर्देश जारी किये हैं।

¹⁰ आईटी अधिनियम की धारा 143(1) में प्रावधान है कि एक एओ नियमित निर्धारण आदेश पारित किए बिना निर्धारण पूरा कर सकता है। धारा 143 (1)के अन्तर्गत आय रिटर्न की प्रोसेसिंग अनिवार्य है, भले ही धारा 143 (2)के अन्तर्गत जांच नोटिस जारी किया गया हो।

- (i) आयकर अधिनियम 1961
- (ii) आईसीएआई द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश
- (iii) उत्तर प्रदेश राज्य आबकारी विभाग और अन्य राज्य आबकारी विभागों द्वारा उपलब्ध कराए गए राज्य आबकारी शुल्क, अनुज्ञापन और अन्य डेटा।
- (iv) न्यायिक उद्घोषणाएँ
- (v) 2012 में वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित काले धन पर श्वेत पत्र
- (vi) कम्पनियों के बीच कार्य अनुबंध, यदि कोई हो

1.9 कानूनी प्रावधान:

न्यायिक घोषणाएं, कानूनी प्रावधान, अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान, दरें आदि को अनुलग्नक-ए-2 में संक्षेपित किया गया है।

1.10 बाधाएं:

अभिलेखों को प्रस्तुत न करना¹¹ : हम आयकर विभाग द्वारा प्रदान किए गए अभिलेखों तक ही सीमित थे, क्योंकि निम्नलिखित अभिलेख न तो निर्धारण फोल्डर में रखे गए थे और न ही संबंधित निर्धारण अधिकारियों ने उन्हें लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध कराया था:

- (i) निर्धारण वर्ष 2009-10 से 2018-19 के लिए विनिर्माण इकाइयों यानी मैसर्स डब्ल्यू1 लिमिटेड, मैसर्स यू1 लिमिटेड और मैसर्स एम1 लिमिटेड एवं अन्य के बीच मदिरा/बीयर के अनुबंध (ओं) की प्रतिलिपि/संदर्भ, यदि कोई हो,
- (ii) तुलन-पत्र की अनुसूची में विविध देनदारों/लेनदारों/अग्रिमों/अन्य देनदारियों की सूची उपलब्ध नहीं थी और उनकी पुष्टि भी संवीक्षा निर्धारण रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं थी। इसलिए, लेखापरीक्षा द्वारा निर्धारण वर्ष 2009-10 से

¹¹ **अभिलेखों का प्रस्तुत न करना:** सीएजी (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 18 में प्रावधान है कि सीएजी के पास किसी भी खाते, पुस्तकों, कागजात और अन्य दस्तावेजों को मांगने का अधिकार होगा जो लेन-देन के आधार या अन्यथा प्रासंगिक हैं। जहां तक लेखापरीक्षा के संबंध में उसके कर्तव्यों का विस्तार है, उसे ऐसे स्थान पर भेजा जाएगा जिसे वह अपने निरीक्षण के लिए नियुक्त कर सकता है। आईटीडी का यह भी दायित्व है कि वह अविलम्ब रिकॉर्ड प्रस्तुत करे और लेखापरीक्षा को संबंधित जानकारी उपलब्ध कराये।

2018-19 के लिए मैसर्स डब्ल्यू1 लिमिटेड, मैसर्स यू1 लिमिटेड और मैसर्स एम1 लिमिटेड के शीर्ष पांच विविध देनदारों/लेनदारों/अग्रिमों/अन्य देनदारियों के विवरण की मांग की गई जो कि लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई।

- (iii) मूल्यांकन रिपोर्ट लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई, मैसर्स यू1 लिमिटेड के मामले में ड्राफ्ट मूल्यांकन रिपोर्ट का केवल सार प्रदान किया गया।
- (iv) चार निर्धारितियों नामतः मैसर्स पी1 प्रा. लिमिटेड, मैसर्स आर1 लिमिटेड, मैसर्स एस1 लिमिटेड और मैसर्स एम3 प्राइवेट लिमिटेड के मामले में आईसीएआई द्वारा जारी मार्गदर्शन नोट में निर्धारित कॉलम के बावजूद, ऑडिट रिपोर्ट में गैर-टीसीएस बिक्री का विवरण नहीं दिया गया था। स्रोत पर कर की कम कटौती या कटौती नहीं होने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 195/197 के अन्तर्गत आवश्यक प्रमाणपत्र, मैसर्स आर1 लिमिटेड के मामले में लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं किया गया। टीसीएस और गैर टीसीएस के रूप में बिक्री का विभाजन लाभ और हानि खातों में प्रदान नहीं किया गया था। वैट और अन्य शुल्क को लाभ और हानि खातों में शामिल नहीं किया गया था और उनके विवरण लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उपलब्ध नहीं थे।
- (v) मैसर्स पी1 प्रा. लिमिटेड और मैसर्स आर1 लिमिटेड पर की गई तलाशी के संबंध में लेखापरीक्षा को मूल्यांकन रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई।
- (vi) मैसर्स पी1 प्राइवेट लिमिटेड के मामले में निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए अधिनियम की धारा 142(2ए) के अन्तर्गत विशेष लेखापरीक्षक की पूरी रिपोर्ट प्रदान नहीं की गई।
- (vii) मैसर्स पी1 प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स आर1 लिमिटेड के मामले में निर्धारण वर्ष 2018-19 के वित्तीय विवरण लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए।
- (viii) मैसर्स एस1 लिमिटेड के मामले में निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए स्रोत पर एकत्रित कर और संबंधित बिक्री का विवरण सीपीसी आंकड़ों में उपलब्ध नहीं था।

- (ix) मैसर्स एम2 लिमिटेड के मामले में सीधे शुद्ध लाभ से जुड़े व्यापार छूट, विनिर्माण के दौरान टूट-फूट, बिक्री रिटर्न और स्क्रेप बिक्री का विवरण न तो लाभ और हानि खातों में और न ही तुलन-पत्र में दिया गया था।
- (x) मैसर्स एम2 लिमिटेड के मामले में निर्धारण वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए स्रोत पर एकत्रित कर और संबंधित बिक्री के विवरण सीपीसी आंकड़ों में उपलब्ध नहीं थे।
- (xi) राज्य आबकारी विभाग में जमा आबकारी शुल्क और तत्संबंधी बिक्री के साथ-साथ राज्य आबकारी विभाग से पुष्टि ग्यारह निर्धारितियों अर्थात् मैसर्स डब्ल्यू1 लिमिटेड, मैसर्स यू1 लिमिटेड, मैसर्स एम1 लिमिटेड, मैसर्स पी1 प्रा. लिमिटेड, मैसर्स आर1 लिमिटेड, मैसर्स एस1 लिमिटेड, मैसर्स एम2 लिमिटेड, मैसर्स एम3 लिमिटेड, मैसर्स ए1 लिमिटेड, मैसर्स यू2 लिमिटेड और मैसर्स यू3 लिमिटेड के मामले में सर्वीक्षा निर्धारण अभिलेख में उपलब्ध नहीं थे।
- (xii) निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए मैसर्स एम2 लिमिटेड का आईटीआर प्रदान नहीं किया गया था।
- (xiii) लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की क्र.सं. 35 बीबी पर उत्पादों के स्व-उपभोग का संदर्भ नहीं दिया गया था। मैसर्स एम2 लिमिटेड के मामले में आईटीआर के साथ अपलोड किए गए संलग्न दस्तावेजों के साथ 'फॉर्म 3सीडी की कोई अन्य प्रतिवेदन यानी फॉर्म 3सीडी का हिस्सा बनने वाले नोट्स' लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं किए गए थे।
- (xiv) निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए मैसर्स ए1 लिमिटेड का धारा 147 के अन्तर्गत पारित निर्धारण आदेश उपलब्ध नहीं कराया गया।
- (xv) निर्धारण वर्ष 2013-14, 2017-18 और 2018-19 के लिए मैसर्स यू2 लिमिटेड के संबंध में निर्धारण फ़ोल्डर/केस रिकार्ड्स जैसे निर्धारण आदेश, ऑडिट रिपोर्ट और वित्तीय विवरण प्रदान नहीं किए गए।
- (xvi) विभाग ने निर्धारण वर्ष 2014-15 से 2016-17 के लिए मैसर्स यू2 लिमिटेड के लाभ और हानि खाते में प्रदर्शित 'टाई-अप एग्रीमेंट' के अन्तर्गत बिक्री के आंकड़ों का विभाजन प्रदान नहीं किया। निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए मैसर्स यू3 लिमिटेड के संबंध में निर्धारण फोल्डर्स/ केस रिकार्ड्स जैसे ऑडिट रिपोर्ट, वित्तीय विवरण प्रदान नहीं किए गए थे।

(xvii) महाराष्ट्र राज्य सरकार के अधीन अधीक्षक, राज्य आबकारी शुल्क, औरंगाबाद ने बिक्री (निजी ब्रांड) और भुगतान किए गए आबकारी शुल्क का विवरण प्रदान किया, जो लाभ और हानि खातों में दावा किए गए बिक्री और आबकारी शुल्क का केवल एक हिस्सा था। दिल्ली में मदिरा स्टॉक पर आयात परमिट के संबंध में आबकारी आयुक्त, ईएनटीटी तथा एल टैक्स विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, के कार्यालय द्वारा आंशिक जानकारी प्रदान की गई थी। कर्नाटक के राज्य आबकारी विभाग ने राज्य के भीतर मैसर्स यू2 लिमिटेड और मैसर्स यू3 लिमिटेड की आसवनी और यवासवनी इकाइयों द्वारा की गई बिक्री का विवरण प्रदान किया, जिसमें अन्य राज्य में की गई बिक्री शामिल नहीं थी।

उपरोक्त विवरण के अनुसार अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने के कारण, लेखापरीक्षा को इन अभिलेखों की जांच एवं सत्यापन करने में बाधा उत्पन्न हुई, जिसके परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा इन निर्धारणों को पूरा करते समय निर्धारण अधिकारी द्वारा बरती गई उचित सावधानी के संबंध में आश्वासन प्राप्त करने में असमर्थ रहा।

1.11 अभिस्वीकृति:

ऊपर वर्णित अप्रस्तुत अभिलेखों को छोड़कर आयकर विभाग ने "आसवनी और यवासवनी व्यवसाय में शामिल निर्धारितियों की लेखापरीक्षा" के संचालन से सम्बन्धित अभिलेख और जानकारी प्रदान करके लेखापरीक्षा को सुगम बनाने में आयकर विभाग के सहयोग को हम स्वीकार करते हैं। फलस्वरूप लेखापरीक्षा जांच इन मामलों में किये गए अनुपालन की सीमा तक सीमित रही।

अध्याय-2: लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने पाया कि अन्य पार्टियों के साथ समझौते की आड़ में बिक्री का लेखा-जोखा कम था; अन्तः/अन्तर्विभागीय समन्वय की कमी और निर्धारिती के साथ गैर-सामंजस्य, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में तैयार उत्पाद के मात्रात्मक सारांश के संबंध में लेखापरीक्षक द्वारा अंकगणितीय विसंगति और प्रमाणीकरण; गणना की गलतियाँ; अंतर्विभागीय समन्वय की कमी के कारण राजस्व प्रभाव; और निर्धारण अधिकारियों द्वारा अधिनियम के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का कुशलतापूर्वक एवं प्रभावी ढंग से गैर-अनुपालन। लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सार नीचे तालिका II में दिया गया है:

तालिका II: लेखापरीक्षा टिप्पणियों का सार			
पैरा का शीर्षक	पैरा संख्या	निर्धारितियों का नाम	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)
1. अन्य पार्टियों के साथ समझौते की आड़ में बिक्री का कम लेखा-जोखा।	2.3.1.1 (ए) से (इ)	मैसर्स डब्ल्यू1 लिमिटेड	2,688.77
	2.3.1.2	मैसर्स यू1 लिमिटेड	1,020.53
	2.3.1.3 (ए) से (सी)	मैसर्स एम1 लिमिटेड	729.81
2. निर्धारिती के साथ अन्तः विभागीय और अन्तर्विभागीय समन्वय/सुलह की कमी।	2.3.2.1 (ए) एवं (बी)	मैसर्स यू1 लिमिटेड	41.21
	2.3.2.2	मैसर्स पी1 प्रा. लिमिटेड	4,589.42
	2.3.2.3	मैसर्स आर1 लिमिटेड	2,126.21
	2.3.2.4	मैसर्स एस1 लिमिटेड	664.22
	2.3.2.5	मैसर्स एम3 प्रा. लिमिटेड	85.42
	2.3.2.6	मैसर्स एम2 लिमिटेड	93.96
	2.3.2.7	मैसर्स ए1 लिमिटेड	133.22
	2.3.2.8	मैसर्स यू2 लिमिटेड	4,396.48
	2.3.2.9	मैसर्स यू3 लिमिटेड	642.49
	2.3.2.10	मैसर्स एम1 लिमिटेड	8.59
3. तैयार उत्पाद के मात्रात्मक सार के संबंध में लेखापरीक्षक द्वारा अंकगणितीय विसंगति और प्रमाणीकरण।	2.3.3.1(ए) एवं (बी)	मैसर्स डब्ल्यू1 लिमिटेड	278.45
	2.3.3.2	मैसर्स आर1 लिमिटेड	416.96
	2.3.3.3	मैसर्स एम2 लिमिटेड	8.81
	2.3.3.4	मैसर्स ए1 लिमिटेड	0.79
4. गणनात्मक त्रुटियाँ	2.3.4.1	मैसर्स पी1 प्रा. लिमिटेड	1.36
	2.3.4.2	मैसर्स एस1 लिमिटेड	2.00

पैरा का शीर्षक	पैरा संख्या	निर्धारितियों का नाम	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)
5. अंतर्विभागीय समन्वय के अभाव में राजस्व पर प्रभाव।	2.3.5(i), (ii) एवं (iii)	सभी चयनित 11 कंपनियां।	प्रणालीगत मुद्दे
6. अधिनियम के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का पालन न करना।	2.3.6.1(ए)(i) से(iii)	मैसर्स डब्ल्यू1 लिमिटेड	प्रणालीगत मुद्दे
	2.3.6.1(बी)	मैसर्स यू1 लिमिटेड	प्रणालीगत मुद्दे
	2.3.6.1(सी)(i)से(iv)	मैसर्स एम1 लिमिटेड	प्रणालीगत मुद्दे
	2.3.6.2	मैसर्स डब्ल्यू1 लिमिटेड, मैसर्स यू1 लिमिटेड, मैसर्स एम1 लिमिटेड	प्रणालीगत मुद्दे

निर्धारण वर्ष 2009-10 से 2018-19 के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

2.1 सामान्य लेखापरीक्षा अभियुक्तियाँ :

2.1.1 धारा 68/69 सी की प्रयोज्यता:

अधिनियम की धारा 68 के अनुसार यदि कोई राशि निर्धारिती की बहियों या लेखा विवरणियों में जमा पाई जाती है और निर्धारिती निर्धारण अधिकारी की संतुष्टि के लिए उक्त राशि के स्रोत और वास्तविकता को समझाने/साबित करने में सक्षम नहीं है तो इसे अधिनियम की धारा 68 के अन्तर्गत जोड़ा जा सकता है।

अधिनियम की धारा 69सी के अनुसार निर्धारिती द्वारा किया गया कोई भी व्यय जहां निर्धारण अधिकारी की संतुष्टि के लिए निर्धारिती द्वारा ऐसे व्यय के स्रोत के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है, तो ऐसा व्यय सम्बंधित वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारिती की आय माना जा सकता है।

ऐसी आय और व्यय की वास्तविकता और स्रोत को साबित करने का दायित्व निर्धारिती का होता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आसवनी और यवासवनी के व्यवसाय में शामिल निर्धारितियों के मामलों में:

- क. मादक उत्पादों की संपूर्ण बिक्री को लेखें में शामिल नहीं किया गया।
- ख. संबंधित राज्य सरकारों के पास जमा आबकारी शुल्क से सम्बंधित पूरे व्यय को लेखे में शामिल नहीं किया गया
- ग. राज्य आबकारी विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी की तुलना में लाभ और हानि खाते में दर्शाई गई आय को कमतर/कम प्रदर्शित किया पाया गया।
- घ. लाभ और हानि खाते में दर्शाई गई आय को लेखापरीक्षक द्वारा फॉर्म 3सीडी में प्रदर्शित की गई जानकारी के साथ तुलना करने पर कमतर/कम पाया गया।
- ड. कुल 11 मामलों में से 03 मामलों में, निर्धारितियों ने कहा है कि अन्य पार्टियों के साथ अनुबंध थे जिनके लिए वे अपने उत्पादों का निर्माण और बिक्री कर रहे थे जबकि इन लेनदेनो को उनकी लेखा विवरणियों में शामिल नहीं पाया गया।
- च. इसके अलावा, निर्धारण अधिकारियों ने निर्धारण कार्यवाही के दौरान निर्धारिती को सम्मुख करके लाभ और हानि खाते में प्रदर्शित बिक्री/व्यय की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए न तो अधिनियम द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया और न ही सही और शुद्ध आय सुनिश्चित करने के लिए संबंधित राज्य आबकारी विभागों से जानकारी मांगी।

यद्यपि की आय अर्जित हो रही थी एवं अधिनियम की धारा 2(12ए)¹² के अनुरूप विवरणियों में क्रेडिट पाई गई लेकिन कराधान के लिए आयकर की गणना के प्रयोजनों हेतु पेश नहीं की गई एवं वित्तीय विवरणों में इसका खुलासा/हिसाब नहीं किया गया और परिणामस्वरूप, विसंगतियां खातों में परिलक्षित होती रही और अपरिभाषित बनी रहीं। उपरोक्त भूल/चूक संबंधित निर्धारितियों द्वारा कर अपवंचन के रूप में परिणत हुई।

इसलिए, ऐसे मामलों में, लेखापरीक्षा की राय में, अधिनियम की प्रासंगिक धारा 68/69सी के अन्तर्गत अतिरिक्त जोड़ने की आवश्यकता है।

¹² अधिनियम की धारा 2(12ए)- "बही या लेखा बही" के अंतर्गत, लेजर, दैनिक बही, रोकड़ बही, लेखा बही और अन्य बहियां शामिल हैं चाहे लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप में या डिजिटल रूप में या ऐसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में संगृहीत डेटा के प्रिंट आउट के रूप में, या डिजिटल रूप में, या फ्लॉपी, डिस्क, टेप या इलेक्ट्रो-मैग्नेटिक डेटा स्टोरेज डिवाइस के किसी अन्य रूप में रखा गया हो।

2.1.2 टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (टीएआर) की तुलना में लेखा विवरणियों की बिक्री के आंकड़ों में असमानता

कर बचाव और कर अपवंचन को हतोत्साहित करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्धारिती की बहियां या बही खाते करदाता की आय को ईमानदारी से दर्शाते हैं, आयकर अधिनियम खातों की लेखापरीक्षा और लेखाकार के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के माध्यम से रिपोर्टिंग/प्रमाणीकरण प्रदान करता है। यह कर प्राधिकारियों के समक्ष खातों की सही/उचित प्रस्तुति द्वारा कर कानूनों के प्रशासन की सुविधा प्रदान करता है। लेखाकारों को अधिनियम के प्रावधानों को सही ढंग से लागू करने के लिए आयकर विभाग के लिए सहायता करने हेतु अधिकृत किया गया है। निर्धारण अधिकारी से उम्मीद की जाती है कि वह निर्धारण को अंतिम रूप देते समय एक स्वतंत्र निर्णय लेगा और निर्धारिती को अभिलेख और साक्ष्य के संदर्भ में अपने दावों को सही ठहराने के लिये कह सकता है।

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान से पंजीकृत लेखाकार द्वारा निर्धारितियों के वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के उपरांत प्रतिवेदन फार्म 3सीडी में प्रस्तुत किया जाता है जो कि आयकर अधिनियम की धारा 44एबी के अंतर्गत दिया जाने वाला विवरण है। यह फॉर्म भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा बनाया गया है और अनुशंसात्मक प्रकृति का है जिसका संस्थान के सदस्य पालन करना चाहेंगे। इस प्रतिवेदन को तीसरे पक्ष की प्रतिवेदन के रूप में माना जाता है जिसकी अपनी मान्यता है और निर्धारिती द्वारा घोषित आय की शुद्धता का निर्धारण करने और निर्धारिती की सत्य और सही-आय का निर्धारण करने में विभाग के हाथों में एक पैमाना है।

लेखापरीक्षा ने निर्दिष्ट कॉर्पोरेट निर्धारिती के निर्धारण अभिलेखों की एक निश्चित नमूना आकार के साथ समीक्षा की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, विशेष रूप से क्रम संख्या 34(ए) पर प्रदर्शित आंकड़े, अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक निर्धारण को पूरा करने में निर्धारण अधिकारी को सहायता करने हेतु पर्याप्त और अपेक्षित जानकारी प्रदान करने के लिए अपने आप में पूर्ण थे।

वर्तमान रिपोर्ट में लेखा परीक्षकों द्वारा फॉर्म संख्या 3सीडी में प्रदर्शित आंकड़े, विशेष रूप से क्रम संख्या 34(ए) पर प्रदर्शित आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए, उन्हें वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित आंकड़ों एवं साथ ही साथ राज्य आबकारी विभाग, सीपीसी (टीडीएस), वैशाली, गाजियाबाद इत्यादि जैसी भिन्न एजेंसियों से प्राप्त जानकारी के साथ मिलान एवं सत्यापन किया गया। इसका उद्देश्य राजस्व के हितों की रक्षा के लिए आय में किसी भी प्रकार के अंतर/कम रिपोर्टिंग का पता लगाना तथा यह सुनिश्चित करना है कि आयकर अधिनियम की विभिन्न धाराओं/प्रावधानों में निहित कानूनों की मंशा का अनुपालन करदाताओं और कर प्राधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। हालाँकि, लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि लाभ और हानि खातों और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (टीएआर) में क्रम संख्या 34(ए) पर प्रदर्शित बिक्री के आंकड़ों का मिलान नहीं किया जा सका। उत्तर में, आईटीडी ने कहा कि निर्धारितियों द्वारा भुगतान किया गया आबकारी शुल्क लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है। हालांकि, निर्धारितियों द्वारा भुगतान किए गए वैट और अन्य करों को लाभ और हानि खाते में शामिल नहीं किया गया लेकिन टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के क्रम संख्या 34(ए) पर शामिल है। क्रम संख्या 34(ए) पर परिलक्षित आंकड़ों के विभाजन की अनुपस्थिति में, जिसे टीसीएस बिक्री प्लस आबकारी शुल्क प्लस वैट और अन्य करों को शामिल करने के लिए कहा गया है, लेखापरीक्षा टीएआर में शामिल विभिन्न राशियों की प्रामाणिकता के बारे में आश्वासन प्राप्त नहीं कर सका, जैसा कि उपरोक्त वर्णित है, जिन्हें तब लाभ और हानि खाते में प्रदर्शित सकल बिक्री (आबकारी सहित) अथवा निवल बिक्री (आबकारी रहित) से तुलना की गई जो कि निहित विसंगतियों को प्रदर्शित करती हैं।

2.1.3 टीसीएस/गैर-टीसीएस बिक्री का विभाजन न किया जाना

अधिनियम के प्रावधान के अनुसार निर्दिष्ट दर पर मानव उपभोग के लिए बनाई गई मादक प्रकृति की मदिरा पर टीसीएस एकत्र किया जाता है। हालाँकि, कुछ बिक्री ऐसी होती हैं जिन पर विक्रेता को टीसीएस एकत्र करने की आवश्यकता नहीं होती है जैसे सीएसडी कैंटीन, क्लब, निगम आदि को बिक्री।

लाभ और हानि खाते (पी एंड एल) में परिलक्षित बिक्री में वह बिक्री शामिल है जिस पर टीसीएस एकत्र किया गया था और वह बिक्री भी जिस पर कोई

टीसीएस एकत्र नहीं किया गया। हालाँकि, लेखापरीक्षा नमूना में शामिल किसी भी निर्धारित द्वाारा पी एंड एल खाते में टीसीएस और गैर टीसीएस बिक्री का विभाजन प्रदर्शित नहीं किया गया। पी एंड एल खाते में टीसीएस बिक्री के साथ फॉर्म 3सीडी के क्रम संख्या 34(ए) पर प्रदर्शित टीसीएस बिक्री, जहाँ लेखाकार ने टीसीएस बिक्री के आंकड़े को विभाजित नहीं किया है (जहाँ यह टीसीएस बिक्री, आबकारी शुल्क, वैट और अन्य करों का एक संयुक्त आंकड़ा है), पुष्टि करने के प्रकरण की निर्धारण कार्यवाहियों के दौरान निर्धारण अधिकारियों द्वारा जांच नहीं की गई थी। चूँकि पी एंड एल खाते एवं टीएआर में आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं कराये गए थे इसलिए लेखापरीक्षा द्वारा इन आंकड़ों की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने पाया कि आयकर अधिनियम की धारा 195/197 के अंतर्गत आवश्यक स्रोत पर कर की कोई कटौती/संग्रहण नहीं या कम कटौती/संग्रहण के लिए जारी किए गए प्रमाण पत्र, यदि कोई हो, मामले के अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे। इसके अभाव में, लेखापरीक्षा इन आंकड़ों की सत्यता के बारे में आश्वासन स्थापित नहीं कर सकी।

यह उल्लेखनीय है कि, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 44एबी के अन्तर्गत टीसीएस/गैर टीसीएस बिक्री हेतु आईसीएआई द्वारा निर्गत टैक्स ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट के पैरा 58.10 में कहा गया है कि कॉलम (6) में कर लेखापरीक्षक को क्रम संख्या 34(ए) के कॉलम (5) में उल्लिखित कटौती योग्य या संग्रहणीय राशि में से कुल राशि प्रस्तुत करना आवश्यक है जिस पर निर्दिष्ट दर पर कर काटा गया या एकत्र किया गया।

2.1.4 मामलों को फिर से खोलना:

ऐसी आय और कोई अन्य आय जो कर योग्य है और निर्धारण से छूट गई है, जब निर्धारण अधिकारी के संज्ञान में आती है, निर्धारण अधिकारी धारा 148 से 153 के प्रावधानों के अधीन निर्धारण या पुनर्निर्धारण कर सकता है। संबंधित वित्त अधिनियमों द्वारा किए गए परिवर्तन नीचे दिए गए हैं:

- (ए) **वित्त अधिनियम 2021 से पहले**, मामले फिर से खोलने की अधिकतम अवधि छह साल की थी और कुछ मामलों में कुछ शर्तों के अधीन यह अवधि छह साल से अधिक की भी थी।
- (बी) **वित्त अधिनियम 2021 द्वारा**, धारा 147 से 149 तथा धारा 151 को प्रतिस्थापित किया गया है। अधिनियम की धारा 148 के अंतर्गत धारा 148ए में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना कोई नोटिस जारी नहीं किया जा सकता। धारा 148 के अंतर्गत नोटिस के साथ, निर्धारण अधिकारी को अधिनियम की धारा 148ए के अंतर्गत पारित आदेश का पालन करना आवश्यक है। पूर्ववर्ती स्थिति की प्रकृति में धारा 148ए एक नया प्रावधान है।
- (सी) **वित्त अधिनियम 2022 के अनुसार**, धारा 149 के अंतर्गत नोटिस जारी करने की समय सीमा निम्नानुसार संशोधित की गई है: यदि संबंधित निर्धारण वर्ष के अंत से तीन वर्ष, लेकिन दस वर्ष से अधिक समय नहीं बीत गया हो और निर्धारण अधिकारी के पास उनके कब्जे के बही खाते या अन्य दस्तावेज या साक्ष्य जो बताते हैं कि कर योग्य आय, जो एक परिसंपत्ति के रूप में है, लेनदेन के संबंध में व्यय या किसी घटना या अवसर या बही खाते में प्रविष्टि या प्रविष्टियों के संबंध में है जो पचास लाख रुपये या उससे अधिक हो अथवा होने की संभावना हो और निर्धारण से छूट गया हो।

आईटी अधिनियम राजस्व रिसाव के मामलों में उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के माध्यम से निर्धारण अधिकारियों को सशक्त बनाता है। हालांकि इस तरह के रिसाव की संभावना को कम करने के लिए अधिकारियों द्वारा उचित सावधानी अपनाई जानी चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए निगरानी अधिकारियों द्वारा उपाय विकसित किए जाने की आवश्यकता है कि मामले कालबाधित न हों और स्वमेव ही राजस्व रिसाव के मामलों को सुधारा जाए।

2.2 प्रणालीगत मुद्दे:

2.2.1 निर्धारण वर्ष 2017-18 तक सामान्य व्यावसायिक गतिविधि कोड का उपयोग

लेखापरीक्षा ने देखा कि आसवनी और यवासवनी क्षेत्र से संबंधित निर्धारिती निर्धारण वर्ष 2009-10 से 2017-18 के दौरान 'विनिर्माण गतिविधि (अन्य)' से संबंधित व्यावसायिक गतिविधि कोड '0124' का उपयोग करके अपने आईटीआर दाखिल कर रहे थे। आयकर विभाग ने निर्धारण वर्ष 2018-19 से 'मदिरा का निर्माण-04016' 'बीयर का निर्माण-04017' 'माल्ट मदिरा का निर्माण-04018' 'आसवन और स्पिरिट का मिश्रण, एथिल अल्कोहल का उत्पादन-04019, आदि कोड आवंटित किए हैं। आयकर विभाग ने निर्धारण वर्ष 2017-18 तक आसवनी और यवासवनी सेक्टर के संबंध में कोई विशिष्ट व्यावसायिक गतिविधि कोड आवंटित नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप सीएसएस के अंतर्गत संवीक्षा निर्धारण मामलों के चयन के लिए मापदंड तय करते समय आसवनी और यवासवनी के व्यवसाय को संचालित करने वाले निर्धारितियों की पहचान नहीं हो पाई।

2.2.2 आसवनियों एवं यवासवनीयों के निर्धारण हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का अभाव:

लेखापरीक्षा ने देखा कि आयकर विभाग के पास आसवनी और यवासवनी क्षेत्र के लिए विशिष्ट निर्धारितियों से निपटने हेतु निर्धारण अधिकारी के लिए कोई विशिष्ट मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) या निर्देश नहीं है। इस तरह के एसओपी अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा किए गए विषयों से बचने में सहायक हुई होती।

2.3 अनुपालन विषय :

2.3.1 दूसरे पक्षकारों के साथ समझौते की आड़ में बिक्री का कम लेखा-जोखा:

मदिरा का व्यवसाय अन्य व्यवसायों से काफी अलग है, क्योंकि यह अत्यधिक विनियमित है। राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुज्ञापन के बिना किसी भी

कंपनी के लिए डिस्टिलरीज़ स्थापित करना और मादक पेय पदार्थों का निर्माण और बिक्री करना संभव नहीं है। अनुज्ञापन देने की शर्तें अत्यधिक कठोर हैं और राज्य के आबकारी अधिकारियों द्वारा बारीकी से निगरानी की जाती है। पक्षकारों द्वारा सहमत अनुबंध की शर्तें प्रासंगिक अधिनियम के लागू प्रावधानों की अवहेलना नहीं कर सकती हैं और किसी निर्मित वस्तु के स्वामित्व अधिकार को भी स्थानांतरित नहीं कर सकती हैं।

तीन कंपनियों यथा मैसर्स डब्ल्यू1 लिमिटेड, मैसर्स यू1 लिमिटेड, और मैसर्स एम1 लिमिटेड जो मदिरा के कारोबार में लगे हुए थे, के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच में पाया गया की इन कंपनियों को आयकर अधिनियम की धारा 44एबी के अंतर्गत लेखा विवरणियों का लेखा परीक्षण कराने के पश्चात “व्यापार या पेशे से लाभ और प्राप्ति” आय की मद में ब्यवसाय से आय घोषित करना आवश्यक था। कंपनियां उत्तर प्रदेश राज्य आबकारी विभाग की कड़ी निगरानी में अपनी व्यावसायिक गतिविधि कर रही थीं। शुद्ध लाभ की गणना के लिए संबंधित वर्षों के लाभ और हानि खातों में निर्माण और बिक्री प्रक्रिया के दौरान आय और व्यय का विवरण शामिल करना आवश्यक था। हालांकि इन कंपनियों ने अनुबंध निर्माण इकाइयां होने के नाते समझौते की आड़ में आय और व्यय को अपने लाभ और हानि खातों/आईटीआर से बाहर कर दिया था, लेकिन इन्हें राज्य आबकारी प्राधिकारियों को दाखिल रिटर्न में शामिल किया गया और उनपर राज्य आबकारी शुल्क लगाया गया। आयकर विभाग आय की सही गणना और आवश्यक विशेष दर लागू नहीं कर सका। इंगित किए जाने पर, आईटीडी ने धारा 147¹³ के अंतर्गत मामलों को फिर से खोल दिया। विभाग के उत्तर सहित विस्तृत अभियुक्तियाँ नीचे दी गई हैं:

2.3.1.1 पीसीआईटी बरेली-मैसर्स डब्ल्यू1 लिमिटेड

लेखापरीक्षा ने मैसर्स डब्ल्यू1 लिमिटेड के संबंध में निर्धारण वर्ष 2009-10 से 2018-19 तक के रिकॉर्ड की मांग की (जुलाई 2019 और सितंबर 2021)।

¹³ आईटी अधिनियम की धारा 147 प्रावधानित करती है कि यदि किसी निर्धारिती के मामले में कर के लिए देय कोई आय, किसी निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण से बच गई है, तो निर्धारण अधिकारी किसी भी मुद्दे के संबंध में ऐसे निर्धारण वर्ष के लिए ऐसी आय का निर्धारण या पुनर्निर्धारण कर सकता है, जो निर्धारण से बच गया है।

अभिलेखों को प्रस्तुत न किया जाना/उपलब्ध न होना:

निर्धारिती और अन्य के बीच मदिरा/बीयर के निर्माण के लिए अनुबंधों की प्रति/संदर्भ मामले के अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था। तुलन-पत्र की अनुसूची में विविध देनदारों/लेनदारों/अग्रिमों/अन्य देनदारियों की सूची उपलब्ध नहीं थी और उनकी पुष्टि संवीक्षा निर्धारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थी। इसलिए, लेखापरीक्षा ने निर्धारण वर्ष 2009-10 से 2018-19 के लिए मैसर्स डब्ल्यू1 लिमिटेड के शीर्ष पांच विविध देनदारों/लेनदारों/अग्रिमों/अन्य देनदारियों के विवरण की मांग की गई जो कि लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई। आबकारी शुल्क राज्य आबकारी विभाग में जमा किया गया और तत्संबंधी बिक्री आईटीडी संवीक्षा निर्धारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थी।

(I) **अवलोकन:** दस निर्धारण वर्षों अर्थात् निर्धारण वर्ष 2009-10 से 2018-19 की अवधि के लिए नमूना जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने समरी/संवीक्षा निर्धारण के विवरण को नोट किया जैसा की नीचे तालिका 2.1.1 में वर्णित है।

तालिका 2.1.1 मैसर्स डब्ल्यू1 लिमिटेड								
								(₹ करोड़ में)
निर्धारण वर्ष	व्यावसायिक गतिविधि कोड	धारा के अंतर्गत निर्धारित/संसाधित	निर्धारण आदेश की तिथि	पी/एल में बिक्री/सकल प्राप्तियां	पी/एल में डेबिट किया गया आबकारी शुल्क	आबकारी विभाग में जमा आबकारी शुल्क	घोषित आय/हानि	निर्धारित आय/हानि
2009-10	0124	143(1)	01.11.2010	0	0	उपलब्ध नहीं है	-0.26	-0.26
2010-11	0124	143(3)	30.03.2013	651.00	481.97	उपलब्ध नहीं है	-9.59	-9.54
2011-12	0124	143(1)	10.01.2012	1,231.67	932.55	1,013.56	-0.06	-0.06
2012-13	0124	143(3)	16.01.2014	1,463.72	1,133.62	1,362.38	-14.60	-14.42
2013-14	0124	143(3)	22.10.2014	1,382.06	1,055.58	1,527.71	30.90	30.90
2014-15	0124	143(3)	15.02.2016	1,627.13	1,305.75	1,852.00	32.98	32.98
2015-16	0124	143(1)	01.03.2016	2,170.68	1,791.63	2,461.04	47.15	47.15
2016-17	0124	143(1)	15.08.2017	2,203.98	1,868.03	2,718.87	38.64	38.64
2017-18	0124	143(3)	03.12.2019	2,277.24	1,868.00	2,290.61	38.14	38.14
2018-19	04016/ 04018/ 04019	143(1)	14.02.2020	2,482.67	1,978.88	3,088.55	133.06	133.10

- क. धारा 143(3) के अंतर्गत संवीक्षा निर्धारण केवल पांच वर्षों यानी निर्धारण वर्ष 2010-11, 2012-13 से 2014-15 और 2017-18 में किया गया। शेष पांच निर्धारण वर्षों 2009-10, 2011-12, 2015-16, 2016-17 और 2018-19 को धारा 143(1) के अंतर्गत संवीक्षा निर्धारण के अंतर्गत पारित किया गया।
- ख. तीन निर्धारण वर्षों 2013-14, 2014-15 और 2017-18 में कंपनी की रिटर्न आय में कोई वृद्धि किए बिना निर्धारण पूरा किया गया।
- ग. घोषित हानि के विरुद्ध शेष दो निर्धारण वर्ष 2010-11 एवं 2012-13 में क्रमशः ₹ 0.05 करोड़ और ₹ 0.18 करोड़ की न्यूनतम राशियों को जोड़कर संवीक्षा निर्धारण पूरा किया गया।

(II) निर्धारण का लेखापरीक्षा विश्लेषण:

मैसर्स डब्ल्यू1 लिमिटेड के अभिलेखों की लेखापरीक्षा (जून 2021) में पाया गया कि निर्धारिती जो मदिरा के व्यवसाय में लगा था, उ. प्र. राज्य आबकारी विभाग द्वारा प्रदत्त राज्य आबकारी शुल्क अनुज्ञापन की स्वीकृत शर्तों के अधीन अल्कोहल उत्पादों के निर्माण, बॉटलिंग और बिक्री की गतिविधियों को अंजाम देता रहा। मैसर्स डब्ल्यू1 लिमिटेड ने मैसर्स यू3 लिमिटेड के साथ भी अनुबंध किया था, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(i) 01.10.2011 से प्रभावी शराब बनाने एवं वितरण का अनुबंध जिसे 30.06.2016 तक नवीनीकृत किया गया जिसमें मैसर्स डब्ल्यू1 लिमिटेड मैसर्स यू3 लिमिटेड की ब्रांड मदिरा के निर्माण और बिक्री के लिए उत्तरदायी था।

(ii) इसके बाद दो नए अनुबंध नामतः 'बीयर खरीद अनुबंध' और 'कॉन्ट्रैक्ट पैकिंग अनुबंध' 01.07.2016 से लागू हुए जिसे 30.06.2020 तक नवीनीकृत किया गया जिसमें 'बीयर खरीद अनुबंध' के अनुसार मैसर्स डब्ल्यू1 लिमिटेड मैसर्स यू3 लिमिटेड ब्रांड की बीयर थोक में निर्मित करेगा और बेचेगा और 'कॉन्ट्रैक्ट पैकिंग अनुबंध' के अनुसार मैसर्स डब्ल्यू1 लिमिटेड मैसर्स यू3 लिमिटेड ब्रांड की बीयर को बोतलों और कैन में पैक करेगा जिसे अंततः मैसर्स यू3 लिमिटेड द्वारा बेचा जाएगा। मैसर्स डब्ल्यू1 लिमिटेड और मैसर्स यू3 लिमिटेड

के बीच की गई व्यवस्था को **अनुलग्नक-I** में दिए गए फ्लो चार्ट के रूप में समझाया गया है।

लेखापरीक्षा ने उत्तर प्रदेश राज्य आबकारी विभाग से मैसर्स डब्ल्यू1 लिमिटेड द्वारा की गई बिक्री, भुगतान किए गए आबकारी शुल्क, दिए गए कार्यरत अनुज्ञापन और किए गए अनुबंधों की विस्तृत सूचना एकत्र की जिसमें लेखापरीक्षा ने देखा कि मैसर्स डब्ल्यू1 लिमिटेड को मदिरा निर्माण के लिए बी-1 और पीडी-2, बॉटलिंग के लिए एफएल-3 और बिक्री के लिए एफएल-1 अनुज्ञापन प्रदान किए गए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि उत्तर प्रदेश राज्य आबकारी विभाग ने मैसर्स यू3 लिमिटेड और मैसर्स ए2 लिमिटेड को भी अनुज्ञापन प्रदान किया-(i) मैसर्स डब्ल्यू1 लिमिटेड के बॉटलिंग विशेषाधिकार को लीज पर मैसर्स डब्ल्यू1 लिमिटेड के परिसर में मदिरा/बीयर प्राप्त करने के लिए एवं अपना ब्रांड लेबल लगाने हेतु एफएल-3ए और (ii) बोटलबंद वस्तुओं की बिक्री के लिए एफएल-1ए। मैसर्स डब्ल्यू1 लिमिटेड और मैसर्स ए2 लिमिटेड के बीच की गई व्यवस्था को **अनुलग्नक-II** में दिए गए फ्लो चार्ट के रूप में समझाया गया है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मैसर्स डब्ल्यू1 लिमिटेड की कुल बिक्री, राज्य आबकारी शुल्क के उगाही के अधीन आयकर गणना के उद्देश्य से लाभ और हानि खातों में नहीं ली गई थी जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

(क) मैसर्स डब्ल्यू1 लिमिटेड के निर्धारण वर्ष 2011-12 से 2013-14 (निर्धारण वर्ष 2011-12 में समरी निर्धारण एवं निर्धारण वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में संवीक्षा निर्धारण) के अभिलेखों की जांच में लेखापरीक्षा ने पाया (जुलाई 2019) कि लाभ और हानि खाते में निर्धारिती द्वारा दर्शाई गई कुल बिक्री ₹ 4,035.81 करोड़ थी, जबकि उत्तर प्रदेश राज्य आबकारी विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से पता चला कि निर्धारिती द्वारा घोषित बिक्री ₹ 5,414.17 करोड़ थी, जिसके परिणामस्वरूप लाभ और हानि खाते में ₹ 1,378.36 करोड़ (₹ 5,414.17 करोड़ - ₹ 4,035.81 करोड़) **(अनुलग्नक बी-1)** की बिक्री कम दर्शाई गई। निर्धारण वर्ष 2011-12 से 2013-14 में आयकर विभाग द्वारा ₹ 1,378.36 करोड़ की कम घोषित बिक्री का संज्ञान न लेने के

परिणाम स्वरूप ₹ 1,378.36 करोड़ आय की कम गणना हुई, जिसमें अधिनियम की धारा 234ए और 234बी के अंतर्गत देय ब्याज को छोड़कर ₹ 448.10 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था।

उत्तर में (जनवरी, 2022) पीसीसीआईटी (सीसीए) लखनऊ ने कहा कि निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए धारा 148 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया है। हालांकि, निर्धारण वर्ष 2011-12 और 2012-13 के संबंध में उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर दिल्ली द्वारा निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए मैसर्स डब्ल्यू1 लिमिटेड द्वारा मैसर्स यू3 लिमिटेड ब्रांड के सम्बन्ध में की गई बिक्री ₹ 156.56 करोड़ को जोड़ते हुए ₹ 187.46 करोड़ की आय पर धारा 147 के अंतर्गत आदेश (मार्च 2022) पारित किया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि मैसर्स ए2 लिमिटेड से संबंधित बिक्री का न तो निर्धारित आय में जोड़ा गया और न ही निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए आयकर अधिनियम की धारा 147 के अंतर्गत पारित निर्धारण आदेश में एनएएफएसी के निर्धारण अधिकारी द्वारा चर्चा की गई। इसके अलावा, एसीआईटी सर्कल-2 बरेली ने पुनर्निर्धारण आदेश में मैसर्स ए2 लिमिटेड से संबंधित बिक्री के संबंध में वृद्धि नहीं करने के आधार को उचित ठहराने के लिए विवरण प्रदान नहीं किया।

इस प्रकार, मैसर्स ए2 लिमिटेड ब्रांड की बिक्री को छोड़कर, केवल मैसर्स यू3 लिमिटेड ब्रांड की बिक्री को जोड़ने के कारणों का लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापित एवं सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

लेखापरीक्षा ने देखा कि अधिनियम की धारा 148 के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, मामलो को 10 वर्षों तक फिर से खोला जा सकता है। हालांकि, निर्धारण वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के मामले समयबद्ध तरीके से उपचारात्मक कार्रवाई करने में देरी के कारण कालातीत हो गए हैं। लेखापरीक्षा को सूचित करते हुए आयकर विभाग इन निर्धारितियों के आगामी वर्षों के विवरणों कि जांच संभावित राजस्व रिसाव को ध्यान में रखते हुए कर सकती है। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

(ख) मैसर्स डब्ल्यू1 लिमिटेड के तीन निर्धारण वर्षों 2014-15 से 2016-17 (निर्धारण वर्ष 2014-15 में संवीक्षा निर्धारण और निर्धारण वर्ष 2015-16 और 2016-17 में समरी निर्धारण) से संबंधित अभिलेखों की जांच (जुलाई 2019) से लेखापरीक्षा में देखा गया कि निर्धारिती ने अपने लाभ और हानि खाते में ₹ 9,026.22 करोड़ की बिक्री के बजाय ₹ 5,874.73 करोड़ की सकल बिक्री प्रदर्शित की, जैसा कि अधिनियम की धारा 206सी के अंतर्गत फार्म 3सीडी के क्रम संख्या 34(ए) पर लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित किया गया था और साथ ही निर्धारिती द्वारा सीपीसी टीडीएस वैशाली, गाजियाबाद को भी सूचित किया गया था, जिससे ₹ 3,151.49 करोड़ (₹ 9,026.22 करोड़ - ₹ 5,874.73 करोड़) की कम बिक्री बताई गई (**अनुलग्नक बी-2**)। इसके अलावा, राज्य आबकारी विभाग ने भी पुष्टि की थी कि मैसर्स यू3 लिमिटेड ब्रांड से संबंधित मैसर्स डब्ल्यू1 लिमिटेड द्वारा की गई बिक्री ₹ 2,977.00 करोड़ (₹ 907.68 करोड़ + ₹ 974.91 करोड़ + ₹ 1,094.41 करोड़) थी और लेखापरीक्षा ने देखा कि मैसर्स डब्ल्यू1 लिमिटेड द्वारा इसे अपने लाभ और हानि खाते में दर्ज नहीं किया गया। निर्धारण वर्ष 2014-15 से 2016-17 में आयकर विभाग द्वारा ₹ 3,151.49 करोड़ की कम घोषित बिक्री जिसमें मैसर्स यू3 लिमिटेड ब्रांड की ₹ 2,977.00 करोड़ की बिक्री सम्मिलित थी, का संज्ञान न लेने के परिणाम स्वरूप ₹ 3,151.49 करोड़ आय की कम गणना हुई जिसमें अधिनियम की धारा 234ए और 234बी के अंतर्गत देय ब्याज को छोड़कर ₹ 1,078.46 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मैसर्स यू3 लिमिटेड ब्रांड से संबंधित लेन-देन मैसर्स डब्ल्यू1 लिमिटेड के निर्धारण अधिकारी द्वारा मैसर्स यू3 लिमिटेड के क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी के साथ साझा और सत्यापित नहीं किया गया। इसी तरह इसे मैसर्स यू3 लिमिटेड के निर्धारण अधिकारी द्वारा भी मैसर्स डब्ल्यू1 लिमिटेड के निर्धारण अधिकारी के साथ साझा और सत्यापित नहीं किया गया।

उत्तर में (जनवरी 2022), पीसीसीआईटी (सीसीए) लखनऊ ने इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि निर्धारिती द्वारा अपनाये गई पद्धयती के परिणामस्वरूप आय का टर्नओवर कमतर हुआ है, संबंधित वर्षों के लिए धारा 148 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने तीन निर्धारण वर्षों 2014-15, 2015-16 और 2016-17 में क्रमशः ₹ 256.81 करोड़, ₹ 264.88 करोड़ और ₹ 253.21 करोड़ की आय पर आयकर अधिनियम की धारा 147 सपठित धारा 144बी के अंतर्गत आदेश (मार्च 2022) पारित करके उपचारात्मक कार्यवाही की। संबंधित निर्धारण वर्षों में मैसर्स यू3 लिमिटेड ब्रांड की बिक्री में क्रमशः ₹ 223.83 करोड़, ₹ 217.73 करोड़ और ₹ 214.58 करोड़ जोड़े गए।

किये गये पुनर्निर्धारण से लेखापरीक्षा ने निष्कर्ष निकाला कि यद्यपि लेखापरीक्षा के इंगित करने पर उपचारात्मक कार्यवाही की गई थी लेकिन आय में जोड़ आयकर अधिनियम की धारा 28 के साथ पठित धारा 37 के अंतर्गत किया गया न कि धारा 68/69 सी के अंतर्गत जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया गया था, जिसके कारण मैसर्स यू3 लिमिटेड ब्रांड की बिक्री जो पहले लाभ और हानि खातों में नहीं ली गई थी, को कम करके आय की कम गणना की गई। इसके अलावा, मैसर्स यू3 लिमिटेड के ब्रांड के लिए भुगतान किए गए राज्य आबकारी शुल्क के लिए मैसर्स डब्लू1 लिमिटेड द्वारा किए गए खर्च, जिन्हें बही-खातो से बाहर रखा गया, को पुनर्निर्धारण आदेश में जोड़ने के लिए विचार नहीं किया गया।

(ग) निर्धारण वर्ष 2017-18 से संबंधित मैसर्स डब्लू1 लिमिटेड के संवीक्षा अभिलेखों की जांच में लेखापरीक्षा ने देखा (जुलाई 2019) कि निर्धारिती द्वारा अपने लाभ और हानि खाते में घोषित बिक्री ₹ 2,245.46 करोड़ थी, अधिनियम की धारा 206 सी के अंतर्गत प्रपत्र 3सीडी के क्रम संख्या 34ए में लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित बिक्री ₹ 2,307.10 करोड़ थी और निर्धारिती द्वारा सीपीसी (टीडीएस) को घोषित बिक्री ₹ 2,797.17 करोड़ थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारिती ने बिक्री ₹ 551.71 करोड़ (₹ 2,797.17 करोड़ - ₹ 2,245.46 करोड़) कम बताई थी (**अनुलग्नक बी-3**)। निर्धारण वर्ष 2017-18 में आयकर विभाग द्वारा ₹ 551.71 करोड़ की कम घोषित बिक्री का संज्ञान न लेने के परिणाम स्वरूप ₹ 551.71 करोड़ आय की कम गणना हुई, जिसमें आयकर अधिनियम की धारा 234ए और 234बी के अंतर्गत देय ब्याज को छोड़कर ₹ 190.94 करोड़

का कर प्रभाव शामिल था। अगर आयकर अधिनियम की धारा 68/69सी का प्रावधान लागू होता, तो कर प्रभाव/परिणाम अधिक होता¹⁴।

उत्तर में (जनवरी 2022), पीसीसीआईटी (सीसीए) लखनऊ ने इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि निर्धारिती द्वारा अपनायी गई पद्धती के परिणामस्वरूप आय का टर्नओवर कमतर हुआ है, संबंधित वर्ष के लिए धारा 148 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एनएएफएसी के निर्धारण अधिकारी नें निर्धारण वर्ष 2017-18 में उपचारात्मक कार्रवाई करते हुए आयकर अधिनियम की धारा 147 सपठित धारा 144बी के अंतर्गत मैसर्स यू3 लिमिटेड के ब्रांड से सम्बन्धित बिक्री ₹ 89.05 करोड़ को जोड़कर ₹ 127.19 करोड़ की आय पर आदेश पारित किया (मार्च 2022)।

किये गये पुनर्निर्धारण से लेखापरीक्षा ने निष्कर्ष निकाला कि यद्यपि लेखापरीक्षा के इंगित करने पर उपचारात्मक कार्यवाही की गई थी लेकिन आय में जोड़, आयकर अधिनियम की धारा 28 सपठित धारा 37 के अंतर्गत किया गया था। जबकि, मैसर्स यू3 लिमिटेड ब्रांड के लिए भुगतान किए गए राज्य आबकारी शुल्क के लिए मैसर्स डब्लू1 लिमिटेड द्वारा किए गए खर्च, जिन्हें बहीखातों से बाहर रखा गया, को पुनर्निर्धारण आदेश में जोड़ने के लिए विचार नहीं किया गया।

(घ) मैसर्स डब्लू1 लिमिटेड से संबंधित यूपी राज्य आबकारी विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी और निर्धारण वर्ष 2018-19 के संक्षिप्त अभिलेख की जांच से पता चला (सितम्बर 2021) कि निर्धारिती ने उत्तर प्रदेश राज्य आबकारी विभाग के अनुसार मैसर्स यू3 लिमिटेड के ब्रांड का ₹ 1,594.03 करोड़ (बिक्री ₹ 697.05 करोड़ + आबकारी शुल्क ₹ 896.98 करोड़) का लेनदेन किया था, जो निर्धारिती के लाभ और हानि खातों में शामिल नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1,594.03 करोड़ आय कम घोषित हुई। निर्धारण वर्ष 2018-19 में आयकर विभाग द्वारा ₹ 1,594.03 करोड़ की कम घोषित बिक्री का संज्ञान न लेने के परिणाम स्वरूप अधिनियम की धारा 234ए और 234बी के अंतर्गत

¹⁴ धारा 68/69 सी के तहत कर प्रभाव की संभावित राशि ₹ 426.19 करोड़ (लगभग) बनती है।

देय ब्याज को छोड़कर ₹ 551.66 करोड़ कर की कम गणना हुई। अगर आयकर अधिनियम की धारा 68/69सी का प्रावधान लागू होता, तो कर संघात/प्रभाव अधिक होता¹⁵।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मैसर्स यू3 लिमिटेड ब्रांड से संबंधित लेन-देन मैसर्स डब्लू1 लिमिटेड के निर्धारण अधिकारी एसीआईटी सर्कल-2 बरेली द्वारा मैसर्स यू3 लिमिटेड के क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी डीसीआईटी सर्कल 7(1)(1) बेंगलोर, के साथ साझा और सत्यापित नहीं किए गए थे। इसके विपरीत इन विवरणों को मैसर्स यू3 लिमिटेड के निर्धारण अधिकारी डीसीआईटी सर्कल 7(1)(1) बेंगलोर द्वारा मैसर्स डब्लू1 लिमिटेड के निर्धारण अधिकारी एसीआईटी सर्कल-2 बरेली को साझा करने और सत्यापित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया।

पीसीसीआईटी (सीसीए) लखनऊ ने अपने उत्तर में कहा (जनवरी 2022) कि आवश्यक कार्यवाही संबंधित निर्धारण अधिकारी द्वारा विचाराधीन है। विभाग द्वारा की गई आगे की कार्यवाही प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

लेखापरीक्षा ने निर्धारण वर्ष 2014-15 से 2017-18 के लिए मैसर्स यू3 लिमिटेड के अभिलेखों को फिर से प्रति सत्यापित किया और देखा कि मैसर्स यू3 लिमिटेड ने स्वयं को अनुबंध निर्माण इकाइयों (सीएमयू) द्वारा प्रदान की गई जानकारी अर्थात् अलेखापरीक्षित आंकड़ों के आधार पर घोषित आय तक सीमित कर दिया है। मैसर्स यू3 लिमिटेड के खाते इसके लाभ और हानि खाता में विभिन्न सीएमयू से प्राप्त निवल आय का विभाजन प्रदान नहीं करते हैं। इसलिए, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि मैसर्स यू3 लिमिटेड के लाभ और हानि खातों में मैसर्स डब्लू1 लिमिटेड द्वारा किये निर्माण से प्राप्त कोई आय, यहाँ तक कि अलेखापरीक्षित आंकड़ों के आधार पर, शामिल की गई या नहीं। अनुबंध की आड़ में मदिरा/बीयर की बिक्री आय को मैसर्स डब्लू1 लिमिटेड या मैसर्स यू3 लिमिटेड दोनों के खातों में कर आरोपण के लिए शामिल नहीं किए जाने की संभावना अत्यधिक थी और करावंचन के जोखिम से इंकार नहीं किया जा सकता।

¹⁵ धारा 68/69सी के तहत कर प्रभाव की संभावित राशि ₹ 1,231.39 करोड़ (लगभग) बनती है

(ड) लेखापरीक्षा ने (जुलाई 2019 और सितंबर 2021) उत्तर प्रदेश राज्य आबकारी विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी के साथ मैसर्स डब्ल्यू1 लिमिटेड के पांच निर्धारण वर्षों 2014-15 से 2018-19 (निर्धारण वर्ष 2014-15 और 2017-18 में संवीक्षा निर्धारण और निर्धारण वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2018-19 में समरी निर्धारण) के निर्धारण अभिलेखों की जांच की और देखा कि निर्धारिती ने मैसर्स ए2 लिमिटेड ब्रांड के अंतर्गत ₹ 911.66 करोड़ के आबकारी शुल्क सहित ₹ 1,219.49 करोड़ की आईएमएफएल बेची थी, जैसा कि उत्तर प्रदेश राज्य आबकारी विभाग द्वारा प्रदान किया गया था, लेकिन इसे निर्धारिती के लाभ और हानि खातों में शामिल नहीं किया गया (**अनुलग्नक बी-4**), इसके परिणामस्वरूप ₹ 1,219.49 करोड़ की बिक्री कम घोषित हुई। निर्धारण वर्ष 2014-15 से 2018-19 में आयकर विभाग द्वारा ₹ 1,219.49 करोड़ की कम घोषित बिक्री का संज्ञान न लेने के परिणामस्वरूप आयकर अधिनियम की धारा 234ए और 234बी के अंतर्गत देय ब्याज को छोड़कर ₹ 419.61 करोड़ के कर की कम गणना हुई। अगर आयकर अधिनियम की धारा 68/69सी का प्रावधान लागू होता, तो कर संघात/प्रभाव अधिक होता¹⁶।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मैसर्स ए2 लिमिटेड ब्रांड से संबंधित लेन-देन मैसर्स डब्ल्यू1 लिमिटेड के निर्धारण अधिकारी एसीआईटी सर्कल-2 बरेली द्वारा मैसर्स ए2 लिमिटेड के क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी के साथ साझा और सत्यापित नहीं किया गया। इसी तरह इसे मैसर्स ए2 लिमिटेड के निर्धारण अधिकारी द्वारा भी मैसर्स डब्ल्यू1 लिमिटेड के निर्धारण अधिकारी एसीआईटी सर्कल-2 बरेली के साथ साझा और सत्यापित नहीं किया गया।

उत्तर में (जनवरी 2022), पीसीसीआईटी (सीसीए) लखनऊ ने उल्लेख किया कि निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए सभी लेखापरीक्षा आपत्तियां एनईएसी को भेजी जाएंगी जहां से फेसलेस तरीके से निर्धारण किया जाना है और वहां आयकर अधिनियम की धारा 143(3)/147 के अंतर्गत कार्यवाही के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए सभी विषयों की पुनः जांच की जा सकती है। निर्धारण वर्ष 2015-16 से 2018-19 से संबंधित आपत्तियों के संबंध में लेखापरीक्षा को कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। विभाग द्वारा की गई आगे की कार्यवाही का विवरण और मंत्रालय का उत्तर लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

¹⁶ धारा 68/69सी के तहत कर प्रभाव की संभावित राशि ₹ 639.67 करोड़ (लगभग) बनती है।

लेखापरीक्षा ने देखा की एनएएफएसी के एक निर्धारण अधिकारी द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 147 सपठित धारा 144 बी के अंतर्गत निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए मैसर्स यू3 लिमिटेड ब्रांड की बिक्री से सम्बंधित ₹ 223.83 करोड़ जोड़ते हुए ₹ 256.81 करोड़ की आय का आदेश पारित किया (मार्च 2022) हालांकि निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए आयकर अधिनियम की धारा 147 के अंतर्गत पारित निर्धारण आदेश में निर्धारण अधिकारी द्वारा मैसर्स ए2 लिमिटेड से सम्बंधित बिक्री को न तो निर्धारित आय में जोड़ा गया और न ही किसी विवरण का उल्लेख किया गया। इसके अतिरिक्त, एसीआईटी सर्कल-2 बरेली ने पुनर्निर्धारण आदेश में मैसर्स ए2 लिमिटेड से संबंधित बिक्री को सम्बंधित आय में वृद्धि न करने के किसी कारण या सहायक साक्ष्य को प्रदान नहीं किया।

इस प्रकार, लेखापरीक्षा में मैसर्स ए2 लिमिटेड ब्रांड की बिक्री को छोड़कर केवल मैसर्स यू3 लिमिटेड ब्रांड से सम्बंधित बिक्री को जोड़े जाने के कारणों को सत्यापित एवं सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

विभाग द्वारा की गई आगे की कार्यवाही का विवरण और मंत्रालय का उत्तर लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

2.3.1.2 पीसीआईटी-1, कानपुर- मैसर्स यू1 लिमिटेड

निर्धारण वर्ष 2009-10 से 2018-19 तक मैसर्स यू1 लिमिटेड के संबंध में लेखापरीक्षा ने अभिलेख मांगे (जून 2019 और सितंबर 2021)।

अभिलेखों को प्रस्तुत न किया जाना/उपलब्ध न होना:

जुलाई 2014 में एक तलाशी हुई थी परन्तु लेखापरीक्षा को मूल्यांकन रिपोर्ट प्रदान नहीं की गई, और ड्राफ्ट मूल्यांकन रिपोर्ट का केवल सार प्रदान किया गया। निर्धारिती और अन्य के बीच मदिरा/बीयर के निर्माण के लिए अनुबंधों की प्रतिलिपि/संदर्भ मामले के अभिलेखों अथवा ड्राफ्ट मूल्यांकन रिपोर्ट के सार में उपलब्ध नहीं था। तुलन-पत्र की अनुसूची में विविध देनदारों/लेनदारों/अग्रिमों/अन्य देनदारियों की सूची उपलब्ध नहीं थी और उनकी पुष्टि भी संवीक्षा निर्धारण रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं थी। इसलिए, लेखापरीक्षा ने निर्धारण वर्ष 2009-10 से 2018-19 के लिए मैसर्स यू1 लिमिटेड के शीर्ष पांच विविध देनदारों/लेनदारों/

अग्रिमों/अन्य देनदारियों के विवरणों की मांग की जो लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किये गये। विभाग ने मैसर्स यू2 लिमिटेड के लाभ और हानि खाते में प्रदर्शित 'टाई-अप एग्रीमेंट्स' के अंतर्गत बिक्री के आंकड़ों का विभाजन प्रदान नहीं किया। राज्य आबकारी विभाग में जमा आबकारी शुल्क और तत्संबंधी बिक्री संवीक्षा निर्धारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थी।

(I) अवलोकन: लेखापरीक्षा ने दस निर्धारण वर्षों की अवधि हेतु अर्थात् निर्धारण वर्ष 2009-10 से 2018-19 तक की अवधि की नमूना जाँच के दौरान संक्षिप्त/संवीक्षा निर्धारण के विवरणों को नोट किया, जैसा कि नीचे दी गई तालिका-2.1.2 में वर्णित है:

तालिका 2.1.2- मैसर्स यू1 लिमिटेड								
								(₹ करोड़ में)
निर्धारण वर्ष	व्यावसायिक गतिविधि कोड	धारा के अंतर्गत निर्धारित/ पारित	निर्धारण आदेश की तिथि	पी/एल में बिक्री/ सकल प्राप्तियां	पी/एल में डेबिट किया गया आबकारी शुल्क	आबकारी विभाग में जमा आबकारी शुल्क	घोषित आय/ हानि	निर्धारित आय/हानि
2009-10	0124	153ए ¹⁷	30.12.2016	444.73	331.54	316.70	(-).04	(-).04
2010-11	0124/0204	153ए	30.12.2016	380.50	290.66	301.60	1.75	1.75
2011-12	0124/0204	153ए	30.12.2016	384.80	306.30	405.57	0	0
2012-13	0124	153ए	30.12.2016	435.56	355.73	497.54	0	0
2013-14	0124	153ए	30.12.2016	568.88	469.49	691.81	1.12	1.12
2014-15	0124	153ए	30.12.2016	590.93	490.06	749.62	1.05	1.05
2015-16	0124	143(3)	30.12.2016	595.12	501.08	785.87	0.01	0.01
2016-17	0124	143(1)	07.12.2016	662.19	572.90	777.78	-4.30	-4.30
2017-18	0124	143(1)	लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित	606.10	530.28	563.56	0	लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित
2018-19	04017	143(1)	लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित	405.21	353.61	350.18	लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित	लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित

¹⁷ आईटी अधिनियम की धारा 153ए में प्रावधान है कि निर्धारण अधिकारी तलाशी के वर्ष से ठीक पहले छः निर्धारण वर्षों के लिए खोजे गए व्यक्ति का निर्धारण कर सकता है। सर्वेक्षण सहित तलाशी और जब्ती मुख्य साक्ष्य संग्रहण तंत्रों में से हैं जिनका उपयोग उन मामलों में किया जाता है जहां कर चोरी के बारे में विश्वसनीय जानकारी आईटीडी के कब्जे में है। इन मामलों की बारीकी से जांच की जाती है जिससे कि सही आकलन किया जा सके ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि करों की कोई चोरी नहीं हुई है।

(क) 09.07.2014 को टी1 समूह के मामलों में आयकर अधिनियम की धारा 132¹⁸ के अंतर्गत तलाशी और जब्ती अभियान चलाया गया। इसके साथ ही मैसर्स यू1 लिमिटेड के व्यवसाय/आवासीय परिसर में भी तलाशी और जब्ती अभियान चलाया गया। धारा 132 के अन्तर्गत प्राधिकरण के वारंट उपर्युक्त निर्धारिती कंपनी के नाम पर जारी किए गए जिन्हें विधिवत निष्पादित किया गया था। इस मामले को केन्द्रीय सर्कल कानपुर में केंद्रीकृत किया गया था और तदनुसार निर्धारण किया गया। तत्पश्चात् निर्धारण वर्ष 2009-10 से 2015-16 के प्रकरणों को संवीक्षा निर्धारण हेतु चयनित किया गया।

(ख) तलाशी मामलों के संबंध में छः निर्धारण वर्षों 2009-10 से 2014-15 का धारा 153ए के अंतर्गत और निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण पूरा किया गया। निर्धारण वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लिए संक्षिप्त निर्धारण धारा 143(1) के अंतर्गत संसाधित किया गया।

(ग) तलाशी और जब्ती कार्यवाही के बावजूद निर्धारण वर्ष 2009-10 से 2015-16 के लिए दर्शाई गई आय में कोई वृद्धि किए बिना निर्धारण पूरा किया गया।

(II) निर्धारण का लेखापरीक्षा विश्लेषण:

मैसर्स यू1 लिमिटेड से संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच (नवंबर 2020 और नवंबर 2021) से पता चला कि निर्धारिती मदिरा के कारोबार में लगा हुआ और राज्य आबकारी अनुज्ञापनों के नियमों और शर्तों के अनुसार मादक उत्पादों का निर्माण, बॉटलिंग और बिक्री कर रहा था। मूल्यांकन रिपोर्ट के अभाव में, लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि निर्धारण कार्यवाही के दौरान तलाशी के उद्देश्य और परिणाम का समुचित संज्ञान लिया गया क्योंकि निर्धारण पूरा करने के दौरान घोषित आय में कोई वृद्धि नहीं की गई। लेखापरीक्षा ने उत्तर प्रदेश राज्य आबकारी विभाग से मैसर्स यू1 लिमिटेड द्वारा की गई बिक्री, भुगतान किए गए आबकारी शुल्क, प्रदान किए गए कार्यकारी अनुज्ञापन और किए गए अनुबंधों का विवरण एकत्र किया। लेखापरीक्षा ने देखा कि मैसर्स यू1

¹⁸ आईटी अधिनियम की धारा 132 प्रदान करता है कि तलाशी के लिए प्राधिकृत किसी भी भवन, स्थान, जहाज, वाहन या विमान के प्रभारी या उसमें मौजूद कोई भी व्यक्ति प्राधिकृत अधिकारियों को वहां प्रवेश करने की अनुमति देगा और उसमें तलाशी के लिए सभी उचित सुविधाएं प्रदान करेगा।

लिमिटेड को मदिरा के निर्माण के लिए पीडी-2, बॉटलिंग के लिए एफएल-3 और बिक्री के लिए एफएल-1 जैसे विभिन्न अनुज्ञापन दिए गए थे। मैसर्स यू2 लिमिटेड को मैसर्स यू1 लिमिटेड के परिसर में मदिरा/बीयर प्राप्त करके और मैसर्स यू2 लिमिटेड का ब्रांड लेबल लगाकर लीज पर मैसर्स यू1 लिमिटेड के बॉटलिंग विशेषाधिकार के लिए एफएल-3ए अनुज्ञापन प्रदान किया गया था और एफएल-3ए के अंतर्गत बोतलबंद वस्तुओं की बिक्री के लिए एफएल-1ए अनुज्ञापन प्रदान किया गया। मैसर्स यू1 लिमिटेड और मैसर्स यू2 लिमिटेड के बीच व्यवस्था को **अनुलग्नक-III** में दिए गए फ्लो चार्ट के रूप में समझाया गया है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- (i) यद्यपि मैसर्स यू1 लिमिटेड ने 'भारतीय निर्मित विदेशी मदिरा (आईएमएफएल)' बेची और राज्य आबकारी शुल्क का भुगतान किया, लेकिन ये लेनदेन उसके लाभ और हानि खाते में प्रदर्शित नहीं किए गए। केवल देशी मदिरा की बिक्री को इसके लाभ और हानि खाते में प्रदर्शित और शामिल किया गया।
- (ii) लेखापरीक्षा ने उत्तर प्रदेश राज्य आबकारी विभाग से दिनांक 16.09.2009 के समझौते की एक प्रति प्राप्त की और पाया कि मैसर्स यू1 लिमिटेड और मैसर्स यू2 लिमिटेड के बीच दिनांक 30.06.2016 तक "बॉटलिंग विशेषाधिकार का कार्यभार" अनुबंध था जिसमें मैसर्स यू2 लिमिटेड बॉटलिंग कार्यभार के लिए मैसर्स यू1 लिमिटेड से संपर्क किया। यद्यपि, लेखापरीक्षा ने देखा कि अनुबंध में ऐसी बोतलबंद आईएमएफएल के लेखांकन और बिक्री के लिए विशिष्ट शर्तें नहीं थीं। लेखापरीक्षा ने पाया कि उक्त अनुबंध मैसर्स यू1 लिमिटेड के निर्धारण अभिलेखों में नहीं था। इसके अतिरिक्त निर्धारण की कार्यवाही के दौरान अनुबंध का कोई संदर्भ नहीं दिया गया। लेखापरीक्षा को स्थिति की पुष्टि करते हुए, एसीआईटी 2(1)(1) कानपुर ने लेखापरीक्षा को सूचित किया कि वित्त वर्ष 2008-09 से 2017-18 से संबंधित निर्धारण अभिलेख के अनुसार मैसर्स यू1 लिमिटेड द्वारा मैसर्स यू2 लिमिटेड और अन्य पक्षों के साथ किए गए अनुबंधों की कोई प्रति उपलब्ध नहीं है।

लेखापरीक्षा ने उत्तर प्रदेश राज्य आबकारी विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी के साथ मैसर्स यू1 लिमिटेड से संबंधित सात निर्धारण वर्षों 2010-11 से 2016-17 (निर्धारण वर्ष 2010-11 से 2015-16 में संवीक्षा निर्धारण और

निर्धारण वर्ष 2016-17 में संक्षिप्त निर्धारण) के निर्धारण अभिलेखों की जांच की (जून 2019) और पाया कि निर्धारिती ने जैसा कि उत्तर प्रदेश राज्य आबकारी विभाग द्वारा प्रदान किया गया, ₹ 3,082.65 करोड़ (निवल बिक्री ₹ 1,865.75 करोड़ + आबकारी शुल्क ₹ 1,216.90 करोड़) (अनुलग्नक-सी) की मैसर्स यू2 लिमिटेड ब्रांड के आईएमएफएल का निर्माण और बिक्री की थी जिसे निर्धारिती के लाभ और हानि खातों में शामिल नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3,082.65 करोड़ आय कम घोषित हुई। निर्धारण वर्ष 2010-11 से 2016-17 में आयकर विभाग द्वारा ₹ 3,082.65 करोड़ की कम घोषित बिक्री का संज्ञान न लेने के परिणामस्वरूप आयकर अधिनियम की धारा 234ए और 234बी के अंतर्गत देय ब्याज को छोड़कर ₹ 1,020.53 करोड़ के कर की कम गणना हुई।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने निर्धारण वर्ष 2014-15 से 2016-17 के लिए मैसर्स यू2 लिमिटेड के अभिलेखों यथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, तुलन-पत्र और लाभ और हानि खाते का प्रतिसत्यापन किया। लेखापरीक्षा ने देखा कि मैसर्स यू2 लिमिटेड के सांविधिक लेखापरीक्षक ने "वित्तीय विवरणों के लिए नोट" में 'टाई-अप अनुबंधों के अंतर्गत विनिर्माताओं द्वारा बिक्री से उत्पन्न होने वाली आय' को टाई-अप इकाइयों/व्यवस्थाओं द्वारा दी गई सूचना (अलेखापरीक्षित आंकड़े) के आधार पर प्रमाणित किया। मैसर्स यू2 लिमिटेड के लाभ और हानि खाते में प्रदर्शित विभिन्न टाई अप इकाइयों/व्यवस्थाओं की निवल आय के विभाजन का विवरण लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं किया गया। इसलिए सम्पूर्ण निर्मित, बिक्रित और संबंधित व्यय को मैसर्स यू1 लिमिटेड के खातों से बाहर रखा गया। दूसरी ओर लेखापरीक्षा को यह भी आश्वासन नहीं मिल सका कि मैसर्स यू2 लिमिटेड के लाभ और हानि खातों में टाई-अप अनुबंधों (टाई-अप इकाइयों) के अंतर्गत निर्माताओं द्वारा की गई बिक्री से उत्पन्न होने वाली आय में मैसर्स यू1 लिमिटेड (यानि मैसर्स यू2 लिमिटेड का ब्रांड) द्वारा निर्मित आईएमएफएल की बिक्री शामिल है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मैसर्स यू2 लिमिटेड ब्रांड से संबंधित लेन-देन के विवरण मैसर्स यू1 लिमिटेड के निर्धारण अधिकारी, डीसीआईटी सीसी-1 कानपुर, द्वारा

मैसर्स यू2 लिमिटेड के क्षेत्राधिकार अधिकारी, जेसीआईटी स्पेशल रेंज-7 बेंगलुरु, के साथ साझा और सत्यापित नहीं किए गए।

ऐसा प्रतीत होता है कि मैसर्स यू2 लिमिटेड के क्षेत्राधिकार अधिकारी, जेसीआईटी स्पेशल रेंज-7 बेंगलुरु, द्वारा मैसर्स यू1 लिमिटेड के निर्धारण अधिकारी, डीसीआईटी सीसी-1 कानपुर, के साथ विवरणों को साझा करने और सत्यापित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया।

उत्तर में (मई 2022), पीसीसीआईटी (सीसीए) कानपुर ने कहा की निर्धारण वर्ष 2013-14 से 2017-18 के लिए अधिनियम की धारा 148 के अंतर्गत नोटिस जारी की गई है। निर्धारण वर्ष 2009-10 से 2012-13 से संबंधित मामलों में लेखापरीक्षा आपत्ति उठाने के समय ही उपचारात्मक कार्यवाही करने की सीमा समाप्त हो गई।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

2.3.1.3 पीसीआईटी-1, लखनऊ- मैसर्स एम1 लिमिटेड

निर्धारण वर्ष 2009-10 से 2018-19 तक मैसर्स एम1 लिमिटेड के संबंध में लेखापरीक्षा ने अभिलेख मांगे (मई 2019 और सितंबर 2021)।

अभिलेखों को प्रस्तुत न किया जाना/उपलब्ध न होना:

निर्धारिती और अन्य पक्षकारों के बीच मदिरा/बीयर के निर्माण के लिए अनुबंध(ओं) की प्रतिलिपि/संदर्भित मामले के अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थी। तुलन-पत्र की अनुसूची में विविध देनदारों/लेनदारों/अग्रिमों/अन्य देनदारियों की सूची उपलब्ध नहीं थी और उनकी पुष्टि किये जाने के समर्थन में कोई दस्तावेज संवीक्षा निर्धारण में उपलब्ध नहीं थे। इसलिए लेखापरीक्षा ने निर्धारण वर्ष 2009-10 से 2018-19 के लिए मैसर्स एम1 लिमिटेड के शीर्ष पांच विविध देनदारों/लेनदारों/अग्रिमों/अन्य देनदारियों के विवरण माँगे जो लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए। राज्य के आबकारी विभाग में जमा किये गए आबकारी शुल्क तथा तत्संबंधी बिक्री के विवरण संवीक्षा निर्धारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे।

(I) **अवलोकन:** लेखापरीक्षा ने नमूना चयन की अवधि दस निर्धारण वर्षों अर्थात् निर्धारण वर्ष 2009-10 से 2018-19 की नमूना जाँच के दौरान संक्षिप्त/संवीक्षा निर्धारण के विवरण को नोट किया, जैसा कि नीचे दी गई तालिका-2.1.3 में वर्णित है:

तालिका 2.1.3-मैसर्स एम1 लिमिटेड								
(₹ करोड़ में)								
निर्धारण वर्ष	व्यावसायिक गतिविधि कोड	धारा के अंतर्गत निर्धारित/ पारित	निर्धारण आदेश की तिथि	पी/एल में बिक्री/ सकल प्राप्तियां	पी/एल में डेबिट किया गया आबकारी शुल्क	आबकारी विभाग में जमा आबकारी शुल्क	घोषित आय/ हानि	निर्धारित आय/ हानि
2009-10	0124	143(1)	05.09.2010	4.34	0	उपलब्ध नहीं	-0.77	-0.77
2010-11	0124	143(1)	15.03.2011	4.26	0	उपलब्ध नहीं	0	0
2011-12	0124	143(1)	10.01.2012	2.53	0	उपलब्ध नहीं	-15.63	-15.63
2012-13	0124	143(3)	26.03.2015	1.02	0	उपलब्ध नहीं	-1.11	-0.94
2013-14	0124	143(3)	21.03.2016	1.00	0	उपलब्ध नहीं	-1.77	-0.58
2014-15	0124	143(3)	21.12.2016	67.33	34.35	34.35	-0.79	-0.69
2015-16	0124	143(1)	20.08.2016	76.50	40.87	40.87	-0.17	-0.17
2016-17	0124	143(1)	07.12.2016	14.41	0	उपलब्ध नहीं	-67.60	-67.60
2017-18	0124	143(1)	30.10.2018	45.36	8.18	उपलब्ध नहीं	-19.43	-19.43
2018-19	04017	143(1)	04.10.2019	236.30	120.78	661.35	-12.02	-12.02

(ए) धारा 143(3) के अंतर्गत संवीक्षा निर्धारण केवल तीन वर्षों अर्थात् निर्धारण वर्ष 2012-13 से 2014-15 में किया गया तथा शेष सात निर्धारण वर्षों 2009-10 से 2011-12 एवं 2015-16 से 2018-19 को धारा 143(1) के अंतर्गत संक्षिप्त निर्धारण के अंतर्गत पारित किया गया।

(बी) तीन निर्धारण वर्षों 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में घोषित हानि में क्रमशः ₹ 0.17 करोड़, ₹ 0.17 करोड़ और ₹ 0.10 करोड़ जोड़कर संवीक्षा निर्धारण पूरा किया गया।

(II) निर्धारण का लेखापरीक्षा विश्लेषण:

लेखापरीक्षा ने उत्तर प्रदेश राज्य आबकारी विभाग से मैसर्स एम1 लिमिटेड द्वारा की गई बिक्री, भुगतान किए गए आबकारी शुल्क, प्रदान किए गए कार्यशील अनुज्ञापन और किए गए अनुबंधों की विस्तृत जानकारी एकत्र की।

लेखापरीक्षा ने देखा कि मैसर्स एम1 लिमिटेड को विभिन्न अनुज्ञापन, जैसे बियर के निर्माण के लिए बी-1, बॉटलिंग के लिए एफएल-3 और बिक्री के लिए एफएल-1, प्रदान किए गए। मैसर्स सी1 प्राइवेट लिमिटेड को मैसर्स एम1 लिमिटेड के परिसर में मदिरा/बीयर प्राप्त करके और मैसर्स सी1 प्राइवेट लिमिटेड का ब्रांड लेबल लगाकर, पट्टे पर, मैसर्स एम1 लिमिटेड की बॉटलिंग विशेषाधिकार लेने के लिए एफएल-3ए अनुज्ञापन प्रदान किया गया। मैसर्स सी1 प्राइवेट लिमिटेड को एफएल-3ए के तहत बोटलबंद की गई वस्तुओं की बिक्री के लिए एफएल-1ए अनुज्ञापन भी प्रदान किया गया। मैसर्स एम1 लिमिटेड और मैसर्स सी1 लिमिटेड के बीच व्यवस्था को **अनुलग्नक-IV** में दिए गए फ्लो चार्ट के रूप में समझाया गया है।

इसके अलावा लेखापरीक्षा ने मैसर्स एम1 लिमिटेड द्वारा मैसर्स सी1 प्राइवेट लिमिटेड के साथ फरवरी 2015 में किये गये अनुबंध के साथ जुलाई 2015 में किये गये पूरक अनुबंध से देखा कि यह दस साल की अवधि के लिए वैध था। अनुबंध के अनुसार अनुबंधित यवासवक (मैसर्स एम1 लिमिटेड) आसन्न उत्पादन, ग्राहकों को बिक्री हेतु उत्पादों को भरने और पैकेजिंग, तैयार उत्पादों के प्रेषण, तैयार उत्पादों की ग्राहकों को बिक्री एवं तत्सम्बन्धी सभी प्रासंगिक और सहायक गतिविधियों के लिए जिम्मेदार था। आबकारी शुल्क, बॉटलिंग शुल्क, फ्रेंचाइजी शुल्क, लेबल पंजीकरण शुल्क और ब्रांड शुल्क अनुबंधित यवासवक द्वारा देय होगा। इसके अलावा ग्राहकों को सभी प्राप्तियों को सीधे मैसर्स सी 1 प्राइवेट लिमिटेड को भुगतान करने की सलाह देते हुए एक सुपाठ्य नोट के साथ अनुबंधित यवासवक को ग्राहकों को बीजक जारी करना था।

लेखापरीक्षा ने पाया (मई 2019 और नवम्बर 2021) कि मैसर्स एम1 लिमिटेड की कुल बिक्री को लाभ और हानि खातों में नहीं लिया गया था जैसा कि नीचे बताया गया है:

(ए) लेखापरीक्षा ने मैसर्स एम1 लिमिटेड के अभिलेखों की जांच की (मई 2019) और दो निर्धारण वर्षों 2016-17 और 2017-18 (निर्धारण वर्षों 2016-17 और 2017-18 में संक्षिप्त निर्धारण) में देखा कि निर्धारिती ने अपने लाभ और हानि खाते में ₹ 1,114.70 करोड़ जैसा कि अधिनियम की धारा 206 सी के अन्तर्गत फॉर्म 3 सीडी के क्रम संख्या 34(ए) पर लेखापरीक्षक द्वारा

प्रमाणित और निर्धारिती द्वारा सीपीसी (टीडीएस) वैशाली, गाजियाबाद को भी घोषित किया गया था, के बजाय ₹ 13.13 करोड़ की सकल बिक्री घोषित की थी, फलस्वरूप ₹ 1,101.57 करोड़ (₹ 1,114.70 करोड़ - ₹ 13.13 करोड़) की कम बिक्री घोषित हुई (अनुलग्नक-डी)। निर्धारण वर्ष 2016-17 और 2017-18 में आयकर विभाग द्वारा ₹ 1,101.57 करोड़ की कम घोषित बिक्री का संज्ञान न लेने के परिणामस्वरूप आयकर अधिनियम की धारा 234ए और 234बी के अंतर्गत देय ब्याज को छोड़कर ₹ 381.23 करोड़ के कर प्रभाव वाली आय की कम गणना हुई। अगर आयकर अधिनियम की धारा 68/69सी का प्रावधान लागू होता, तो कर संघात/प्रभाव अधिक होता¹⁹।

उत्तर में (जनवरी 2022) पीसीसीआईटी (सीसीए) लखनऊ ने लेखापरीक्षा अभियुक्ति को स्वीकार करते हुए कहा कि मामले में खातों की गहन जांच की आवश्यकता है क्योंकि निर्धारिती का मामला इनमें से किसी भी वर्षों में संवीक्षा निर्धारण के अधीन नहीं है। अंतिम उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

(बी) लेखापरीक्षा ने उत्तर प्रदेश राज्य आबकारी विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी के साथ निर्धारण वर्ष 2018-19 से संबंधित मैसर्स एम1 लिमिटेड के समरी अभिलेखों की जांच की (सितम्बर 2021) और पाया कि उत्तर प्रदेश राज्य आबकारी विभाग के द्वारा सूचित किया गया की निर्धारिती ने ₹ 1,201.48 करोड़ की बिक्री (जिसमें मैसर्स एम1 लिमिटेड की ₹ 194.26 करोड़ की बिक्री और मैसर्स सी1 प्राइवेट लिमिटेड की ₹ 1,007.22 करोड़ की बिक्री शामिल है) की थी। हालांकि लाभ और हानि खाते में निर्धारिती द्वारा घोषित की गई बिक्री केवल ₹ 194.26 करोड़ थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1,007.22 करोड़ (₹ 1,201.48 करोड़ - ₹ 194.26 करोड़) की कम आय घोषित हुई। निर्धारण वर्ष 2018-19 में आयकर विभाग द्वारा ₹ 1,007.22 करोड़ की कम घोषित बिक्री का संज्ञान न लेने के परिणामस्वरूप आयकर अधिनियम की धारा 234ए और 234बी के अंतर्गत देय ब्याज को छोड़कर ₹ 348.58 करोड़ कर की कम गणना हुई। अगर आयकर अधिनियम की धारा 68/69सी का प्रावधान लागू होता, तो कर संघात/प्रभाव अधिक होता²⁰।

¹⁹ धारा 68/69सी के तहत कर प्रभाव की संभावित राशि ₹ 736.46 करोड़ (लगभग) बनती है।

²⁰ धारा 68/69सी के तहत कर प्रभाव की संभावित राशि ₹ 778.08 करोड़ (लगभग) बनती है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि मैसर्स सी1 प्राइवेट लिमिटेड ब्रांड से संबंधित लेन-देन मैसर्स एम1 लिमिटेड के निर्धारण अधिकारी, डीसीआईटी वृत्त 4 लखनऊ, द्वारा मैसर्स सी1 प्राइवेट लिमिटेड के क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी, एसीआईटी वृत्त 4(2) दिल्ली, के साथ साझा और सत्यापित नहीं किए गए थे। ऐसा लगता है कि मैसर्स सी1 प्राइवेट लिमिटेड के निर्धारण अधिकारी, एसीआईटी वृत्त 4(2) दिल्ली, द्वारा मैसर्स एम1 लिमिटेड के निर्धारण अधिकारी डीसीआईटी वृत्त 4 लखनऊ के साथ साझा और सत्यापित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया।

पीसीसीआईटी (सीसीए) लखनऊ से उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

(सी) लेखापरीक्षा ने निर्धारण वर्ष 2018-19 से संबंधित मैसर्स एम1 लिमिटेड के समरी अभिलेख की जांच की (सितम्बर 2021) और देखा कि निर्धारिती ने अल्कोहल उत्पादों की बिक्री लाभ हानि खाते में ₹ 194.26 करोड़ तथा सीपीसी (टीडीएस) को ₹ 481.15 करोड़ घोषित की है। हालांकि ऑडिटर द्वारा फॉर्म-3सीडी में बिक्री को ₹ शून्य प्रमाणित किया गया था। इस प्रकार निर्धारिती ने निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए सीपीसी में त्रुटिपूर्ण रिटर्न दाखिल किया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि सनदी लेखाकार (सीए) ने भी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में फॉर्म-3सीडी की क्र.सं.34(ए) में अशुद्ध (शून्य) बिक्री प्रस्तुत की थी।

लेखापरीक्षा ने निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए मैसर्स सी1 प्राइवेट लिमिटेड के अभिलेखों को पुनः प्रतिसत्यापित किया और देखा कि मैसर्स सी1 प्राइवेट लिमिटेड ने अपने लाभ और हानि खाते में अनुबंध उत्पादन इकाइयों (सीएमयू) के लेनदेनों को सकल राजस्व, खरीद, आबकारी शुल्क और व्यय के रूप में यह मानते हुए मान्यता दी कि जैसे वे कंपनी के लेन देन थे केवल तब जब राजस्व की राशि विश्वसनीय रूप से मापी जा सके और यह संभव हो कि कंपनी को भविष्य में आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे और कंपनी की गतिविधियों के लिए विशिष्ट मानदंड पूरे किए गए हों। यद्यपि निर्धारण वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए मैसर्स सी1 प्राइवेट लिमिटेड के वित्तीय विवरण के “राजस्व मान्यता” में सीएमयू की आय का कोई उल्लेख नहीं था। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि मैसर्स एम1 लिमिटेड, मैसर्स सी1 प्राइवेट लिमिटेड का एकमात्र सीएमयू नहीं था। मैसर्स सी1 प्राइवेट लिमिटेड के विभिन्न सीएमयू से सकल बिक्री के विच्छेद/विभाजन की उपलब्धता के अभाव में, लेखापरीक्षा यह सत्यापित नहीं कर सका कि क्या मैसर्स सी1

प्राइवेट लिमिटेड की सकल बिक्री में मैसर्स एम1 लिमिटेड के अल्कोहलिक उत्पादों की बिक्री शामिल थी।

निर्धारण वर्ष 2016-17 के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि मैसर्स एम1 लिमिटेड के संबंध में सीपीसी (टीडीएस) को घोषित की गई बिक्री ₹ 268.51 करोड़ थी, जबकि लाभ और हानि खाते के साथ संलग्न खातों पर टिप्पणी में सीएमयू आय के विरुद्ध मैसर्स सी1 प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दी गई बिक्री केवल ₹ 196.27 करोड़ थी। लेखापरीक्षा मैसर्स सी1 प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कम घोषित बिक्री के कारणों को सुनिश्चित न ही कर सका, क्योंकि मैसर्स एम1 लिमिटेड की बिक्री स्वयं मैसर्स सी1 प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रिपोर्ट की गई कुल बिक्री से ₹ 72.24 करोड़ अधिक थी।

पीसीसीआईटी (सीसीए) लखनऊ से उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

2.3.1.4 निष्कर्ष:

दूसरों पक्षों के साथ निर्माण अनुबंध में सम्मिलित निर्धारितियों के मामलों की जांच करते समय लेखापरीक्षा ने विभिन्न अनियमितताओं/कमियों को देखा जैसे लाभ और हानि खातों में दी गई बिक्री, आबकारी शुल्क आदि फॉर्म-3सीडी के आंकड़ों के अनुरूप नहीं थे साथ ही साथ समरी स्तर पर सीपीसी (टीडीएस) में आयकर विभाग के पास और राज्य आबकारी प्राधिकारियों के पास उपलब्ध सूचना/आंकड़ों साथ सहसम्बद्ध नहीं किये गये थे, जिसके परिणामस्वरूप "आयकर अधिनियम में अध्याय IV "व्यवसाय या पेशे से लाभ और मुनाफ़ा" मद के अंतर्गत व्यावसायिक आय की त्रुटिपूर्ण गणना हुई।

लेखापरीक्षा ने देखा कि संवीक्षा निर्धारण अन्य ब्रांडों की बिक्री और आबकारी शुल्क के भुगतान की उचित जांच/सत्यापन के बिना तथा राज्य आबकारी शुल्क अधिकारियों के अभिलेखों के साथ या राज्य आबकारी शुल्क अधिकारियों को निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत विवरणियों के साथ बिना सत्यापन के पूरा किया गया था। इस तरह की अनियमितताओं में कर चोरी का उच्च जोखिम अंतर्निहित था जिसके लिए आगे विस्तृत जांच और अन्वेषण की आवश्यकता थी, जो संबंधित निर्धारण अधिकारियों द्वारा निर्धारण, विशेष रूप से संवीक्षा निर्धारण, करते समय नहीं किए गए थे।

आयकर विभाग आगामी निर्धारण वर्षों के लिए भी इन निर्धारितियों की विस्तार से जांच कर सकता है ताकि राजकोष में संभावित राजस्व रिसाव को रोका जा सके और प्रगति की सूचना लेखापरीक्षा को प्रस्तुत करे।

2.3.2 अन्तर्विभागीय, अन्तः विभागीय समन्वय और निर्धारिती के साथ मिलान की कमी

कर निर्धारण अधिकारी को कर का सही आरोपण और राजस्व रिसाव की सम्भावना को कम करने के लिए वांछित/सम्बन्धित दस्तावेज माँगने के बाद ही सही आय का निर्धारण करना होता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि संबंधित निर्धारण अधिकारी, अधिनियम की धारा 133(6) में परिकल्पित जानकारी माँगने की शक्ति का प्रयोग करने में विफल रहे जो अधिनियम के अंतर्गत किसी भी जांच या कार्यवाही के लिए उपयोगी या प्रासंगिक होती। संवीक्षा निर्धारण के दौरान संबंधित राज्य आबकारी प्राधिकारियों से बिक्री संबंधित जानकारी माँगने में विफलता, सरकारी खजाने में राजस्व हानि के उच्च जोखिम को इंगित करती है और समुचित अन्तर्विभागीय समन्वय की कमी को प्रदर्शित करती है।

आयकर विभाग (आईटीडी) के भीतर निर्धारण इकाइयों द्वारा जानकारी साझा करने का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया गया, जिससे सर्वोक्षा निर्धारण की गुणवत्ता प्रभावित हुई और इस प्रकार, राजस्व रिसाव की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों की अनुवर्ती प्रस्तारों में चर्चा की गई है।

2.3.2.1 पीसीआईटी-1, कानपुर- मैसर्स यू1 लिमिटेड

मैसर्स यू1 लिमिटेड से संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच (जून 2019 और नवम्बर 2021) से पता चला कि निर्धारिती मदिरा के कारोबार में लगा हुआ था और सम्बंधित राज्य के आबकारी अनुज्ञापनों के नियमों और शर्तों के अधीन मद्य उत्पादों का निर्माण, बॉटलिंग और बिक्री कर रहा था और लेखापरीक्षा ने मैसर्स यू1 लिमिटेड द्वारा देशी मदिरा के कम लेखांकन को भी देखा, जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

(ए) लेखापरीक्षा ने मैसर्स यू1 लिमिटेड के पांच निर्धारण वर्षों 2009-10 से 2013-14 (निर्धारण वर्षों 2009-10 से 2013-14 में सर्वीक्षा निर्धारण) से सम्बंधित निर्धारण अभिलेखों और उत्तर प्रदेश राज्य आबकारी विभाग द्वारा प्रदान की गयी जानकारी की जांच की (जून 2019) और देखा कि निर्धारिती ने उत्तर प्रदेश राज्य आबकारी विभाग के अभिलेखों के अनुसार ₹ 2,273.23 करोड़ की देशी मदिरा का निर्माण और बिक्री किया था जबकि निर्धारिती द्वारा अपने लाभ और हानि खाते में घोषित बिक्री ₹ 2,189.28 करोड़ थी (अनुलग्नक इ-1) इसके परिणामस्वरूप ₹ 83.95 करोड़ की बिक्री कम घोषित हुई। निर्धारण वर्ष 2009-10 से 2013-14 में आयकर विभाग द्वारा ₹ 83.95 करोड़ की कम घोषित बिक्री का संज्ञान न लेने के परिणाम स्वरूप अधिनियम की धारा 234ए और 234बी के अन्तर्गत देय ब्याज को छोड़कर ₹ 27.92 करोड़ कर की कम गणना हुई।

(बी) लेखापरीक्षा ने मैसर्स यू1 लिमिटेड के निर्धारण अभिलेखों की जाँच की (जून 2019 और सितम्बर 2021) और चार निर्धारण वर्षों 2015-16 से 2018-19 (निर्धारण वर्ष 2015-16 में संवीक्षा निर्धारण और निर्धारण वर्ष 2016-17 से 2018-19 में समरी निर्धारण) में देखा कि निर्धारिती ने अपने लाभ और हानि खाते में ₹ 2,302.36 करोड़ जैसा कि आयकर अधिनियम की धारा 206 सी के अंतर्गत फॉर्म-3सीडी के क्रमांक 34(ए) में लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित किया गया था, के बजाय ₹ 2,263.94 करोड़ की सकल बिक्री घोषित की थी, जिससे ₹ 38.42 करोड़ (₹ 2,302.36 करोड़ - ₹ 2,263.94 करोड़) की बिक्री कम घोषित रही (अनुलग्नक इ-2)। निर्धारण वर्ष 2015-16 से 2018-19 में आयकर विभाग द्वारा ₹ 38.42 करोड़ की कम घोषित बिक्री का संज्ञान न लेने के परिणाम स्वरूप अधिनियम की धारा 234ए और 234बी के अंतर्गत देय ब्याज को छोड़कर ₹ 13.29 करोड़ के कर प्रभाव वाली आय की कम गणना हुई। अगर आयकर अधिनियम की धारा 68/69सी का प्रावधान लागू होता, तो कर संघात/प्रभाव अधिक होता²¹।

²¹ धारा 68/69सी के अन्तर्गत कर प्रभाव की संभावित राशि ₹ 24.82 करोड़ (लगभग) बनती है।

उपरोक्त (ए) और (बी) के उत्तर (मई 2022) में पीसीसीआईटी (सीसीए) कानपुर ने कहा कि 2013-14 से 2017-18 के निर्धारण वर्षों के लिए अधिनियम की धारा 148 के अंतर्गत नोटिसे जारी की गयी हैं। निर्धारण वर्ष 2009-10 से 2012-13 के लिए मामले कालातीत हो गए हैं। इसके अतिरिक्त निर्धारण वर्ष 2018-19 के मामले के संबंध में संयुक्त आयकर आयुक्त (ओएसडी) वृत्त 2(1)(1) कानपुर ने कहा (जून 2022) कि लेखापरीक्षा द्वारा जारी अभियुक्ति स्वीकार्य प्रतीत होती है। तदनुसार, इस मामले में पुनर्निर्धारण कार्यवाही शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। विभाग द्वारा की गई आगे की कार्रवाई का विवरण प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

2.3.2.2 पीसीआईटी (केन्द्रीय)-3 नई दिल्ली - मैसर्स पी1 प्राइवेट लिमिटेड

निर्धारण वर्ष 2009-10 से 2018-19 तक मैसर्स पी1 प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में लेखापरीक्षा ने अभिलेख माँगे (सितंबर 2019)।

अभिलेखों को प्रस्तुत न किया जाना/उपलब्ध न होना:

आईसीएआई द्वारा जारी मार्गदर्शन नोट में निर्धारित कॉलम के बावजूद गैर-टीसीएस बिक्री का विवरण लेखापरीक्षा रिपोर्ट में नहीं दिया गया था। टीसीएस और गैर-टीसीएस के रूप में बिक्री का विभाजन लाभ और हानि खातों में प्रदान नहीं किया गया था। लाभ और हानि खातों में शामिल नहीं किये गये वैट और अन्य शुल्क के विवरण लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उपलब्ध नहीं थे। फरवरी 2011 में एक तलाशी हुई थी परन्तु एप्रेजल रिपोर्ट लेखापरीक्षा हेतु प्रदान नहीं की गई। निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए अधिनियम की धारा 142(2ए) के अन्तर्गत विशेष लेखापरीक्षक की पूरी रिपोर्ट प्रदान नहीं की गयी। निर्धारण वर्ष 2018-19 के वित्तीय विवरण लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए। राज्य आबकारी विभाग में जमा आबकारी शुल्क और तत्संबंधी बिक्री के साथ-साथ राज्य आबकारी विभाग से पुष्टि सर्वीक्षा निर्धारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे।

(I) **अवलोकन:** दस निर्धारण वर्षों अर्थात् निर्धारण वर्ष 2009-10 से 2018-19 की अवधि के लिए नमूना जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा ने संक्षिप्त/संवीक्षा निर्धारण के विवरण का विश्लेषण किया और नोट किया जैसा कि नीचे तालिका 2.2 में वर्णित है:

तालिका 2.2- मैसर्स पी1 प्राइवेट लिमिटेड								
								(₹ करोड़ में)
निर्धारण वर्ष	व्यावसायिक गतिविधि कोड	धारा के अंतर्गत निर्धारित/ संसाधित	निर्धारण आदेश की तिथि	पी /एल में बिक्री/ सकल प्राप्तियां	पी/एल में डेबिट किया गया आबकारी शुल्क	आबकारी विभाग में जमा आबकारी शुल्क	घोषित आय/ नुकसान	निर्धारित आय/हानि
2009-10	0124	153(ए) सपठित धारा 144सी	04.02.2015	1,876.48	446.61		399.64	665.30
2010-11	0124/ 0204	153(ए) सपठित धारा 144सी	04.02.2015	3,241.32	1,167.39		661.28	971.84
2011-12	0124/ 0204	143(3) सपठित धारा 144सी	04.02.2015	4,391.58	1,619.24		526.94	951.32
2012-13	0124	143(3) सपठित धारा 144सी	26.04.2016	5,940.78	2,403.78		857.14	1,039.96
2013-14	0124/ 0204	143(3) सपठित धारा 144सी	23.12.2016	7,216.42	2,870.41		1,104.61	1,316.81
2014-15	0124/ 0204	143(3) सपठित धारा 144सी	30.11.2017	8,614.49	3,479.21	लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित	1,276.59	1,521.47
2015-16	0124/ 0204	143(3) सपठित धारा 144सी	07.02.2019	10,161.33	4,040.64		1,460.77	1,601.56
2016-17	0124/ 0204	143(3) सपठित धारा 144सी	11.02.2020	12,112.78	5,252.50		1,714.51	1,808.02
2017-18	0124/ 0204	143(3) सपठित धारा 144सी	11.03.2022	12,848.62	6,325.13		1,549.32	1,789.13
2018-19	04011/ 04018/ 04019/ 09007	143(3) सपठित धारा 144सी	26.10.2021	15,744.22	8,581.28		2,147.89	2,235.72

तलाशी मामलों से सम्बंधित दो निर्धारण वर्षों 2009-10 और 2010-11 में धारा 153ए के अंतर्गत और आठ निर्धारण वर्षों 2011-12 से 2018-19 में धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण किया गया था।

(II) निर्धारण का लेखापरीक्षा विश्लेषण:

लेखापरीक्षा ने मैसर्स पी1 प्राइवेट लिमिटेड के निर्धारण अभिलेखों की जाँच की (अक्टूबर 2019 एवं दिसम्बर 2020) और चार निर्धारण वर्षों 2014-15 से 2017-18 (संवीक्षा निर्धारण) में देखा कि निर्धारिती ने लाभ और हानि खाते में ₹ 24,679.79 करोड़ की निवल बिक्री घोषित की थी जिसमें ₹ 16,546.32 करोड़ की टीसीएस बिक्री शामिल थी। हालाँकि अधिनियम की धारा 206सी के अन्तर्गत फॉर्म-3 सीडी में क्रम संख्या 34(ए) पर लेखापरीक्षक द्वारा सत्यापित बिक्री ₹ 29,926.66 करोड़²² थी। इस प्रकार, बिक्री की परिणामी कम रिपोर्टिंग ₹ 13,380.34 करोड़ (₹ 29,926.66 करोड़ - ₹ 16,546.32 करोड़) निर्धारित की गई (अनुलग्नक-एफ)। डीसीआईटी केन्द्रीय वृत्त 31, नई दिल्ली के द्वारा किये गये समुचित प्रयास को लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका क्योंकि अभिलेखों में कोई सहायक दस्तावेज/विवरण नहीं पाए गए थे। निर्धारण वर्ष 2014-15 से 2017-18 में आयकर विभाग द्वारा ₹ 13,380.34 करोड़ की कम घोषित बिक्री का संज्ञान न लेने के परिणाम स्वरूप अधिनियम की धारा 234ए और 234बी के अंतर्गत देय ब्याज को छोड़कर ₹ 4,589.42 करोड़ के कर प्रभाव वाली आय की कम गणना हुई। अगर आयकर अधिनियम की धारा 68/69सी का प्रावधान लागू होता, तो कर संघात/प्रभाव अधिक होता²³।

उत्तर में डीसीआईटी केन्द्रीय वृत्त 31, नई दिल्ली ने बताया (अगस्त 2020) कि बिक्री के लिए ऑडिट रिपोर्ट में उल्लिखित बिक्री के आंकड़े, टीसीएस कानून की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न मदों जैसे आबकारी शुल्क/वैट, अन्य शुल्कों को जोड़कर और टीसीएस प्रावधान लागू न होने वाली बिक्री को छोड़कर हैं। हालाँकि, लाभ और हानि खातों में घोषित बिक्री चालान मूल्य में शामिल सभी करों, शुल्कों, वैट आदि से रहित है। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में प्रदर्शित बिक्री में कर और शुल्क शामिल थे, लेकिन लाभ और हानि खाते में शामिल नहीं थे।

लेखापरीक्षा ने डीसीआईटी केन्द्रीय वृत्त 31, नई दिल्ली द्वारा प्रदान किए गए उत्तर (अगस्त 2020) की जाँच की और पाया कि निर्धारण अधिकारी ने कहा

²² सीपीसी (टीडीएस) के साथ निर्धारिती द्वारा रिपोर्ट की गई बिक्री ₹ 29,923.58 करोड़ थी जो अधिनियम की धारा 206सी के अन्तर्गत फॉर्म-3 सीडी में क्रमांक संख्या 34(ए) पर लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित बिक्री के के लगभग समान थी।

²³ धारा 68/69सी के तहत कर प्रभाव की संभावित राशि ₹ 5,579.52 करोड़ (लगभग) बनती है।

था कि बिक्री के लिए ऑडिट रिपोर्ट में उल्लिखित आंकड़े आबकारी शुल्क/वैट, अन्य शुल्कों सहित हैं, जबकि ऑडिट रिपोर्ट में केवल वैट और अन्य शुल्कों सहित आंकड़ों के साथ मिलान किया गया है, जिसमें आबकारी शुल्क शामिल नहीं है। इसका अर्थ यह है कि लाभ और हानि खाते में घोषित शुद्ध टीसीएस बिक्री (अर्थात् आबकारी शुल्क को छोड़कर) में वैट और अन्य शुल्कों (वे कर और शुल्क जो टीएआर में प्रदर्शित हैं परन्तु पी/एल में नहीं) को जोड़कर 3सीडी में घोषित टीसीएस बिक्री के साथ मिलान किया गया है और आबकारी शुल्क का तत्व छोड़ दिया गया है। इसके अलावा यह भी स्पष्ट नहीं है कि इन करों और शुल्कों में गैर टीसीएस बिक्री से संबंधित वैट और अन्य शुल्क शामिल हैं या नहीं। इस प्रकार निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रदान किया गया मिलान लेखापरीक्षा में मान्य नहीं था। इसके अलावा, निर्धारण वर्ष 2014-15 से 2016-17 के लिए बिक्री के समाधान विवरण को छोड़कर, विभाग द्वारा कोई सहायक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए थे। निर्धारण वर्ष 2017-18 का मामला संवीक्षा निर्धारण हेतु लंबित था।

पुनः पीसीआईटी केन्द्रीय-3, नई दिल्ली ने बताया (जुलाई 2021) कि लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई अभियुक्तियों पर निर्धारण/पुनर्निर्धारण करते समय कार्रवाई की जाएगी। निर्धारण वर्ष 2013-14 से 2016-17 तक संबंधित मामले आयकर अधिनियम की धारा 147 सपठित धारा 148 के अंतर्गत फिर से खोले गए एवम निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए अधिनियम की धारा 142(2ए) के अन्तर्गत निर्धारण कार्यवाही लंबित है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आयकर विभाग द्वारा आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार की गई कार्यवाही लेखापरीक्षा के इस तर्क के अनुरूप की गई थी कि निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रदान किया गया मिलान मान्य नहीं पाया गया।

डीसीआईटी केन्द्रीय वृत्त 31, नई दिल्ली ने उत्तर दिया (जून 2022) कि निर्धारण वर्ष 2013-14 से 2016-17 के लिए अधिनियम की धारा 147 के अंतर्गत निर्धारण अभी भी लंबित हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि डीसीआईटी केन्द्रीय वृत्त 31, नई दिल्ली ने निर्धारण वर्ष 2013-14 से 2016-17 के चार निर्धारण वर्षों के लिए मामले फिर से खोल दिए हैं जो अभी भी पुनर्निर्धारण के लिए लंबित हैं। एक निर्धारण वर्ष 2017-18

के मामले को अधिनियम की धारा 142(2ए) के अंतर्गत विशेष लेखापरीक्षा (वि.ले.प.) के लिए भेजा गया था। वि.ले.प. ने लाभ और हानि खाते में दर्शाई गई आय के साथ आबकारी विवरणी का मिलान किया और यह निष्कर्ष निकाला कि लाभ और हानि खाते में ₹ 956.61 करोड़ की आय कम बताई गई थी, यानी ₹ 956.61 करोड़ सम्बंधित निर्धारण वर्ष में कराधान के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया था। यह लेखापरीक्षा के इस दृष्टिकोण की पुष्टि करता है कि लाभ और हानि खाते में आय की कम रिपोर्टिंग की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप करापवंचन हुआ।

पुनः, विशेष लेखापरीक्षक (वि.ले.प.) का प्रतिवेदन प्राप्त होने (अक्टूबर 2021) के बाद, निर्धारण अधिकारी ने ₹ 206.84 करोड़ की अतिरिक्त वृद्धि की (मार्च 2022) जिसमें “लाभ और हानि खाते में परिलक्षित आय के साथ आबकारी विवरणी का मिलान” पर विशेष लेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित असत्यापित मात्रा ₹ 956.61 करोड़ के 20% (लगभग) पर शुद्ध लाभ का अनुमान लगाकर की गयी अतिरिक्त वृद्धि ₹ 191.32 करोड़ शामिल है। लेखापरीक्षा ने पाया कि वि०ले०प० द्वारा निर्धारित कुल असत्यापित मात्रा अधिनियम की धारा 68 के अंतर्गत डीसीआईटी केन्द्रीय वृत्त 31, नई दिल्ली द्वारा आय में नहीं जोड़ी गई थी। इस प्रकार विभाग ने ₹ 765.29 करोड़ (₹ 956.61 करोड़ - ₹ 191.32 करोड़) आय की कम गणना की, जिसे आयकर अधिनियम की धारा 68 के प्रावधान के अंतर्गत आय में जोड़ा जाना आवश्यक है।

लेखापरीक्षा ने फिर पाया कि निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए कम घोषित आय ₹ 2321.88 करोड़ थी जबकि विभाग द्वारा कराये गए विशेष लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई कम घोषित आय ₹ 956.61 करोड़ थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि विशेष लेखापरीक्षक ने आबकारी विवरणियों के आधार पर कम घोषित आय कि धनराशि आगणित किया था। क्योंकि आबकारी विवरणियों के साथ सम्पूर्ण विशेष लेखापरीक्षा रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गयी थी, विशेष लेखापरीक्षण के दौरान निर्धारित कम घोषित आय के सत्यता की जांच को लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका, जिसका अग्रतर परिक्षण आवश्यक है।

सीबीडीटी निर्धारण वर्ष 2017-18 में पुनर्निर्धारण के लिए मामले को फिर से खोलने पर विचार कर सकता है। निर्धारण वर्ष 2018-19 के साथ साथ निर्धारण

वर्ष 2014-15 से 2016-17 के भी निर्धारण के लिए समान स्तर का परीक्षण आवश्यक/न्यायसंगत है। निर्धारण आदेश में ऐसा कोई विवरण/दस्तावेज शामिल नहीं था जो यह सुनिश्चित करता हो कि निर्धारण वर्ष 2017-18 में विशेष लेखापरीक्षक द्वारा इंगित किए गए मुद्दों पर, यह सुनिश्चित करते हुए कि लाभ और हानि खाते में परिलक्षित आय के साथ आबकारी विवरणी का मिलान करने पर कोई असत्यापित मात्रा नहीं थी, निर्धारण वर्ष 2018-19 की निर्धारण कार्यवाही के दौरान जांच के लिए विचार किया गया था। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

2.3.2.3 पीसीआईटी (केन्द्रीय)-3, नई दिल्ली- मैसर्स आर1 लिमिटेड

निर्धारण वर्ष 2009-10 से 2017-18 तक मैसर्स आर1 लिमिटेड के संबंध में लेखापरीक्षा ने अभिलेख माँगे (सितंबर 2019)

अभिलेखों का प्रस्तुत न किया जाना/उपलब्ध न होना:

आईसीएआई द्वारा जारी मार्गदर्शन नोट में निर्धारित कॉलम के बावजूद गैर-टीसीएस बिक्री का विवरण लेखापरीक्षा रिपोर्ट में नहीं दिया गया था। स्रोत पर कर की कम कटौती या कटौती नहीं होने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 195/197 के अधीन आवश्यक प्रमाणपत्र लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं किया गया। टीसीएस और गैर-टीसीएस के रूप में बिक्री का विभाजन लाभ और हानि खातों में प्रदान नहीं किया गया था। वैट और अन्य शुल्क को लाभ और हानि खातों में शामिल नहीं किया गया था और उनके विवरण लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उपलब्ध नहीं थे। फरवरी 2011 में एक तलाशी हुई थी परन्तु लेखापरीक्षा को एप्रेजल रिपोर्ट प्रदान नहीं की गई। निर्धारण वर्ष 2018-19 के वित्तीय विवरण लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए। राज्य आबकारी विभाग में जमा आबकारी शुल्क और तत्संबंधी बिक्री के साथ-साथ राज्य आबकारी विभाग से पुष्टि सर्वीक्षा निर्धारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे।

(I) **अवलोकन:** दस निर्धारण वर्षों अर्थात् निर्धारण वर्ष 2009-10 से 2018-19 की अवधि के लिए नमूना जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा ने संक्षिप्त/संवीक्षा निर्धारण के विवरण को नोट किया जैसा कि नीचे तालिका 2.3 में वर्णित है:

तालिका 2.3: मैसर्स आर1 लिमिटेड								
								(₹ करोड़ में)
निर्धारण वर्ष	व्यावसायिक गतिविधि कोड	धारा के अंतर्गत निर्धारित/ संसाधित	निर्धारण आदेश की तिथि	पी /एल में बिक्री/ सकल प्राप्तियां	पी/एल में डेबिट किया गया आबकारी शुल्क	आबकारी विभाग में जमा आबकारी शुल्क	घोषित आय/ नुकसान	निर्धारित आय/हानि
2009-10	0124	153(ए)	03.06.2013	1,174.72	478.70		-37.77	-37.23
2010-11	0124	153(ए)	03.06.2013	1,481.26	645.70	लेखापरीक्षा	-0.93	-0.62
2011-12	0124	153(ए)	03.06.2013	1,742.31	745.86	में प्रतीक्षित	63.91	64.42
2012-13	0124	143(3)	25.08.2014	1,981.39	837.62		25.49	35.81
2013-14	0124	143(3)	23.12.2015	2,488.91	1,230.52	1,054.97	90.49	88.50
2014-15	0124	143(3)	19.04.2016	3,045.11	1,593.41	1,342.32	88.67	88.67
2015-16	0124	154/143(1)	16.12.2016	3,212.56	1,724.17	1,483.11	52.40	52.40
2016-17	0124	143(3)	14.05.2018	3,603.87	2,060.78	1,749.17	76.89	76.89
2017-18	0124	143(3)	29.12.2019	4,867.95	3,188.05	2,363.85	32.42	32.61
2018-19	04097, 04018, 04019	143(1)	25.02.2020	लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित	लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित	लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित	114.10	116.10

*अधिनियम की धारा 133(6) के अंतर्गत राज्य आबकारी विभाग द्वारा आबकारी शुल्क की पुष्टि की गई और विभाग द्वारा लेखापरीक्षा को सूचित किया गया (सितंबर 2022)

(ए) तलाशी मामलों से सम्बंधित तीन निर्धारण वर्षों 2009-10 से 2011-12 में धारा 153ए के अन्तर्गत और पांच निर्धारण वर्षों 2012-13 से 2014-15 और 2016-17 से 2017-18 में धारा 143(3) के अन्तर्गत निर्धारण किया गया था जबकि एक निर्धारण वर्ष 2015-16 को धारा 143(1) के अन्तर्गत संक्षिप्त निर्धारण में संसाधित किया गया था और शेष एक निर्धारण वर्ष 2018-19 का मामला निर्धारण हेतु लंबित था।

(बी) तीन निर्धारण वर्षों 2013-14, 2014-15 और 2016-17 में कंपनी की घोषित आय में कोई वृद्धि किए बिना निर्धारण पूरा किया गया था। शेष तीन निर्धारण वर्षों 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 में घोषित आय/हानि में क्रमशः ₹ 0.54 करोड़, ₹ 0.31 करोड़ और ₹ 0.51 करोड़ जोड़कर संवीक्षा निर्धारण पूरा किया गया था।

(II) निर्धारण का लेखापरीक्षा विश्लेषण:

लेखापरीक्षा ने मैसर्स आर1 प्राइवेट लिमिटेड के निर्धारण अभिलेखों की जाँच की (अक्टूबर 2019 और दिसंबर 2020) और चार निर्धारण वर्षों 2014-15 से 2017-18 (निर्धारण वर्षों 2014-15, 2016-17 और 2017-18 में संवीक्षा निर्धारण और निर्धारण वर्ष 2015-16 में समरी निर्धारण) में देखा कि निर्धारिती ने अधिनियम की धारा 206सी के अन्तर्गत फॉर्म-3 सीडी के क्र.सं. 34(ए) पर लेखापरीक्षक द्वारा सत्यापित और सीपीसी (टीडीएस) को घोषित बिक्री ₹ 8,601.04 करोड़ के बजाय लाभ और हानि खाते में ₹ 5,402.85 करोड़ की निवल बिक्री घोषित की थी जिसमें ₹ 2,412.18 करोड़ की टीसीएस बिक्री शामिल थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6,188.86 करोड़ (₹ 8,601.04 करोड़ - ₹ 2,412.18 करोड़) की बिक्री कम घोषित हुई **(अनुलग्नक-जी)**। डीसीआईटी केन्द्रीय वृत्त 31, नई दिल्ली के द्वारा किये गये समुचित प्रयास को लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका क्योंकि अभिलेखों में कोई सहायक दस्तावेज/विवरण नहीं पाए गए थे। निर्धारण वर्ष 2014-15 से 2017-18 में आयकर विभाग द्वारा ₹ 6,188.86 करोड़ की कम घोषित बिक्री का संज्ञान न लेने के परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 234ए और 234बी के अन्तर्गत देय ब्याज को छोड़कर ₹ 2,126.21 करोड़ के कर प्रभाव वाली आय की कम गणना हुई। अगर आयकर अधिनियम की धारा 68/69सी का प्रावधान लागू होता, तो कर संघात/प्रभाव अधिक होता²⁴।

विभाग की प्रतिक्रिया समय-समय पर प्राप्त हुई थी लेकिन नीचे दी गयी तालिका 2.3.1 में वर्णित कारणों से संतोषजनक नहीं पाई गई थी:

तालिका-2.3.1 मैसर्स आर1 लिमिटेड		
से प्राप्त उत्तर	आयकर विभाग का प्रत्युत्तर	लेखापरीक्षा की टिप्पणी(यां)
ए	बी	सी
	फॉर्म 3सीडी के खंड 34बी में घोषित बिक्री मूल्य सकल चालान मूल्य है जिस पर टीसीएस एकत्र किया गया था अर्थात् आबकारी शुल्क, वैट और अन्य लेवी को शामिल करते हुए हैं,	डीसीआईटी केन्द्रीय वृत्त 31, नई दिल्ली का उत्तर नीचे बताए गए कारणों से सहमति योग्य नहीं है: (i) विभाग का विवरण अपने आप में विरोधाभासी था क्योंकि 3सीडी में

²⁴ धारा 68/69 सी के अन्तर्गत कर प्रभाव की संभावित राशि ₹ 2,982.69 करोड़ (लगभग) बनती है।

तालिका-2.3.1 मैसर्स आर1 लिमिटेड		
से प्राप्त उत्तर	आयकर विभाग का प्रत्युत्तर	लेखापरीक्षा की टिप्पणी(यां)
ए	बी	सी
डीसीआईटी केन्द्रीय वृत्त 31, नई दिल्ली (अगस्त 2020)	<p>क्योंकि धारा 206सी के प्रावधान के अनुसार, टीसीएस को चालान मूल्य (इसमें लगाए गए सभी शुल्क करों सहित) पर एकत्र किया जाता है। तदनुसार, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में प्रदर्शित बिक्री में कर और शुल्क शामिल हैं लेकिन लाभ और हानि खाते में आबकारी शुल्क रहित प्रदर्शित बिक्री में कर और शुल्क शामिल नहीं हैं। संबंधित निर्धारण वर्षों के लिए आयकर विभाग द्वारा प्रदान किए गए आबकारी शुल्क और वैट एवं अन्य लेवी का योग क्रमशः ₹ 8,566.41 करोड़ और ₹ 6,476.29 करोड़ है। इसके अलावा आयकर विभाग ने लाभ और हानि खातों में घोषित की गई निवल बिक्री (आबकारी शुल्क रहित) के साथ 3सीडी में घोषित बिक्री का मिलान किया। लाभ और हानि खातों की बिक्री में क्रमशः ₹ 2,412.18 करोड़ और ₹ 2,990.67 करोड़ की टीसीएस और गैर टीसीएस बिक्री शामिल है।</p> <p>विभाग ने यह भी कहा कि ₹ 1,197.70 करोड़ का कर और शुल्क टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (टीएआर) में प्रदर्शित बिक्री में शामिल थे परन्तु लाभ और हानि खाते में शामिल नहीं थे।</p>	<p>दिखाई गई (₹ 8,601.04 करोड़) की बिक्री मूलभूत मूल्य, आबकारी शुल्क, वैट और अन्य शुल्कों के योग से कम थी। केवल आबकारी शुल्क और वैट एवं अन्य शुल्कों का योग ही ₹ 15,042.70 करोड़ (₹ 8,566.41 करोड़ + ₹ 6,476.29 करोड़) है जो स्वयं 3सीडी में दिखाई गई बिक्री से बहुत अधिक है। इसके अलावा यह स्पष्ट किया जाता है कि लेखापरीक्षा की टिप्पणियां लेखापरीक्षा रिपोर्ट के खंड 34ए पर आधारित हैं न की आयकर विभाग द्वारा बताए गए खंड 34बी पर। अतः विभाग का तर्क स्वीकार्य नहीं है।</p> <p>(ii) अपने तर्कानुसार आयकर विभाग को लाभ और हानि खाते में घोषित की गई सकल बिक्री (आबकारी शुल्क सहित) को 3सीडी में घोषित बिक्री (इसे आबकारी शुल्क सहित मानते हुए) के साथ मिलान करना चाहिए था लेकिन मिलान निवल बिक्री के साथ किया गया था जो अपने आप में विरोधाभासी था। निर्धारण वर्ष 2014-15 से 2017-18 के लिए 3सीडी में ₹ 8,601.04 करोड़ की बिक्री घोषित थी जिसमें आबकारी शुल्क शामिल नहीं था। निवल बिक्री का अर्थ है कि आबकारी शुल्क को अलग रखा गया है।</p>
पीसीआईटी (केन्द्रीय)-3, नई दिल्ली (जुलाई 2021)	<p>लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई अभियुक्तियों पर निर्धारण/पुनर्निर्धारण करते समय कार्रवाई की जाएगी क्योंकि निर्धारण वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक से संबंधित मामले आयकर अधिनियम</p>	कोई टिप्पणी नहीं।

तालिका-2.3.1 मैसर्स आर1 लिमिटेड		
से प्राप्त उत्तर	आयकर विभाग का प्रत्युत्तर	लेखापरीक्षा की टिप्पणी(यां)
ए	बी	सी
	की धारा 147 सपठित धारा 148 के अन्तर्गत फिर से खोले गए हैं।	
डीसीआईटी केन्द्रीय वृत्त 31, नई दिल्ली (जून 2022)	विभाग द्वारा निर्धारण वर्ष 2014-15 से 2017-18 के लिए आयकर अधिनियम की धारा 147 के अंतर्गत निर्धारण आदेश पारित किया गया था (फरवरी 2022)।	कोई टिप्पणी नहीं।
	लेखापरीक्षा द्वारा उठाई गई अभियुक्तियों की जांच की गई और निर्धारिती को अधिनियम की धारा 148 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया। निर्धारण वर्ष 2014-15 से 2017-18 के लिए निर्धारिती के उत्तरों की जांच के बाद विभाग ने बताया कि:-	डीसीआईटी केन्द्रीय वृत्त 31, नई दिल्ली द्वारा दिए गए उत्तर और विवरण की जांच की और पाया कि:-
	(i) निर्धारिती कंपनी ने आबकारी शुल्क, वैट/सीएसटी आदि के साथ टीसीएस लागू होने योग्य और टीसीएस न लागू होने योग्य बिक्री का पूर्ण विभाजन प्रस्तुत किया।	(i) अल्कोहल उत्पादों की टीसीएस बिक्री और गैर-टीसीएस बिक्री पर ध्यान दिए बिना मदिरा के बिक्री मूल्य पर आबकारी शुल्क लगाया जाता है। निर्धारण वर्ष 2014-15 लिए विभाग द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार, यह पाया गया था कि टीसीएस लागू होने योग्य बिक्री ₹ 414.98 करोड़ थी जिस पर आबकारी शुल्क ₹ 1,166.11 करोड़ था यद्यपि टीसीएस लागू न होने योग्य बिक्री (मूलभूत मूल्य) ₹ 789.01 करोड़ थी जिस पर आबकारी शुल्क केवल ₹ 427.29 करोड़ ही था।
डीसीआईटी केन्द्रीय वृत्त 31, नई दिल्ली (सितम्बर 2022)	निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए मिलान दर्शाने वाला एक चार्ट प्रदान किया गया था जिसमें अल्कोहल उत्पाद की कुल बिक्री ₹ 2,797.40 करोड़ को टीसीएस बिक्री ₹ 1,581.09 करोड़ (मूलभूत मूल्य ₹ 414.98 करोड़ + आबकारी शुल्क ₹ 1,166.11 करोड़) और गैर-टीसीएस बिक्री ₹ 1,216.30 करोड़ (मूलभूत मूल्य ₹ 789.01 करोड़ + आबकारी शुल्क ₹ 427.29 करोड़) के रूप में विभाजित किया गया था।	विभाग ने पहले कहा था (अगस्त 2020) कि ₹ 1,197.70 करोड़ (₹ 1,166.11 करोड़ + ₹ 31.58 करोड़) कर और शुल्क टीएआर में प्रदर्शित बिक्री में शामिल थे लेकिन लाभ और हानि खाते में शामिल नहीं थे। आगे आयकर विभाग ने कहा कि हाफ मार्जिन से सम्बंधित निर्धारिती के उत्तर के
	इसके अतिरिक्त, टीसीएस रिटर्न में ₹ 31.58 करोड़ के वैट/सीएसटी और अन्य शुल्क थे जो लाभ और हानि	

तालिका-2.3.1 मैसर्स आर1 लिमिटेड		
से प्राप्त उत्तर	आयकर विभाग का प्रत्युत्तर	लेखापरीक्षा की टिप्पणी(यां)
ए	बी	सी

खाते का हिस्सा नहीं थे। इस प्रकार टीसीएस रिटर्न में सकल चालान मूल्य, जिस पर टीसीएस लागू था, ₹ 1,612.67 करोड़ (₹ 1,581.09 करोड़ + ₹ 31.58 करोड़) घोषित था। इसलिए लाभ और हानि खाते में दिखाई गई बिक्री राशि सही पाई गई।

संदर्भ में निर्धारण अभिलेखों की जांच की गई और तथ्य और आंकड़े सही पाए गए हैं। हालांकि आयकर विभाग द्वारा अगस्त 2020 में जिन तथ्यों और आंकड़ों को सही पाया गया था उन्हें अब सितंबर 2022 में गलत पाया गया है। सितंबर 2022 के कथन में बदलाव किया गया और बताया गया कि ₹ 1,197.70 करोड़ में से ₹ 1,166.11 करोड़ आबकारी शुल्क था, जिसे लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया था।

अन्य निर्धारण वर्षों के लिए भी निर्धारण अधिकारी द्वारा इसी तरह का समान/स्पष्टीकरण दिया गया था।

(ii) विभाग ने राज्य आबकारी विभाग द्वारा मांगी गई जानकारी और निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत चालानों के विवरण की पुनः जांच की जिसमें लाभ और हानि खाते में आबकारी शुल्क का दावा किया गया था और राज्य आबकारी विभाग द्वारा आबकारी शुल्क के राशि की पुष्टि की गई थी और निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों द्वारा समर्थित निर्धारण वर्ष 2014-15 से 2017-18 के लिए आबकारी शुल्क की राशि की तुलना की गई जो कि विभाग द्वारा जाँच के अनुसार 87.13% से 90.38% तक आती है। निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रदान किए गए आबकारी शुल्क का विवरण नीचे दिए गये तालिका 2.3.2 के कॉलम ए से एफ में दिया गया है:

(ii) विभाग ने निर्धारण वर्ष 2013-14 से 2017-18 के लिए निर्धारिती द्वारा जमा किए गए आबकारी शुल्क का विवरण राज्य आबकारी विभाग से प्राप्त कर प्रदान किया है हालाँकि लेखापरीक्षा ने देखा कि लाभ और हानि खातों में ₹ 1,316.58 करोड़ अधिक आबकारी शुल्क की स्वीकृति दी गई थी, जिसे निर्धारिती की आय में नहीं जोड़ा गया था। विवरण नीचे तालिका 2.3.2 के कॉलम जी में दिया गया है:

तालिका 2.3.2: मैसर्स आर1 लिमिटेड						
निर्धारण अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए आबकारी शुल्क का विवरण (₹ करोड़ में)						
निर्धारण वर्ष	लाभ और हानि खाते में दावा किया गया आबकारी शुल्क	अधिनियम की धारा 133(6) के अंतर्गत राज्य आबकारी विभाग द्वारा पुष्टि की गई आबकारी शुल्क की राशि	निर्धारित द्वाारा प्रस्तुत दस्तावेजों द्वारा समर्थित आबकारी शुल्क की राशि	विभाग द्वारा जाँची गई आबकारी शुल्क की कुल राशि	विभाग द्वारा जांचें गए आबकारी शुल्क का %	लेखापरीक्षा के अनुसार अनुमन्य अधिक दावा किया गया आबकारी शुल्क (बी-सी)
ए	बी	सी	डी	इ	एफ	जी
2013-14	1,230.52	1,054.97	34.96	1,089.93	88.58%	175.55
2014-15	1,593.41	1,342.32	46.05	1,388.37	87.13%	251.09
2015-16	1,724.17	1,483.11	45.33	1,558.44	90.38%	241.06
2016-17	2,060.78	1,749.17	63.47	1,812.63	87.95%	311.61
2017-18*	2,701.14	2,363.85	12.38	2,376.23	87.97%	337.29
कुल	9,310.02	7,993.42	202.19	8,225.60	-	1316.60
*निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए, ₹ 486.92 करोड़ आबकारी शुल्क की राशि अनुबंध बॉटलिंग इकाइयों से संबंधित है जो आर1 लिमिटेड से संबंधित नहीं है (आईएनडी एस आवश्यकता के कारण समेकित)						

इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा ने पाया कि आयकर विभाग ने अल्कोहल उत्पादों की गैर-टीसीएस बिक्री के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है। स्रोत पर कर की कम कटौती या कटौती नहीं होने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 195/197 के अधीन निर्गत प्रमाणपत्र, यदि कोई हो, डीसीआईटी केन्द्रीय वृत्त 31, नई दिल्ली द्वारा प्रदान नहीं किया गया जिससे कि गैर-टीसीएस बिक्री की जांच लेखापरीक्षा में की जा सके। इसके अलावा, इस तथ्य का उल्लेख करना उचित है कि शनदी लेखाकार द्वारा घोषित कम दर या शून्य दर पर टीसीएस की राशि निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुमन्य गैर-टीसीएस बिक्री की राशि के अनुरूप नहीं थी। गैर-टीसीएस बिक्री की रिपोर्टिंग के लिए आईसीएआई द्वारा जारी आयकर अधिनियम की धारा 44एबी के अन्तर्गत टैक्स ऑडिट पर गाइडेंस नोट का पैरा 58.10 निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

कॉलम 6 में, कर लेखापरीक्षक को क्रम संख्या 34(ए) के कॉलम (5) में उल्लिखित कटौती योग्य या संग्रहणीय राशि में से कुल राशि प्रस्तुत करना आवश्यक है, जिस पर निर्दिष्ट दर पर कर काटा गया या एकत्र किया गया था।

लेखापरीक्षक को पिछले वर्ष के प्रासंगिक कानून के अनुसार कटौती की दरों को मानना होगा। पुनः धारा 195/197 के प्रावधानों के अनुसार स्रोत पर कर की कटौती न करने या कम कटौती करने के लिए प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है। कर लेखापरीक्षक को प्रासंगिक प्रावधानों, नियमों, परिपत्रों, अधिसूचनाओं और लेखापरिक्षिती से प्राप्त ऐसे प्रमाणपत्रों का संदर्भ लेना चाहिए ताकि उन मामलों को सत्यापित किया जा सके जहां स्रोत पर कर की कम कटौती की गई है। धारा 195/197 के अंतर्गत जारी प्रमाण पत्र के आधार पर निर्दिष्ट दर से कम दर पर भुगतानकर्ता/प्राप्तिकर्ता द्वारा स्रोत पर कर काटने/एकत्र करने के मामलों में, इस खण्ड के अंतर्गत रिपोर्टिंग के प्रयोजन के लिए कम दर या शून्य दर, जैसा भी मामला हो, निर्दिष्ट दर के रूप में माना जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मैसर्स आर1 लिमिटेड का पुनर्निर्धारण लाभ और हानि खाते में दर्शाई गई आय के साथ आबकारी शुल्क विवरणियों का कोई मिलान किए बिना पूरा किया गया था। (रिपोर्ट के पैरा 2.3.2.2 (II) का सन्दर्भ लें जहां निर्धारण अधिकारी ने मैसर्स पी1 प्राइवेट लिमिटेड के मामले में अधिनियम की धारा 142(2ए) के अंतर्गत विशेष लेखापरीक्षक के निष्कर्षों के आधार पर लाभ और हानि खाते में परिलक्षित आय के साथ आबकारी शुल्क विवरणी के गैर-समाधान के कारण आय में अतिरिक्त वृद्धि की है।)

विभाग द्वारा की गई आगे की कार्रवाई का विवरण और मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

2.3.2.4 पीसीआईटी-8 दिल्ली, मैसर्स एस1 लिमिटेड

निर्धारण वर्ष 2009-10 से 2018-19 तक मैसर्स एस1 लिमिटेड के संबंध में लेखापरीक्षा ने अभिलेख माँगे (सितंबर 2019 और सितंबर 2021)

अभिलेखों को प्रस्तुत न किया जाना/उपलब्ध न होना:

आईसीएआई द्वारा जारी मार्गदर्शन नोट में निर्धारित कॉलम के बावजूद गैर-टीसीएस बिक्री का विवरण लेखापरीक्षा रिपोर्ट में नहीं दिया गया था। टीसीएस और गैर-टीसीएस के रूप में बिक्री का विभाजन लाभ और हानि खातों में प्रदान नहीं किया गया था। वैट और अन्य शुल्क को लाभ और हानि खातों में शामिल नहीं किया गया था और उनके विवरण लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उपलब्ध नहीं थे। निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए स्रोत पर एकत्रित कर और संबंधित बिक्री

का विवरण सीपीसी आंकड़ों में उपलब्ध नहीं था। राज्य आबकारी विभाग में जमा आबकारी शुल्क और तत्संबंधी बिक्री के साथ-साथ राज्य आबकारी विभाग से इसकी पुष्टि संवीक्षा निर्धारण अभिलेख में उपलब्ध नहीं थे।

(I) अवलोकन: दस निर्धारण वर्षों अर्थात् निर्धारण वर्ष 2009-10 से 2018-19 की अवधि के लिए नमूना जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा ने समरी/संवीक्षा निर्धारण के विवरण को नोट किया जैसा कि नीचे तालिका 2.4 में वर्णित है।

तालिका 2.4: मैसर्स एस1 लिमिटेड								
								(₹ करोड़ में)
निर्धारण वर्ष	व्यावसायिक गतिविधि कोड	धारा के अंतर्गत निर्धारित/संसाधित	निर्धारण आदेश की तिथि	पी/एल में बिक्री/सकल प्राप्तियां	पी/एल में डेबिट किया गया आबकारी शुल्क	आबकारी विभाग में जमा आबकारी शुल्क	घोषित आय/नुकसान	निर्धारित आय/हानि
2009-10	0124	143(3)	22.12.2011	417.31	212.10		-34.74	-32.58
2010-11	0124	143(3)	20.03.2013	365.33	211.05		0	1.64
2011-12	0124	143(3)	28.03.2014	529.85	293.95		-7.66	-4.52
2012-13	0124	143(3)	26.03.2015	382.53	258.74		-17.23	-15.30
2013-14	0124	143(3)	29.03.2016	546.09	384.85	लेखा-	0	0
2014-15	0124	143(3)	29.12.2016	551.94	418.02	परीक्षा	0	0
2015-16	0124	143(1)	29.03.2016	564.27	450.84	में	-1.98	-1.98
2016-17	0124	143(1)	29.03.2017	447.35	356.05	प्रतीक्षित	-0.49	-0.49
2017-18	0124	143(1)	18.01.2019	573.94	471.11		0	0
2018-19	04097	143(1)	लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित	387.16	321.66		-0.54	लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित

(ए) छह निर्धारण वर्षों 2009-10 से 2014-15 में संवीक्षा निर्धारण धारा 143(3) के अन्तर्गत किया गया और शेष चार निर्धारण वर्षों 2015-16 से 2018-19 में धारा 143(1) के अन्तर्गत संक्षिप्त निर्धारण में संसाधित किया गया था।

(बी) तीन निर्धारण वर्षों 2009-10 से 2012-13 में घोषित आय/हानि में क्रमशः ₹ 2.16 करोड़, ₹ 1.64 करोड़, ₹ 3.14 करोड़ और ₹ 1.93 करोड़ जोड़कर संवीक्षा निर्धारण पूरा किया गया था।

(सी) निर्धारण वर्ष 2013-14 और 2014-15 के दौरान बिना कोई वृद्धि किए घोषित आय को स्वीकार करते हुए संवीक्षा निर्धारण पूरा किया गया था।

(II) निर्धारण का लेखापरीक्षा विश्लेषण:

लेखापरीक्षा ने मैसर्स एस1 लिमिटेड के निर्धारण अभिलेखों की जाँच की (अक्टूबर 2019 और सितंबर 2021) और पांच निर्धारण वर्षों 2014-15 से 2018-19 (निर्धारण वर्ष 2014-15 में संवीक्षा निर्धारण और निर्धारण वर्षों 2015-16 से 2018-19 में संक्षिप्त निर्धारण) में देखा कि निर्धारिती ने अधिनियम की धारा 206सी के अन्तर्गत फॉर्म-3 सीडी के क्रमांक 34(ए) में लेखापरीक्षक द्वारा सत्यापित बिक्री ₹ 2,427.96 करोड़ के बजाय लाभ और हानि खाते में ₹ 494.25 करोड़ (सकल बिक्री ₹ 2,511.94 करोड़ - आबकारी शुल्क ₹ 2,017.69 करोड़) की निवल बिक्री घोषित की थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1,933.71 करोड़ (₹ 2,427.96 करोड़ - ₹ 494.25 करोड़) की बिक्री कम घोषित हुई (अनुलग्नक एच)। निर्धारण वर्ष 2014-15 से 2018-19 में आयकर विभाग द्वारा ₹ 1,933.71 करोड़ की कम घोषित बिक्री का संज्ञान न लेने के परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 234ए और 234बी के अन्तर्गत देय ब्याज को छोड़कर ₹ 664.22 करोड़ कर प्रभाव वाली आय की कम गणना हुई। अगर आयकर अधिनियम की धारा 68/69सी का प्रावधान लागू होता, तो कर संघात/प्रभाव अधिक होता²⁵।

सीपीसी (टीडीएस) आंकड़ों के साथ मिलान न किया जाना:

लेखापरीक्षा ने आगे सीपीसी (टीडीएस) द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों की जाँच की और पाया कि निर्धारण वर्ष 2018-19 में, स्रोत पर एकत्रित कर और संबंधित बिक्री का विवरण सीपीसी (टीडीएस) आंकड़ों में उपलब्ध नहीं था। इस तथ्य के बावजूद भी कि टीडीएस बिक्री की सीए द्वारा फॉर्म 3सीडी में घोषणा की गयी थी, निर्धारण को अंतिम रूप देने के दौरान आवश्यक सत्यापन के लिए सूचना को टीडीएस विंग को भेजा जाना आवश्यक था, जबकि डीसीआईटी वृत्त 7(1), नई दिल्ली का कोई प्रयास नहीं पाया गया था।

²⁵ धारा 68/69 सी के अन्तर्गत कर प्रभाव की संभावित राशि ₹ 997.32 करोड़ (लगभग) बनती है।

डीसीआईटी वृत्त 7(1), नई दिल्ली के द्वारा किये गये समुचित प्रयास को लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका क्योंकि अभिलेखों में कोई सहायक दस्तावेज/विवरण नहीं पाए गए थे।

पीसीआईटी-7, नई दिल्ली ने कहा (जुलाई 2021) कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में क्र.सं. 34(ए) पर घोषित बिक्री में आबकारी शुल्क शामिल है तथा लाभ और हानि खाते की बिक्री में गैर टीसीएस बिक्री शामिल है। इसके अलावा, अन्य कर और शुल्क टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में शामिल हैं लेकिन लाभ और हानि खाते में शामिल नहीं हैं। यह भी उत्तर दिया गया था कि निर्धारिती ने लाभ और हानि खाते में दिखाए गये टर्नओवर और फॉर्म 3-सीडी के खंड 34(ए) में दिखाए गये टर्नओवर का मिलान प्रदान किया है।

पीसीआईटी-7, नई दिल्ली का उत्तर निम्नलिखित कारणों से स्वीकार्य नहीं है:

(i) **निर्धारण वर्ष 2014-15:** यद्यपि मामले को जांच के लिए चुना गया था, लेकिन गैर-टीसीएस बिक्री, वैट और अन्य करों/शुल्कों का विवरण न तो निर्धारण फोल्डर में उपलब्ध था और न ही आयकर अधिकारी वार्ड-22(3), नई दिल्ली द्वारा इस सम्बन्ध में कोई पूछताछ की गई थी। पीसीआईटी-7, नई दिल्ली ने लेखापरीक्षा अभियुक्ति जारी होने (अक्टूबर 2019) के 22 महीनों के बाद नए तथ्यों के साथ जवाब प्रस्तुत किया था, जो पहले मामले के अभिलेखों में उपलब्ध नहीं पाए गए थे। मिलान के समर्थन में पीसीआईटी-7, नई दिल्ली द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्धारण के बाद के तथ्यों की जाँच और सत्यापन अधिनियम की धारा 147 के अंतर्गत मामले को फिर से खोलने के बाद किया जा सकता है।

(ii) **निर्धारण वर्ष 2015-16 से 2018-19:** संक्षिप्त निर्धारण मामलों में, लाभ और हानि खातों में गैर-टीसीएस बिक्री, वैट और अन्य करों/शुल्कों का विवरण उपलब्ध नहीं था। चूंकि इस अवधि के दौरान मामले को सर्वोक्षा निर्धारण के लिए नहीं चुना गया था, इसलिए आईटीआर और उसके संलग्नकों में उपलब्ध नहीं कराए गए तथ्यों को अधिनियम की धारा 147 के अंतर्गत मामले को फिर से खोलकर सत्यापित, जांच और सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। मिलान के समर्थन में पीसीआईटी सेंट्रल-7, नई दिल्ली द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

इसके अलावा, विभाग सभी निर्धारण वर्षों 2014-15 से 2018-19 के मामलों का लाभ और हानि खाते में प्रदर्शित आय के साथ आबकारी विवरणी का मिलान करने के बाद पुनर्निर्धारण कर सकता है और लेखापरीक्षा को प्रगति की सूचना दे सकता है। {रिपोर्ट के पैरा 2.3.2.2 (II) का सन्दर्भ लें जहां निर्धारण अधिकारी ने विशेष लेखापरीक्षक के निष्कर्षों के आधार पर लाभ और हानि खाते में परिलक्षित आय के साथ आबकारी शुल्क विवरणी के गैर-समाधान के कारण आय में अतिरिक्त वृद्धि की है}

विभाग द्वारा की गई आगे की कार्रवाई का विवरण और मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

2.3.2.5 पीसीआईटी (केन्द्रीय)-1, नई दिल्ली-मैसर्स एम3 प्राइवेट लिमिटेड

निर्धारण वर्ष 2009-10 से 2018-19 तक मैसर्स एम3 प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में लेखापरीक्षा ने अभिलेख मांगे (सितंबर 2019 और सितंबर 2021)

अभिलेखों को प्रस्तुत न किया जाना/उपलब्ध न होना:

आईसीएआई द्वारा जारी मार्गदर्शन नोट में निर्धारित कॉलम के बावजूद गैर-टीसीएस बिक्री का विवरण लेखापरीक्षा रिपोर्ट में नहीं दिया गया था। टीसीएस और गैर-टीसीएस के रूप में बिक्री का विभाजन लाभ और हानि खातों में प्रदान नहीं किया गया था। वैट और अन्य शुल्क को लाभ और हानि खातों में शामिल नहीं किया गया था तथा उनके विवरण लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उपलब्ध नहीं थे। राज्य आबकारी विभाग में जमा आबकारी शुल्क और तत्संबंधी बिक्री के साथ-साथ राज्य आबकारी विभाग से इसकी पुष्टि संवीक्षा निर्धारण अभिलेख में उपलब्ध नहीं थे।

(I) **अवलोकन:** दस निर्धारण वर्षों अर्थात् निर्धारण वर्ष 2009-10 से 2018-19 की अवधि के लिए नमूना जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा ने संक्षिप्त/संवीक्षा निर्धारण के विवरण को नोट किया जैसा कि नीचे तालिका 2.5 में वर्णित है।

तालिका 2.5 - मैसर्स एम3 प्राइवेट लिमिटेड								
(₹ करोड़ में)								
निर्धारण वर्ष	व्यावसायिक गतिविधि कोड	धारा के अंतर्गत निर्धारित/ संसाधित	निर्धारण आदेश की तिथि	पी/एल में बिक्री/ सकल प्राप्तियां	पी/एल में डेबिट किया गया आबकारी शुल्क	आबकारी विभाग में जमा आबकारी शुल्क	घोषित आय/ नुकसान	निर्धारित आय/ हानि
2009-10	0124	143(3)	30.12.2011	423.07	139.70		0.61	0.68
2010-11	0124	143(3)	28.03.2013	384.89	85.16		3.04	3.07
2011-12	0124	143(3)	28.03.2014	414.02	91.90		8.32	8.34
2012-13	0124	143(3)	26.06.2014	479.51	90.80		-2.58	-2.56
2013-14	0124	143(3)	27.05.2015	535.47	121.31		0.14	0.17
2014-15	0124	143(3)	30.09.2016	517.51	117.52	लेखापरीक्षा	-20.10	-20.06
2015-16	0124	143(3)	05.09.2017	525.66	116.15	में	-2.07	-2.07
2016-17	0124	143(1)	22.09.2017	575.07	132.14	प्रतीक्षित	0.10	0.10
2017-18	0124	143(1)	13.12.2018	581.78	116.21		0.01	0.66
2018-19	04019 04017 04015	143(3)	24.12.2020	655.77	132.09		8.81	8.81

(ए) आठ निर्धारण वर्षों 2009-10 से 2015-16 और 2018-19 में संवीक्षा निर्धारण धारा 143(3) के अंतर्गत किया गया और शेष दो निर्धारण वर्षों 2016-17 और 2017-18 को धारा 143(1) के अंतर्गत संक्षिप्त निर्धारण में संसाधित किया गया था।

(बी) निर्धारण वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के दौरान घोषित आय/हानि में क्रमशः ₹ 0.07 करोड़, ₹ 0.03 करोड़, ₹ 0.02 करोड़, ₹ 0.02 करोड़, ₹ 0.03 करोड़ और ₹ 0.04 करोड़ जोड़कर संवीक्षा निर्धारण पूरा किया गया।

(सी) निर्धारण वर्ष 2015-16 और 2018-19 में बिना कोई वृद्धि किए घोषित आय को स्वीकार करते हुए संवीक्षा निर्धारण पूरा किया गया था।

(II) निर्धारण का लेखापरीक्षा विश्लेषण:

लेखापरीक्षा ने मैसर्स एम3 प्राइवेट लिमिटेड के निर्धारण अभिलेखों की जाँच की (अक्टूबर 2019 और सितम्बर 2021) और पांच निर्धारण वर्षों 2014-15 से 2018-19 (निर्धारण वर्ष 2014-15 से 2015-16 में संवीक्षा निर्धारण और

निर्धारण वर्षों 2016-17 से 2018-19 में संक्षिप्त निर्धारण) में देखा कि निर्धारिती ने अधिनियम की धारा 206सी के अन्तर्गत फॉर्म-3 सीडी के क्रमांक 34(ए) पर लेखापरीक्षक द्वारा सत्यापित बिक्री ₹ 2,348.70 करोड़ के बजाय लाभ और हानि खाते में ₹ 2,098.57 करोड़ (सकल बिक्री ₹ 2,712.67 करोड़ - आबकारी शुल्क ₹ 614.10 करोड़) की निवल बिक्री घोषित की थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 250.13 करोड़ (₹ 2,348.70 करोड़ - ₹ 2,098.57 करोड़) की बिक्री कम घोषित हुई (अनुलग्नक-आई)। निर्धारण वर्षों 2014-15 से 2018-19 में आयकर विभाग द्वारा ₹ 250.13 करोड़ की कम घोषित बिक्री का संज्ञान न लेने के परिणाम स्वरूप आयकर अधिनियम की धारा 234ए और 234बी के अन्तर्गत देय ब्याज को छोड़कर ₹ 85.42 करोड़ कर प्रभाव वाली आय की कम गणना हुई। अगर आयकर अधिनियम की धारा 68/69सी का प्रावधान लागू होता, तो कर संघात/प्रभाव अधिक होता²⁶।

सीपीसी (टीडीएस) आंकड़ों के साथ मिलान न किया जाना:

लेखापरीक्षा ने आगे सीपीसी (टीडीएस) द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों की जाँच की और पाया कि पांच निर्धारण वर्षों 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 और 2018-19 में बिक्री जिस पर स्रोत पर कर एकत्र किया गया था क्रमशः ₹ 32.53 करोड़, ₹ 31.02 करोड़, ₹ 32.27 करोड़, ₹ 33.75 करोड़ और ₹ 26.30 करोड़ थी जबकि 3सीडी में बिक्री क्रमशः ₹ 462.22 करोड़, ₹ 443.84 करोड़, ₹ 441.87 करोड़, ₹ 463.38 करोड़ और ₹ 537.38 करोड़ थी। निर्धारण को अंतिम रूप देने के दौरान आवश्यक सत्यापन के लिए सूचना को टीडीएस विंग को भेजा जाना आवश्यक था जबकि डीसीआईटी केन्द्रीय वृत्त 8, नई दिल्ली द्वारा मामले के संवीक्षा निर्धारण में कोई प्रयास नहीं किया गया था। सीपीसी (टीडीएस) द्वारा घोषित की गई बिक्री का विवरण नीचे तालिका 2.5.1 में दिया गया है:

²⁶ धारा 68/69सी के अन्तर्गत कर प्रभाव की संभावित राशि ₹ 96.03 करोड़ (लगभग) बनती है।

तालिका 2.5.1 मैसर्स एम3 प्राइवेट लिमिटेड				(₹ करोड़ में)
निर्धारण वर्ष	पी/एल में आबकारी शुल्क सहित बिक्री	पी/एल के अनुसार आबकारी शुल्क	बिक्री, जिस पर 3सीडी/34(ए) के अनुसार स्रोत पर कर एकत्र किया गया	सीपीसी (टीडीएस) के अनुसार बिक्री
2014-15	473.86	117.52	462.22	32.53
2015-16	480.52	116.15	443.84	31.02
2016-17	534.12	132.14	441.87	32.27
2017-18	575.60	116.21	463.38	33.75
2018-19	648.56	132.09	537.38	26.30

डीसीआईटी केन्द्रीय वृत्-8, दिल्ली द्वारा किए समुचित प्रयास को लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका क्योंकि अभिलेखों में कोई सहायक दस्तावेज/विवरण नहीं पाए गए थे।

पीसीआईटी, केन्द्रीय-1, नई दिल्ली (अप्रैल 2021, जनवरी 2022 और अप्रैल 2022) ने बताया कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की क्र.सं. 34(ए) पर घोषित बिक्री में आबकारी शुल्क शामिल है तथा लाभ और हानि खाते की बिक्री में गैर टीसीएस बिक्री शामिल है। इसके अलावा, अन्य कर और शुल्क टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में शामिल हैं लेकिन लाभ और हानि खाते में शामिल नहीं हैं।

पीसीआईटी केन्द्रीय-1, नई दिल्ली का उत्तर निम्नलिखित कारणों से स्वीकार्य नहीं है-

(i) **निर्धारण वर्ष 2014-15 से 2015-16:** यद्यपि मामलों को जांच के लिए चुना गया था लेकिन गैर-टीसीएस बिक्री, वैट और अन्य करों/शुल्कों का विवरण न तो निर्धारण फ़ोल्डर में उपलब्ध था और न ही सहायक आयकर आयुक्त केन्द्रीय वृत्त-8, नई दिल्ली द्वारा कोई पूछताछ की गई थी। इसके अलावा, पीसीआईटी केन्द्रीय-1, नई दिल्ली ने लेखापरीक्षा अभियुक्ति जारी होने (अक्टूबर 2019) के 18 महीनों के बाद नए तथ्यों के साथ जवाब प्रस्तुत किया था, जो पहले मामले के अभिलेखों में उपलब्ध नहीं पाए गए थे। लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्धारण के बाद के तथ्यों की जाँच और सत्यापन अधिनियम की धारा 147 के अन्तर्गत मामले को फिर से खोलने के बाद किया जा सकता है। आगे पीसीआईटी केन्द्रीय-1, नई दिल्ली ने अपने उत्तर के समर्थन में कोई सहायक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया था।

(ii) **निर्धारण वर्ष 2016-17 से 2018-19:** संक्षिप्त निर्धारण मामलों में, गैर-टीसीएस बिक्री, वैट और अन्य करों/शुल्कों के विवरण लाभ और हानि खातों या आईटीआर और इसके अनुलग्नकों में उपलब्ध नहीं थे। इसलिए, अधिनियम की धारा 147 के अन्तर्गत मामले को फिर से खोलकर ही विवरण को सत्यापित, जाँचा और सुनिश्चित किया जा सकता है। आगे पीसीआईटी केन्द्रीय-1, नई दिल्ली ने अपने उत्तर के समर्थन में कोई सहायक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया था।

विभाग, सभी निर्धारण वर्षों 2014-15 से 2018-19 के मामलों के लाभ और हानि खाते में प्रदर्शित आय के साथ आबकारी विवरणी का मिलान करने के बाद पुनर्निर्धारण कर सकता है। {रिपोर्ट के पैरा 2.3.2.2 (II) का सन्दर्भ लें जहाँ निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए मैसर्स पी1 प्राइवेट लिमिटेड के मामले में अधिनियम की धारा 142(2ए) के अन्तर्गत विशेष लेखापरीक्षक के निष्कर्षों के आधार पर लाभ और हानि खाते में परिलक्षित आय के साथ आबकारी शुल्क विवरणियों के गैर-समाधान के कारण आय में अतिरिक्त वृद्धि की है}।

विभाग द्वारा की गई आगे की कार्रवाई का विवरण और मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

2.3.2.6 पीसीआईटी-6 नई दिल्ली, मैसर्स एम2 लिमिटेड

निर्धारण वर्ष 2009-10 से 2018-19 तक मैसर्स एम2 लिमिटेड के संबंध में लेखापरीक्षा ने अभिलेख मांगे (सितंबर 2019 और सितंबर 2021)

अभिलेखों को प्रस्तुत न किया जाना/उपलब्ध न होना:

शुद्ध लाभ से जुड़े व्यापार छूट, निर्माण के दौरान टूट-फूट, बिक्री वापसी और स्ट्रैप की बिक्री का विवरण न तो लाभ और हानि खातों में और न ही तुलन-पत्र में दर्शाया गया था। निर्धारण वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए स्रोत पर एकत्रित कर और संबंधित बिक्री के विवरण सीपीसी आंकड़ों में उपलब्ध नहीं थे। राज्य आबकारी विभाग में जमा आबकारी शुल्क और तदनुरूप बिक्री के साथ-साथ राज्य आबकारी विभाग से पुष्टि संवीक्षा निर्धारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थी। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की क्र.सं. 35बीबी पर उत्पादों के स्व-

उपभोग का संदर्भ नहीं दिया गया था। आईटीआर के साथ अपलोड किए गए संलग्न दस्तावेजों के साथ 'फॉर्म 3सीडी का कोई अन्य प्रतिवेदन यानी फॉर्म 3सीडी का हिस्सा बनने वाले नोट्स' लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं किए गए थे। लेखापरीक्षा को निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए आईटीआर प्रस्तुत नहीं किया गया था।

(I) अवलोकन: दस निर्धारण वर्षों अर्थात् निर्धारण वर्ष 2009-10 से 2018-19 की अवधि के लिए नमूना जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा ने संक्षिप्त/संवीक्षा निर्धारण के विवरण को नोट किया जैसा कि नीचे तालिका 2.6 में वर्णित है।

तालिका 2.6 मैसर्स एम2 लिमिटेड								
								(₹ करोड़ में)
निर्धारण वर्ष	व्यावसायिक गतिविधि कोड	धारा के अंतर्गत निर्धारित/ संसाधित	निर्धारण आदेश की तिथि	पी /एल में बिक्री/ सकल प्राप्तियां	पी/एल में डेबिट किया गया आबकारी शुल्क	आबकारी विभाग में जमा आबकारी शुल्क	घोषित आय/ नुकसान	निर्धारित आय/ हानि
2009-10		143(3)	12.10.2011	306.06	85.24		0	0
2010-11		143(3)	02.11.2012	237.86	22.82		0	0
2011-12	उल्लेख नहीं है	143(3)	16.12.2013	410.42	66.17		0	0
2012-13		143(3)	02.03.2015	414.86	110.82		-39.82	-37.91
2013-14		143(3)	03.12.2015	449.74	115.04		-25.53	-23.64
2014-15	0124/0118	143(3)	29.12.2016	330.29	28.97	लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित	-46.07	-45.51
2015-16	0124/0118	143(3)	29.03.2016	360.04	22.24		-22.44	-22.44
2016-17	0124/0118	143(3)	11.12.2018	357.35	48.63		-6.68	-6.11
2017-18	0124	143(1)	लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित	422.60	81.29		-4.98	लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित
2018-19	04006, 04097	143(3)	22.04.2021	502.78	107.95		-31.47	-27.80

(ए) नौ वर्षों अर्थात् निर्धारण वर्ष 2009-10 से 2016-17 और 2018-19 में संवीक्षा निर्धारण धारा 143(3) के अन्तर्गत किया गया और शेष एक निर्धारण वर्ष 2017-18 को धारा 143(1) के अन्तर्गत संक्षिप्त निर्धारण में संसाधित किया गया था।

- (बी) निर्धारण वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान शून्य राशि की घोषित आय को स्वीकार करते हुए संवीक्षा निर्धारण पूरा किया गया था।
- (सी) निर्धारण वर्ष 2012-13 से 2016-17 और 2018-19 के दौरान घोषित हानि में क्रमशः ₹ 1.91 करोड़, ₹ 1.89 करोड़, ₹ 0.56 करोड़, ₹ 0.01 करोड़, ₹ 0.57 करोड़ और ₹ 3.67 करोड़ जोड़कर संवीक्षा निर्धारण पूरा किया गया।
- (डी) निर्धारण वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान, निर्धारिती द्वारा दाखिल आयकर विवरणी के सम्बंधित कॉलम में व्यावसायिक गतिविधि कोड का उल्लेख नहीं किया गया था।

(II) निर्धारण का लेखापरीक्षा विश्लेषण:

लेखापरीक्षा ने मैसर्स एम2 लिमिटेड के निर्धारण अभिलेखों की जाँच की (सितंबर 2019 एवं सितंबर 2021) और पाँच निर्धारण वर्षों 2014-15 से 2018-19 (निर्धारण वर्ष 2014-15 से 2016-17 और 2018-19 में संवीक्षा निर्धारण और वर्ष 2017-18 में संक्षिप्त निर्धारण) में देखा की निर्धारिती ने अधिनियम की धारा 206सी के अन्तर्गत फॉर्म-3सीडी के क्रमांक 34(ए) पर लेखापरीक्षक द्वारा सत्यापित बिक्री ₹ 601.26 करोड़ के बजाय लाभ और हानि खाते में ₹ 329.54 करोड़ (सकल बिक्री ₹ 618.62 करोड़ - आबकारी शुल्क ₹ 289.08 करोड़) की निवल बिक्री घोषित की थी। जिसके परिणाम स्वरूप ₹ 271.72 करोड़ (₹ 601.26 करोड़ - ₹ 329.54 करोड़) की बिक्री कम घोषित हुई (अनुलग्नक-जे)। निर्धारण वर्ष 2014-15 से 2018-19 में आयकर विभाग द्वारा ₹ 271.72 करोड़ की कम घोषित बिक्री का संज्ञान न लेने के परिणाम स्वरूप अधिनियम की धारा 234ए और 234बी के अन्तर्गत देय ब्याज को छोड़कर ₹ 93.96 करोड़ कर प्रभाव वाली आय की कम गणना हुई। अगर आयकर अधिनियम की धारा 68/69सी का प्रावधान लागू होता, तो कर संघात/प्रभाव अधिक होता²⁷।

²⁷ धारा 68/69सी के अन्तर्गत कर प्रभाव की संभावित राशि ₹ 185.68 करोड़ (लगभग) बनती है।

सीपीसी (टीडीएस) आँकड़ों के साथ मिलान न किया जाना:

लेखापरीक्षा ने आगे सीपीसी (टीडीएस) द्वारा प्रदान किए गए आँकड़ों का विश्लेषण किया और पाया कि दो निर्धारण वर्षों 2014-15 और 2015-16 में बिक्री, जिसमें स्रोत पर कर एकत्र किया गया था, क्रमशः ₹ 27.52 लाख और ₹ 4.44 लाख थी जबकि फॉर्म 3सीडी में बिक्री क्रमशः ₹ 26.09 करोड़ और ₹ 40.19 करोड़ थी। तीन निर्धारण वर्षों 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए स्रोत पर एकत्रित कर और संबंधित बिक्री के विवरण सीपीसी (टीडीएस) आँकड़ों में उपलब्ध नहीं थे। इस तथ्य के बावजूद भी कि टीडीएस बिक्री की सनदी लेखाकार द्वारा फॉर्म 3सीडी में घोषणा की गयी थी, निर्धारण को अंतिम रूप देने के दौरान आवश्यक सत्यापन के लिए सूचना को टीडीएस विंग के पास भेजा जाना आवश्यक था, जबकी डीसीआईटी वृत्त 16(1), दिल्ली द्वारा संवीक्षा निर्धारण मामलों में ऐसा कोई प्रयास नहीं पाया गया था। सीपीसी (टीडीएस) द्वारा सूचित बिक्री का विवरण नीचे तालिका 2.6.1 में दिया गया है:

तालिका 2.6.1				(₹ करोड़ में)
निर्धारण वर्ष	पी/एल में आबकारी शुल्क सहित बिक्री	पी/एल के अनुसार आबकारी शुल्क	बिक्री, जिस पर 3सीडी/34(ए) के अनुसार स्रोत पर कर एकत्र किया गया	सीपीसी (टीडीएस) के अनुसार बिक्री
2014-15	49.65	28.97	26.09	0.28
2015-16	54.17	22.24	40.19	0.04
2016-17	105.61	48.63	99.93	सीपीसी डेटा में नहीं
2017-18	167.28	81.29	169.85	सीपीसी डेटा में नहीं
2018-19	241.92	107.95	265.20	सीपीसी डेटा में नहीं

डीसीआईटी वृत्त 16(1), दिल्ली द्वारा किए गए समुचित प्रयास को लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका क्योंकि अभिलेखों में कोई सहायक दस्तावेज/विवरण नहीं पाए गए थे।

डीसीआईटी वृत्त 16(1), दिल्ली ने बताया (फरवरी 2021) कि निर्धारण वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए निर्धारिती से

स्पष्टीकरण/प्रस्तुतियां मांगी गई थीं। निर्धारण वर्ष 2018-19 के संबंध में विभाग द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया था (जून 2022)।

डीसीआईटी (मुख्यालय) (समन्वय-II) दिल्ली ने कहा (जुलाई 2022) कि निर्धारण वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2018-19 के मामले स्वीकार्य नहीं हैं। हालांकि निर्धारण वर्षों 2014-15 से 2017-18 के लिए मामलों को आयकर अधिनियम की धारा 148 के अन्तर्गत फिर से खोला गया था जिसमें से निर्धारण वर्ष 2014-15 एवं 2017-18 के लिए कार्यवाहियों को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा रोक दिया गया है और निर्धारण वर्ष 2014-15 एवं 2017-18 के लिए उठाई गई लेखापरीक्षा आपत्तियों पर अंतिम टिप्पणियां निष्कर्ष के बाद प्रस्तुत की जाएंगी।

डीसीआईटी (मुख्यालय) (समन्वय-II) दिल्ली ने आगे कहा (जुलाई 2022) कि निर्धारण वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 का निर्धारण एनएएफएसी द्वारा पूरा कर लिया गया है। पीसीआईटी-4, नई दिल्ली कार्यालय के नोडल अधिकारी ने निर्धारण वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के लिए आयकर अधिनियम की धारा 147 सपठित धारा 144बी के अन्तर्गत पारित निर्धारण आदेश उपलब्ध कराया (सितंबर 2022)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि व्यापार छूट, व्यापार छूट की प्रकृति, निर्माण के दौरान टूट-फुट, बिक्री वापसी और स्क्रेप बिक्री आदि के विवरण निर्धारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे। डीसीआईटी वृत्त 16(1) दिल्ली ने निर्धारिती द्वारा प्रदान की गई अलेखापरीक्षित जानकारी पर विश्वास किया। बिक्री में अंतर का मिलान निर्धारिती द्वारा सीपीसी (टीडीएस) के स्तर पर आयकर विभाग के टीडीएस विंग में दाखिल टीसीएस रिटर्न के साथ नहीं किया गया था। सम्बन्धित राज्य आबकारी विभाग से बिक्री का विवरण प्राप्त करने हेतु समन्वय स्थापित करने के किसी प्रयास को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका। राजस्व हित में निर्धारण/पुनर्निर्धारण कार्यवाही के दौरान अन्तर्विभागीय और अन्तःविभागीय समन्वय की कमी को दूर करने की आवश्यकता है। पुनः पीसीआईटी-4, नई दिल्ली कार्यालय के नोडल अधिकारी ने अपने उत्तर के समर्थन में कोई सहायक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए।

विभाग निर्धारण वर्षों 2015-16, 2016-17 एवं 2018-19 के मामलों का लाभ और हानि खाते में प्रदर्शित आय के साथ आबकारी विवरणी का मिलान करने के बाद पुनर्निर्धारण कर सकता है। {रिपोर्ट के पैरा 2.3.2.2 (II) का सन्दर्भ लें जहां निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए मैसर्स पी1 प्राइवेट लिमिटेड के मामले में अधिनियम की धारा 142(2ए) के अंतर्गत विशेष लेखापरीक्षक के निष्कर्षों के आधार पर लाभ और हानि खाते में परिलक्षित आय के साथ आबकारी शुल्क विवरणियों के गैर-समाधान के कारण आय में अतिरिक्त वृद्धि की है}

विभाग द्वारा की गई आगे की कार्यवाही का विवरण और मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

2.3.2.7 पीसीआईटी 1 मुंबई-मैसर्स ए1 लिमिटेड

लेखापरीक्षा ने निर्धारण वर्ष 2012-13 से 2018-19 के लिए मैसर्स ए1 लिमिटेड के संबंध में अभिलेख मांगे (जुलाई 2019 और अक्टूबर 2021)।

अभिलेखों का प्रस्तुत न होना/उपलब्ध न होना:

राज्य आबकारी विभाग में जमा आबकारी शुल्क और तदनुरूप बिक्री के साथ-साथ राज्य आबकारी विभाग से उसकी पुष्टि संवीक्षा निर्धारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थी। निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए धारा 147 के अन्तर्गत पारित निर्धारण आदेश लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था।

(I) **अवलोकन:** दस निर्धारण वर्षों अर्थात् निर्धारण वर्ष 2009-10 से 2018-19 की अवधि के दौरान लेखापरीक्षा ने समरी/संवीक्षा निर्धारण के विवरण को नोट किया, जैसा कि नीचे तालिका 2.7 में बताया गया है:

तालिका 2.7: मैसर्स ए1 लिमिटेड								
								(₹ करोड़ में)
निर्धारण वर्ष	व्यावसायिक गतिविधि कोड	धारा के अंतर्गत निर्धारित/ संसाधित	निर्धारण आदेश की तिथि	पी /एल में बिक्री/ सकल प्राप्तियां	पी/एल में डेबिट किया गया आबकारी शुल्क	आबकारी विभाग में जमा आबकारी शुल्क	घोषित आय/ नुकसान	निर्धारित आय/हानि
2009-10	0124	143(3) सपठित 144C(13)	08.03.2013	1330.37	उपलब्ध नहीं		-116.98	-38.55
2010-11	0124	143(3)	06.05.2014	1314.33	उपलब्ध नहीं		-194.29	-117.82
2011-12	0124	143(3) सपठित 144C(13)	28.01.2016	1517.86	उपलब्ध नहीं		-88.82	-23.78
2012-13	0124	143(3)	24.01.2017	2,987.07	1,146.32	लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित	-133.08	-35.62
2013-14	0124	143(3)	30.10.2017	3,453.77	1,457.24		-81.27	-33.17
2014-15	0124	143(3)	25.10.2018	3,475.83	1,555.60		-80.18	-30.90
2015-16	0124	143(1)	25.03.2016	3,593.33	1,653.63		-66.14	0
2016-17	0124	143(3)	30.06.2021	3,827.68	1,739.97		-32.93	47.58
2017-18	0124	143(3)	30.09.2021	3,144.40	1,526.44		-243.69	32.05
2018-19	04017	143(3)	30.09.2021	3,042.91	1,684.45		0	1.28

(ए) नौ वर्षों अर्थात् निर्धारण वर्ष 2009-10 से 2014-15 तथा 2016-17 से 2018-19 तक के संवीक्षा निर्धारण धारा 143(3) के अन्तर्गत पूरे किये गये थे। शेष निर्धारण वर्ष 2015-16 में, मामले को धारा 143(1) के अधीन संक्षिप्त निर्धारण के अंतर्गत संसाधित किया गया था और बाद में अधिनियम की धारा 147 के अन्तर्गत फिर से खोला गया (मार्च 2019)।

(II) निर्धारण का लेखापरीक्षा विश्लेषण:

लेखापरीक्षा ने मैसर्स ए1 लिमिटेड के निर्धारण अभिलेखों की जाँच की (अक्टूबर 2021) और दो निर्धारण वर्षों 2015-16 और 2016-17 (2015-16 और 2016-17 में सर्वोक्षा निर्धारण) में देखा कि निर्धारिती ने अधिनियम की धारा 206 सी के अन्तर्गत फॉर्म-3 सीडी के क्रमांक 34(ए) पर लेखापरीक्षक द्वारा सत्यापित बिक्री ₹ 4,207.81 करोड़ के बजाय लाभ और हानि खाते में

₹ 3,818.22 करोड़ की निवल बिक्री घोषित की थी जिसके परिणाम स्वरूप ₹ 389.59 करोड़ (₹ 4,207.81 करोड़ - ₹ 3,818.22 करोड़) की बिक्री कम घोषित हुई (अनुलग्नक-के)। आयकर विभाग द्वारा ₹ 389.59 करोड़ की कम घोषित बिक्री का संज्ञान न लेने के परिणाम स्वरूप अधिनियम की धारा 234ए और 234बी के अंतर्गत देय ब्याज को छोड़कर ₹ 133.22 करोड़ कर प्रभाव वाली आय की कम गणना हुई।

पीसीआईटी-1, मुंबई का उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

2.3.2.8 पीसीआईटी 2 बंगलुरु- मैसर्स यू2 लिमिटेड।

लेखापरीक्षा ने निर्धारण वर्ष 2009-10 से 2018-19 के लिए मैसर्स यू2 लिमिटेड के संबंध में अभिलेख माँगे (सितंबर 2021)।

अभिलेखों का प्रस्तुत न होना/उपलब्ध न होना:

राज्य आबकारी विभाग में जमा आबकारी शुल्क और तदनुरूप बिक्री के साथ-साथ राज्य आबकारी विभाग से इसकी पुष्टि संवीक्षा निर्धारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थी। निर्धारण वर्ष 2013-14, 2017-18 और 2018-19 के निर्धारण फ़ोल्डर/केस रिकॉर्ड जैसे ऑडिट रिपोर्ट, वित्तीय विवरण लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए। विभाग ने निर्धारण वर्ष 2014-15 से 2016-17 के लिए मैसर्स यू2 लिमिटेड के लाभ और हानि खाते में प्रदर्शित 'टाई-अप एग्रीमेंट' के अन्तर्गत बिक्री के आंकड़ों का विभाजन प्रदान नहीं किया।

(I) अवलोकन: दस निर्धारण वर्षों अर्थात् निर्धारण वर्ष 2009-10 से 2018-19 की अवधि के लिए नमूना जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा ने संक्षिप्त/संवीक्षा निर्धारण के विवरण को विश्लेषित और नोट किया जैसा कि नीचे तालिका 2.8 में वर्णित है:

तालिका 2.8 मैसर्स यू2 लिमिटेड								
(₹ करोड़ में)								
निर्धारण वर्ष	व्यावसायिक गतिविधि कोड	धारा के अंतर्गत निर्धारित/ पारित	निर्धारण आदेश की तिथि	पी/एल में बिक्री/ सकल प्राप्ति	पी/एल में डेबिट किया गया आबकारी शुल्क	आबकारी विभाग में जमा आबकारी शुल्क	घोषित आय/ हानि	निर्धारित आय/ हानि
2009-10	0124	143(3)	30.12.2011	7,113.08	3,365.42		496.64	550.34
2010-11	0124	143(3)	28.03.2013	8,779.07	4,254.94		389.97	431.80
2011-12	0124	143(3)	31.03.2014	12,366.12	6,467.71		515.17	543.61
2012-13	0124	143(3)	31.01.2017	16,046.43	8,503.76		513.47	990.14
		सपठित धारा 144सी (13)						
2013-14	लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित	लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित	लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित	18,834.40	10,516.23	लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित	लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित	लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित
2014-15	0124/ 0204	143(3)	10.10.2018	20,734.88	12,308.53	लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित	387.70	1,609.01
		सपठित धारा 144सी (13)						
2015-16	0124/ 0204	143(3)	25.10.2019	20,502.54	12,550.89		250.86	1,688.41
		सपठित धारा 144सी (13)						
2016-17	0124/ 0204	143(3)	30.04.2021	22,241.98	13,209.68		-157.54	1,734.35
		सपठित धारा 144सी (13)						
2017-18	0124/ 0204	जांच चल रही है	लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित	लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित	लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित		75.59	लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित
2018-19	04018/ 04019	जांच चल रही है	लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित	लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित	लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित		772.52	लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित

- (ए) आयकर विभाग द्वारा प्रदान किए गए अभिलेखों के अनुसार सात निर्धारण वर्षों अर्थात् निर्धारण वर्ष 2009-10 से 2012-13 और 2014-15 से 2016-17 में धारा 143(3) के अन्तर्गत संवीक्षा निर्धारण पूरा किया गया था।
- (बी) निर्धारण वर्षों 2013-14, 2017-18 और 2018-19 के विवरण अभी भी लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित है।

(II) निर्धारण का लेखापरीक्षा विश्लेषण:

(ए) लेखापरीक्षा ने मैसर्स यू2 लिमिटेड के तीन निर्धारण वर्षों 2014-15 से 2016-17 (निर्धारण वर्षों 2014-15 से 2016-17 में सर्वीक्षा निर्धारण) के निर्धारण अभिलेखों की जांच की (जनवरी 2022) और देखा कि निर्धारिती ने अधिनियम की धारा 206सी के अन्तर्गत फॉर्म-3 सीडी के क्रमांक 34(ए) पर लेखापरीक्षक द्वारा सत्यापित बिक्री ₹ 36,908.66 करोड़ के बजाय लाभ और हानि खाते में ₹ 24,015.56 करोड़ की निवल बिक्री घोषित की थी जिसके परिणाम स्वरूप ₹ 12,893.10 करोड़ (₹ 36,908.66 करोड़ - ₹ 24,015.56 करोड़) की बिक्री कम घोषित हुई (अनुलग्नक-एल)। निर्धारण वर्ष 2014-15 से 2016-17 में आयकर विभाग द्वारा ₹ 12,893.10 करोड़ की कम घोषित बिक्री का संज्ञान न लेने के परिणाम स्वरूप अधिनियम की धारा 234ए और 234बी के अन्तर्गत देय ब्याज को छोड़कर ₹ 4,396.48 करोड़ कर प्रभाव वाली आय की कम गणना हुई।

पीसीआईटी-2, बेंगलुरु का उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

(बी) लेखापरीक्षा ने देखा (दिसंबर 2022) कि निर्धारण वर्ष 2015-16 से 2018-19 के दौरान, मैसर्स यू2 लिमिटेड की कर्नाटक राज्य में छह आसवनियाँ थीं। इन आसवनियों के उत्पाद केवल मैसर्स के1 लिमिटेड को बेचे जाते थे, जो उन उत्पादों को अनुज्ञापनधारी खुदरा विक्रेताओं को बेचती थी। लेखापरीक्षा ने राज्य आबकारी विभाग से निर्धारण वर्ष 2015-16 से 2018-19 की अवधि के लिए प्रत्येक आसवनी इकाई द्वारा कर्नाटक में की गई बिक्री का विवरण माँगा। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने निर्धारण वर्ष 2015-16 से 2018-19 के लिए मैसर्स यू2 लिमिटेड की छह आसवनी इकाइयों द्वारा कर्नाटक के राज्य आबकारी विभाग में घोषित कुल बिक्री के साथ मैसर्स के1 लिमिटेड द्वारा घोषित कुल खरीद की तुलना की। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारण वर्ष 2015-16 से 2018-19 में इन आसवनी इकाइयों द्वारा की गयी बिक्री में ₹ 544.93 करोड़ का कम लेखांकन था (अनुलग्नक-एल1)। खरीद और बिक्री लेखांकन में पर्याप्त अंतर आसवनी इकाइयों के वर्तमान लेखांकन अभ्यास में अंतर्निहित जोखिम को इंगित करता है, जो राजस्व हित के प्रतिकूल है। संबंधित निर्धारण वर्षों की

निर्धारण कार्यवाहियों में विसंगतियों का समाधान किया जाना आवश्यक था। लेखापरीक्षा में अंतर के कारण को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

पीसीआईटी-2, बेंगलुरु का उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

(सी) राज्य आबकारी विभाग कर्नाटक ने निर्धारण वर्ष 2015-16 में चामुंडी इकाई से सम्बंधित मैसर्स यू2 लिमिटेड द्वारा बनाये गये उत्पादों की ₹ 280.43 करोड़ बिक्री सूचित की, जबकि, मैसर्स के1 लिमिटेड ने चामुंडी इकाई की बिक्री उत्पाद की शून्य खरीद सूचित किया। लेखापरीक्षा में बिक्री में अंतर के कारण को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। पीसीआईटी-2, बेंगलुरु से उत्तर की प्रतीक्षा है (फरवरी 2024)।

2.3.2.9 पीसीआईटी-2, बेंगलुरु- मैसर्स यू3 लिमिटेड।

लेखापरीक्षा ने निर्धारण वर्ष 2009-10 से 2018-19 के लिए मैसर्स यू3 लिमिटेड के संबंध में अभिलेख माँगे (सितंबर 2021)।

अभिलेखों का प्रस्तुत न होना/उपलब्ध न होना:

राज्य आबकारी विभाग में जमा आबकारी शुल्क और तदनुरूप बिक्री के साथ-साथ राज्य आबकारी विभाग से इसकी पुष्टि संवीक्षा निर्धारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थी। निर्धारण वर्ष 2018-19 के निर्धारण फ़ोल्डर/केस रिकॉर्ड जैसे ऑडिट रिपोर्ट और वित्तीय विवरण लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

(I) **अवलोकन:** दस निर्धारण वर्षों अर्थात् निर्धारण वर्ष 2009-10 से 2018-19 की अवधि के लिए नमूना जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा ने संक्षिप्त/संवीक्षा निर्धारण के विवरण को विश्लेषित और नोट किया जैसा कि नीचे तालिका 2.9 में वर्णित है:

तालिका 2.9: मैसर्स यू3 लिमिटेड								
(₹ करोड़ में)								
निर्धारण वर्ष	व्यावसायिक गतिविधि कोड	धारा के अंतर्गत निर्धारित/ पारित	निर्धारण आदेश की तिथि	पी/एल में बिक्री/ सकल प्राप्त	पी/एल में डेबिट किया गया आबकारी शुल्क	आबकारी विभाग में जमा आबकारी शुल्क	घोषित आय/हानि	निर्धारित आय/हानि
2009-10	0124/0204	143(3)	21.12.2011	2,460.45	762.18		77.35	96.17
2010-11	0124/0204	143(3)	28.03.2013	2,955.80	958.35		154.74	205.15
2011-12	उल्लेख नहीं है	143(3)	26.03.2014	4,557.12	1,543.92		0	33.50
2012-13	उल्लेख नहीं है	143(3) सपठित धारा 147	22.05.2019	5,864.94	2,237.25		132.93	342.68
2013-14	उल्लेख नहीं है	143(3) सपठित धारा 144सी(13)	09.10.2017	6,530.23	2,627.09		264.12	322.46
2014-15	0124	143(3) सपठित धारा 144सी(1)	26.09.2018	7,261.84	3,026.34		313.01	349.98
2015-16	0124	143(3) सपठित धारा 144सी(13)	21.10.2019	8,238.68	3,546.39	लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित	349.76	429.75
2016-17	0124	143(3) सपठित धारा 144सी(13) सपठित धारा 144बी	30.04.2021	9,167.73	4,086.25		461.47	640.40
2017-18	0124	143(3) सपठित धारा 144बी	22.04.2021	10,228.16	5,500.61		385.30	1122.29
2018-19	04017	लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित	लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित	लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित	लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित		लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित	लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित

(ए) विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के अनुसार नौ वर्षों अर्थात् निर्धारण वर्ष 2009-10 से 2017-18 के लिए धारा 143(3) के अन्तर्गत संवीक्षा निर्धारण पूरे किए गए।

(बी) निर्धारण वर्ष 2018-19 के विवरण लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित हैं।

(II) निर्धारण का लेखापरीक्षा विश्लेषण:

(ए) लेखापरीक्षा ने मैसर्स यू3 लिमिटेड के तीन निर्धारण वर्षों 2014-15 से 2017-18 (निर्धारण वर्ष 2014-15 से 2017-18 में संवीक्षा निर्धारण) के निर्धारण अभिलेखों की जाँच की (जनवरी 2022) और देखा कि निर्धारिती ने अधिनियम

की धारा 206सी के अन्तर्गत फॉर्म-3 सीडी के क्रमांक 34(ए) पर लेखापरीक्षक द्वारा सत्यापित बिक्री ₹ 18,657.94 करोड़ के बजाय लाभ और हानि खाते में ₹ 16,795.20 करोड़ की निवल बिक्री घोषित की थी जिसके परिणाम स्वरूप ₹ 1,862.74 करोड़ (₹ 18,657.94 करोड़ - ₹ 16,795.20 करोड़) की बिक्री कम घोषित हुई (अनुलग्नक-एम)। निर्धारण वर्ष 2014-15 से 2017-18 में आयकर विभाग द्वारा ₹ 1,862.74 करोड़ की कम घोषित बिक्री का संज्ञान न लेने के परिणाम स्वरूप अधिनियम की धारा 234ए और 234बी के अन्तर्गत देय ब्याज को छोड़कर ₹ 642.49 करोड़ कर प्रभाव वाली आय की कम गणना हुई। अगर आयकर अधिनियम की धारा 68/69सी का प्रावधान लागू होता, तो कर संघात/प्रभाव अधिक होता²⁸।

पीसीआईटी-2, बेंगलुरु से प्राप्त उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

(बी) लेखापरीक्षा ने देखा (दिसंबर 2022) कि निर्धारण वर्ष 2015-16 से 2018-19 के दौरान, मैसर्स यू3 लिमिटेड की कर्नाटक राज्य में तीन यवासवनियाँ नामतः मंगलुरु, नेलमंगला और नान्जांगुड थीं। इन यवासवनियों के उत्पादों को केवल मैसर्स के1 लिमिटेड को बेचा जाता था, जो उन्हें अनुज्ञापनधारी खुदरा विक्रेताओं को बेचती थी। लेखापरीक्षा ने राज्य आबकारी विभाग से निर्धारण वर्ष 2015-16 से 2018-19 की अवधि के लिए मंगलुरु, नेलमंगला और नान्जांगुड इकाइयों द्वारा कर्नाटक में की गई बिक्री का विवरण मांगा। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने निर्धारण वर्ष 2015-16 से 2018-19 के लिए राज्य आबकारी विभाग कर्नाटक में मैसर्स यू3 लिमिटेड की तीन यवासवनी इकाइयों द्वारा घोषित की गई कुल बिक्री के साथ मैसर्स के1 लिमिटेड द्वारा घोषित कुल खरीद की तुलना की। लेखापरीक्षा ने पाया गया कि निर्धारण वर्ष 2015-16 से 2018-19 में इन यवासवनी इकाइयों द्वारा की गयी बिक्री में ₹ 449.74 करोड़ का कम लेखांकन था (अनुलग्नक-एम1)। खरीद और बिक्री लेखांकन में पर्याप्त अंतर यवासवनी इकाइयों के वर्तमान लेखांकन अभ्यास में अंतर्निहित जोखिम को इंगित करता है, जो राजस्व हित के प्रतिकूल है। संबंधित निर्धारण वर्षों की निर्धारण कार्यवाहियों में विसंगतियों का समाधान किया जाना आवश्यक था। लेखापरीक्षा में अंतर के कारण को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

²⁸ धारा 68/69सी के अन्तर्गत कर प्रभाव की संभावित राशि ₹ 1281.12 करोड़ (लगभग) बनती है।

पीसीआईटी-2, बेंगलुरु का उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

2.3.2.10 पीसीआईटी-1, लखनऊ-मैसर्स एम1 लिमिटेड।

लेखापरीक्षा ने मैसर्स एम1 लिमिटेड के निर्धारण अभिलेखों की जाँच की (मई 2019) और दो निर्धारण वर्षों, 2014-15 और 2015-16 (निर्धारण वर्ष 2014-15 में संवीक्षा निर्धारण और निर्धारण वर्ष 2015-16 में समरी निर्धारण) में देखा कि निर्धारिती ने मैसर्स यू3 लिमिटेड को ₹ 37.15 करोड़ (क्रमशः ₹ 17.09 करोड़ एवं ₹ 20.06 करोड़) की रॉयल्टी का भुगतान किया था। जबकि, मैसर्स यू3 लिमिटेड ने अपने लाभ और हानि खाते में, संबंधित निर्धारण वर्षों में सभी सीएमयू से केवल ₹ 11.87 करोड़ (₹ 5.04 करोड़ + ₹ 6.83 करोड़) की रॉयल्टी से आय दिखाई थी। मैसर्स यू3 लिमिटेड के खातों में रॉयल्टी के विवरण के अभाव में, मैसर्स एम1 लिमिटेड द्वारा मैसर्स यू3 लिमिटेड को किए गए सटीक रॉयल्टी भुगतान को सत्यापित नहीं किया जा सका। लेखापरीक्षा ने निर्धारण वर्ष 2014-15 और 2015-16 में आयकर अधिनियम की धारा 234ए और 234बी के अन्तर्गत ब्याज को छोड़कर ₹ 8.59 करोड़ कर प्रभाव वाले व्यय का अतिरिक्त दावा कम से कम ₹ 25.28 करोड़ (₹ 37.15 करोड़ - ₹ 11.87 करोड़) का पाया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मैसर्स एम1 लिमिटेड के निर्धारण अधिकारी ने मैसर्स यू3 लिमिटेड के क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी को रॉयल्टी भुगतान के विवरण के बारे में सूचित नहीं किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मैसर्स यू3 लिमिटेड ने रॉयल्टी से आय पर कर का विधिवत भुगतान किया है। इस अवधि के दौरान, मैसर्स यू3 लिमिटेड के निर्धारण अधिकारी ने मैसर्स एम1 लिमिटेड और अन्य अनुबंध विनिर्माण इकाइयों के सम्बंधित निर्धारण अधिकारियों से इन विवरणों को सत्यापित कराने का कोई प्रयास नहीं किया।

उत्तर में पीसीसीआईटी (सीसीए), लखनऊ ने कहा (जनवरी 2022) कि अधिनियम की धारा 147 के अन्तर्गत उपचारात्मक कार्रवाई निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए शुरू की गई है और निर्धारण वर्ष 2015-16 से 2017-18 के लिए धारा 147 सपठित धारा 148 के अन्तर्गत मामले फिर से खोलने के लिए प्रस्तावित हैं।

विभाग द्वारा की गई आगे की कार्रवाई का विवरण प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

2.3.2.11 निष्कर्ष

टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की सकल बिक्री में क्रमांक 34ए में टीसीएस/गैर टीसीएस, आबकारी शुल्क, वैट, अन्य करों/शुल्कों में विभाजन के प्रावधान का आभाव था और संवीक्षा निर्धारण के स्तर पर इस तरह के विवरणों के मांगने में निर्धारण अधिकारियों की विफलता ने संवीक्षा निर्धारण की गुणवत्ता को प्रभावित किया, जो इंगित करता है कि राजस्व रिसाव की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्र के लिए विशिष्ट जोखिमों का समाधान करने के लिए संकेन्द्रित दृष्टिकोण का अभाव फील्ड स्तर पर सत्यापन और निगरानी तंत्र में कमी के कारण और बढ़ जाता है। इस तरह की अनियमितताओं में कर चोरी का जोखिम अंतर्निहित था जिसकी सघन जाँच और विस्तृत परिक्षण की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, विभाग को लेखापरीक्षा अभियुक्तियों पर अभी भी, यहाँ तक की कुछ मामलों में अभियुक्तियों को जारी करने के चार वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी, उचित कार्यवाही करना शेष है।

आयकर विभाग संभावित राजकोषीय राजस्व रिसाव को रोकने हेतु आगामी निर्धारण वर्षों के लिए भी लेखापरीक्षा को सूचित करते हुए इन निर्धारितियों की विस्तार से जाँच कर सकता है।

2.3.3 तैयार उत्पादों के मात्रात्मक सार के संबंध में अंकगणितीय विसंगति और लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणीकरण

मदिरा के कारोबार में लगी चार कंपनियों अर्थात् मैसर्स डब्लू1 लिमिटेड, मैसर्स आर1 लिमिटेड, मैसर्स एम2 लिमिटेड और मैसर्स ए1 लिमिटेड के अभिलेखों की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा कि आईटीडी सिस्टम उन मामलों की पहचान नहीं कर सका जहां फॉर्म 3सीडी के क्रम संख्या 35बीबी में तैयार उत्पादों के मात्रात्मक सार में लेखापरीक्षक द्वारा दर्शायी और प्रमाणित आंकड़ों में अंकगणितीय विसंगतियां थीं। अभियुक्तियाँ नीचे उल्लिखित हैं:

2.3.3.1 पीसीआईटी बरेली - मैसर्स डब्ल्यू1 लिमिटेड

(ए) निर्धारण वर्ष 2014-15 से संबंधित संवीक्षा निर्धारण अभिलेखों की जांच में लेखापरीक्षा ने पाया (अक्टूबर 2019) कि फॉर्म 3सीडी के क्र.स.35 बीबी में तैयार उत्पाद (जैसे, रेक्टिफाइड स्पिरिट्स, साइलेंट स्पिरिट्स, केन जूस स्पिरिट्स, माल्ट स्पिरिट्स, अनाज स्पिरिट्स और पेट बोटल्स) के मात्रात्मक सार के संबंध में अंकगणितीय विसंगति थी और जिसे ऑडिटर द्वारा प्रमाणित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप 2,17,74,342 लीटर का कम लेखांकन हुआ (अनुलग्नक-एन-1)। निर्धारण वर्ष 2014-15 में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विवरणों को सत्यापित करने में चूक के परिणामस्वरूप ₹ 87.10 करोड़ आय की कम गणना हुई (2,17,74,342@ ₹ 40 प्रति लीटर), जिससे आयकर अधिनियम की धारा 234ए और 234बी के अंतर्गत ब्याज को छोड़कर ₹ 29.60 करोड़ का कम कर आरोपण हुआ।

उत्तर में (जनवरी 2022), पीसीसीआईटी (सीसीए) लखनऊ ने कहा कि निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए, सभी लेखापरीक्षा आपत्तियां एनईएसी को भेजी जाएंगी जहां से फेसलेस तरीके से निर्धारण किया जाना है और वहां सभी बिंदु आयकर अधिनियम की धारा 143(3)/147 के अंतर्गत कार्यवाही के दौरान फिर से जांच की जा सकती है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए धारा 147 सपठित धारा 144बी के अंतर्गत मैसर्स यू3 लिमिटेड के ब्रांड की बिक्री से सम्बंधित ₹ 223.80 करोड़ को जोड़कर ₹ 256.81 करोड़ की आय पर एक आदेश पारित किया (मार्च 2022)। लेकिन लेखापरीक्षा द्वारा बताया गया कम लेखांकन को न तो निर्धारित आय में जोड़ा गया और न ही एन.इ.एफ.सी. द्वारा मार्च 2022 में पारित निर्धारण आदेश में इसका उल्लेख किया गया। लेखापरीक्षा में न जोड़े जाने के कारणों का पता नहीं लगाया जा सका।

यह उल्लेख किया जा सकता है कि 2014-15 से 2017-18 तक विभिन्न निर्धारण वर्षों में फॉर्म 3सीडी में लेखापरीक्षा रिपोर्ट में दर्शित किए गए कच्चे माल की खपत के आंकड़ों और उत्तर प्रदेश राज्य आबकारी विभाग के द्वारा दर्शित किए गए आंकड़ों में भिन्नता के कारण, एक ड्राफ्ट पैरा "उपभोग की गई उत्पाद शुल्क सामग्री और उस पर ब्याज की मात्रा को छुपाव के कारण राजस्व

की वसूली न हो पाना" शीर्षक के अंतर्गत ₹ 1,646.04 करोड़ (आबकारी शुल्क ₹ 816.58 करोड़ + ब्याज ₹ 829.46 करोड़) के धन मूल्य के साथ भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की 31मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व क्षेत्र-उत्तर प्रदेश सरकार 2020-की प्रतिवेदन संख्या 3 में मुद्रित किया गया था। विभाग द्वारा की गई आगे की कार्रवाई का विवरण और मंत्रालय का उत्तर लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित है (फरवरी-2024)।

(बी) निर्धारण वर्ष 2018-19 से सम्बंधित समरी अभिलेखों की जाँच में लेखापरीक्षा ने पाया (नवम्बर 2021) कि फार्म 3सीडी के क्रम संख्या 35 बीबी में तैयार उत्पाद (इएनए/आरएस उत्पादित, ब्लेंडिंग स्टॉक (आईएमएफ़एल), ब्लेंडिंग स्टॉक (सीएल), मॉल्ट (सेल्फ एमआरएफ़), बीयर (स्ट्रॉंग) आदि के मात्रात्मक सार के सम्बन्ध में अंकगणितीय विसंगति थी जिसे सनदी लेखाकार के द्वारा प्रमाणित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप 13,49,56,782 लीटर का कम लेखांकन हुआ (अनुलग्नक-एन-2)। जिससे ₹ 719.05 करोड़ (13,49,56,782 लीटर @ ₹ 53.28 प्रति लीटर) की कम आय पर आयकर अधिनियम की धारा 234ए और 234बी के अंतर्गत ब्याज को छोड़कर ₹ 248.85 करोड़ का कम करारोपण हुआ।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि धारा 143(1) के अंतर्गत आयकर रिटर्न के पारित होने के बाद, निर्धारिती ने अक्टूबर 2020 में धारा 143(1) के अंतर्गत आईटीआर के पारित होने के आठ महीने बाद बिना कोई कारण बताए एक संशोधित आईटीआर दाखिल किया था, जिसे अनुमति दी गई थी और आईटीडी सिस्टम द्वारा स्वीकार किया गया। संशोधित ऑडिट रिपोर्ट में, लेखापरीक्षा ने पाया कि लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए अंतर निर्धारिती द्वारा संशोधित और अपलोड किए गए थे, जिन्हें आईटीडी प्रणाली द्वारा अनुमति दी गई थी। चूंकि तथ्यों और संशोधित आंकड़ों की रिपोर्टिंग मूल आंकड़ों से भिन्न थी, संशोधित अंतर राशि/आंकड़ों ने ₹ 719.05 करोड़ के राजस्व निहितार्थ वाले निर्धारिती के लाभ और हानि खाते को प्रभावित किया। आईटीडी अधिनियम की धारा 147 के अंतर्गत मामले को फिर से खोलकर विस्तृत जांच पर विचार कर सकता है।

पीसीसीआईटी (सीसीए), लखनऊ का उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

2.3.3.2 पीसीआईटी (सेन्ट्रल)-3 नई दिल्ली-मैसर्स आर1 लिमिटेड

निर्धारण वर्षों 2015-16 से 2017-18 (निर्धारण वर्ष 2016-17 में संवीक्षा निर्धारण और निर्धारण वर्ष 2015-16 और 2017-18 में समरी निर्धारण) से संबंधित अभिलेखों की जांच से लेखापरीक्षा ने पाया (अक्टूबर 2019) कि सनदी लेखाकार ने फॉर्म 3सीडी के क्रमांक 35बीबी में 1,05,13,80,157 यूनिट (यथा रेक्टिफाइड स्पिरिट्स, साइलेंट स्पिरिट्स, केन जूस स्पिरिट्स, माल्ट स्पिरिट्स, अनाज स्पिरिट्स और पेट बोटल्स) तैयार माल के मात्रात्मक सार का कम लेखांकन प्रमाणित किया जो एक अंकगणितीय त्रुटी थी। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 1,211.61 करोड़ की आय की कम गणना हुई, जोकि लाभ और हानि खाते (अनुलग्नक-ओ) के नोट 42(बी) में दिए गए मूल्य पर निकाला गया है। जिसमें आईटी अधिनियम की धारा 234ए और 234बी, जो भी लागू हो के अंतर्गत ब्याज को छोड़कर ₹ 416.96 करोड़ का कम करारोपण हुआ।

पीसीआईटी, सेंट्रल-3, नई दिल्ली (जुलाई 2021) ने कहा कि लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई आपत्तियों पर कार्यवाही निर्धारण वर्ष 2013-14 से 2017-18 से संबंधित मामलों को आईटी अधिनियम की धारा 147 सपठित धारा 148 के अंतर्गत पुनः खोलते हुए कर निर्धारण/पुनर्निर्धारण करते समय किया जायेगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि तीन निर्धारण वर्षों 2015-16 से 2017-18 के मामले लेखापरीक्षा टिप्पणियों के आधार पर फिर से खोले गए थे लेकिन पुनर्निर्धारण बिना कोई जोड़ किए पूरा किया गया था (फरवरी 2022)। डीसीआईटी केंद्रीय वृत्त-31 नई दिल्ली ने पुनर्निर्धारण आदेश को अंतिम रूप देते समय लेखापरीक्षा आपत्ति पर विचार नहीं करने के कारण (कारणों) को उचित ठहराने वाले विवरण प्रदान नहीं किए हैं। उपचारात्मक कार्रवाई करते समय लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर विचार नहीं करने के कारण या औचित्य का लेखापरीक्षा सुनिश्चित नहीं कर सका।

डीसीआईटी केंद्रीय वृत्त-31 नई दिल्ली ने उत्तर दिया कि निर्धारिती ने पूरी खरीद की सूचना दी है जिसमें व्यापारिक खरीद और आगे के उत्पादन के लिए उपयोग की गई खरीद दोनों शामिल हैं (सितम्बर 2022)। निर्धारिती ने व्यापारिक खरीद के साथ-साथ विनिर्माण में खपत का विवरण प्रस्तुत किया। इसके अलावा, यह कहा गया था कि साइलेंट स्पिरिट के उत्पादन के लिए रेक्टिफाइड

स्पिरिट का उपयोग किया गया है और साइलेंट स्पिरिट, केन जूस स्पिरिट, माल्ट स्पिरिट और ग्रेन स्पिरिट की संयुक्त खपत का उपयोग आईएमएफएल और देशी मदिरा की कुल मात्रा के निर्माण के लिए किया जाता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि डीसीआईटी केंद्रीय वृत्त-31 नई दिल्ली ने तैयार उत्पाद के मात्रात्मक सार के संबंध में सनदी लेखाकार द्वारा अंकगणितीय विसंगति और प्रमाणन का मिलान निर्धारण वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए नीचे दी गई तालिका 3.2 के कॉलम ए से आई तक में प्रस्तुत किया है।

तालिका 3.2								
मद का नाम	इकाई	प्रारम्भिक रहतिया	खरीद	निर्मित मात्रा	पिछले वर्ष के दौरान बिक्री	पिछले वर्ष के दौरान उपभोग किया	अन्तिम रहतिया	कमी/अधिकता, यदि कोई हो
ए	बी	सी	डी	इ	एफ	जी	एच	आई

लेखापरीक्षा ने पाया कि आईसीएआई द्वारा निर्धारित प्रारूप के क्रमांक 35 बीबी में नए कॉलम में जी को जोड़ते हुए मिलान का विवरण प्रस्तुत किया। डीसीआईटी केंद्रीय वृत्त-31 नई दिल्ली ने इस मिलान के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने में असफल रहा कि पिछले वर्ष के दौरान तैयार उत्पादों के खपत विवरण (कॉलम जी के अनुसार) की अनुपस्थिति में डीसीआईटी केंद्रीय वृत्त-31 नई दिल्ली द्वारा निर्धारण आदेश को अंतिम रूप देने के दौरान अंकगणितीय विसंगति और प्रमाणन की जांच कैसे सुनिश्चित की गयी।

इसके अतिरिक्त, निर्धारण वर्ष 2014-15 के दौरान 3 सीडी के क्रम संख्या 35 बीबी पर वस्तुओं की बिक्री के मात्रात्मक सार में कोई अंतर नहीं था, यद्यपि लाभ हनी खाते में विनिर्माण और इससे तैयार उत्पादों के परिणामी बिक्री के शुद्ध लाभ को कराधान हेतु घोषित किया गया।

विभाग द्वारा की गई आगे की कार्रवाई का विवरण और मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

2.3.3.3 पीसीआईटी दिल्ली-6 मैसर्स एम 2 लिमिटेड

चार निर्धारण वर्षों 2014-15, 2015-16, 2017-18 और 2018-19 (निर्धारण वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2018-19 में संवीक्षा निर्धारण और निर्धारण वर्ष 2017-18 में समरी निर्धारण) से संबंधित अभिलेखों की जांच में लेखापरीक्षा ने पाया कि तैयार उत्पाद (स्पिरिट एवं एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल) के मात्रात्मक सार पर लेखापरीक्षक ने फार्म 3सीडी के क्र.सं. 35 बीबी में अंकगणितीय त्रुटी प्रमाणित की जिसके परिणामस्वरूप 12239 किलोलीटर का कम लेखांकन हुआ (अक्टूबर 2019 और नवम्बर 2021)। डीसीआईटी वृत्त-16(1), दिल्ली द्वारा विवरण सत्यापित करने में चूक के परिणामस्वरूप चार निर्धारण वर्षों 2014-15, 2015-16, 2017-18 और 2018-19 में ₹ 25.79 करोड़ की आय की कम संगणना हुई, जिसे कि लाभ और हानि खाते (अनुलग्नक-पी) के नोट 42(बी) में दिए गए मूल्य पर निकाला गया, जिसमें आयकर अधिनियम की धारा 234ए और 234बी के अंतर्गत ब्याज को छोड़कर, जैसा भी लागू हो, ₹ 8.81 करोड़ का कम करारोपण हुआ।

डीसीआईटी (मुख्यालय) (समन्वय-II) दिल्ली ने कहा (जुलाई 2022) कि निर्धारण वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2018-19 के मामले स्वीकार्य नहीं हैं लेकिन तीन निर्धारण वर्षों 2014-15 से 2017-18 के लिए मामलों को फिर से खोल दिये गये। डीसीआईटी (मुख्यालय) (समन्वय-II) दिल्ली ने कहा कि दो निर्धारण वर्षों 2014-15 और 2017-18 के मामले माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा रोके गए हैं और निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए पुनर्निर्धारण आदेश बिना किसी वृद्धि के पारित किए गए थे (जुलाई 2022)। डीसीआईटी (मुख्यालय) (समन्वय-II) दिल्ली ने आगे कहा कि निर्धारण वर्ष 2014-15 और 2017-18 के लिए उठाई गई लेखापरीक्षा आपत्तियों पर अंतिम टिप्पणियां निष्कर्ष के बाद प्रस्तुत की जाएंगी।

एसीआईटी वृत्त 16(1) नई दिल्ली ने उत्तर दिया कि निर्धारिती द्वारा तैयार माल के लिए स्पिरिट और ईएनए का उपयोग स्व-उपभोग (देशी मदिरा के उत्पादन के लिए प्रयुक्त) के लिए किया गया है (सितम्बर 2022)। ऐसे तैयार माल की मात्रा का भी विवरण टीएआर में उल्लेख किया गया है।

एसीआईटी वृत्त 16(1) नई दिल्ली द्वारा प्रस्तुत उत्तर लेखापरीक्षा में मान्य नहीं है क्योंकि उत्पादों की स्व-उपभोग का विवरण ऑडिट रिपोर्ट की क्रमांक संख्या 35बीबी में नहीं दिया गया और आईटीआर के साथ अपलोड किये गये संलग्न दस्तावेजों के साथ 'फॉर्म 3सीडी की कोई अन्य रिपोर्ट' को लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं किया गया, ताकि लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित कर सके कि तैयार उत्पादों के मात्रात्मक सार के संबंध में अंकगणितीय विसंगति और लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणीकरण को निर्धारण आदेश को अंतिम रूप देते समय एसीआईटी वृत्त 16(1) नई दिल्ली द्वारा जाँचा गया था। इसके अलावा लेखा पुस्तकों में देशी मदिरा के उत्पादन के लिए स्व-उपभोग की गई स्पिरिट और ईएनए का उपचार उत्तर के साथ प्रदान नहीं किया गया। यह उल्लेखनीय है कि निर्धारण वर्ष 2015-16, 2017-18 और 2018-19 के लिए तैयार किए गए लाभ और हानि खातों में देशी मदिरा की बिक्री घोषित नहीं की गयी थी। निर्धारण वर्ष 2018-19 का मामला पुनः नहीं खोला गया।

विभाग द्वारा की गई आगे की कार्रवाई का विवरण और मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

2.3.3.4 पीसीआईटी-1 मुंबई -मैसर्स ए1 लिमिटेड

निर्धारण वर्ष 2018-19 से संबंधित समरी निर्धारण अभिलेखों की जांच में लेखापरीक्षा ने पाया कि फॉर्म 3सीडी के क्रमांक 35बीबी में तैयार उत्पाद (जैसे स्ट्रॉंग बीयर) के मात्रात्मक सार के सम्बन्ध में अंकगणितीय विसंगति थी जिसे सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप 4,50,001 लीटर का कम लेखांकन हुआ (अक्टूबर 2021)। निर्धारण वर्ष 2018-19 में डीसीआईटी वृत्त 9(1)(2) मुंबई द्वारा विवरणों को सत्यापित करने में चुक के परिणामस्वरूप ₹ 2.40 करोड़ (अनुलग्नक-क्यू) आय की कम संगणना हुई। जिसमें आयकर अधिनियम की धारा 234ए और 234बी के अंतर्गत ब्याज को छोड़कर जैसा भी लागू हो ₹ 0.79 करोड़ का कम करारोपण हुआ।

पीसीआईटी-1, मुंबई का उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

2.3.3.5 निष्कर्ष:

लेखापरीक्षा ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से किए गए मात्रात्मक प्रकटीकरणों में अंकगणितीय विसंगति और प्रमाणन के उदाहरणों को देखा जो इस तथ्य का संकेत देते हैं कि आईटीडी प्रणालियों में निर्धारण कार्यवाहियों के दौरान विसंगतियों और अंतरालों का पता लगाने में कमियां थीं। इस तरह की अनियमितताओं में कर चोरी का अंतर्निहित जोखिम था जिसे आगे उजागर करने और विस्तृत जांच की आवश्यकता है।

आईटीडी आगामी निर्धारण वर्षों के लिए भी इन निर्धारितियों की विस्तार से जांच कर सकता है ताकि लेखापरीक्षा को सूचित करते हुए राजकोष में संभावित राजस्व रिसाव को रोका जा सके।

2.3.4 गणनात्मक त्रुटियां:

2.3.4.1 धारा 234सी के अंतर्गत अग्रिम कर के आस्थगन के लिए ब्याज:

पीसीआईटी (केंद्रीय)-3 नई दिल्ली मैसर्स पी1 प्राइवेट लिमिटेड

लेखापरीक्षा ने निर्धारण वर्ष 2014-15 के संवीक्षा निर्धारण से संबंधित अभिलेखों की जांच की (अक्टूबर 2019) और पाया कि डीसीआईटी केंद्रीय वृत्त-31, नई दिल्ली ने निर्धारित द्वारा घोषित रिटर्न आय ₹ 1276.59 करोड़ पर आयकर अधिनियम की धारा 234सी के अंतर्गत ₹ 1.36 करोड़ ब्याज की गणना आईटीएनएस में नहीं की। इस गलती के परिणामस्वरूप आयकर अधिनियम की धारा 234सी के अंतर्गत ₹ 1.36 करोड़ के ब्याज का आरोपण नहीं हुआ।

पीसीआईटी केंद्रीय-3 नई दिल्ली (जुलाई 2021) ने कहा कि लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई टिप्पणियों पर जो निर्धारण वर्ष 2014-15 से सम्बन्धित है को पुनः खोलते हुए आयकर अधिनियम 1961 की धारा-147 सपठित धारा 148 के अंतर्गत निर्धारण/पुनर्निर्धारण करते समय कार्यवाही की जाएगी। आगे, डीसीआईटी केंद्रीय वृत्त 31, नई दिल्ली ने उत्तर में बताया कि आयकर अधिनियम की धारा 147 के अंतर्गत निर्धारण अभी भी लंबित है (जून 2022)।

विभाग द्वारा की गई आगे की कार्रवाई का विवरण प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

2.3.4.2 आय की गणना में अंकगणितीय त्रुटि

पीसीआईटी दिल्ली-8-मैसर्स एस1 लिमिटेड

लेखापरीक्षा ने निर्धारण वर्ष 2012-13 के संवीक्षा निर्धारण अभिलेखों की जांच की (जून 2015) और पाया कि ए.सी.आई.टी. वृत्त-22(1), नई दिल्ली ने संबंधित पक्षकारों को दिए गए ₹ 14.62 करोड़ के ऋणों/अग्रिमों पर परिकल्पित यथानुपात ब्याज के कारण ₹ 1.34 करोड़ आय की वृद्धि की जिसमें मैसर्स एस2 प्राइवेट लिमिटेड को ₹ 6.16 करोड़ दिए गए थे जो तुलन-पत्र में दो बार परिलक्षित हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6.16 करोड़ की राशि का अधिक आंकलन निकला। इसे अस्वीकृत करने में चूक के परिणामस्वरूप ₹ 6.16 करोड़ की हानि का अधिक निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 2.0 करोड़ का पोटेंशियल कर प्रभाव शामिल था।

उत्तर में जेसीआईटी (ओएसडी), वृत्त 22(2), नई दिल्ली, (फरवरी 2021) ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार कर अधिनियम की धारा 144 सपठित धारा 147 के अंतर्गत ₹ 6.16 करोड़ की हानि को कम करके उपचारात्मक आदेश पारित कर कार्यवाही की (दिसम्बर 2019)।

2.3.4.3 निष्कर्ष:

निर्धारण अधिकारियों ने निर्धारण करते समय कुछ प्रकरणों में अंकगणितीय त्रुटियां कीं। पुनः अग्रिम कर भुगतान में चूक के कारण त्रुटिपूर्ण ब्याज की गणना में आईटीडी की निर्धारण प्रक्रिया और आंतरिक नियंत्रण की कमजोरियां को दूर करने की आवश्यकता है।

2.3.5 अंतर्विभागीय समन्वय के अभाव में राजस्व पर प्रभाव

आयकर विभाग को राष्ट्र के लिए अधिकतम संसाधनों को प्राप्त करने के लिए करदाता सेवा और आयकर अधिनियम के प्रावधानों के सख्त प्रवर्तन के माध्यम से प्रत्यक्ष कर प्रावधानों के अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अधिकृत किया गया है। इसके लिए एक निर्धारिती की आय का सही निर्धारण और कर आरोपण को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, निर्धारिती द्वारा दावा किए गए व्यय का विवरण भी सत्यापित किया जाना चाहिए और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार व्यवसाय चलाने के लिए ऐसे व्यय की वास्तविकता की जांच करने के बाद ही अनुमति दी जानी चाहिए। अधिनियम विभाग को आयकर

अधिनियम की धारा 133(6)²⁹ के अंतर्गत नोटिस जारी करके किसी भी जानकारी को प्राप्त करने/मांगने का अधिकार देता है। राजस्व के हित में, आबकारी क्षेत्र के निर्धारितियों के सम्बन्ध में निर्धारण अधिकारी (अधिकारियों) को प्रति सत्यापन के लिए और जमा शुल्क की शुद्धता सुनिश्चित करने हेतु राज्य आबकारी विभाग से पूरी जानकारी मांगना आवश्यक है।

मदिरा के व्यवसाय में, राज्य आबकारी विभाग एक प्रमुख हितधारक है और आबकारी शुल्क, कंपनी द्वारा भुगतान किया जाने वाला मुख्य कर/शुल्क है। आसवनी/यवासवनी द्वारा दावा किए गए आबकारी शुल्क को इस व्यय के दावे की अनुमति देने से पहले आयकर विभाग द्वारा संबंधित राज्य आबकारी विभाग से सत्यापित किया जाना आवश्यक था।

11 कंपनियों के अभिलेखों की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा कि उनके द्वारा दावा किए गए आबकारी शुल्क को निर्धारण अधिकारी द्वारा दावे की वास्तविकता/सत्यता की पुष्टि किए बिना अनुमति दी गई थी। चूंकि उन्होंने निर्धारण वर्ष 2009-10 से 2018-19 (अनुलग्नक-आर) के दौरान आबकारी शुल्क ₹ 1,76,952.57 करोड़ डेबिट करके बिक्री कम की थी, परन्तु इस तरह के शुल्क के भुगतान के साक्ष्य अभिलेखों में नहीं पाए गए। चूंकि, आबकारी शुल्क की राशि का भुगतान, दावा और अनुमति निर्धारिती के शुद्ध लाभ को प्रभावित करती है, संबंधित निर्धारण अधिकारियों को, विशेष रूप से संवीक्षा निर्धारण के स्तर पर, आयकर अधिनियम की धारा 133(6) के प्रावधानों को लागू करते हुए राज्य आबकारी विभाग से जानकारी मांगना आवश्यक था।

उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और नई दिल्ली राज्यों में आयकर विभागीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाली इन ग्यारह कंपनियों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा की गई। धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारित मामलों के साथ-साथ अधिनियम की धारा 143(1) के अंतर्गत संसाधित किए गए मामलों के आधार

²⁹ आईटी अधिनियम की धारा 133(6) निर्धारित करती है कि निर्धारण अधिकारी किसी भी व्यक्ति को ऐसे बिंदुओं या मामलों के संबंध में जानकारी देते हुए एओ द्वारा निर्दिष्ट तरीके से सत्यापित खातों और मामलों के विवरण प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है जो किसी पूछताछ या कार्यवाही के लिए उपयोगी या प्रासंगिक हो।

पर प्रासंगिक निर्धारण वर्षों के अभिलेख मांगे गए और लेखापरीक्षा अभियुक्तियाँ जारी की गयी।

उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, महाराष्ट्र और कर्नाटक के राज्य आबकारी विभाग से संबंधित आसवनी/यवासवनी द्वारा की गई बिक्री, भुगतान किए गए आबकारी शुल्क, दिए गए कार्यकारी अनुज्ञापन और किये गये अनुबंध मांगे गए और केवल उत्तर प्रदेश राज्य आबकारी विभाग से प्राप्त हुए।

अभिलेखों का प्रस्तुत न होना/उपलब्ध न होना:

महाराष्ट्र राज्य सरकार के अधीन अधीक्षक, राज्य आबकारी शुल्क, औरंगाबाद ने बिक्री (स्वयं का ब्राण्ड) और भुगतान किए गए आबकारी शुल्क का विवरण प्रदान किया है जो कि लाभ और हानि खातों में दावा किए गए बिक्री और आबकारी शुल्क का केवल एक हिस्सा था। दिल्ली में मदिरा के स्टॉक पर आयात परमिट के बारे में आंशिक सूचना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन आयुक्त कार्यालय,ईएनटीटी एवं एल कर विभाग द्वारा प्रदान की गई थी। कर्नाटक के राज्य आबकारी विभाग ने केवल राज्य के भीतर मैसर्स यू2 लिमिटेड और मैसर्स यू3 लिमिटेड की आसवनी और यवासवनी इकाइयों द्वारा की गई बिक्री का विवरण प्रदान किया।

उपरोक्त कार्यालयों द्वारा निर्धारण अभिलेखों में उपरोक्त उल्लिखित सूचनाओं के प्रस्तुत न करने/अनुपलब्धता के कारण लेखापरीक्षा यह आश्वासन नहीं दे सका कि निर्धारण कार्यवाहियों को अंतिम रूप देते समय निर्धारण अधिकारियों द्वारा इन तथ्यों की जांच की गई थी।

पुनः, लेखापरीक्षा ने तीन कंपनियों (अर्थात मैसर्स डब्लू1 लिमिटेड, मैसर्स यू1 लिमिटेड और मैसर्स एम1 लिमिटेड) के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य आबकारी विभाग द्वारा प्रदान किए गए वास्तविक आबकारी शुल्क का वर्षवार आंकड़ा/सूचना को, निर्धारितियों द्वारा घोषित उनके लाभ और हानि खातों/आईटीआर में दावा की गई राशि के साथ मिलान किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि धारा 143(3) के अंतर्गत संवीक्षा निर्धारण के चरण में विभिन्नताएँ थीं, जिनका निर्धारण अधिकारियों द्वारा मिलान नहीं किया गया था।

अभियुक्तियाँ इस प्रकार हैं-

(i) लेखापरीक्षा ने पाया (नवम्बर 2020) कि तीन कंपनियां नामतः (ए) मैसर्स डब्लू1 लिमिटेड ने निर्धारण वर्ष 2011-12 से 2018-19 में ₹ 11,934.04 करोड़ [अनुलग्नक आर-1(ए)] के दावे के सापेक्ष राज्य आबकारी विभाग के पास ₹ 16,314.71 करोड़ का आबकारी शुल्क जमा किया था (बी) मैसर्स यू1 लिमिटेड ने निर्धारण वर्ष 2010-11 से 2017-18 तक ₹ 3,516.50 करोड़ [अनुलग्नक आर-1(बी)] के दावे के सापेक्ष ₹ 4,773.34 करोड़ का आबकारी शुल्क जमा किया था। (सी) मैसर्स एम1 लिमिटेड ने निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए अपने संबंधित लाभ और हानि खातों में ₹ 120.78 करोड़ के दावे के सापेक्ष राज्य आबकारी विभाग के पास ₹ 661.35 करोड़ का आबकारी शुल्क जमा किया था [अनुलग्नक आर-1(सी)]। अतिरिक्त जमा/दावा न किये गये आबकारी शुल्क/अंतरों के कारणों को न तो संवीक्षा के स्तर पर निर्धारिती से माँग की गयी और न ही अधिनियम की धारा 133(6) के प्रावधानों के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य आबकारी विभाग से इसका मिलान किया गया जो अन्तर्विभागीय समन्वय की कमी को दर्शाता है।

(ii) लेखापरीक्षा ने पाया (नवम्बर 2020) कि निर्धारण वर्ष 2009-10 और 2018-19 के लिए मैसर्स यू 1 लिमिटेड ने अपने लाभ और हानि खातों में दावा किये गये आबकारी शुल्क क्रमशः ₹ 331.54 करोड़ और ₹ 353.61 करोड़ के सापेक्ष राज्य आबकारी विभाग में ₹ 316.70 करोड़ और ₹ 350.18 करोड़ का आबकारी शुल्क जमा किया था (अनुलग्नक आर-2)। आबकारी शुल्क के अधिक दावा/अंतरों के कारणों को न तो निर्धारिती से माँगा गया और न ही अधिनियम की धारा 133(6) के प्रावधानों के अंतर्गत हुए उत्तर प्रदेश राज्य आबकारी विभाग से इसका मिलान किया गया जो अंतर्विभागीय समन्वय की कमी को दर्शाता है।

(iii) लेखापरीक्षा ने पाया (नवम्बर 2020) कि निर्धारण वर्ष 2014-15 और 2015-16 के लिए मैसर्स एम1 लिमिटेड ने अपने लाभ और हानि खातों में दावा किये गये आबकारी शुल्क क्रमशः ₹ 34.35 करोड़ और ₹ 40.88 करोड़ के सापेक्ष राज्य आबकारी विभाग में क्रमशः ₹ 34.35 करोड़ और ₹ 40.88 करोड़ का आबकारी शुल्क जमा किया था (अनुलग्नक आर-2)। इस प्रकार राज्य आबकारी

विभाग के साथ भुगतान की गई आबकारी शुल्क की राशि और उनके लाभ और हानि खातों में दावा की गई राशि में कोई भिन्नता नहीं थी।

उत्तर में (जनवरी 2022) पीसीआईटी (सीसीए) ने मैसर्स डब्ल्यू1 लिमिटेड के संबंध में कहा कि धारा 148 अंतर्गत निर्धारण वर्ष 2013-14 से 2017-18 के लिए नोटिस जारी किया गया है। हालांकि, निर्धारण वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13 और 2018-19 के संबंध में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि धारा 147 के अंतर्गत नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर दिल्ली द्वारा निर्धारण वर्ष 2013-14 से 2017-18 (मार्च-2022) के लिए आदेश पारित किए गए थे। हालांकि, न तो लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गये आबकारी शुल्क में अंतर के मिलान का निर्धारण आदेश में निपटारा किया गया और न ही एसीआईटी-2 बरेली ने लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विचार नहीं करने के कारणों को प्रस्तुत किया।

उत्तर में (मई 2022) पीसीआईटी (सीसीए), कानपूर ने मैसर्स यू1 लिमिटेड के संबंध में कहा कि अधिनियम की धारा 148 के अंतर्गत निर्धारण वर्ष 2013-14 से 2017-18 के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। निर्धारण वर्ष 2009-10 से 2012-13 के मामले कालातीत हो गए हैं। आगे, निर्धारण वर्ष 2018-19 के मामले के संबंध में, संयुक्त आयकर आयुक्त (ओएसडी) वृत्त 2(1)(1) कानपुर ने कहा (जून 2022) कि लेखापरीक्षा द्वारा की गयी अभियुक्ति स्वीकार्य प्रतीत होती है। तदनुसार, इस मामले में पुनर्निर्धारण कार्यवाही शुरू करने पर विचार किया जाता है। आगे की कार्यवाही का विवरण प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

उत्तर में (जनवरी 2022) पीसीआईटी (सीसीए), लखनऊ ने मैसर्स एम1 लिमिटेड के संबंध में बताया कि अधिनियम की धारा 147 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्यवाही निर्धारण वर्ष 2013-14 और 2014-15 के लिए शुरू कर दी गयी है, निर्धारण वर्ष 2015-16 से 2017-18 के लिए अधिनियम की धारा 147 सपठित धारा 148ए के अंतर्गत मामलों को फिर से खोलना प्रस्तावित है। निर्धारण वर्ष 2009-10 से 2012-13 के लिए मामले कालातीत हो गए हैं। निर्धारण वर्ष 2018-19 के संबंध में लेखापरीक्षा को कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। आगे की गई कार्यवाही का विवरण प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

2.3.5.1 निष्कर्ष

मामलों की जांच करते समय, लेखापरीक्षा ने देखा कि संबंधित निर्धारण अधिकारियों ने आबकारी शुल्क, वैट और अन्य करों/शुल्कों की वास्तविकता/शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम की धारा 133(6) में उल्लिखित सूचना मांगने की शक्ति का प्रयोग नहीं किया, जो संबंधित राज्य सरकार के प्राधिकारियों एवं निर्धारितियों में अन्तर्विभागीय समन्वय में कमजोरी को दर्शाता है।

2.3.6. अधिनियम के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का पालन न किया जाना:

अभिलेखों की जांच के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि तीन कंपनियों के अभिलेखों की पुस्तकों में व्यय के रूप में भारी मात्रा में रिबेट, डिस्काउंट, आदि की अनुमति दी गई थी; यद्यपि, इस तरह के दावे की वास्तविकता के सत्यापन के समर्थन में दस्तावेज/विवरण न तो मामले के अभिलेखों में रखे पाए गए न ही निर्धारण अधिकारियों ने निर्धारिती से आयकर अधिनियम की धारा 37³⁰ के प्रावधानों को लागू करते हुए जानकारी मांगी थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि आयकर विभाग के पास इस संबंध में कोई विशिष्ट निर्देश नहीं है। अभियुक्तियों को नीचे वर्णित किया गया है:

2.3.6.1 सत्यापन के बिना रिबेट और/या डिस्काउंट की अनुमति:

मैसर्स डब्लू1 लिमिटेड, मैसर्स यू1 लिमिटेड और मैसर्स एम1 लिमिटेड नामक तीन कंपनियों के अभिलेखों की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि दावे की वास्तविकता/सत्यता की पुष्टि किए बिना रिबेट और डिस्काउंट को अभिलेखों की पुस्तकों में व्यय के रूप में अनुमति दी गई थी। चूंकि, व्यय के दावों का निर्धारिती के शुद्ध लाभ पर सीधा प्रभाव पड़ता है, इस संबंध में संबंधित निर्धारण अधिकारियों द्वारा किए गए समुचित प्रयास को लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापित नहीं किया जा सका।

³⁰ धारा 37: व्यवसाय या पेशे के उद्देश्यों के लिए सम्पूर्ण एवं पूरी तरह से निर्धारित या खर्च किए गए किसी भी व्यय (धारा 30 से 36 में वर्णित प्रकृति के व्यय और पूंजीगत व्यय या निर्धारिती के व्यक्तिगत व्यय के अलावा) को "व्यवसाय या पेशे के लाभ और आय" मद के अंतर्गत प्रभार्य आय की गणना करने में अनुमति दी जाएगी।

(ए) पीसीआईटी बरेली - मैसर्स डब्ल्यू1 लिमिटेड

(i) निर्धारण वर्ष 2010-11 से संबंधित मैसर्स डब्ल्यू1 लिमिटेड के संवीक्षा अभिलेखों की जांच में लेखापरीक्षा ने पाया (जुलाई 2019) कि निर्धारिती ने मैसर्स एफ1 प्रा. लिमिटेड को की गई ₹ 651.00 करोड़ की बिक्री को अपने लाभ और हानि खाते में घोषित किया। "31.03.2010 को लेखा विवरण के मिलान" में देखा गया कि ₹ 651.00 करोड़ की बिक्री में ₹ 17.88 करोड़ की "अप्रैल 2011 में खरीद की गई पारगमन सामग्री" भी शामिल थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि आयकर अधिनियम की धारा 37 के प्रावधानों को लागू करते हुए संवीक्षा निर्धारण के स्तर पर एसीआईटी, वृत्त-2, बरेली, यूपी द्वारा "खाता विवरण के मिलान" में उल्लिखित शेष की जांच और सत्यापन का किया जाना आवश्यक था।

उत्तर में (जनवरी 2022), पीसीसीआईटी (सीसीए) लखनऊ ने कहा कि निर्धारण वर्ष 2010-11 का मामला कालातीत हो गया है।

(ii) निर्धारण वर्ष 2012-13 से संबंधित मैसर्स डब्ल्यू1 लिमिटेड के संवीक्षा निर्धारण अभिलेखों की जांच में लेखापरीक्षा ने पाया (जुलाई 2019) कि निर्धारिती ने अपने तुलनपत्र में ₹ 27.00 करोड़ का असुरक्षित ऋण दिखाया था जिसे बाद के निर्धारण वर्षों अर्थात् 2013-14 से आगे के लिए बढ़ाया गया था। हाँलाकि, इसे मैसर्स डब्ल्यू1 लिमिटेड के 'असुरक्षित ऋण के समरी विवरण' से देखा गया कि यह राशि पी2 प्राइवेट लिमिटेड से बिक्री के बदले आरटीजीएस के माध्यम से प्राप्त हुई थी, इसलिए इसे असुरक्षित ऋण के रूप में नहीं माना जाना चाहिए था। लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारण वर्ष 2012-13 के दौरान एक गलत देयता बना कर तुलन-पत्र में परिलक्षित किया गया और बाद में आगे बढ़ाया गया, जिसने बिक्री राशि और करदाता के शुद्ध लाभ को कम कर दिया। एसीआईटी वृत्त-2 बरेली, यूपी द्वारा निर्धारण को अंतिम रूप देने से पहले आयकर अधिनियम के प्रावधानों को लागू करते हुए विवरणों की जांच करनी चाहिए थी। निर्धारण वर्ष 2012-13 के संबंध में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। हालांकि, पीसीआईटी बरेली ने कहा (जनवरी 2022) कि निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए निर्धारण पूरा करने के पूर्व लेखापरीक्षा अभियुक्ति की जांच की जाएगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारण वर्ष 2013-14 में मैसर्स यू3 ब्रांड के संबंध में मैसर्स डब्ल्यू1 द्वारा की गई बिक्री के कारण ₹ 156.56 करोड़ की वृद्धि करके ₹ 187.46 करोड़ की आय का एक आदेश धारा 147 के अंतर्गत (मार्च 2022) पारित किया गया था। हालांकि इस विशिष्ट मामले के कारण निर्धारिती की आय में कोई वृद्धि नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा अभियुक्ति पर विचार नहीं करने के कारणों का लेखापरीक्षा पता नहीं लगा सका क्योंकि एसीआईटी वृत्त-2 बरेली ने तुलन-पत्र में बनाई गई देयता से सम्बन्धित कोई अतिरिक्त वृद्धि न करने के आधार का विवरण प्रदान नहीं किया था।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

(iii) लेखापरीक्षा ने मैसर्स डब्ल्यू1 लिमिटेड के संवीक्षा निर्धारण अभिलेखों की जांच की (जुलाई 2019) और निर्धारण वर्ष 2013-14 के अभिलेखों में पाया कि निर्धारिती ने ₹ 73.80 करोड़ की छूट का दावा किया था, जिसे बिना किसी विवरण के दावे की सत्यता/शुद्धता की पुष्टि किए बिना अनुमति दी गई थी क्योंकि कोई विवरण/अभिलेख जैसे रिबेट पॉलिसी, पार्टियों के नाम और पैन आदि अभिलेखों में उपलब्ध नहीं पाए गये। चूंकि, व्यय निर्धारिती के शुद्ध लाभ को प्रभावित किया, इसलिए एसीआईटी वृत्त-2, बरेली, यूपी द्वारा आवश्यकतानुसार आयकर अधिनियम की धारा 37 के प्रावधानों को लागू करके निर्धारिती से विवरण/सूचना मांगना आवश्यक था।

उत्तर में (जनवरी 2022), पीसीसीआईटी (सीसीए) लखनऊ ने कहा कि विवरण मांगा गया और कोई विसंगति नहीं पायी गई। विभाग के उत्तर का सत्यापन नहीं किया जा सका, क्योंकि मांगा तथा जांचा गया विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारण के समापन के समय अधिनियम के प्रावधानों द्वारा अनिवार्य प्रक्रियात्मक जांच वर्तमान मामले में अनुपालित हुई नहीं लगती है क्योंकि आयकर विभाग को निर्धारण कार्यवाही के दौरान प्रासंगिक प्रावधानों को लागू करके करदाता से विवरण/सूचना मांगनी थी और आयकर अधिनियम की धारा 37 की प्रयोज्यता की जांच करनी थी। जबकि, ये विवरण लेखापरीक्षा में बताए जाने के बाद करदाता से मांगे गए।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

(बी) पीसीआईटी, I कानपुर - मैसर्स यू1 लिमिटेड

लेखापरीक्षा ने मैसर्स यू1 लिमिटेड के अभिलेखों की जांच की (जून 2019) और सात निर्धारण वर्षों 2009-10 से 2015-16 (निर्धारण वर्षों 2009-10 से 2015-16 के संवीक्षा निर्धारण) में पाया कि निर्धारिती ने ₹ 111.15 करोड़ (₹ 0.29 करोड़ + ₹ 28.79 करोड़ + ₹ 33.92 करोड़ + ₹ 2.32 करोड़ + ₹ 7.30 करोड़ + ₹ 12.89 करोड़ + ₹ 25.64 करोड़) की छूट का दावा किया था जिसे दावे की सत्यता/शुद्धता की पुष्टि किए बिना अनुमति दी गई थी क्योंकि छूट नीति, पार्टियों के नाम और पैन आदि के मूल विवरण भी अभिलेखों में उपलब्ध नहीं पाए गये। चूंकि, दावा किए गए और अनुमन्य व्यय ने निर्धारिती के शुद्ध लाभ को प्रभावित किया, एसीआईटी केंद्रीय वृत्त-1 कानपुर, यूपी को आयकर की धारा 37 के प्रावधानों को लागू करके निर्धारिती से एकत्र किए गए विवरण को संवीक्षा निर्धारण के स्तर पर सत्यापित करने और अभिलेखों में रखने की आवश्यकता थी।

उत्तर में (मई 2022), पीसीसीआईटी (सीसीए) कानपुर ने मैसर्स यू1 लिमिटेड के संबंध में बताया कि अधिनियम की धारा 148 के अंतर्गत निर्धारण वर्ष 2013-14 से 2017-18 के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। निर्धारण वर्ष 2009-10 से 2012-13 के लिए मामले कालातीत हो गए हैं।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

(सी) पीसीआईटी II लखनऊ - मैसर्स एम1 लिमिटेड

(i) निर्धारण वर्ष 2012-13 और 2013-14 के संवीक्षा निर्धारण अभिलेखों से लेखापरीक्षा ने पाया (मई 2019) कि निर्धारिती ने ₹ 35.41 करोड़ (₹ 1.85 करोड़ + ₹ 33.56 करोड़) का शेयर आवेदन धन प्राप्त किया था। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि इसका विवरण न तो निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत किया गया था और न ही आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत संवीक्षा निर्धारण के समय एसीआईटी-IV लखनऊ द्वारा मांगा गया था। इसके अलावा, यह भी सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि कंपनी अधिनियम की धारा 42 में निर्धारित प्रावधान का अनुपालन किया गया है या नहीं।

उत्तर में (जनवरी 2022), पीसीसीआईटी (सीसीए), लखनऊ ने जवाब दिया कि उठाई गई आपत्ति सामान्य प्रकृति की है और इसलिए स्वीकार्य नहीं है। लेखापरीक्षा में उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कंपनी अधिनियम 1956 की धारा³¹ 69(4)(बी) एवं (5) और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 42(6) में³² निर्धारित प्रावधान के अनुसार कंपनी को शेयर आवेदन राशि प्राप्त होने की तिथि से निर्दिष्ट तिथि के भीतर शेयर आवंटित करना चाहिए। इसके अलावा, लेखा पुस्तकों को कंपनी अधिनियम के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए जो करदाता की सही आय निर्धारित करने में महत्वपूर्ण निर्धारण अभिलेख हैं। इसलिए, राजस्व के हित में निर्धारण पूरा करते समय लेखा पुस्तकों सहित निर्धारण अभिलेखों की सही और सटीक जांच करना निर्धारण अधिकारी की प्रमुख

³¹ **कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 69(4)(बी):** शेयरों के लिए आवेदकों से प्राप्त सभी धनराशि अनुसूचित बैंक में जमा की जाएगी और जमा रखी जाएगी - जहां व्यवसाय शुरू करने का प्रमाण पत्र पहले ही प्राप्त किया जा चुका है, जब तक कि न्यूनतम सदस्यता के संबंध में शेयरों के लिए आवेदनों पर देय पूरी राशि कंपनी द्वारा प्राप्त नहीं कर ली जाती है, और जहां ऐसी राशि कंपनी द्वारा उस समय के भीतर प्राप्त नहीं की जाती है जिसके समाप्त होने पर शेयरों के लिए आवेदकों से प्राप्त धनराशि को उपधारा (5) के तहत ब्याज के बिना चुकाया जाना अपेक्षित है, शेयरों के लिए आवेदकों से प्राप्त सभी धनराशि उस उपधारा के प्रावधानों के अनुसार वापस कर दी जाएगी। इस उपधारा के प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में, प्रत्येक प्रमोटर, निदेशक या अन्य व्यक्ति जो जानबूझकर ऐसे उल्लंघन के लिए जिम्मेदार है, वह जुर्माने से दंडनीय होगा जो पचास हजार रुपये तक हो सकता है।

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 69(5): यदि प्रॉस्पेक्टस के प्रथम निर्गम के पश्चात् एक सौ बीस दिन की समाप्ति पर पूर्वोक्त शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया है, तो शेयरों के लिए आवेदकों से प्राप्त सभी धनराशियां उन्हें ब्याज के बिना तुरन्त वापस कर दी जाएंगी; और यदि प्रॉस्पेक्टस के निर्गम के पश्चात् एक सौ तीस दिन के भीतर ऐसी कोई धनराशि वापस नहीं की जाती है, तो कंपनी के निदेशक संयुक्त रूप से और पृथक रूप से उस धनराशि को एक सौ तीसवें दिन की समाप्ति से छह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित वापस करने के लिए उत्तरदायी होंगे :परन्तु यदि कोई निदेशक यह साबित कर देता है कि धनराशि वापस करने में चूक उसकी ओर से किसी कदाचार या लापरवाही के कारण नहीं हुई थी, तो वह ऐसा उत्तरदायी नहीं होगा।

³² **कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 42(6)** के अनुसार कंपनी को शेयर आवेदन राशि प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर शेयर आवंटित करने होंगे। यदि वह 60 दिनों के भीतर शेयर आवंटित करने में विफल रहती है, तो शेयर आवेदन राशि 60 दिनों की समाप्ति से 15 दिनों के भीतर वापस कर दी जाएगी। यदि कंपनी उक्त अवधि के भीतर आवेदन राशि वापस करने में विफल रहती है, तो उसे 60वें दिन की समाप्ति से 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित उस राशि को वापस करना होगा। इसके अलावा, उपरोक्त अधिनियम में यह भी आवश्यक है कि करदाता किसी भी प्रकृति के सभी लेन-देनों के संबंध में प्रत्येक महत्वपूर्ण विशेषता का खुलासा करते हुए अपने बीएस एंड पीएल खाते को तैयार करने की उचित प्रक्रिया का पालन करे।

जिम्मेदारी है। इसके अलावा, वित्त मंत्रालय द्वारा 2012³³ में प्रकाशित 'काले धन पर श्वेत पत्र' में भी शेयर आवेदन धन के माध्यम से पूंजी लगाने के मुद्दे को काले धन को उत्पन्न करने के तरीकों में से एक के रूप में चिह्नित किया गया है, इसलिए इस मुद्दे की आयकर अधिनियम की धारा 143(3) के तहत निर्धारण अधिकारी द्वारा विस्तार से जांच किया जाना आवश्यक था।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

(ii) लेखापरीक्षा ने पाया (मई 2019) कि निर्धारण वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिए सनदी लेखाकार (सीए) ने तुलन-पत्र में संबंधित पक्षकारों के लेनदेन के प्रकटीकरण में प्रमाणित किया कि निर्धारिती ने ₹ 59.04 करोड़ (₹ 29.50 करोड़+₹ 29.54 करोड़) का असुरक्षित ऋण लिया था। इसका विवरण न तो निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत किया गया था और न ही एसीआईटी-IV लखनऊ द्वारा संवीक्षा निर्धारण के समय पर आयकर अधिनियम के प्रावधानों का उपयोग करते हुए निर्धारिती से मांगा गया था।

उत्तर में (जनवरी 2022), पीसीसीआईटी (सीसीए) लखनऊ ने बताया कि निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए अधिनियम की धारा 147 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्यवाही शुरू की गई है और निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए कार्यवाही कालातीत हो गई है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

(iii) लेखापरीक्षा ने मैसर्स एम1 लिमिटेड के मामले के अभिलेखों की जांच की (जून 2019) और दो निर्धारण वर्षों 2014-15 और 2015-16 (निर्धारण वर्ष

³³ वित्त मंत्रालय द्वारा 2012 में प्रकाशित 'काले धन पर श्वेत पत्र' में काले धन की उत्पत्ति के लिए दो अलग-अलग तरीकों का वर्णन किया गया था। पहला दृष्टिकोण संपूर्ण आय या इसे बढ़ाने वाली गतिविधियों की घोषणा या रिपोर्ट न करने का है। काले धन की उत्पत्ति के लिए दूसरा अधिक परिष्कृत दृष्टिकोण, जिसे अक्सर पसंद किया जाता है, में वित्तीय रिकॉर्ड और लेखांकन में हेरफेर शामिल है, जिसके द्वारा रिपोर्टिंग और प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार किए गए खातों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने और कम आय का खुलासा करने के लिए हेरफेर किया जाता है, जिससे बेहिसाब, अघोषित और असूचित आय उत्पन्न होती है जो काला धन है। उपरोक्त दस्तावेज़ में पहचाने गए खातों की पुस्तकों में हेरफेर करने के कुछ तरीके शेयर आवेदन धन के माध्यम से पूंजी की उत्पत्ति, भारी प्रीमियम पर शेयर जारी करना और विदेशी कंपनियों/संस्थाओं के माध्यम से स्वयं के पैसे और शेयर पूंजी के निवेश थे।

2014-15 में संवीक्षा निर्धारण और निर्धारण वर्ष 2015-16 में समरी निर्धारण) में देखा कि निर्धारिती ने ₹ 10.63 करोड़ (₹ 5.42 करोड़ + ₹ 5.21 करोड़) की छूट का दावा किया, जिसे दावों की सत्यता/शुद्धता की पुष्टि किए बिना अनुमति दी गई थी क्योंकि छूट नीति, पार्टियों के नाम और पैन आदि के मूल विवरण को अभिलेखों में प्रस्तुत नहीं किया गया था। चूंकि, दावा किए गए व्यय को विवरण की पुष्टि किए बिना अनुमति दी गई थी, जिसने निर्धारिती के शुद्ध लाभ को प्रभावित किया, एसीआईटी वृत्त-4 लखनऊ, यूपी द्वारा किए गए समुचित प्रयास को लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

उत्तर में (जनवरी 2022), पीसीसीआईटी (सीसीए), लखनऊ ने लेखापरीक्षा अभियुक्ति को अस्वीकार करते हुए कहा कि निर्धारिती कंपनी ने बीयर के किंगफिशर ब्रांड की बोतल के लिए मैसर्स यू3 लिमिटेड के साथ समझौता किया था और मैसर्स यू3 लिमिटेड के निर्देश के अनुसार छूट दी गई थी। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने छूट देने में व्यवसायी के विशेषाधिकार पर सवाल नहीं उठाया था बल्कि निर्धारिती द्वारा किए गए दावे की सत्यता/शुद्धता के सत्यापन के बिना निर्धारण अधिकारी द्वारा इसकी अनुमति पर लेखापरीक्षा द्वारा टिप्पणी की गई थी। लेखापरीक्षा में एसीआईटी वृत्त-4, लखनऊ, यूपी द्वारा किये गये समुचित प्रयास को सुनिश्चित नहीं जा सका।

(iv) लेखापरीक्षा ने निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए संवीक्षा निर्धारण अभिलेखों की जांच की (मई 2019) और पाया कि सनदी लेखाकार ने फॉर्म 3सीडी के क्.सं. 31ए में प्रमाणित किया है कि निर्धारिती ने अधिनियम की धारा 269 एसएस के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अकाउंट पेयी चेक/ड्राफ्ट के बिना ₹ 0.68 करोड़ का ऋण या जमा लिया था, जो धारा 271डी के अंतर्गत ऋण या जमा राशि के बराबर राशि का जुर्माना आकर्षित करता है। इसका विवरण न तो निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत किया गया और न ही आयकर अधिनियम की धारा 269 एसएस के प्रावधानों के उल्लंघन स्वरूप धारा 271डी के तहत जुर्माना प्रावधानों के तहत एसीआईटी-IV, लखनऊ द्वारा निर्धारिती से मांगा गया।

उत्तर में (जनवरी 2022), पीसीसीआईटी (सीसीए) लखनऊ ने समर्थन में कोई साक्ष्य प्रदान किए बिना बताया कि ऑडिट रिपोर्ट में उक्त प्रविष्टि सनदी

लेखाकार द्वारा असावधानी वश हुई गलती के कारण थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा को उत्तर के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। परिणामस्व, लेखापरीक्षा पीसीसीआईटी (सीसीए) लखनऊ द्वारा अग्रेषित उत्तर को सत्यापित नहीं कर सका।

अग्रेतर कार्यवाही के विवरण और मंत्रालय के उत्तर की प्रतीक्षा है (फरवरी 2024)।

2.3.6.2 ऑडिटर की सहमति के बिना तुलन-पत्र की प्रविष्टियां स्वीकृत की गयी

तुलन-पत्र की अनुसूची में विविध देनदारों/लेनदारों/अग्रिमों/अन्य देनदारियों की सूची उपलब्ध नहीं थी और उनकी पुष्टि भी संवीक्षा निर्धारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थी। इसलिए, लेखापरीक्षा ने निर्धारण वर्ष 2009-10 से 2018-19 तक के लिए मैसर्स डब्ल्यू1 लिमिटेड, मैसर्स यू1 लिमिटेड और मैसर्स एम1 लिमिटेड के शीर्ष पांच विविध देनदारों/लेनदारों/अग्रिमों/अन्य देनदारियों के विवरण मांगे जो लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए।

(ए) पीसीआईटी बरेली -मैसर्स डब्ल्यू1 लिमिटेड

मैसर्स डब्ल्यू1 लिमिटेड के मामले में, लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्धारण वर्ष 2009 10 से 2018-19 के तुलन-पत्र में ₹ 641.29 करोड़ (₹ 223.90 करोड़, ₹ 407.43 करोड़ और ₹ 9.96 करोड़) क्रमशः विविध लेनदारों, विविध देनदारों और दिए गए अग्रिमों की शेष राशि परिलक्षित हुई (अनुलग्नक एस-1)। लेखापरीक्षा में एसीआईटी वृत्त-2, बरेली, द्वारा किये गये समुचित प्रयास का पता नहीं लगाया जा सका क्योंकि अभिलेखों में कोई सहायक दस्तावेज/विवरण नहीं पाए गए थे। एसीआईटी वृत्त-2, बरेली द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 133(6) के प्रावधानों को लागू करते हुए संबंधित पक्षों से विवरण माँगा जाना चाहिए था। लेखापरीक्षा ने पुनः शीर्ष पांच देनदारों, लेनदारों, दिए गए या लिए गए ऋणों और अग्रिमों और अन्य देनदारियों के विवरणों आदि का की जानकारी प्रदान करने का अनुरोध किया था (सितम्बर 2021)। यद्यपि, यह अभी भी प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

उत्तर में (जनवरी 2022) पीसीसीआईटी (सीसीए) लखनऊ ने मैसर्स डब्ल्यू1 लिमिटेड के संबंध में कहा कि निर्धारण वर्ष 2013-14 से 2017-18 के लिए

धारा 148 के अंतर्गत नोटिस जारी की गयी हैं। जबकि, निर्धारण वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13 और 2018-19 के संबंध में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया (फरवरी 2024)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि धारा 147 के अंतर्गत एक आदेश नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर दिल्ली द्वारा निर्धारण वर्ष 2013-14 से 2017-18 (मार्च 2022) के लिए पारित किया गया था। जबकि, पुनर्निर्धारण को अंतिम रूप देते समय तुलन-पत्र में विविध लेनदारों, विविध देनदारों और अग्रिमों की प्रविष्टियों को सत्यापित नहीं किया गया। एसीआईटी वृत्त-2, बरेली ने लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विचार नहीं करने के कारणों को नहीं बताया है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

(बी) पीसीआईटी-1, कानपुर-मैसर्स यू1 लिमिटेड

मैसर्स यू1 लिमिटेड के मामले में, लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्धारण वर्ष 2009-10 से 2018-19 से संबंधित तुलन-पत्र में ₹ 208.46 करोड़ (₹ 49.84 करोड़, ₹ 47.26 करोड़, ₹ 46.11 करोड़ और ₹ 65.25 करोड़) क्रमशः विविध लेनदारों, विविध देनदारों, दिए गए अग्रिमों और अन्य देनदारियों के लिए की शेष राशि दिखाई गई (अनुलग्नक एस-2)। लेखापरीक्षा में डीसीआईटी सीसी वृत्त-2, कानपुर, द्वारा किये गये समुचित प्रयास का पता नहीं लगाया जा सका क्योंकि अभिलेखों में कोई सहायक दस्तावेज/विवरण नहीं पाए गए थे। डीसीआईटी सीसी वृत्त-2, कानपुर द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 133(6) के प्रावधानों को लागू करते हुए संबंधित पक्षों से विवरण माँगा जाना चाहिए था। लेखापरीक्षा ने पुनः शीर्ष पांच देनदारों, लेनदारों, दिए गए या लिए गए ऋणों और अग्रिमों और अन्य देनदारियों के विवरणों आदि का की जानकारी प्रदान करने का अनुरोध किया था (सितम्बर 2021)। यद्यपि, यह अभी भी प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

उत्तर में (मई 2022) पीसीआईटी (सीसीए) कानपुर ने मैसर्स यू1 लिमिटेड के संबंध में कहा कि अधिनियम की धारा 148 के अंतर्गत नोटिस निर्धारण वर्ष 2013-14 से 2017-18 के लिए जारी किए गए हैं। निर्धारण वर्ष 2009-10 से 2012-13 के लिए मामले कालातीत हो गये हैं। आगे, निर्धारण वर्ष 2018-19 के मामले के संबंध में संयुक्त आयकर आयुक्त (ओएसडी) वृत्त 2(1)(1) कानपुर

ने कहा (जून 2022) कि लेखापरीक्षा द्वारा उठाई गयी अभियुक्ति स्वीकार्य योग्य प्रतीत होती है। तदनुसार, इस मामले में पुनर्निर्धारण कार्यवाही शुरू करने पर विचार किया जा रहा है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

(सी) पीसीआईटी-II लखनऊ-मैसर्स एम1 लिमिटेड

मैसर्स एम1 लिमिटेड के मामले में, लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारण वर्ष 2009-10 से 2018-19 के तुलन-पत्र में ₹ 231.22 करोड़ (₹ 79.07 करोड़ और ₹ 152.15 करोड़) क्रमशः विविध लेनदारों एवं विविध देनदारों के लिए की शेष राशि परिलक्षित हुई (अनुलग्नक एस-3)। डीसीआईटी वृत्त 4 लखनऊ द्वारा किये गये समुचित प्रयास का पता नहीं लगाया जा सका क्योंकि अभिलेखों में कोई सहायक दस्तावेज/विवरण नहीं पाए गए थे। डीसीआईटी वृत्त 4 लखनऊ द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 133(6) के प्रावधानों को लागू करते हुए संबंधित पक्षों से विवरण मांगना चाहिए था। लेखापरीक्षा ने पुनः शीर्ष पांच देनदारों, लेनदारों, दिए गए या लिए गए ऋणों और अग्रिमों और अन्य देनदारियों के विवरणों आदि का की जानकारी प्रदान करने का अनुरोध किया था (सितंबर 2021)। यद्यपि, यह अभी भी प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

उत्तर में (जनवरी 2022), पीसीसीआईटी (सीसीए), लखनऊ ने कहा कि अधिनियम की धारा 147 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्यवाही निर्धारण वर्ष 2013-14 और 2014-15 के लिए शुरू की गई है और निर्धारण वर्ष 2015-16 से 2017-18 के लिए उपचारात्मक कार्यवाही करने के लिए मामले को अधिनियम की धारा 147 सपठित धारा 148ए के अंतर्गत फिर से खोलने के लिए प्रस्तावित किया गया है। निर्धारण वर्ष 2009-10 से 2012-13 के लिए मामले कालातीत हो गए हैं। निर्धारण वर्ष 2018-19 के संबंध में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है (फरवरी 2024)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

2.3.6.3 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जाँच में रिबेट, छूट, गैर-जमानती ऋणों, विविध देनदारों, लेनदारों, दिए गए अग्रिमों, अन्य देनदारियों और ₹ 20,000 से अधिक नकद में

स्वीकार/चुकाए गए ऋणों तथा जमा दावों के स्वीकृति की सत्यता और वास्तविकता के सत्यापन के लिए जाँच के विभिन्न चरणों और निर्धारण मामलों को अन्तिम रूप देने जैसे सीपीसी के माध्यम से समरी निर्धारण और आईटीडी प्रणाली के माध्यम से संवीक्षा निर्धारण हेतु विभाग के भीतर स्थापित तंत्र की मौजूदगी को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

निर्धारण कार्यवाही के दौरान शेयर आवेदन राशि का सत्यापन न करने से, लेखा पुस्तकों में पूंजी के प्रवेश के माध्यम से काले धन या अवैध धन के प्रवेश के जोखिम से इनकार नहीं किया जा सका।

कुछ मामलों में, निर्धारण को पूरा करते समय निर्धारण अधिकारियों ने वित्तीय विवरणों में दिए गए सीए या निर्धारिती द्वारा प्रदान की गयी सूचनाओं को सत्यापित करने में बिना उचित सावधानी के अपने विवेक से निर्धारण को पूरा किया। लेखापरीक्षा को वित्तीय विवरणों की सत्यता/वास्तविकता की पुष्टि करने में निर्धारण अधिकारी द्वारा किये गये समुचित प्रयास के संबंध में आश्वासन नहीं मिल सका।

विभाग लेखापरीक्षा को सूचित करते हुए राजकोष में संभावित राजस्व रिसाव को रोकने हेतु आगामी निर्धारण वर्षों के लिए भी इन निर्धारितियों की विस्तार से जांच कर सकता है।

2.3.7 सिफारिशें

2.3.7.1 सीबीडीटी निर्धारण अभिलेखों जैसे फॉर्म 3सीडी, लाभहानि खाता विवरण, राज्य आबकारी अभिलेखों आदि के मिलान के लिए मौजूदा तंत्र को मजबूत कर सकता है, विशेष रूप से फेसलेस निर्धारण व्यवस्था की शुरुआत के बाद जिसमें क्षेत्राधिकार-मुक्त निर्धारण किया जा रहा है, ताकि आसवनी एवं यवासवनी क्षेत्र का निर्धारण पूरा करते समय निर्धारिती की सही आय का पता लगाने के लिए लेखा पुस्तकों का गंभीर और सही ढंग से विश्लेषण करके मौजूदा अंतर को भरा जा सके।

[पैरा 2.3.1.1, 2.3.1.2 और 2.3.1.3, 2.3.6.1 और 2.3.6.2]

मंत्रालय ने अपने उत्तर में कहा (जुलाई 2022) कि फेसलेस निर्धारण की शुरुआत के साथ आयकर विभाग में निर्धारण की प्रक्रिया में बदलाव आया है। पैमाने की

मित्ब्ययिताओं और कार्यात्मक विशेषज्ञता के माध्यम से संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए निर्धारण इकाइयाँ, सत्यापन इकाइयाँ, तकनीकी इकाइयाँ और समीक्षा इकाइयाँ जैसी विशिष्ट इकाइयाँ स्थापित की गई हैं। यह एक टीम-आधारित निर्धारण प्रक्रिया है, जहाँ कारण सहित आदेश तैयार करने के लिए निर्धारण इकाई, सत्यापन इकाई से सत्यापन करने का अनुरोध कर सकती है और तकनीकी इकाई से तकनीकी सहायता माँग सकती है। फेसलेस निर्धारण के अन्तर्गत, त्रुटि मुक्त निर्धारण आदेश की सुविधा के लिए समीक्षा की प्रक्रिया अंतर्निहित की गई है।

मंत्रालय का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लेखाबहियों का आलोचनात्मक और सही ढंग से विश्लेषण करने के उद्देश्य से, यह आवश्यक है कि विभाग द्वारा विशेष रूप से फेसलेस निर्धारण व्यवस्था की शुरुआत के बाद, आसवनी और यवासवनी के व्यवसाय में लगे करदाताओं के संबंध में लाभ और हानि खाते में घोषित आय को आबकारी रिटर्न के साथ मिलान के बाद निर्धारण कार्यवाही पूर्ण किए जाने की आवश्यकता है। यदि ऐसे मिलान के दौरान कोई असत्यापित मात्रा पाई जाती है तो उसे निर्धारिती की आय में जोड़ा जाना चाहिए। राजस्व हितों की रक्षा हेतु कर लगाने के लिए निर्धारिती की आय का पूर्ण लेखा जोखा सुनिश्चित करके उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।

इसके अलावा, चूंकि विभाग ने निर्धारण को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए फेसलेस तरीके से निर्धारण शुरू किया है, इसलिए निर्धारण आदेश को कारण सहित पारित किया जाना चाहिए ताकि निर्धारण आदेश त्रुटि मुक्त हो। मंत्रालय को गलतियों के कारण राजस्व रिसाव की होने वाली पुनरावृत्ति से बचने के लिए संसाधनों के अधिक प्रभावी इष्टतम उपयोग को मजबूत करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने की आवश्यकता है। मंत्रालय अपने उत्तर पर पुनर्विचार कर सकता है।

2.3.7.2 आईटीआर में दर्शाई गयी बिक्री की तुलना में सम्बंधित राज्य आबकारी प्राधिकारियों को घोषित की गयी बिक्री को ध्यान में रखते हुए सीबीडीटी आसवनी और यवासवनी व्यवसाय में लगे निर्धारितियों के संबंध में कंप्यूटर एडेड स्कूटनी सेलेक्शन (सीएसएस) के अन्तर्गत सीमित और साथ ही साथ सम्पूर्ण जाँच के

लिए मामलों की पहचान करने हेतु जोखिम मापदंडों के संयोजन को लागू करने पर विचार कर सकता है।

[पैरा 2.3.1.1, 2.3.1.2 और 2.3.1.3]

मंत्रालय ने अपने उत्तर में कहा (सितंबर 2022) कि सीएसएस चयन मानदंड के लिए नियम बनाते समय इस सुझाव की जाँच की जाएगी।

लेखापरीक्षा मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई की प्रतीक्षा करेगी (फरवरी 2024)।

2.3.7.3 आसवनी एवं यवासवनी क्षेत्र के लिए समरी निर्धारण के समय, निर्धारित आयकर रिटर्न के साथ संलग्न दस्तावेजों की सूचनाएं अर्थात् लाभ और हानि खातों में दिए गए बिक्री, शुल्क इत्यादि को सनदी लेखाकार द्वारा फॉर्म 3सीडी में प्रमाणित आंकड़ों के साथ मिलान करना चाहिए। सूचना सीपीसी (टीडीएस) के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुरूप भी होनी चाहिए।

[पैरा 2.3.1.1, 2.3.1.3 और 2.3.2.1(बी)]

मंत्रालय ने अपने उत्तर में कहा (सितंबर 2022) कि सीपीसी आयकर अधिनियम की धारा 143(1)(ए) के प्रावधानों के आधार पर धारा 143(1) के अन्तर्गत आयकर विवरणी को संसाधित करता है। लाभ और हानि खातों में घोषित बिक्री और सनदीलेखाकार द्वारा घोषित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/सीपीसी (टीडीएस) में उपलब्ध आंकड़ों में बिक्री के बीच अंतर को कर के दायरे में लाने का कोई प्रावधान धारा 143(1)(ए) नहीं है।

यद्यपि मंत्रालय का उत्तर सैद्धांतिक रूप से स्वीकार्य है, विभाग सीएसएस मापदंडों की समीक्षा/पुनर्विलोकन कर सकता है ताकि उच्च टर्नओवर वाले निर्धारित कर के दायरे से न बच सकें। इसके अलावा, आयकर विभाग में सीपीसी डेटाबेस/आईटीबीए सर्वर/ई-फाइलिंग पोर्टल में पहले से उपलब्ध जानकारी जैसे फॉर्म 3सीडी/आईटीआर या लाभ और हानि खाते में प्रदर्शित बिक्री/आबकारी शुल्क, वैट और अन्य करों एवं आरोपणों का मिलान और सहसंबंध की समीक्षा की जा सकती है और इसे मजबूत किया जा सकता है ताकि आसवनी और यवासवनी क्षेत्र की इकाईयों द्वारा बेहिसाब राशि के प्रवाह के जोखिम को कम किया जा सके और कर चोरी की संभावना को रोका जा सके।

2.3.7.4 सीबीडीटी आसवनी एवं यवासवनी क्षेत्र के लिए निर्धारण के समय, जहाँ आवश्यक हो, आयकर विभाग द्वारा तय की जाने वाली निर्धारित कुल मौद्रिक सीमा के ऊपर राज्य आबकारी प्राधिकारियों से सूचना/वित्तीय लेन-देन के विवरणों (एसएफटी)³⁴/एआईआर या गैर-एआईआर को अनिवार्यतः प्राप्त करने के लिए आयकर अधिनियम में उचित संशोधन/प्रावधान करने अथवा एसओपी/एमओपी जारी करने पर विचार कर सकता है।

[पैरा 2.3.1.1, 2.3.1.2 और 2.3.1.3]

मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया (जुलाई 2022) कि आयकर अधिनियम के प्रावधान निर्धारण अधिकारी को सक्षम बनाता है की वह निर्धारण कार्यवाहियों के दौरान राज्य आबकारी प्राधिकारियों सहित अन्य एजेंसियों से प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देते हैं। इसके अलावा, निर्धारण अधिकारी प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर तय करता है कि क्या अन्य एजेंसियों से कोई जानकारी माँगी जानी चाहिए। इसलिए, एक निर्धारित सीमा से ऊपर राज्य आबकारी प्राधिकारियों से जानकारी माँगने के लिए निर्धारण अधिकारी को अनिवार्य करना व्यवहार्य नहीं हो सकता है।

मंत्रालय का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि आसवनी और यवासवनी क्षेत्र व्यावसायिक गतिविधि की विशिष्ट प्रकृति है, जिसमें राज्य आबकारी शुल्क भुगतान किया जाने वाला प्रमुख कर है और निर्धारित द्वारा व्यय के रूप में दावा किया जाता है, जो कराधान के लिए प्रस्तावित आय के सीधे आनुपातिक है। इसलिए, संबंधित पैर पर उस राज्य सरकार के विभाग से राज्य आबकारी

³⁴ वित्तीय लेन-देन का विवरण (एसएफटी)- फेसलेस असेसमेंट की शुरुआत से पहले, एआईआर (वार्षिक सूचना रिटर्न)/ सीआईबी में 7 तरीको से सिस्टम द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों का सत्यापन नोटिस जारी करके और व्यक्तिगत रूप से जानकारी एकत्र करके किया गया था और सत्यापन के विवरणों को आगे की आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्बंधित पीसीसीआईटी को भेजा गया था। फेसलेस असेसमेंट की शुरुआत के बाद आंकड़ों का सत्यापन 02.12.2020 से बंद कर दिया गया है और डीजी सिस्टम से आंकड़ों को अंतर्दृष्टि पोर्टल के माध्यम से डीजीआईटी इंटेलिजेंस एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन (डीजीआईटी आई एंड सीआई)(तत्कालीन सीआईबी) को भेज दिया गया है। अंतर्दृष्टि पोर्टल एआईआर के बजाय एसएफटी (वित्तीय लेनदेन का विवरण) से संबंधित है। एसएफटी के लिए कुछ सीमाएँ निर्धारित की गई हैं, जिनके नीचे सिस्टम में भी आंकड़े उपलब्ध हैं। 18एसएफटी हैं (एआईआर में 7) जिसके माध्यम से धारा 61, 61ए और 61बी के तहत रिटर्न के रूप में तीसरे पक्ष (संस्थाओं) से आंकड़ों को प्राप्त किया जाता है। पंजीकृत संस्थाओं (आरई) को अपने आईटीडीआरईआईएन (आयकर विभाग पंजीकृत व्यक्तिगत संख्या) जैसे पैर/टैन के साथ हर साल देय तिथि से पहले रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है।

शुल्क के भुगतान के संबंध में सूचना के प्रावधान को एसएफटी सूचना में शामिल किया जा सकता है। यह निर्धारण अधिकारी को आवश्यक जानकारी से सक्षम बनाएगा ताकि निर्धारण कार्यवाहियों के दौरान आबकारी शुल्क के सही दावे का निस्तारण किया जा सके। मंत्रालय अपने उत्तर पर पुनर्विचार कर सकता है।

2.3.7.5 सीबीडीटी त्रुटि मुक्त निर्धारण सुनिश्चित करने के लिए आसवनी और यवासवनी के व्यवसाय में लगी इकाइयों के निर्धारण के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने पर विचार कर सकता है। एसओपी में निर्धारण अधिकारी(ओं) के लिए निम्न निर्देश शामिल हो सकते हैं:

- (i) सत्यापन के लिए ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी से आवश्यक जानकारी साझा करना और माँगना। निर्धारण अधिकारी द्वारा इस प्रभाव का प्रमाण पत्र दिया जा सकता है।
- (ii) निर्धारितियों द्वारा दी गई जानकारी की सत्यता और शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित राज्य सरकार के प्राधिकारियों से आबकारी शुल्क, वैट और अन्य करों/शुल्कों जैसी जानकारी माँगने के लिए आईटी अधिनियम की धारा 133(6) में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग किया जाना।
- (iii) यह सुनिश्चित करना कि व्यवसाय गतिविधि कोड उनके आयकर विवरणी में अनिवार्य रूप से और सही ढंग से भरे गए हैं और व्यवसाय कोड को गलत भरने के लिए जुर्माना लगाने और निर्धारणों को फिर से खोलने हेतु संभावना की जाँच।
- (iv) टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में तैयार उत्पादों के मात्रात्मक प्रकटीकरण में विसंगतियों वाले मामलों को उच्च प्राथमिकता देना।

[पैरा 2.3.1.1, 2.3.1.2, 2.3.1.3, 2.3.6.1, 2.3.6.2, 2.3.2, 2.3.2.6, 2.3.3.1, 2.3.3.2 और 2.3.3.3]

एक एसओपी तैयार करने पर विचार करने के लिए मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2022) कि अन्वेषण की तकनीकों पर मैनुअल के खंड 5 में मदिरा व्यापार के निर्धारण पर एक अध्याय प्रदान किया गया है, जो उस क्षेत्र का एक सिंहावलोकन प्रदान करता है जो निर्धारण अधिकारियों के लिए निर्धारण कार्यवाहियों हेतु सहायक होगा। इसके अलावा, उक्त अध्याय के पैरा संख्या-14,

15 और 16 इस क्षेत्र के लिए विशिष्ट जोखिम क्षेत्रों का विवरण प्रदान करते हैं। निर्धारण कार्यवाहियों के दौरान पूछताछ/सत्यापन का तरीका मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, मामले-दर-मामले में भिन्न हो सकता है। इसलिए, आसवन और यवासवन में लगी हुई इकाइयों के निर्धारण के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया बनाना संभव नहीं हो सकता है।

मंत्रालय का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि मदिरा व्यापार से जुड़े जांच की तकनीक पर मैनुअल का खंड 5, अन्वेषण विंग के लिए दिशानिर्देश है। सीबीडीटी उपरोक्त मैनुअल के अनुरूप एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने पर विचार कर सकता है, जिसका उपयोग आसवन और यवासवन के व्यवसाय में लगी इकाइयों के निर्धारण के लिए दिशानिर्देश के रूप में किया जाएगा। मंत्रालय अपने उत्तर पर पुनर्विचार कर सकता है।

मंत्रालय ने उपर्युक्त (i) के उत्तर में कहा (सितंबर 2022) कि फेसलेस निर्धारण स्कीम के अंतर्गत, फेसलेस निर्धारण अधिकारी द्वारा आईटीबीए में 'इश्यू लेटर कार्यक्षमता' का उपयोग करके क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी के साथ आवश्यक जानकारी साझा की जा सकती है। इसके अलावा, यदि फेसलेस निर्धारण अधिकारियों द्वारा कोई सत्यापन किया जाना आवश्यक है, तो इसे सत्यापन इकाइयों द्वारा किया जाना होता है, न कि क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी द्वारा। इनकम टैक्स बिजनेस एप्लिकेशन (आईटीबीए) में पहले से ही कार्यक्षमता मौजूद है, जिस पर फेसलेस निर्धारण अधिकारी द्वारा, सत्यापन इकाई को फेसलेस तरीके से सत्यापन हेतु अनुरोध भेज कर निर्धारण की कार्यवाही की जा रही है। फेसलेस निर्धारण स्कीम से बाहर के निर्धारण मामलों (जैसे केंद्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कराधान प्रभारों द्वारा किए गए निर्धारणों) के लिए निर्धारण की कार्यवाहियां क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी द्वारा की जाती हैं। इसके अलावा, विभाग के अन्दर इनपुट को समय पर आदान-प्रदान के माध्यम से जानकारी के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए अंतर-क्षेत्राधिकार विवरण को साझा करने की सुविधा भी आईटीबीए में उपलब्ध है। क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी आईटीबीए में अन्वेषण मॉड्यूल के माध्यम से अन्य क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी से जानकारी साझा कर सकता है। यह कार्यशीलता आईटीबीए में दिनांक 27.02.2020 से उपलब्ध है। इससे अधिक, यह बताया जाता है की

क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी जहां भी उचित समझे, आईटीबीए पोर्टल (जैसे पत्र निर्गत करने की कार्यशीलता) के साथ-साथ वेबमेल सुविधा से जानकारी माँग/साझा कर सकता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मंत्रालय द्वारा बताई गई कार्यशीलता ऑडिट अवधि के दौरान उपलब्ध नहीं थी। आईटीबीए में नई सुविधा दिनांक 27.02.2020 से शुरू की गई थी। इस कार्यशीलता के कार्यान्वयन की निगरानी आगामी निर्धारण वर्षों में की जाएगी।

मंत्रालय ने उपरोक्त (ii) के उत्तर में कहा (जुलाई 2022) कि आयकर अधिनियम के प्रावधान निर्धारण अधिकारी को निर्धारण कार्यवाही के दौरान राज्य सरकार के प्राधिकारियों सहित अन्य एजेंसियों से प्रासंगिक जानकारी मांगने का अधिकार देते हैं। इसके अलावा, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर निर्धारण अधिकारी यह निर्णय लेता है कि अन्य एजेंसियों से कोई जानकारी मंगाने की आवश्यकता है या नहीं।

मंत्रालय का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि राज्य आबकारी शुल्क मदिरा विनिर्माण उद्योग में भुगतान किया जाने वाला प्रमुख कर है जिसका दावा निर्धारिती द्वारा व्यय के रूप में किया जाता है जोकि कराधान के लिए घोषित आय को सीधे प्रभावित करता है। लेखापरीक्षित सभी मामलों में, निर्धारण कार्यवाही के दौरान निर्धारण अधिकारियों ने निर्धारिती द्वारा भुगतान किए गए वास्तविक राज्य आबकारी शुल्क की पुष्टि करने के लिए संबंधित राज्य आबकारी प्राधिकारियों से जानकारी मांगने के लिए अधिनियम की धारा 133(6) के अंतर्गत उल्लिखित शक्ति का प्रयोग नहीं किया है। राज्य आबकारी विभाग के पास उपलब्ध पर्याप्त जानकारी को विभाग द्वारा एक तंत्र स्थापित करके नियमित तरीके से एकत्र किया जाना आवश्यक है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि निर्धारण को पूरा करते समय कर प्रभाव के वास्तविक निर्धारण के लिए निर्धारण अधिकारियों द्वारा ऐसे विवरणों का मिलान किया जाता है। इसलिए, निर्धारण अधिकारियों द्वारा नमूना जांच के आधार पर संबंधित राज्य आबकारी विभाग से व्यक्तिगत चालान की मांग करने के बजाय राजस्व के हित में, अधिनियम की धारा 133(6) के प्रावधानों सर्वदा लागू किया जाना चाहिए। मंत्रालय अपने उत्तर पर पुनर्विचार कर सकता है।

मंत्रालय ने उपरोक्त (iii) के जवाब में कहा (जुलाई 2022) कि ऑनलाइन आयकर विवरणी दाखिल करते समय निर्धारितियों द्वारा व्यवसायिक कोड भरे जाते हैं। आयकर विवरणी में गलत जानकारी प्रस्तुत करने के लिए दंडनात्मक प्रावधान उपलब्ध हैं जैसे आयकर विवरणी में जानबूझकर गलत जानकारी देने का कोई भी प्रयास आयकर अधिनियम के अंतर्गत संभावित अभियोजन और/या जुर्माने का कारण बन सकता है।

मंत्रालय का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि व्यवसायिक कोड निर्धारितियों द्वारा भरे जाते हैं, इसे सनदीलेखाकार द्वारा टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से प्रमाणित किया जाना भी आवश्यक है। विशेष रूप से उपलब्ध जानकारी के आधार पर, निर्धारिती की सही गतिविधि/व्यवसाय-वार वर्गीकरण सुनिश्चित करने और आयकर विभाग के भीतर केन्द्रीकृत रूप से बनाए गए डेटाबेस से उत्पन्न विश्वसनीय एमआईएस सुनिश्चित करने के लिए निर्धारिती द्वारा भरे गए कोड में त्रुटियों को अनुवर्ती निर्धारण के दौरान अद्यतन किया जा सकता है। सीबीडीटी इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने पर विचार कर सकता है, जिसमें निर्धारिती को निर्धारण के समय बिजनेस कोड की गलत रिपोर्टिंग के लिए नोटिस जारी करने का विकल्प भी शामिल है। मंत्रालय अपने उत्तर पर पुनर्विचार कर सकता है।

मंत्रालय ने उपरोक्त (iv) के उत्तर में बताया (सितंबर 2022) कि सीएसएस चयन मानदंड के नियमों को तैयार करते समय इस सुझाव की जांच की जाएगी। प्रणाली को सुव्यवस्थित करने के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों के अंतिम परिणाम की लेखापरीक्षा में प्रतीक्षा रहेगी (फरवरी 2024)।

2.3.7.6 आसवनी और यवासवनी क्षेत्र के निर्धारितियों की व्यावसायिक गतिविधि की विशेष प्रकृति और ऐसे व्यवसाय में शामिल लेनदेन की बहुलता को ध्यान में रखते हुए, ऐसे मामलों में जिनमें मुख्य निर्धारिती और उनके संबंधित पक्षों के बीच बिक्री के खुलासे में विसंगति से संबंधित मुद्दे सामने आए हों, सीबीडीटी उनके बीच किये गये समझौतों की जांच के लिए करदाताओं और उनके संबंधित पक्षों का धारा 142(2ए) के तहत विशेष लेखापरीक्षा कराने पर विचार कर सकता है।

[पैरा 2.3.2.2 से 2.3.2.6]

मंत्रालय ने उपरोक्त के जवाब में कहा (जुलाई 2022) कि आयकर अधिनियम की धारा 142(2ए) के प्रावधानों के अनुसार, निर्धारण अधिकारी किसी विशिष्ट मामले में विभिन्न कारकों जैसे खातों की प्रकृति और जटिलता, खातों की मात्रा, खातों की शुद्धता के बारे में संदेह, खातों में लेनदेन की बहुलता या निर्धारिती की व्यावसायिक गतिविधि की विशेष प्रकृति और राजस्व के हित में विचार करने के बाद एक राय बना सकता है कि क्या विशेष लेखापरीक्षा किया जाना आवश्यक है। इसलिए, विशेष लेखापरीक्षा आयोजित की जानी है या नहीं, इसका निर्णय निर्धारण अधिकारी द्वारा मामले-दर-मामले के आधार पर तय किया जाता है।

मंत्रालय का उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि आसवनी और यवासवनी क्षेत्र के निर्धारिती लेनदेनों की बहुलता में शामिल होते हैं, और निर्धारण अधिकारी, निर्धारण की सामान्य प्रक्रिया में, विशेष लेखापरीक्षा की अनुशंसा नहीं करते हैं। लेखापरीक्षित सभी मामलों में निर्धारण अधिकारी लेखापरीक्षा द्वारा इंगित कर अपवंचन की पहचान करने में विफल रहे। यद्यपि, आयकर विभाग ने एक मामले में मैसर्स पी1 प्राइवेट लिमिटेड के निर्धारण वर्ष 2017-18 में अधिनियम की धारा 142(2ए) के अंतर्गत विशेष लेखापरीक्षा के लिए अनुशंसा की। तदनुसार, 'आबकारी शुल्क विवरणी और लाभ और हानि खाते में दर्शाई गई आय के मिलान' में विशेष लेखापरीक्षा ने ₹ 956.61 करोड़ की एक असत्यापित मात्रा की सूचना दी, जिसके विरुद्ध आयकर विभाग ने ₹ 206.84 करोड़ की अतिरिक्त वृद्धि की, जिसमें उपरोक्त असत्यापित खाते से सम्बंधित ₹ 191.32 करोड़ शामिल है। मंत्रालय अपने उत्तर पर पुनर्विचार कर सकता है।

2.3.7.7 आयकर विभाग को इस क्षेत्र के लिए एक निश्चित सीमा तक टर्नओवर हेतु ऑडिटर के लिए फॉर्म 3सीडी में वैट/अन्य शुल्कों/करों के आवश्यक विवरण का उल्लेख करना अनिवार्य बनाने पर विचार करना चाहिए, जिन्हें लाभ और हानि खाते में नहीं दर्शाया गया हो। ऑडिटर को 34(ए) पर बिक्री के सन्दर्भ में यह भी उल्लेख करना चाहिए कि यह सकल बिक्री थी या निवल बिक्री। इसके अलावा, ऑडिटर को लाभ और हानि खाते में कुल बिक्री को सम्बंधित आबकारी शुल्क के साथ टीसीएस/गैर-टीसीएस बिक्री में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहिए।

[पैरा 2.3.2.2 से 2.3.2.10]

मंत्रालय ने अपने उत्तर में कहा (सितंबर 2022) कि अधिनियम की धारा 206सी की उप-धारा (1) मानव उपभोग के लिए मादक मदिरा के लिए भुगतान योग्य राशि को क्रेता के खाते में डेबिट करते समय या प्रतिफल की प्राप्ति के समय विक्रेता द्वारा क्रेता से एक प्रतिशत की दर से कर संग्रहण का प्रावधान करती है। ऐसा कर निर्धारित समय के भीतर विक्रेता द्वारा केंद्र सरकार के खाते में जमा करना होता है।

फॉर्म 3सीडी के खंड 34(ए) में, ऑडिटर को वर्ष के दौरान करदाता द्वारा की गई कर कटौती और कर संग्रह जैसे भुगतान की प्रकृति, धारा जिसके अन्तर्गत कर कटौती/संग्रहण किया गया इत्यादि का विवरण देना आवश्यक है। इसलिए सकल राशि पर टीसीएस एकत्र किया जाता है जिसे पहले से ही फॉर्म 3सीडी के खण्ड 34(ए) में घोषित किया जा रहा है।

लेखापरीक्षा का यह सुझाव कि खंड 34(ए) में सकल बनाम निवल और टीसीएस बनाम गैर-टीसीएस का विभाजन होना चाहिए, जो संभव नहीं है। खंड 34(ए) का उद्देश्य टीडीएस और टीसीएस का विवरण प्राप्त करना है जिसे जब आवश्यक हो तब सत्यापित किया जा सके। ऑडिट प्रपत्र को डिज़ाइन करते समय, यह सुनिश्चित करना होगा कि यह वृहद न हो और अनुपालन के अनावश्यक बोझ को बढ़ाता न हो।

यद्यपि, मंत्रालय का उत्तर सैद्धांतिक रूप से स्वीकार्य है, मंत्रालय इस विशिष्ट क्षेत्र के लिए एक टर्नओवर की सीमा निर्धारित कर सकता है, जिसमें ऑडिटर को फॉर्म 3सीडी में अनिवार्य रूप से सकल बिक्री या निवल बिक्री, टीसीएस और गैर-टीसीएस बिक्री आदि के विभाजन का उल्लेख करना होगा। राजस्व के हित में संबंधित आबकारी शुल्क, वैट और अन्य शुल्कों के साथ टीसीएस और गैर-टीसीएस बिक्री का विवरण आय का सही ऑकलन करने में सक्षम बनाएगा। मंत्रालय अपने उत्तर पर पुनर्विचार कर सकता है।

2.3.7.8 सीबीडीटी आसवनी और यवासवनी क्षेत्र के लिए विस्तृत व्यवसाय कोड निर्गत करने पर विचार कर सकता है। ये व्यवसायिक गतिविधि कोड आयकर विभाग को सभी आसवनी और यवासवनी का एक व्यापक डेटाबेस तैयार और अद्यतन करने में सक्षम बनाएंगे, जो इस क्षेत्र में सीएसएसएस मापदंडों के अंतर्गत

संवीक्षा निर्धारण के लिए निर्धारितियों की पहचान और चयन की सुविधा प्रदान करेगा।

[पैरा 2.3.2 और 2.3.2.6]

मंत्रालय ने विस्तृत व्यवसाय कोड निर्गत करने पर विचार करने के सम्बन्ध में कहा (जुलाई 2022) कि ऑनलाइन आयकर विवरणी दाखिल करते समय करदाताओं द्वारा बिजनेस कोड भरे जाते हैं। निर्धारण अधिकारियों के लिए व्यवसाय कोड की शुद्धता सुनिश्चित करना संभव नहीं हो सकता है।

मंत्रालय का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सीबीडीटी आसवानी और यवासवनी क्षेत्र के लिए विस्तृत व्यापार कोड निर्धारित करने पर विचार कर सकता है। यद्यपि, बिजनेस कोड निर्धारितियों द्वारा भरे जाते हैं, लेकिन इसे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित किया जाना भी आवश्यक है। विशेष रूप से उपलब्ध जानकारी के आधार पर, निर्धारिती की सही गतिविधि/व्यवसाय-वार वर्गीकरण सुनिश्चित करने और आयकर विभाग के भीतर केन्द्रीकृत रूप से बनाए गए डेटाबेस से विश्वसनीय एमआईएस उत्पन्न होना सुनिश्चित करने के लिए निर्धारिती द्वारा भरे गए त्रुटिपूर्ण कोड को अनुवर्ती निर्धारण के दौरान अद्यतन किया जा सकता है। मंत्रालय अपने उत्तर पर पुनर्विचार कर सकता है।

2.3.7.9 आयकर विभाग संवीक्षा निर्धारण के चरण में, विशेष रूप से वृहद बिक्री कारोबार वाली इकाईयों में आयकर विवरणी/लाभ और हानि खाते तथा टीएआर के अनुसार रहतिया के प्रकटीकरण में अंतर को सत्यापित न किए जाने के कारणों की जाँच करने पर विचार कर सकता है। इसके अतिरिक्त, जहाँ रहतिया का मूल्य आयकर विवरणी और वार्षिक खातों में दिखाया गया है, लेकिन मात्रात्मक विवरण को नहीं दर्शाया गया है, और इसके विपरीत स्थितियों में, आसवनी और यवासवनी क्षेत्र की इकाईयों द्वारा तैयार उत्पादों के गैर-लेखांकन जोखिम और करापवंचन की संभावना को रोकने के लिए निर्धारण में उसके कारणों और लाभप्रदता पर उनके प्रभाव को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

[पैरा 2.3.3.1, 2.3.3.2 और 2.3.3.3]

मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया (जुलाई 2022) कि इस पैरा का उत्तर संबंधित उदाहरणीय मामलों में दिया जाएगा।

लेखापरीक्षा में, मंत्रालय के मामले-वार विशिष्ट उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी (फरवरी 2024)।

2.3.7.10 सीबीडीटी आसवनी और यवासवनी क्षेत्र से सम्बंधित निर्धारण के दौरान निर्धारिती(ओं) द्वारा घोषित आबकारी शुल्क, वैट और अन्य कर/शुल्कों की जांच और प्रतिसत्यापन के लिए आबकारी शुल्क, वैट और अन्य करों/शुल्कों के विवरणों को शामिल करते हुए जानकारियों को प्रतिपक्षों के निर्धारण अधिकारियों के साथ अंतर्विभागीय साझाकरण के वर्तमान तंत्र को मजबूत कर सकता है।

[पैरा 2.3.5]

मंत्रालय ने अपने उत्तर में कहा (सितंबर 2022) कि आयकर विभाग आसवनी और यवासवनी के कारोबार में लगे निर्धारितियों को शामिल करते हुए करापवंचन करने वालों की विभिन्न श्रेणियों के विरुद्ध कानून के अनुसार उचित कार्यवाही करता है। ऐसी कार्यवाही करते समय, आयकर विभाग करापवंचन की विभिन्न श्रेणियों के बीच अंतर नहीं करता है। जब भी करापवंचन और बेहिसाब/काले धन का कोई मामला सामने आता है, तो आयकर विभाग आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उचित कार्यवाही करता है, जिसमें समन जारी करना, सूचना मांगना, तलाशी और सर्वेक्षण करना, आय का निर्धारण और पुनर्निर्धारण करना, कर का आरोपण और उदग्रहण, जुर्माना लगाना, अभियोजन शुरू करना आदि शामिल है।

इसके अलावा, यह भी प्रस्तुत किया जा सकता है कि 01.04.2021 से आयकर अधिनियम के अंतर्गत पुनर्निर्धारण की योजना में संशोधन किया गया है। पुनर्निर्धारण के लिए किसी मामले के (आसवनी और यवासवनी के व्यवसाय में लगे करदाता के मामले सहित) चयन की प्रक्रिया अब उचित स्तर पर जोखिम प्रबंधन रणनीति के अधीन है। यह जोखिम मापदंडों पर निर्धारण अधिकारी की ओर से एक केंद्रित दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है, जिससे उसे संबंधित कर अपवंचन का पता लगाने में सहायता मिलती है।

उपरोक्त के अलावा, यह कहा जा सकता है कि आयकर विभाग को विभिन्न स्रोतों के माध्यम से किसी भी निर्धारिती (आसवनी और यवासवनी के व्यवसाय

में काम करने वाले निर्धारित सहित) के कर अपवंचन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इन स्रोतों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- ए) केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो (सीईआईबी) और क्षेत्रीय आर्थिक खुफिया समिति (आरईआईसी) जैसी विभिन्न सरकारी एजेंसियों/संगठनों के बीच सूचना साझा करने वाले प्लेटफार्म, जहां आयकर विभाग राज्य एजेंसियों सहित अन्य सदस्य एजेंसियों से/को जानकारी प्राप्त/साझा करता है।
- बी) निर्दिष्ट लेनदेन से संबंधित अधिसूचित सीमा से ऊपर एसएफटी (निर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन) के रूप में आयकर विभाग के साथ दाखिल की गई सूचना।
- सी) एफआईयू-आईएनडी के माध्यम से प्राप्त संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर)।
- डी) उचित कार्यवाही आदि के लिए किसी अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसी (एलईए) से प्राप्त निर्दिष्ट जानकारी।
- इ) कर चोरी याचिकाएं (टीईपी) और मुखबिर।

कर अपवंचन के बारे में ऊपर दी गयी सभी सूचनाएं कर अपवंचको की श्रेणी से निरपेक्ष सूचना प्रदान करती हैं। जब भी ऐसी जानकारी आयकर विभाग के साथ साझा की जाती है, तो वह प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रावधान के अनुसार कार्यवाही करता है।

यद्यपि मंत्रालय का उत्तर सिद्धांत रूप में स्वीकार्य है, तथापि उत्तर विशेष रूप से राज्य आबकारी विभाग के साथ सूचना साझा करने के तंत्र पर मौन है, जहाँ पर्याप्त मात्रा में सूचना है जैसाकि लेखापरीक्षा ने अपने प्रतिवेदन में उजागर किया है। लेखापरीक्षा ने पाया कि आयकर विभाग और संबंधित राज्य सरकारों के राज्य आबकारी प्राधिकारियों के बीच इन सूचनाओं को साझा नहीं किया गया था। फॉर्म 3सीडी, लाभ और हानि खाता, सीपीसी (टीडीएस) वैशाली, गाजियाबाद और आबकारी प्राधिकारियों जैसे विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शित बिक्री की विभिन्न राशियों के मिलान के लिए निर्धारण कार्यवाही पूर्ण करते समय निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई प्रयास किया गया नहीं लगता है। यह इस क्षेत्र के निर्धारितियों के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए अभियुक्तियों से स्पष्ट

है। राजस्व के हित में, इन सभी स्थानों पर बिक्री के आकड़ों का मिलान और सत्यापन किया जाना आवश्यक था। मदिरा निर्माण में शामिल इन निर्धारितियों के संबंध में राजस्व रिसाव के जोखिम के लिए आयकर विभाग द्वारा उचित समय पर कार्यवाही की जानी आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि तंत्र में बाद के वर्षों में ऐसी खामियां/अंतर मौजूद नहीं हैं। मंत्रालय अपने उत्तर पर पुनर्विचार कर सकता है।

2.3.7.11 सीबीडीटी यह जाँच कर सकता है कि क्या पायी गई त्रुटियाँ भूल या जान बूझकर की गयी त्रुटियों के उदाहरण हैं, और यदि ये जान बूझकर की गयी त्रुटियाँ हों, तो उन्हें जहां आसवनी और यवासवनी के व्यवसाय में लगे कंपनियों की जांच के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा स्पष्ट गलतियां बताई गयी हैं, कानून के अनुसार जिम्मेदारी तय करने सहित आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करनी चाहिए।

[पैरा 2.2 और 2.3]



(मोनिका वर्मा)

नई दिल्ली

दिनांक: 14 नवंबर 2024

महानिदेशक (प्रत्यक्ष कर-1)

प्रतिहस्ताक्षरित



(गिरीश चंद्र मुर्मू)

नई दिल्ली

दिनांक: 18 नवंबर 2024

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

अनुलग्नक

अनुलग्नक-ए-1		
क्र.सं.	इकाई का नाम	निर्धारण अधिकारी
कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय), लखनऊ		
1	मैसर्स डब्लू1 लिमिटेड	एसीआईटी 2 बरेली
2	मैसर्स यू1 लिमिटेड	केन्द्रीय वृत्त 1 कानपुर
3	मैसर्स एम1 लिमिटेड	एसीआईटी वृत्त 4 लखनऊ
कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (सीआर), नई दिल्ली		
4	मैसर्स पी1 लिमिटेड	केन्द्रीय वृत्त 31 दिल्ली
5	मैसर्स आर1 लिमिटेड	केन्द्रीय वृत्त 31 दिल्ली
6	मैसर्स एस1 लिमिटेड	वृत्त 22(1) दिल्ली
7	मैसर्स एम2 लिमिटेड	वाई 17(3) दिल्ली
8	मैसर्स एम3 लिमिटेड	केन्द्रीय वृत्त 8 दिल्ली
कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय), मुम्बई		
9	मैसर्स ए1 लिमिटेड	केन्द्रीय वृत्त 8 दिल्ली
कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय), बेंगलुरु		
10	मैसर्स यू2 लिमिटेड	स्पेशल रेंज 7 बेंगलुरु
11	मैसर्स यू3 लिमिटेड	स्पेशल रेंज 7 बेंगलुरु

अनुलग्नक-ए-2

कानूनी ढांचा और न्यायिक उद्घोषणायें:

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें (डीपीसी अधिनियम, 1971) की धारा 16: नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखापरीक्षा करे जो भारत की और प्रत्येक राज्य की और प्रत्येक ऐसे संघ राज्यक्षेत्र की जिसमें विधान सभा है, संचित निधि में संदेय है, और अपना समाधान कर ले कि उस बारे में सभी नियम और प्रक्रियाएं राजस्व के निर्धारण, संग्रहण और उचित आंबटन की प्रभावपूर्ण जांच पड़ताल सुनिश्चित करने के लिये परिकल्पित है और उसका सम्यक रूप से अनुपालन किया जा रहा है और इस प्रयोजन के लिये लेखाओं की ऐसे परीक्षा करें जो वह ठीक समझे और उनकी बाबत रिपोर्ट दे।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें (डीपीसी अधिनियम, 1971) की धारा 18:

1. इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के पालन के संबंध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को प्राधिकार होगा कि वह -
 - क) संघ के या किसी राज्य के नियंत्रण के अधीन किसी लेखा कार्यालय का निरीक्षण करे जिसके अंतर्गत खजाने और प्रारम्भिक या सहायक लेखाओं को रखने के लिये जिम्मेदार ऐसे कार्यालय भी हैं, जो उसे लेखे भेजते हैं;
 - ख) यह अपेक्षा करे कि कोई लेखे, बहियां, कागजपत्र या अन्य दस्तावेज, जो ऐसे संव्यवहारों के बारे में हों या उनका आधार हो या उनसे अन्यथा सुसंगत हों जिन तक लेखापरीक्षा से संबंधित उसके कर्तव्यों का विस्तार है, ऐसे स्थान पर भेज दिये जाए जिसे वह अपने निरीक्षण के लिये नियत करे;
 - ग) कार्यालय के प्रभारी व्यक्ति ऐसे प्रश्न पूछे या ऐसी टीका-टिप्पणी करे जो वह ठीक समझे और ऐसी जानकारी मांगे जिसकी उसे किसी ऐसे लेखे या रिपोर्ट की तैयारी के लिए अपेक्षा हो, जिसे तैयार करना उसका कर्तव्य है।
2. किसी ऐसे कार्यालय या विभाग का प्रभारी व्यक्ति, जिसके लेखाओं का निरीक्षण या लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जानी है, ऐसे निरीक्षण के लिये सभी सुविधाएं देगा और जानकारी के लिये किए गए अनुरोधों की यथासम्भव पूरे तौर पर समुचित शीघ्रता से पूर्ति करेगा।

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 28: निम्नलिखित आय "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभाय होगी-

- (i) पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय निर्धारती द्वारा चलाए गए किसी ऐसे कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ,
- (ii) कोई ऐसा प्रतिकर या अन्य संदाय जो निम्नलिखित को देय या द्वारा प्राप्त हो,
- (क) किसी भारतीय कम्पनी के सम्पूर्ण या पर्याप्ततः सम्पूर्ण कार्यों का प्रबंध करने वाले किसी व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, अपने प्रबंध के पर्यवसान पर या उसके संबंध में अथवा उससे संबद्ध निबंधनों और शर्तों के उपान्तरण पर या उसके संबंध में;
- (ख) भारत में किसी अन्य कम्पनी के सम्पूर्ण या पर्याप्ततः सम्पूर्ण कार्यों का प्रबंध करने वाले किसी व्यक्ति को चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, अपने पद के पर्यवसान पर या उसके संबंध में अथवा उससे संबद्ध निबंधनों और शर्तों के उपान्तरण पर या उसके संबंध में;
- (ग) किसी व्यक्ति के कारबार के संबद्ध कार्यकलापों के किसी भाग के लिए भारत में कोई अभिकरण धारण करने वाले किसी व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, अधिकरण के पर्यवसान पर या उसके संबंध में अथवा उससे संबद्ध निबंधनों और शर्तों के उपान्तरण पर या उसके संबंध में;
- (घ) किसी व्यक्ति को सरकार में या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन किसी निगम में, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, किसी सम्पत्ति या कारबार के प्रबंध के निहित होने के लिए या उसके संबंध में;
- (ङ) किसी व्यक्ति को, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, उसके कारबार से संबंधित किसी संविदा के पर्यवसान या निबंधनों और शर्तों में उपांतरण पर या उसके संबंध में।]
- (iii) किसी व्यापारिक, वृत्तिक या समरूप संगम या अपने सदस्यों के लिए की गई विनिर्दिष्ट सेवाओं से प्राप्त आय;
- (iii क) आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947(1947 का 18)के अधीन बनाए गए आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 के अधीन अनुदत्त किसी लाइसेंस के विक्रय से लाभ;
- (iii ख) भारत सरकार की किसी स्कीम के अधीन निर्यात मद्दे किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त या प्राप्य नकद सहायता (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो);

(iii ग) सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क वापसी नियम, 1971 के अधीन निर्यात मद्दे किसी व्यक्ति को वापसी के रूप में पुनःसंदत्त या पुनःसंदेय कोई सीमा-शुल्क या उत्पाद शुल्क;

(iii घ) विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 5 के अधीन विरचित और घोषित निर्यात-आयात नीति के अधीन ड्यूटी एन्टाइटलमेंट पास बुक स्कीम, जो ड्यूटी रिमिशन स्कीम है, के अंतरण पर कोई लाभ;

(iii इ) विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 5 के अधीन विरचित और घोषित निर्यात-आयात नीति के अधीन ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट, जो ड्यूटी रिमिशन स्कीम है, के अंतरण पर कोई लाभ;

(iv) किसी कारबार या किसी वृत्ति के प्रयोग से उद्भूत होने वाले किसी फायदे या परिलब्धि का मूल्य, चाहे वह धन में बदलने योग्य हो या नहीं;

(v) किसी फर्म के भागीदार को ऐसी फर्म से देय या प्राप्त कोई ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक, चाहे वह किसी भी नाम से जात हो :

(v क) किसी करार के अधीन नकद या वस्तु रूप में प्राप्त या प्राप्य कोई राशि:

(v क)(क) किसी कारबार या वृत्तिके संबंध में कोई क्रियाकलाप न करने के लिए; या

(ख) कोई व्यवहार ज्ञान, पेटेंट, कापीराइट, व्यापारिक, अनुज्ञप्ति, फ्रेंचाइज़ या इसी प्रकार की कोई अन्य कारबार या वाणिज्यिक अधिकार अथवा ऐसी सूचना या तकनीक, जो माल के निर्माण या प्रोसेसिंग में या सेवाओं का उपबंध करने में सहायक हो, दूसरे को न देने के लिए,

(vi) कीमैन बीमा पालिसी पर बोनस के रूप में आबंटित राशि सहित ऐसी पालिसी के अधीन प्राप्त कोई राशि।

(vi क) उस तारीख को सूची का उचित बाजार मूल्य जिसको इसे विहित रीति में अवधारित पूंजी आस्ति में संपरिवर्तित किया जाता है या व्यवहृत किया जाता है;

(vii) किसी ऐसी पूंजी आस्ति के मद्दे (भूमि या साख या वित्तीय लिखत से भिन्न) जो गिराई, नष्ट, त्यक्त या अंतरित की जा रही हो, नकद या वस्तु रूप में प्राप्त या प्राप्य राशि यदि उस पूंजी आस्ति पर संपूर्ण व्यय को धारा 35एडी के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञात किया गया है।

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 29: धारा 28 में संदर्भित आय की गणना धारा 30 से 43डी में प्रदत्त उपबंधों प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार, एक व्यक्ति जो निवासी है की किसी पूर्ववर्ष की कुल आय के अंतर्गत किसी भी स्रोत से प्राप्त वह सब आय सम्मिलित है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से ऐसे वर्ष में भारत में प्राप्त की जाए या प्राप्त की गई समझी जाए; या ऐसे वर्ष के दौरान उसे भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हो या प्रोद्भूत अथवा उद्भूत हुई समझी जाए।

(प्रकरण विधि)- राजस्व ने माननीय उच्च न्यायालय में निर्धारण वर्ष 2008-09 से 2012-13 लिए पांच अपील दायर की थी, जिसमें निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए परिवर्धन के संबंध में कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए गए थे, जहां प्रधान आयकर आयुक्त, बेंगलूर बनाम चामुंडी वायनरी एंड डिस्टिलरी)2018) 97 टैक्समैन डॉट कॉम 568 (कर्नाटक)/(2018)408 आईटीआर 402(कर्नाटक) के मामले में कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय के 25 सितंबर 2018 के निर्णय के आलोक में यह माना गया था कि कर की देयता निर्धारिती (जैसे मदिरा के अनुज्ञप्तिधारी निर्माता) के हाथों में उत्पन्न होगी न कि किसी अन्य के पक्ष में।

अधिनियम की धारा 206(सी) प्रावधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति, जो विक्रेता है, क्रेता द्वारा संदेय राशि क्रेता के लेखे में से विकलित करते समय स्रोत से एक प्रतिशत के बराबर कर (टीसीएस) संग्रह करेगा।

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 44एबी के प्रावधान के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जो कोई कारोबार चलाता है (जैसा कि धारा में निर्दिष्ट है) वह ऐसे पूर्ववर्ष के अपने लेखाओं को विनिर्दिष्ट तारीख से पहले लेखाकार से संपरीक्षित करवायेगा और उस तारीख को ऐसे विहित फार्म में ऐसे लेखाकार द्वारा सम्यक्तः हस्ताक्षरित और सत्यापित संपरीक्षा रिपोर्ट देगा जिसमें ऐसी विशिष्टियां दी गई हों जो विहित की जाएं।

आईसीएआई द्वारा जारी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44एबी के अधीन कर लेखापरीक्षा दिशानिर्देश टिप्पणी के अनुसार, जिसे ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने के लिए सनदी लेखाकार द्वारा पालन करना आवश्यक है, गाइडेंस नोट के पैरा 58.6 को निम्नानुसार संक्षिप्त किया गया है:

दिशानिर्देश टिप्पणी के पैरा 58.6 में कहा गया है कि क्र.सं.34 (ए) के कॉलम (4) में लेखापरीक्षक को भुगतान की कुल राशि का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है जो कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट प्रकृति की है। उक्त कॉलम में विवरण निर्धारिती द्वारा विभाग को प्रस्तुत किए गए टीडीएस/टीसीएस विवरणों से लिया जा सकता है, अन्य प्रलेख जिसमें समग्र भुगतान सम्मिलित है जिस पर कर कटौती की जानी है या नहीं की जानी है लेखापरीक्षक लेखा

पुस्तकों के अनुसार राशि और जिस राशि पर टीडीएस/टीसीएस की कटौती/संग्रहण किया जाना है, के अनुसार राशि का समाशोधन देते हुए कार्य-पत्रक रख सकते हैं।

प्रपत्र 3सीडी रिपोर्टिंग प्रारूप है जिसका उपयोग एक लेखा परीक्षक द्वारा किया जाना चाहिए जो उन करदाताओं के लेखाओं की पुस्तकों का लेखा-परीक्षण कर रहा है जिन पर कर लेखापरीक्षा लागू होती है। आयकर अधिनियम के प्रावधान, जो कर लेखापरीक्षा को नियंत्रित करते हैं, कि एक सनदी लेखाकार को निर्दिष्ट प्रपत्र में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करनी चाहिए। यह निर्धारितियों की ओर से सनदी लेखाकार द्वारा तैयार किया जाता है जो अपने लेखाओं का लेखापरीक्षा करवाते हैं। प्रपत्र का उद्देश्य धारा 44एबी के अधीन निर्दिष्ट किसी भी फॉर्म के अधीन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के विवरण को विनिर्दिष्ट करना है।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44एबी के अंतर्गत कर लेखापरीक्षा पर एक दिशानिर्देश टिप्पणी आईसीएआई द्वारा जारी किया गया था, जिसका लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार करने के लिए सनदी लेखाकार द्वारा पालन किया जाना आवश्यक है, के दिशानिर्देश टिप्पणी के पैरा 62 में प्रपत्र 3सीडी के खंड 35बी के लिए जांच सूची प्रदान की गई है। प्रपत्र 3सीडी के खंड 35 बी में निम्न के बारे में विवरण शामिल हैं -

निर्धारितियों के विनिर्माण इकाई होने की स्थिति में, सनदी लेखाकार कच्चे माल, तैयार उत्पादों और उप-उत्पादों की प्रमुख वस्तुओं का मात्रात्मक विवरण देगा।

खंड 35बीबी - तैयार उत्पाद/उपोत्पाद:

प्रारम्भिक रहतिया; (ii) पिछले वर्ष के दौरान समीक्रय; (iii) पिछले वर्ष के दौरान विनिर्मित मात्रा; (iv) पिछले वर्ष के दौरान विक्रय; (v) अन्तिम रहतिया; (vi) कमी/अधिकता, यदि कोई हो।

सनदी लेखाकार के लिए जांचसूची: लेखापरीक्षक को व्यापार किए गए माल की प्रमुख वस्तुओं, प्रारम्भिक रहतिया, क्रय, विक्रय और अन्तिम रहतिया और कमी/अधिक/क्षति की सीमा और उसके कारणों के संबंध में निर्धारितियों से प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए।

आयकर अधिनियम की धारा 153सी प्रावधान करती है कि निर्धारण अधिकारी तलाशी के वर्ष से ठीक पहले के छह निर्धारण वर्षों के लिए तलाशे गए व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का निर्धारण कर सकता है।

आयकर अधिनियम की धारा 115बीबीई प्रावधान करती है कि जहाँ निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित किसी निर्धारितियों की कुल आय में धारा 68 धारा 69 धारा 69 ए धारा 69बी धारा

69सी या धारा69 डी में संदर्भित कोई आय शामिल है, यदि ऐसी आय, धारा 139 के अन्तर्गत प्रस्तुत आय की विवरणी में परिलक्षित नहीं होती है तो देय समग्र आयकर, साठ प्रतिशत की दर से आय पर गणना की गई आयकर राशि का कुल होगा।

लागू दरें और कर			
क्र.सं.	धारा	निर्धारण वर्ष	कर की दर
1	धारा 115 बीबीई के अन्तर्गत कर	2014-15 से 2016-17 2017-18 और 2018-19	कर-@30% + अधिभार + शिक्षा उपकर कर-@60% +अधिभार @25%-शिक्षा उपकर
2	मद्य उत्पादों पर टीसीएस	धारा 206सी के अन्तर्गत	क्रेता से प्राप्त कुल राशि का 1 %

अनुलग्नक-बी-1 (पैरा संख्या 2.3.1.1(II)(ए))										
मैसर्स डब्लू 1 लिमिटेड										
(₹ लाख में)										कर प्रभाव
क्र. सं.	निर्धारण वर्ष	धारा के अन्तर्गत निर्धारण	लाभ/हानि खाते के अनुसार कुल बिक्री	राज्य उत्पाद शुल्क विभाग के अनुसार विक्रय ¹				कुल	कुल अंतर (आई - डी)	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)
ए	बी	सी	डी	इ	एफ	जी	एच	आई	जे	के
1	2011-12	143(1)	1,23,015.44	1,21,808.84	0	12,783.50	0	1,34,592.34	11,576.90	38.45
2	2012-13	143(3)	1,45,539.09	1,39,269.96	6,269.13	24,531.29	11,674.88	1,81,745.26	36,206.17	117.47
3	2013-14	143(3)	1,35,026.68	1,15,383.63	19,643.05	27,847.40	62,205.17	2,25,079.25	90,052.57	292.18
कुल			4,03,581.21	3,76,462.43	25,912.18	65,162.19	73,880.05	5,41,416.85	1,37,835.64	448.10

स्रोत: 30प्र0 राज्य उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा II), लखनऊ को उपलब्ध कराये गये आंकड़े

अनुलग्नक-बी-2 (पैरा संख्या 2.3.1.1(II)(बी))							
मैसर्स डब्लू 1 लिमिटेड							
(₹ लाख में)							कर प्रभाव
क्र. सं.	निर्धारण वर्ष	धारा के अन्तर्गत निर्धारित/संसाधित	सीपीसी आंकड़े के अनुसार मादक बिक्री	3सीडी/34(ए) के अनुसार बिक्री	लाभ/हानि खाते में उत्पाद शुल्क सहित सकल बिक्री (मदिरा + बीयर + अपशिष्ट)	3सीडी और लाभ/हानि खाते के अनुसार बिक्री का अंतर, (इ-एफ)	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)
ए	बी	सी	डी	इ	एफ	जी	एच
1	2014-15	143(3)	2,52,875.45	2,52,875.45	1,58,747.12	94,128.33	319.94
2	2015-16	143(1)	3,16,057.11	3,16,057.13	2,12,739.34	1,03,317.79	351.18
3	2016-17	143(1)	3,33,689.15	3,33,689.15	2,15,986.84	1,17,702.31	407.34
कुल			9,02,621.71	9,02,621.73	5,87,473.30	3,15,148.43	1,078.46

अनुलग्नक-बी-3 (पैरा संख्या 2.3.1.1(II)(सी))								
मैसर्स डब्लू 1 लिमिटेड								
(₹ लाख में)							कर प्रभाव	कर प्रभाव
क्र. सं.	निर्धारण वर्ष	धारा के अन्तर्गत निर्धारित/संसाधित	3सीडी/34(ए) के अनुसार बिक्री	सीपीसी आंकड़े के अनुसार मादक बिक्री	लाभ/हानि खाते में उत्पाद शुल्क सहित सकल मादक बिक्री	अंतर (इ-एफ)	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)	धारा 68/69सी के अन्तर्गत (₹ करोड़ में)
ए	बी	सी	डी	इ	एफ	जी	एच	आई
1	2017-18	143(1)	2,30,710.68	2,79,716.53	2,24,545.70	55,170.83	190.94	426.19

अनुलग्नक-बी-4 (पैरा संख्या 2.3.1.1 (ई)) मैसर्स डब्लू 1 लिमिटेड (मैसर्स ए-2 लिमिटेड से संबंधित)						
क्र. सं.	निर्धारण वर्ष	धारा के अन्तर्गत निर्धारित/ संसाधित	(र लाख में)		कर प्रभाव (र करोड़ में)	कर प्रभाव धारा 68/69सी के अन्तर्गत (र करोड़ में)
			राज्य उत्पाद शुल्क के अनुसार मैसर्स ए-2 लि. से संबंधित उत्पाद शुल्क सहित बिक्री	उत्पाद शुल्क		
ए	बी	सी	डी	इ	एफ	जी
1	2014-15	143(3)	15,854.81	11,077.79	53.89	53.89
2	2015-16	143(1)	23,495.93	17,914.87	79.86	79.86
3	2016-17	143(1)	30,992.02	25,836.18	107.26	107.26
4	2017-18	143(1)	21,392.99	15,046.27	74.04	165.26
5	2018-19	143(1)	30,213.40	21,291.22	104.56	233.40
कुल			1,21,949.15	91,166.33	419.61	639.67

अनुलग्नक-सी (पैरा संख्या 2.3.1.2 (II)) मैसर्स यू 1 लिमिटेड					
क्र. सं.	निर्धारण वर्ष	उत्पाद शुल्क सहित बिक्री*	उत्पाद शुल्क #	(र लाख में)	कर प्रभाव (र करोड़ में)
				शुद्ध बिक्री मूल्य (सी-डी)	
ए	बी	सी	डी	इ	एफ
1	2010-11	690.87	426.93	263.94	2.35
2	2011-12	41,546.81	9,926.46	31,620.35	138.01
3	2012-13	62,890.48	14,181.08	48,709.40	204.05
4	2013-14	1,03,186.00	22,231.88	80,954.12	334.79
5	2014-15	36,067.94	25,956.69	10,111.25	122.59
6	2015-16	37,980.01	28,479.42	9,500.59	129.09
7	2016-17	25,903.34	20,488.29	5,415.05	89.65
कुल		3,08,265.45	1,21,690.75	1,86,574.70	1,020.53

*स्रोत : यूपी राज्य उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा II), लखनऊ को प्रस्तुत किये गये आंकड़े (सितंबर 2019)

#स्रोत : यूपी राज्य उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा II), लखनऊ को प्रस्तुत किये गये आंकड़े(मई 2020)

अनुलग्नक-डी (पैरा संख्या 2.3.1.3(II)(ए)) मैसर्स एम 1 लिमिटेड									
क्र. सं.	निर्धारण वर्ष	3सीडी/34(ए) के अनुसार बिक्री	लाभ/हानि खाते में उत्पाद शुल्क सहित सकल बिक्री	3सीडी और लाभ/हानि खाते के अनुसार बिक्री का अंतर, (सी - डी)	(र लाख में)			कर प्रभाव (र करोड़ में)	कर प्रभाव धारा 68/69सी के अन्तर्गत (र करोड़ में)
					निर्धारित द्वारा की गई बिक्री जिस पर (टीडीएस) वैशाली, गाजियाबाद के अनुसार स्रोत पर कर एकत्र किया गया था	मादक बिक्री अपशिष्ट की बिक्री	कुल बिक्री		
ए	बी	सी	डी	इ	एफ	जी	एच	आई	जे
1	2016-17	26,851.24	0	26,851.24	26,776.99	73.76	26,850.75	92.93	92.93
2	2017-18	84,618.72	1,312.98	83,305.74	84,478.30	140.00	84,618.30	288.30	643.53
	कुल	1,11,469.96	1,312.98	1,10,156.98	1,11,255.29	213.76	1,11,469.05	381.23	736.46

अनुलग्नक-ई-1 (पैरा संख्या 2.3. 2.1(ए)) मैसर्स यू 1 लिमिटेड								
क्र. सं.	निर्धारण वर्ष	राज्य उत्पाद बिक्री मूल्य (उत्पाद शुल्क को छोड़कर)	शुल्क विभाग के अनुसार विक्रय ¹		लाभ /हानि खाते के अनुसार बिक्री		(₹ लाख में)	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)
			उत्पाद शुल्क	बिक्री (उत्पाद शुल्क सहित)	बिक्री (उत्पाद शुल्क सहित)	उत्पाद शुल्क	कम घोषित बिक्री (ई - एफ)	
ए	बी	सी	डी	इ	एफ	जी	एच	आई
1	2009-10	12,394.73	31,669.98	44,064.71	43,634.26	33,154.26	430.45	1.46
2	2010-11	10,367.12	29,732.75	40,099.87	37,427.38	29,066.47	2,672.49	9.08
3	2011-12	9,732.17	30,630.15	40,362.32	37,719.95	30,630.15	2,642.37	8.78
4	2012-13	8,806.07	35,572.64	44,378.71	43,424.21	35,572.65	954.50	3.10
5	2013-14	11,468.67	46,948.79	58,417.46	56,722.67	46,948.80	1,694.79	5.50
कुल		52,768.76	1,74,554.31	2,27,323.07	2,18,928.47	1,75,372.33	8,394.60	27.92

¹ स्रोत: : यूपी राज्य उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा II), लखनऊ को दिनांक 15.05.2020 को उपलब्ध कराये गये आंकड़े

अनुलग्नक-ई-2 (पैरा संख्या 2.3.2.1(बी)) मैसर्स यू 1 लिमिटेड									
क्र. सं.	निर्धारण वर्ष	धारा के अन्तर्गत निर्धारित /संसाधित	राज्य उत्पाद शुल्क विभाग के अनुसार बिक्री	3सीडी/34(ए) के अनुसार बिक्री	लाभ/हानि खाते में उत्पाद शुल्क सहित सकल बिक्री	(₹ लाख में)	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)	कर प्रभाव धारा 68/69सी के अन्तर्गत (₹ करोड़ में)	
						3सीडी और लाभ/हानि के अनुसार बिक्री का अंतर (ई - एफ)			
ए	बी	सी	डी	इ	एफ	जी	एच	आई	
1	2015-16	143(3)	59,410.70	59,414.68	59,265.11	149.57	0.51	0.51	
2	2016-17	143(1)	67,024.50	67,026.17	66,037.77	988.40	3.42	3.42	
3	2017-18	143(1)	62,262.89	62,265.60	60,569.81	1,695.79	5.87	13.10	
4	2018-19	143(1)	39,653.01	41,529.79	40,520.95	1,008.84	3.49	7.79	
कुल			2,28,351.1	2,30,236.24	2,26,393.64	3,842.60	13.29	24.82	

अनुलग्नक-एफ (पैरा-2.3.2.2(II))
मैसर्स पी 1 प्राइवेट लिमिटेड

क्र. सं.	निर्धारण वर्ष	लाभ और हानि खाते के अनुसार बिक्री							विभाग के अनुसार		3सीडी/ 34(ए) के अनुसार बिक्री जिस पर स्रोत पर कर एकत्र किया गया	(र लाख में)	बिक्री का अंतर (के-जे)	कर प्रभाव (र करोड़ में)	कर प्रभाव धारा 68/69सी के अन्तर्गत (र करोड़ में)
		उत्पादित मदिरा और स्पिरिट	ब्यापरगत मदिरा और स्पिरिट	अपशिष्ट की बिक्री	लाभ /हानि खाते में उत्पाद शुल्क सहित बिक्री (सी+डी+ई)	लाभ /हानि खाते के अनुसार उत्पाद शुल्क	उत्पाद शुल्क को छोड़कर बिक्री (एफ -जी)	बिक्री जिस पर स्रोत पर कर एकत्र नहीं किया गया**	बिक्री जिस पर स्रोत पर कर एकत्र किया गया (एच-आई)	के					
ए	बी	सी	डी	इ	एफ	जी	एच	आई	जे	के	एल	एम	एन		
1	2014-15	8,36,673.60	24,454.60	1,976.60	8,63,104.80	3,47,920.90	5,15,183.90	2,31,089.80	2,84,094.10	5,91,214.25	3,07,120.15	1,043.90	1,043.90		
2	2015-16	9,76,936.70	38,873.50	2,172.30	10,17,982.50	4,04,063.50	6,13,919.00	2,75,660.60	3,38,258.40	6,98,631.98	3,60,373.58	1,224.91	1,224.91		
3	2016-17	11,53,045.00	57,886.20	2,795.00	12,13,726.20	5,25,250.20	6,88,476.00	3,06,597.00	3,81,879.00	8,20,231.13	4,38,352.13	1,517.05	1,517.05		
4	2017-18	12,79,671.00	0.00	3,242.90	12,82,913.90	6,32,513.10	6,50,400.80	0*	6,50,400.80	8,82,589.20	2,32,188.40	803.56	1,793.66		
	कुल	42,46,326.30	1,21,214.30	10,186.80	43,77,727.40	19,09,747.70	24,67,979.70	8,13,347.40	16,54,632.30	29,92,666.56	13,38,034.26	4,589.42	5,579.52		

*शून्य माना गया क्योंकि आयकर विभाग द्वारा प्रदान नहीं किया गया।

** आयकर विभाग के उत्तर अगस्त 2020 के अनुसार।

अनुलग्नक-जी (पैरा-2.2.2.3(II)) मैसर्स आर 1 लिमिटेड																	
क्र. सं.	निर्धारण वर्ष	लाभ और हानि खाते के अनुसार बिक्री										आयकर विभाग के अनुसार		3सीडी/ 34(ए) के अनुसार बिक्री जिस पर एकत्र किया गया	बिक्री का अंतर (एन-एम)	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)	कर प्रभाव धारा 68/69सी के अन्तर्गत (₹ करोड़ में)
		मदिरा और अन्य मद्य उत्पाद	ब्लेंड्स और अन्य	ब्यापारित आईएमएफ एल	ब्यापारित मदिरा	ब्यापारित आयातित मदिरा	अपशिष्ट की बिक्री	लाभ /हानि खाते में उत्पाद शुल्क सहित बिक्री (सी+डी+ई+एफ +जी+एच)	लाभ /हानि खाते के अनुसार उत्पाद शुल्क	उत्पाद शुल्क को छोड़कर बिक्री (टीसीएस+ बिना टीसीएस) (आई-जे)	बिक्री जिस स्रोत पर कर एकत्र नहीं किया गया*	बिक्री जिस स्रोत पर कर एकत्र किया गया (के-एल)					
ए	बी	सी	डी	इ	एफ	जी	एच	आई	जे	के	एल	एम	एन	ओ	पी	क्यू	
1	2014-15	2,74,219.82	1,418.15	1,160.30	1,197.52	642.41	1,101.79	2,79,739.99	1,59,340.56	1,20,399.43	78,901.20	41,498.23	1,61,267.87	1,19,769.64	407.10	407.10	
2	2015-16	2,90,527.60	513.43	966.65	3,384.74	454.85	1,393.72	2,97,240.99	1,72,416.95	1,24,824.04	81,367.98	43,456.06	1,76,599.43	1,33,143.37	452.55	452.55	
3	2016-17	3,36,726.25	534.36	705.06	263.97	889.37	1,385.04	3,40,504.05	2,06,077.85	1,34,426.20	83,779.40	50,646.80	2,15,767.35	1,65,120.55	571.45	571.45	
4	2017-18	4,75,487.01	612.57	829.70	-	730.13	1,781.22	4,79,440.63	3,18,805.32	1,60,635.31	55,018.76	1,05,616.55	3,06,469.29	2,00,852.74	695.11	1,551.59	
	कुल	13,76,960.68	3,078.51	3,661.71	4,846.23	2,716.76	5,661.77	13,96,925.66	8,56,640.68	5,40,284.98	2,99,067.34	2,41,217.64	8,60,103.94	6,18,886.3	2,126.21	2,982.69	

* आयकर विभाग के उत्तर अगस्त 2020 के अनुसार।

अनुलग्नक-एच (पैरा-2.3.2.4 (II))														
मैसर्स एस 1 लिमिटेड														
क्र. सं.	निर्धारण वर्ष	धारा के अन्तर्गत निर्धारित/संसाधित	लाभ और हानि खाते के अनुसार बिक्री									(₹ लाख में)	कर प्रभाव	कर प्रभाव
			स्पिरिट	ब्यापारित आईएमएफ एल	शीरा	अपशिष्ट	लाभ/हानि खाते में उत्पाद शुल्क सहित बिक्री (डी+ई+एफ+जी)	लाभ/हानि खाते के अनुसार उत्पाद शुल्क	उत्पाद शुल्क को छोड़कर बिक्री (एच-आई)	3सीडी/34 (ए) के अनुसार बिक्री	बिक्री का अंतर (के-जे)	(₹ करोड़ में)	धारा 68/69सी के अन्तर्गत (₹ करोड़ में)	
ए	बी	सी	डी	इ	एफ	जी	एच	आई	जे	के	एल	एम	एन	
1	2014-15	143(3)	54,577.15	193.72	4.21	0	54,775.08	41,802.36	12,972.72	50,679.22	37,706.50	128.16	128.16	
2	2015-16	143(1)	56,123.83	169.41	4.50	0	56,297.74	45,083.63	11,214.11	54,445.29	43,231.18	146.94	146.94	
3	2016-17	143(1)	44,258.06	134.67	0	11.73	44,404.46	35,605.47	8,798.99	43,114.23	34,315.24	118.76	118.76	
4	2017-18	143(1)	57,159.54	128.82	0	22.56	57,310.92	47,111.24	10,199.68	56,404.43	46,204.75	159.91	356.93	
5	2018-19	143(1)	38,384.65	0	0	20.71	38,405.36	32,165.86	6,239.50	38,152.97	31,913.47	110.45	246.53	
कुल			2,50,503.23	626.62	8.71	55	2,51,193.56	2,01,768.56	49,425.00	2,42,796.14	1,93,371.14	664.22	997.32	

अनुलग्नक-आई (पैरा-2.3.2.5 (II)) मैसर्स एम 3 लिमिटेड															
क्र. सं.	निर्धारण वर्ष	धारा के अन्तर्गत निर्धारित/संसाधित	लाभ और हानि खाते के अनुसार बिक्री										(₹ लाख में)		
			निर्मित बीयर	निर्मित आईएमए फएल	निर्मित स्पिरिट	व्यापारित बीयर	व्यापारित आईएमएफ एल	अपशिष्ट#	लाभ/हानि खाते में शुल्क सहित बिक्री (डी+ई+एफ+जी +एच+आई)	लाभ/हानि खाते के अनुसार उत्पाद शुल्क	उत्पाद शुल्क को छोड़कर बिक्री (जे-के)	3सीडी/ 34(ए) के अनुसार बिक्री	बिक्री का अंतर (एम-एल)	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)	कर प्रभाव धारा 68/69सी के अन्तर्गत (₹ करोड़ में)
ए	बी	सी	डी	इ	एफ	जी	एच	आई	जे	के	एल	एम	एन	ओ	पी
1	2014-15	143(3)	9,759.48	11,970.40	1,090.17	2,090.20	22,183.06	#292.58	47,385.89	11,752.13	35,633.76	46,221.86	10,588.10	35.99	35.99
2	2015-16	143(3)	7,061.04	16,155.77	1,757.21	1,241.30	21,496.12	##340.46	48,051.90	11,614.52	36,437.38	44,384.34	7,946.96	27.01	27.01
3	2016-17	143(1)	6,396.44	18,122.95	1,880.13	1,214.45	25,318.50	###479.6	53,412.07	13,213.71	40,198.36	44,187.07	3,988.71	13.80	13.80
4	2017-18	143(1)	*27,802.48	0	0	*29,137.67	0	###620.25	57,560.40	11,620.53	45,939.87	46,338.15	398.28	1.38	3.08
5	2018-19	143(3)	**29,760.67	0	0	34,403.31	0	@692.42	64,856.40	13,209.24	51,647.16	53,738.20	2,091.04	7.24	16.15
कुल			80,780.11	46,249.12	4,727.51	68,086.93	68,997.68	2,425.31	2,71,266.66	61,410.13	2,09,856.53	2,34,869.62	25,013.09	85.42	96.03

*आंकड़ा निर्धारण वर्ष 2017-18 में कुल विनिर्मित और व्यापारित माल का प्रतिनिधित्व करता है, जो 2018-19 की अनुसूची के पिछले वर्ष के आंकड़े से लिया गया है। एक-एक मद का विभाजन उपलब्ध नहीं है।

अन्य विविध बिक्री का प्रतिनिधित्व करता है (अनुसूची-21) इसमें अपशिष्ट की बिक्री, सामग्रियों के मिश्रण की बिक्री आदि शामिल हैं, अलग आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

अनुसूची-22 अन्य आय में अपशिष्ट की बिक्री के आंकड़े और अनुसूची-21 अन्य विविध बिक्री में शामिल अपशिष्ट की बिक्री के आंकड़े को दर्शाता है।

अनुसूची-29 अन्य आय में अपशिष्ट की बिक्री का आंकड़ा और अनुसूची-28 अन्य विविध बिक्री में शामिल अपशिष्ट की बिक्री का आंकड़ा दर्शाता है।

**आंकड़ा निर्धारण वर्ष 2018-19 में कुल निर्मित और व्यापारित वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करता है। पृथक मदों का विभाजन उपलब्ध नहीं है।

@ अनुसूची-29 अन्य आय में अपशिष्ट की बिक्री के आंकड़े और अन्य विविध बिक्री अनुसूची-28 में शामिल अपशिष्ट की बिक्री के आंकड़े का प्रतिनिधित्व करता है (अन्य विविध बिक्री + अपशिष्ट की बिक्री = 510.35 + 182.07)।

अनुलग्नक-जे (पैरा-2.3.2.6 (II)) मैसर्स एम 2 लिमिटेड																
क्र. सं.	निर्धारण वर्ष	धारा के अन्तर्गत निर्धारित/संसाधित	लाभ और हानि खाते के अनुसार बिक्री										(₹ लाख में)		कर प्रभाव (₹ करोड़ में)	कर प्रभाव धारा 68/69 सी के अन्तर्गत (₹ करोड़ में)
			निर्मित शीरा	निर्मित स्पिरिट	निर्मित ईएनए	निर्मित आईएमएफ एल	देसी मदिरा	विशेष डिनेचर्ड स्पिरिट	अपशिष्ट	लाभ/हानि खाते में उत्पाद शुल्क सहित बिक्री (डी+ई+एफ +जी+एच+आई+जे)	लाभ/हानि खाते के अनुसार उत्पाद शुल्क	उत्पाद शुल्क को छोड़कर बिक्री (के-एल)	3सीडी/34 (ए) के अनुसार बिक्री	बिक्री का अंतर (एन - एम)		
ए	बी	सी	डी	इ	एफ	जी	एच	आई	जे	के	एल	एम	एन	ओ	पी	क्यू
1	2014-15	143(3)	539.30	0	0	1,986.81	1031.90	1406.82	0	4,964.83	2,897.38	2,067.45	2,608.59	541.14	1.84	1.84
2	2015-16	143(3)	622.07	8.64	0	3,190.47	0	1595.45	0	5,416.63	2,224.01	3,192.62	4,019.20	826.58	2.81	2.81
3	2016-17	143(3)	885.78	17.66	0	8,690.28	0	967.65	0	10,561.37	4,862.59	5,698.78	9,993.49	4,294.71	14.86	14.86
4	2017-18	143(1)	895.51	16.95	0	15,315.50	0	499.58	0	16,727.54	8,129.49	8,598.05	16,984.92	8,386.87	29.03	64.79
5	2018-19	143(3)	325.85	39.49	0	23,083.43	0	742.94	0	24,191.71	10,794.77	13,396.94	26,519.93	13,122.99	45.42	101.38
कुल			3,268.51	82.74	0	52,266.49	1,031.90	5,212.44	0	61,862.08	28,908.24	32,953.84	60,126.13	27,172.29	93.96	185.68

अनुलग्नक-के (पैरा संख्या 2.3.2.7 (II)) मैसर्स एस 1 लिमिटेड									
क्र.सं.	निर्धारण वर्ष	लाभ और हानि खाते के अनुसार बिक्री					3 सीडी(34ए) के अनुसार बिक्री	अंतर (एच-जी)	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)
		विनिर्मित सामग्री की बिक्री	उत्पाद शुल्क	निवल विनिर्मित सामग्री की बिक्री (सी-डी)	ब्यापारित बिक्री	कुल निवल बिक्री (ई+एफ)			
ए	बी	सी	डी	ई	एफ	जी	एच	आई	जे
1	2015-16	3,41,192.74	1,65,363.36	1,75,829.38	8,133.49	1,83,962.87	2,10,063.89	26,101.02	88.72
2	2016-17	3,59,856.62	1,73,997.16	1,85,859.46	11,999.29	1,97,858.75	2,10,717.48	12,858.73	44.50
	कुल	7,01,049.36	3,39,360.52	3,61,688.84	20,132.78	3,81,821.62	4,20,781.37	38,959.75	133.22

अनुलग्नक-एल (पैरा संख्या 2.3.2.8(II)(ए)) मैसर्स यू 2 लिमिटेड										
क्र.सं.	निर्धारण वर्ष	लाभ और हानि खाते के अनुसार बिक्री						(र लाख में)		कर प्रभाव (र करोड़ में)
		स्वनिर्मित माल की सकल बिक्री	ब्यापारित माल	अपशिष्ट की बिक्री	कुल बिक्री (सी+डी+ई)	उत्पाद शुल्क	शुद्ध बिक्री (एफ-जी)	3सीडी/ 34(ए) (206सी) के अनुसार मादक बिक्री	3सीडी और लाभ/ हानि खाते के अनुसार बिक्री का अंतर (आई-एच)	
ए	बी	सी	डी	इ	एफ	जी	एच	आई	जे	के
1	2014-15	18,97,897.92	1,25,230.60	3,733.03	20,26,861.55	12,30,853.14	7,96,008.41	16,09,489.20	8,13,480.79	2,765.02
2	2015-16	18,59,305.57	1,41,492.48	2,963.92	20,03,761.97	12,55,089.44	7,48,672.53	9,96,165.47	2,47,492.94	841.23
3	2016-17	19,68,377.78	2,06,282.00	3,182.76	21,77,842.54	13,20,967.84	8,56,874.70	10,85,211.21	2,28,336.51	790.23
	कुल	57,25,581.27	4,73,005.08	9,879.71	62,08,466.06	38,06,910.42	24,01,555.64	36,90,865.88	12,89,310.24	4,396.48

अनुलग्नक-एल1 (पैरा संख्या 2.3.2.8(II)(बी)) मैसर्स यू 2 लिमिटेड मैसर्स के 1 लिमिटेड द्वारा रिपोर्ट की गई खरीद की तुलना में बिक्री के आंकड़ों का आसवनी इकाई वार विवरण											
क्र. सं.	निर्धारण वर्ष	राज्य उत्पाद शुल्क विभाग के अनुसार बिक्री						(र लाख में)		अंतर (र करोड़ में) (जे-आई)	
		यू2 कुंबलगोडु इकाई	यू2 चामुंडी इकाई	यू2 हसन इकाई	यू2 हुबली इकाई	यू2 कालाबुर्गी इकाई *	यू2 नेलमंगला इकाई	कुल बिक्री	मैसर्स के 1 लिमिटेड द्वारा रिपोर्ट की गई कुल खरीद		अंतर (जे-आई)
ए	बी	सी	डी	इ	एफ	जी	एच	आई	जे	के	एल
1	2015-16	1,60,805.44	28042.93 [#]	99,932.76	1,07,042.82	कोई बिक्री नहीं	2,00,384.52	5,68,165.54	5,94,259.86	26,094.32	260.94
2	2016-17	1,72,366.56	29,902.52	98,438.61	1,17,494.54	कोई बिक्री नहीं	2,32,489.58	6,50,691.81	6,53,103.30	2,411.49	24.11
3	2017-18	1,63,252.89	55,449.87	1,32,961.92	1,16,067.28	51,330.70	2,11,363.10	7,30,425.76	7,43,481.16	13,055.40	130.55
4	2018-19	2,22,023.02	59,252.16	1,39,438.60	1,19,377.37	1,11,774.42	1,98,139.33	8,50,004.90	8,62,937.72	12,932.82	129.33
	कुल							27,99,288.01	28,53,782.04	54,494.03	544.93

*निर्धारण वर्ष 2017-18 से उत्पादन शुरू किया

#चामुंडी इकाई की उत्पाद की बिक्री की तुलना नहीं की गई क्योंकि चामुंडी इकाई के संबंध में खरीद को मैसर्स के 1 लिमिटेड द्वारा शून्य बताया गया था।

अनुलग्नक-एम (पैरा संख्या 2.3.2.9 (II))									
मैसर्स यू 3 लिमिटेड									
क्र.सं.	निर्धारण वर्ष	लाभ और हानि खाते के अनुसार बिक्री*			3सीडी/34(ए)(206सी) के अनुसार अल्कोहल की बिक्री	बिक्री का अंतर (एफ-ई)	(र लाख में)	कर प्रभाव (रकरोड़ में)	कर प्रभाव धारा 68/ 69सी के अन्तर्गत (र करोड़ में)
		लाभ/हानि खाते के अनुसार मादक उत्पाद की बिक्री	लाभ/हानि के अनुसार उत्पाद शुल्क	उत्पाद शुल्क को छोड़कर बिक्री (सी-डी)					
ए	बी	सी	डी	इ	एफ	एच	आई	जे	
1	2014-15	6,76,697.00	3,02,634.00	3,74,063.00	3,81,359.00	7,296.00	24.80	24.80	
2	2015-16	7,66,369.00	3,54,639.00	4,11,730.00	4,39,342.00	27,612.00	93.85	93.85	
3	2016-17	8,58,518.00	4,08,625.00	4,49,893.00	4,51,495.00	1,602.00	5.54	5.54	
4	2017-18	9,93,895.00	5,50,061.00	4,43,834.00	5,93,598.00	1,49,764.00	518.30	1,156.93	
कुल		32,95,479.00	16,15,959.00	16,79,520.00	18,65,794.00	1,86,274.00	642.49	1,281.12	

अनुलग्नक-एम1 (पैरा संख्या 2.3.2.9(II)(बी))									
मैसर्स यू 3 लिमिटेड									
मैसर्स के 1 लिमिटेड द्वारा रिपोर्ट की गई खरीद की तुलना में बिक्री के आंकड़ों का यवासवनी इकाई वार विवरण									
क्र. सं.	निर्धारण वर्ष	राज्य उत्पाद शुल्क विभाग के अनुसार बिक्री				मैसर्स के 1 लिमिटेड द्वारा रिपोर्ट की गई कुल खरीद	अंतर (एफ-जी)	(र लाख में)	अंतर (एफ-जी) (र करोड़ में)
		मंगलुरु इकाई	नेलमंगला इकाई	नंजनगुड इकाई	कुल बिक्री				
ए	बी	सी	डी	इ	एफ	जी	एच	आई	
1	2015-16	45,276.54	77,343.23	63,326.81	1,85,946.58	1,81,374.05	4,572.53	45.73	
2	2016-17	38,930.47	74,657.06	1,07,859.44	2,21,446.97	2,12,314.63	9,132.34	91.32	
3	2017-18	35,894.71	86,359.08	1,11,406.21	2,33,660.00	2,15,134.88	18,525.12	185.25	
4	2018-19	37,128.33	1,04,632.30	1,27,661.01	2,69,421.64	2,56,677.21	12,744.43	127.44	
कुल					9,10,475.19	8,65,500.77	44,974.42	449.74	

अनुलग्नक-एन-1 (पैरा संख्या 2.3.3.1(ए)) मैसर्स डब्लू 1 लिमिटेड													
क्र. सं.	निर्धारण वर्ष	वस्तु नाम	इकाई	प्रारम्भिक रहतिया	खरीद	विनिर्मित मात्रा	पिछले वर्ष के दौरान बिक्री	अन्तिम रहतिया	कमी/अधिकता, यदि कोई हो	लेखापरीक्षा के अनुसार अंतर			कर प्रभाव (₹ करोड़ में)
										मात्रा	मितव्ययी श्रेणी की ईडीपी (आईएमएफ/एल) प्रति लीटर *	मूल्य (₹ में)	
ए	बी	सी	डी	इ	एफ	जी	एच	आई	जे	के	एल	एम	एन
1	2014-15	एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ईएनए) एमएफआर	अव शिष्ट	11,48,142	0	2,13,66,731	49,000	9,99,623	0	2,14,66,250	40	85,86,50,000	
		रेक्टिफाइड स्पिरिट (आरएस)	अव शिष्ट	1,32,060	0	2,59,486	0	83,454	0	3,08,092	40	1,23,23,680	
कुल										2,17,74,342		87,09,73,680 (या 87.10 करोड़)	29.60

*उ.प्र. राज्य उत्पाद शुल्क नीति वित्त वर्ष 2013-14 के अनुसार, मितव्ययी श्रेणी (आईएमएफएल) की ईडीपी 30 रुपये प्रति बोतल (750 मिली) थी।

अनुलग्नक-एन-2 (पैरा संख्या 2.3.3.1(बी))													
मैसर्स डब्लू 1 लिमिटेड													
क्र. सं.	निर्धारण वर्ष	वस्तु नाम	इकाई	प्रारम्भिक रहतिया	खरीद मात्रा	विनिर्मित मात्रा	पिछले वर्ष के दौरान बिक्री	अन्तिम रहतिया	कमी/अधिकाता, यदि कोई हो	लेखापरीक्षा के अनुसार अंतर			कर प्रभाव (₹ करोड़ में)
										मात्रा (लीटर में)	मितव्ययिता श्रेणी की ईडीपी (आईएमएफएल) प्रति लीटर *	मूल्य (₹ में)	
ए	बी	सी	डी	इ	एफ	जी	एच	आई	जे	के	एल	एम	एन
1	2018-19	ईएनए/आरएस निर्मित	लीटर	42,31,895	0	2,26,27,360	0	38,92,374	0	2,29,66,881	53.28	1,22,36,75,419.68	
		सम्मिश्रण स्टॉक (आईएमएफएल)	लीटर	0	0	1,24,81,047	0	48,171	0	1,24,32,876	53.28	66,24,23,633.28	
		सम्मिश्रण स्टॉक (सीएल)	लीटर	41,299	0	2,77,34,915	0	1,269	0	2,77,74,945	53.28	1,47,98,49,069.60	
		सम्मिश्रण स्टॉक (ओडीएस /सीडीएस)	लीटर	25,948	0	4,23,666	0	67,481	0	3,82,133	53.28	2,03,60,046.24	
		माल्ट (स्व एमआरएफ)	लीटर	1,51,643	0	45,993	0	1,57,689	0	39,947	53.28	21,28,376.16	
		बीयर (मजबूत)	किलोलीटर	48,389	0	10,05,806	9,38,421	44,414	0	7,13,60,000	53.28	3,80,20,60,800.00	
कुल										13,49,56,782		7,19,04,97,344.96	
कुल												7,19,04,97,345	248.85
													या (₹ 719.05 करोड़)

*यूपी राज्य उत्पाद शुल्क नीति वित्त वर्ष 2017-18 के अनुसार, मितव्ययिता श्रेणी (आईएमएफएल) की ईडीपी 39.96 रुपये प्रति बोतल (750 मिली) थी।

अनुलग्नक-ओ (पैरा-2.3.3.2)															
मैसर्स आर 1 लिमिटेड															
क्र. सं	निर्धारण वर्ष	वस्तु का नाम	विनिर्मित मात्रा				पिछले वर्ष के दौरान बिक्री				लेखापरीक्षा के अनुसार अंतर		कर प्रभाव (₹ करोड़ में)		
			इकाई	प्रारम्भिक रहतिया	खरीद	मात्रा	टिप्पणी के अनुसार मूल्य (लाख में)	लाभ/ हानि में संदर्भ टिप्पणी	रुपये प्रति इकाई	अन्तिम रहतिया	अधिकता/ कमी, यदि कोई हो	मात्रा		मूल्य में (₹)	
ए	बी	सी	डी	इ	एफ	जी	एच	आई	जे	के	एल	एम	एन	ओ	पी
1	2015-16	रेक्टिफाईड स्पिरिट	लीटर	2,95,711	0	4,36,41,802	2,58,925	79.66	42 (ख)	30.77	3,74,482	2,698	4,33,01,408	1,33,23,84,324.16	130.00
		साइलेंट स्पिरिट	लीटर	53,68,962	52,97,000	4,32,95,116	2,93,35,542	16,429.58		56.01	54,38,531	1,27,038	1,90,59,967	1,06,75,48,751.67	
		गन्ने के रस की स्पिरिट	लीटर	0	0	3,06,070	1,37,081	82.02		59.83	-	16,093	1,52,896	91,47,767.68	
		माल्ट स्पिरिट	लीटर	12,74,292	0	4,63,355	3,23,431	749.33		231.68	9,62,625	5,502	4,46,089	10,33,49,899.52	
		अनाज स्पिरिट	लीटर	30,58,008	4,30,000	3,09,17,129	1,60,37,447	7,461.75		46.53	24,12,742	45,012	1,59,09,936	74,02,89,322.08	
		पेट बोतलें *	नंबर	83,08,610	0	53,21,87,532	28,82,08,565	6,820.88		2.37	1,10,27,451	-	24,12,60,126	57,17,86,498.62	
		कुल		1,83,05,583	57,27,000	65,08,11,004	33,43,00,991	31,623.22		427.19	2,02,15,831	1,96,343	32,01,30,422	3,82,45,06,563.73	
2	2016-17	रेक्टिफाईड स्पिरिट	लीटर	3,74,482	0	4,63,78,670	7,21,660	209.51	43(बी)	29.03	5,52,574	6,052	4,54,72,866	1,32,00,77,299.98	124.97
		साइलेंट स्पिरिट	लीटर	54,38,531	6,00,000	4,27,88,814	2,66,77,635	12,984.13		48.67	47,05,076	1,19,565	1,73,25,069	84,32,11,108.23	
		गन्ने के रस की स्पिरिट	लीटर	0	0	3,94,013	91,859	65.19		70.97	-	9,904	2,92,250	2,07,40,982.50	
		माल्ट स्पिरिट	लीटर	9,62,625	0	6,01,431	3,78,364	1,018.60		269.21	9,63,772	3,372	2,18,548	5,88,35,307.08	
		अनाज स्पिरिट	लीटर	24,12,742	0	3,17,81,768	1,52,61,905	6,874.07		45.04	11,89,742	47,850	1,76,95,013	79,69,83,385.52	
		पेट बोतलें	नंबर	1,10,27,451	0	51,43,24,841	26,45,26,780	5,954.42		2.25	69,62,388	-	25,38,63,124	57,11,92,029.00	
		कुल		2,02,15,831	6,00,000	63,62,69,537	30,76,58,203	27,105.92		465.17	1,43,73,552	1,86,743	33,48,66,870	3,61,10,40,112.31	
3	2017-18	रेक्टिफाईड स्पिरिट	लीटर	5,52,574	0	6,13,71,718	3,04,236	88.04	49 (ख)	28.94	2,06,101	16,032	6,13,97,923	1,77,68,55,891.62	161.99
		साइलेंट स्पिरिट	लीटर	47,05,076	0	4,96,01,247	2,19,77,014	11538.01		52.5	14,37,077	1,04,457	3,07,87,775	1,61,63,58,187.50	
		गन्ने के रस की स्पिरिट	लीटर	0	0	3,55,367	52,446	46.19		88.07	0	12,966	2,89,955	2,55,36,336.85	
		माल्ट स्पिरिट	लीटर	9,63,772	0	6,02,302	2,87,538	768.44		267.25	9,65,865	2,614	3,10,057	8,28,62,733.25	
		अनाज स्पिरिट	लीटर	11,89,742	0	2,87,15,894	1,55,70,250	7,334.39		47.11	24,53,372	47,993	1,18,34,021	55,75,00,729.31	
		पेट बोतलें	नंबर	69,62,388	0	52,18,54,155	22,96,95,364	4,889.93		2.13	73,58,045	0	29,17,63,134	62,14,55,475.42	
		कुल		1,43,73,552	0	66,25,00,683	26,78,86,848	24,665		486	1,24,20,460	1,84,062	39,63,82,865	4,68,05,69,353.95	
		कुल योग		5,28,94,966	63,27,000	1,94,95,81,224	90,98,46,042	83,394.14		1,378.36	4,70,09,843	5,67,148	1,05,13,80,157	12,11,61,16,029.90	416.96
														या 1211.61 करोड़	

अनुलग्नक-पी (पैरा-2.3.3.3)

मैसर्स एम 2 लिमिटेड

क्र. सं.	निर्धारण वर्ष	वस्तु नाम	इकाई	प्रारम्भिक रहतिया	खरीद	विनिर्मित मात्रा	पिछले वर्ष के दौरान बिक्री	अन्तिम रहतिया			3सीडी के अनुसार कमी/अधिकता, यदि कोई हो	लेखापरीक्षा के अनुसार अंतर		कर प्रभाव (₹ करोड़ में)	
								मात्रा	टिप्पणी के अनुसार मूल्य (लाख में)	लाभ /हानि में संदर्भ नोट		रुपये प्रति इकाई	मात्रा		मूल्य (₹ में)
ए	बी	सी	डी	इ	एफ	जी	एच	आई	जे	के	एल	एम	एन (इ+जी+आई + एम)	ओ (एल*एन)	पी
1	2014-15	स्पिरिट	किलो लीटर	13	0	4,109	0	205	44.79	42(iii)	21,848.78	17	3,900	8,52,10,242	2.96
		ईएनए	किलो लीटर	152	0	36	0	4	0.41		10250	1	183	18,75,750	
कुल-ए													4,083	8,70,85,992	
2	2015-16	स्पिरिट	किलो लीटर	205	0	4328	24	222	56.89	43(iii)	25,626.13	17	4,270	10,94,23,575.10	3.72
3	2017-18	स्पिरिट	किलोलीटर	415	0	1873	48	827	212.07	46(iii)	25,643.29	7	1,406	3,60,54,465.74	1.25
4	2018-19	स्पिरिट	किलोलीटर	827	0	2573	111	796	81.35	47(iii)	10,219.84	13	2,480	2,53,45,203.20	0.88
कुल-बी													8,156	17,08,23,244.04	5.85
कुल योग (ए + बी)													12,239	25,79,09,236 (या 25.79 करोड़)	8.81

अनुलग्नक-क्यू (पैरा संख्या 2.3.3.4) मेसर्स ए 1 लिमिटेड													
क्र. सं.	निर्धारण वर्ष	वस्तु नाम	इकाई	प्रारम्भिक रहतिया	पिछले वर्ष के दौरान खरीदारी	पिछले वर्ष के दौरान विनिर्मित मात्रा	पिछले वर्ष के दौरान बिक्री	अन्तिम रहतिया	कमी/अधिकता, यदि कोई हो	लेखापरीक्षा के अनुसार अंतर	मितव्ययिता श्रेणी की ईडीपी (आईएमएफएल) प्रति लीटर *	मूल्य (₹ में)	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)
ए	बी	सी	डी	इ	एफ	जी	एच	आई	जे	के	एल	एम	एन
1	2018-19	बीयर (कड़क)	अवशिष्ट	24,17,780	0	3,99,44,351	4,03,81,791	14,54,296	76,043	4,50,001	53.28	2,39,76,053 (2.40 करोड़)	0.79

* यूपी राज्य उत्पाद शुल्क नीति वित्त वर्ष 2017-18 के अनुसार, मितव्ययिता श्रेणी (आईएमएफएल) की ईडीपी 39.96 रुपये प्रति बोतल (750 मिली) थी।

अनुलग्नक-आर (पैरा संख्या 2.3.5)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	निर्धारण वर्ष	मैसर्स डब्ल्यू1 लिमिटेड		मैसर्स यू1 लिमिटेड		मैसर्स एम1 लिमिटेड		मैसर्स पी1 लिमिटेड	मैसर्स आर1 लिमिटेड	मैसर्स एस1 लिमिटेड	मैसर्स एम3 प्रा. लिमिटेड	मैसर्स एम2 लिमिटेड	मैसर्स ए1 लिमिटेड	मैसर्स यू2 लिमिटेड	मैसर्स यू3 लिमिटेड
ए	बी	सी	डी	इ	एफ	जी	एच	आई	जे	के	एल	एम	एन	ओ	पी
		(लाभ/हानि में डेबिट किया गया उत्पाद शुल्क)	उत्पाद शुल्क	(लाभ/ हानि में डेबिट किया गया उत्पाद शुल्क)	उत्पाद शुल्क	विभाग के अनुसार उत्पाद शुल्क ¹	(लाभ/हानि में डेबिट किया गया) उत्पाद शुल्क	उत्पाद शुल्क	(लाभ/ हानि में डेबिट किया गया) उत्पाद शुल्क	(लाभ/ हानि में डेबिट किया गया) उत्पाद शुल्क	(लाभ/हानि में डेबिट किया गया) उत्पाद शुल्क	(लाभ/हानि में डेबिट किया गया) उत्पाद शुल्क	(लाभ/ हानि में डेबिट किया गया) उत्पाद शुल्क	(लाभ/ हानि में डेबिट किया गया) उत्पाद शुल्क	(लाभ/हानि में डेबिट किया गया) उत्पाद शुल्क
1	2009-10	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	33,154.26	31,669.98	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	44,660.62	47,869.75	21,210.45	13,970.12	8,523.57	उपलब्ध नहीं	3,36,542.08	76,217.72
2	2010-11	48,197.01	उपलब्ध नहीं	29,066.47	30,159.68	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	1,16,738.78	64,570.40	21,105.27	8,516.04	2,282.45	उपलब्ध नहीं	4,25,494.32	95,835.15
3	2011-12	93,254.94	1,01,355.96	30,630.15	40,556.61	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	1,61,924.16	74,585.58	29,395.33	9,190.23	6,617.48	उपलब्ध नहीं	6,46,771.33	1,54,391.60
4	2012-13	1,13,362.19	1,36,238.12	35,572.65	49,753.73	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	2,40,378.40	83,761.87	25,873.75	9,080.35	11,081.90	1,14,631.51	8,50,375.89	2,23,725.00
5	2013-14	1,05,557.90	1,52,770.82	46,948.80	69,180.68	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	2,87,041.50	1,23,051.69	38,484.65	12,130.87	11,504.08	1,45,724.00	10,51,623.42	2,62,709.00
6	2014-15	1,30,575.44	1,85,199.92	49,005.68	74,962.37	3,434.73	3,434.73	3,47,920.90	1,59,340.56	41,802.36	11,752.13	2,897.38	1,55,560.15	12,30,853.14	3,02,634.00
7	2015-16	1,79,163.42	2,46,103.78	50,107.83	78,587.24	4,087.54	4,087.54	4,04,063.50	1,72,416.95	45,083.63	11,614.52	2,224.01	1,65,363.36	12,55,089.44	3,54,639.00
8	2016-17	1,86,802.98	2,71,887.13	57,289.88	77,778.16	0	उपलब्ध नहीं	5,25,250.20	2,06,077.85	35,605.47	13,213.71	4,862.59	1,73,997.16	13,20,967.84	4,08,625.00
9	2017-18	1,86,799.46	2,29,060.60	53,028.41	56,355.88	817.52	उपलब्ध नहीं	6,32,513.10	3,18,805.32	47,111.24	11,620.53	8,129.49	1,52,644.50	उपलब्ध नहीं	5,50,061.00
10	2018-19	1,97,887.58	3,08,854.72	35,360.87	35,018.00	12,078.14	66,134.5	858128.26	उपलब्ध नहीं	32,165.86	13,209.24	10,794.77	1,68,444.60	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
	कुल	12,41,600.92	16,31,471.05	4,20,165	5,44,022.33	20,417.93	73,656.77	3618619.42	12,50,479.97	3,37,838.01	1,14,297.74	68,917.72	1,076,365.28	71,17,717.46	24,28,837.47

लाभ/हानि में डेबिट किए गए सभी निर्धारितियों का कुल उत्पाद शुल्क(सी+ई+जी+आई+जे+के+एल+एम+एन+ओ+पी)= ₹17695256.9 लाख या ₹176952.57 करोड़

¹ स्रोत: उ.प्र. राज्य उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा II), लखनऊ को अगस्त 2019 को प्रस्तुत किया गया आकड़ा

अनुलग्नक-आर-1(ए) (पैरा संख्या 2.3.5(i))						
मैसर्स डब्लू 1 लिमिटेड					(₹ लाख में)	अंतर (₹ करोड़ में)
क्र.सं	निर्धारण वर्ष	(लाभ/हानि में डेबिट किया गया उत्पाद शुल्क)	उत्पाद शुल्क विभाग के अनुसार उत्पाद शुल्क	अंतर	अंतर	
ए	बी	सी	डी	इ	एफ	
1	2011-12	93,254.94	1,01,355.96	8,101.02	81.01	
2	2012-13	1,13,362.19	1,36,238.12	22,875.93	228.76	
3	2013-14	1,05,557.90	1,52,770.82	47,212.92	472.13	
4	2014-15	1,30,575.44	1,85,199.92	54,624.48	546.25	
5	2015-16	1,79,163.42	2,46,103.78	66,940.36	669.40	
6	2016-17	1,86,802.98	2,71,887.13	85,084.15	850.84	
7	2017-18	1,86,799.46	2,29,060.60	42,261.14	422.61	
8	2018-19	1,97,887.58	3,08,854.72	1,10,967.14	1,109.67	
कुल		11,93,403.91	16,31,471.05	4,38,067.14	4,380.67	

अनुलग्नक-आर-1(बी) (पैरा संख्या 2.3.5(i))					
मैसर्स यू 1 लिमिटेड (₹ लाख में)					अंतर (₹ करोड़ में)
क्र.सं.	निर्धारण वर्ष	(लाभ/हानि में डेबिट किया गया उत्पाद शुल्क)	उत्पाद शुल्क विभाग के अनुसार उत्पाद शुल्क	अंतर	
ए	बी	सी	डी	इ	एफ
1	2010-11	29,066.47	30,159.68	1,093.21	10.93
2	2011-12	30,630.15	40,556.61	9,926.46	99.26
3	2012-13	35,572.65	49,753.73	14,181.08	141.81
4	2013-14	46,948.80	69,180.68	22,231.88	222.32
5	2014-15	49,005.68	74,962.37	25,956.69	259.57
6	2015-16	50,107.83	78,587.24	28,479.41	284.79
7	2016-17	57,289.88	77,778.16	20,488.28	204.88
8	2017-18	53,028.41	56,355.88	3,327.47	33.28
कुल		3,51,649.87	4,77,334.35	1,25,684.48	1,256.84

अनुलग्नक-आर-1(सी) (पैरा संख्या 2.3.5(i))					
मैसर्स एम 1 लिमिटेड (₹ लाख में)					अंतर (₹ करोड़ में)
क्र.सं.	निर्धारण वर्ष	(लाभ/हानि में डेबिट किया गया उत्पाद शुल्क)	उत्पाद शुल्क विभाग के अनुसार उत्पाद शुल्क	अंतर	
ए	बी	सी	डी	इ	एफ
1	2018-19	12,078.14	66,134.5	54,056.36	540.56

अनुलग्नक-आर-2 (पैरा संख्या 2.3.5(ii)&(iii))					(₹ लाख में)	
क्र.सं.	निर्धारिती का नाम	निर्धारण वर्ष	(लाभ/हानि में डेबिट किया गया उत्पाद शुल्क)	उत्पाद शुल्क विभाग के अनुसार उत्पाद शुल्क	अंतर	अंतर (₹ करोड़ में)
ए	बी	सी	डी	इ	एफ	जी
1	मैसर्स यू 1 लिमिटेड	2009-10	33,154.26	31,669.98	1,484.28	14.84
		2018-19	35,360.87	35,018.00	342.87	3.43
2	मैसर्स एम1 लिमिटेड	2014-15	3,434.73	3,434.73	0	0
		2015-16	4087.54	4,087.54	0	0

अनुलग्नक-एस-1 (पैरा संख्या 2.3.6.2(ए)) मैसर्स डब्लू 1 लिमिटेड					(₹ लाख में)	(₹ करोड़ में)
क्र.सं.	निर्धारण वर्ष	विविध लेनदार	विविध देनदार	दिया गया अग्रिम	कुल	
ए	बी	सी	डी	इ	एफ	जी
1	2009-10	-	-	-	-	-
2	2010-11	1,572.93	20.74	-	1,593.67	15.94
3	2011-12	-	-	-	-	-
4	2012-13	6,986.42	9,583.14	-	16,569.56	165.70
5	2013-14	7,529.66	18,202.99	201.08	25,933.73	259.33
6	2014-15	4,903.85	8,946.00	484.64	14,334.49	143.34
7	2015-16	-	-	-	-	-
8	2016-17	-	-	-	-	-
9	2017-18	-	-	-	-	-
10	2018-19	1,396.93	3,990.40	310.51	5,697.84	56.98
	कुल	22,389.79	40,743.27	996.23	64,129.29	641.29

अनुलग्नक-एस-2 (पैरा संख्या 2.3.6.2(बी)) मैसर्स यू1 लिमिटेड (₹ लाख में)							कुल (₹ करोड़ में)
क्र.सं.	निर्धारण वर्ष	विविध लेनदार	विविध देनदार	दिया गया अग्रिम	अन्य देयता	कुल	
ए	बी	सी	डी	इ	एफ	जी	एच
1	2009-10	288.91	570.43	288.25	-	1,147.59	11.48
2	2010-11	455.90	610.27	429.70	-	1,495.87	14.96
3	2011-12	651.34	262.17	474.11	-	1,387.62	13.88
4	2012-13	517.15	1,262.96	2,521.61	-	4,301.72	43.02
5	2013-14	817.56	84.21	245.03	-	1,146.80	11.47
6	2014-15	522.36	320.71	221.12	-	1,064.19	10.64
7	2015-16	562.20	220.71	-	4,558.31	5,341.22	53.41
8	2016-17	-	-	-	-	0	0
9	2017-18	-	-	-	-	0	0
10	2018-19	1,168.46	1,394.87	430.76	1,966.78	4,960.87	49.61
कुल		4983.88	4,726.33	4,610.58	6,525.09	20,845.88	208.46

अनुलग्नक-एस-3 (पैरा संख्या 2.3.6.2(सी)) मैसर्स एम 1 लिमिटेड (₹ लाख में)					कुल (₹ करोड़ में)
क्र.सं.	निर्धारण वर्ष	विविध देनदार	विविध लेनदार	कुल	
ए	बी	सी	डी	इ	एफ
1	2009-10	1,424.02	3,528.9	4,952.92	49.53
2	2010-11	NA*	NA*	-	-
3	2011-12	142.81	471.02	613.83	6.14
4	2012-13	134.96	504.03	638.99	6.39
5	2013-14	45.21	202.38	247.59	2.48
6	2014-15	1,924.60	2,440.90	4,365.50	43.66
7	2015-16	5.30	895.87	901.17	9.01
8	2016-17	718.24	2,178.25	2,896.49	28.96
9	2017-18	1,048.44	2,015.81	3,064.24	30.64
10	2018-19	2,463.02	2,978.32	5,441.34	54.41
कुल		7906.60	15,215.48	23,122.08	231.22


*विवरण उपलब्ध नहीं है

अनुलग्नक-टी: कर प्रभाव वार लेखापरीक्षा अभियुक्तियाँ													
लेखापरीक्षा अभियुक्तियाँ	निर्धारिती का नाम	नि.व. 2009-10	नि.व. 2010-11	नि.व. 2011-12	नि.व. 2012-13	नि.व. 2013-14	नि.व. 2014-15	नि.व. 2015-16	नि.व. 2016-17	नि.व. 2017-18	नि.व. 2018-19	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)	
1. समझौते की आड़ में बिक्री का कम लेखा-जोखा।	मैसर्स डब्ल्यू1 लिमिटेड	राज्य उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा उत्पाद शुल्क संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए		38.45	117.47	292.18	373.83	431.04	514.60	264.98	656.22	2688.77	
	मैसर्स यू1 लिमिटेड	नि.व. 2010-11 से नि.व. 2016-17 तक अनुबंध था	2.35	138.01	204.05	334.79	122.59	129.09	89.65	नि.व. 2010-11 से नि.व. 2016-17 तक अनुबंध था		1020.53	
	मैसर्स एम1 लिमिटेड	फरवरी 2015 में मैसर्स एम1 लिमिटेड द्वारा मैसर्स सी1 प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया गया							92.93	288.30	348.58	729.81	
2. निर्धारिती के साथ अन्तः विभागीय और अन्तर्विभागीय समन्वय/सुलह की कमी।	मैसर्स यू1 लिमिटेड		1.46	9.08	8.78	3.10	5.50	ऐसा कोई मामला नहीं है	0.51	3.42	5.87	3.49	41.21
	मैसर्स पी1 प्रा. लिमिटेड	बिक्री का विवरण जिस पर टीडीएस/टीसीएस लागू है, ऑडिट रिपोर्ट {फॉर्म 3सीडी के क्रम संख्या 34(ए) पर} में निर्धारण वर्ष 2014-15 से प्रस्तुत किया गया है।						1043.90	1224.91	1517.05	803.56	अप्रस्तुत	4589.42
	मैसर्स आर1 लिमिटेड							407.10	452.55	571.45	695.11	अप्रस्तुत	2126.21
	मैसर्स एस1 लिमिटेड							128.16	146.94	118.76	159.91	110.45	664.22
	मैसर्स एम3 प्रा. लिमिटेड							35.99	27.01	13.80	1.38	7.24	85.42
	मैसर्स एम2 लिमिटेड							1.84	2.81	14.86	29.03	45.42	93.96
	मैसर्स ए1 लिमिटेड							ऐसा कोई मामला नहीं है	88.72	44.50	ऐसा कोई मामला नहीं है		133.22
	मैसर्स यू2 लिमिटेड							2765.02	841.23	790.23	अप्रस्तुत		4396.48
मैसर्स यू3 लिमिटेड							24.80	93.85	5.54	518.30	अप्रस्तुत	642.49	

	मैसर्स एम1 लिमिटेड	निर्धारिती द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 और 2015-16 में रॉयल्टी आय दर्शाई गई थी।	4.09	4.50	निर्धारिती द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 और 2015-16 में रॉयल्टी आय दर्शाई गई थी।	8.59	
3. तैयार उत्पाद के मात्रात्मक सार के संबंध में अंकगणितीय विसंगति और लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणीकरण।	मैसर्स डब्ल्यू1 लिमिटेड	ऐसा कोई मामला नहीं है	29.60	ऐसा कोई मामला नहीं है	248.85	278.45	
	मैसर्स आर1 लिमिटेड	ऐसा कोई मामला नहीं है		130.00	124.97	161.99	
	मैसर्स एम2 लिमिटेड	ऐसा कोई मामला नहीं है	2.96	3.72	ऐसा कोई मामला नहीं है	1.25	0.88
	मैसर्स ए1 लिमिटेड	ऐसा कोई मामला नहीं है				0.79	0.79
4. गणनात्मक त्रुटियां	मैसर्स पी1 प्रा. लिमिटेड	ऐसा कोई मामला नहीं है	1.36	ऐसा कोई मामला नहीं है	अप्रस्तुत	1.36	
	मैसर्स एस1 लिमिटेड	ऐसा कोई मामला नहीं है	2.00	ऐसा कोई मामला नहीं है		2.00	
5. अंतर्विभागीय समन्वय के अभाव में राजस्व पर प्रभाव।	सभी चयनित 11 कंपनियां।	प्रणालीगत मामला				--	
6. अधिनियम के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का पालन न करना।	मैसर्स डब्ल्यू1 लिमिटेड	प्रणालीगत मामला				--	
	मैसर्स यू1 लिमिटेड					--	
	मैसर्स एम1 लिमिटेड					--	
कुल						17928.70	


अनुलग्नक-1

(प्रस्तर 2.3.1.1 का सन्दर्भ लें)




अनुलग्नक - II

(प्रस्तर 2.3.1.1 का सन्दर्भ लें)




अनुलग्नक- III

(प्रस्तर 2.3.1.2 का सन्दर्भ लें)



अनुलग्नक - IV

(प्रस्तर 2.3.1.3 का सन्दर्भ लें)



संकेताक्षर की सूची

क्र.सं.	संकेताक्षर	विवरण
1	एओ	निर्धारण अधिकारी
2	नि.व.	निर्धारण वर्ष
3	सीए	चार्टर्ड एकाउंटेंट (सनदी लेखाकार)
4	सीएजी	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
5	सीएसएस	कंप्यूटर एडेड स्कूटनी चयन
6	सीबीडीटी	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
7	सीएमयू	अनुबंध निर्माण इकाई
8	सीपीसी(टीडीएस)	सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर (स्रोत पर कर कटौती)
9	डीपीसी,अधिनियम	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें 1971
10	ईबीपी	एक्स -ब्रेवरीज प्राइस
11	ईडीपी	एक्स -डिस्टिलरी प्राइस
12	आईएमएफएल	भारतीय निर्मित विदेशी मदिरा
13	आईटीडी(विभाग)	आयकर विभाग
14	आईटीडीआरईआईएन	आयकर विभाग पंजीकृत व्यक्तिगत संख्या
15	आईटीआर	इनकम टैक्स रिटर्न
16	एम आर पी	अधिकतम खुदरा मूल्य
17	एन ए एफ ए सी	नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर
18	ओएसडी	विशेष कार्य अधिकारी
19	पैन	स्थायी खाता संख्या
20	पी एंड एल खाता	लाभ-हानि खाता
21	आर ई	पंजीकृत संस्था
22	आर ओ आई	आय की वापसी

23	वि.ले.	विशेष लेखापरीक्षा
24	एसएफटी	वित्तीय लेनदेन का विवरण
25	एस ओ पी	स्थायी संचालन प्रक्रिया
26	टीएआर	टैक्स ऑडिट रिपोर्ट
27	टीसीएस	स्रोत पर एकत्रित कर
28	वीएटी(वैट)	मूल्य वर्धित कर

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in